दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अगस्त भाग-1

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 7

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का 112वाँ वार्षिक दिवस 7
- हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट: FAO-WFP 8
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 11
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची 13
- निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 14
- राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और CrPC की धारा 433A 16
- फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिये योजना को जारी रखना 18
- जल संसाधन प्रबंधन पर रिपोर्ट 20
- जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति की दूसरी वर्षगाँठ 21
- MPLADS में धन व्यपगत 23
- प्रमुख प्रशासनिक सुधार 24
- समग्र शिक्षा योजना 2.0 26
- संवैधानिक (127वाँ) संशोधन विधेयक, 2021 28
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 29
- न्यायाधिकरणों की दयनीय स्थिति 30
- फ्यूचर रिटेल बनाम अमेज़न पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 32
- भारत छोड़ो आंदोलन 34
- सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) 36
- पुलिस हिरासत में हिंसा मानवाधिकारों के लिये खतरा 37
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 39

दृष्टि The Vision

नोट :

- विश्व आदिवासी दिवस, 2021 41
- पीएम दक्ष योजना 43
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम 45
- वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण- 4 46
- उज्ज्वला 2.0 48
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 49
- वाहन स्क्रैपिंग नीति लॉँच 51
- आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद 53

आर्थिक घटनाक्रम 55

- ई-रूपी: वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली 55
- आनुवंशिक रूप से संशोधित सोया बीजों के आयात की मांग 56
- अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा उपाय 58
- सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता से छूट 60
- भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिये नया फ्रेमवर्क 62
- पूर्वव्यापी कराधान को दूर करना 63
- बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना: चरण II 65
- फेसलेस असेसमेंट स्कीम: इनकम टैक्स 67
- कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी' में देरी 68
- मौद्रिक नीति रिपोर्ट: भारतीय रिज़र्व बैंक 70
- पीएम-किसान 72
- वार्षिक सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 73
- सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 76
- उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में रिक्तियाँ 78
- कराधान का संप्रभु अधिकार 79
- ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम 80

नोट :

दृष्टि The Vision

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 82

- भारत ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की 82
- गिलगित-बाल्टिस्तान' को प्रांतीय दर्जा 84
- भारत-बांग्लादेश वाणिज्यिक रेलवे लिंक की बहाली 85
- सीमा पर तनाव कम करने हेतु सहमत हुए भारत-चीन 87
- विदेश मंत्री की ईरान यात्रा 89
- UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का मामला 90
- सुरक्षा पर भारत, श्रीलंका और मालदीव का सहयोग 92
- भारत-अमेरिका परमाणु समझौता 93
- सुरक्षित हिंद महासागर 96
- मॉरीशस के अगलेगा द्वीप समूह में भारतीय बेस 97
- बेलारूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध 100
- समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक 101
- फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया (FEMBoSA) 103
- चार नए रामसर स्थल 104

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 108

- कोविड -19 से रिकवरी में 'अश्वगंधा' का महत्त्व 108
- नासा का बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्षयान 109
- GSLV-F10 की विफलता: इसरो का 'EOS-03' उपग्रह मिशन 110

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 113

- ओज़ोन का स्तर अनुमत स्तरों से अधिक 113
- स्काईग्लो: प्रकाश प्रदूषण 114
- डेयरी क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन 115
- लाल ज्वार 118
- नेट ज़ीरो कार्बन लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन : ऑक्सफैम रिपोर्ट 119

नोट :

दृष्टि The Vision

➢ स्टबल बर्निंग 121

➢ अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग करंट 122

➢ इंडिया प्लास्टिक पैक्ट 124

➢ जलवायु परिवर्तन 2021 रिपोर्ट: IPCC 126

➢ विश्व शेर दिवस 2021 129

➢ विश्व जैव ईंधन दिवस 130

➢ तेल रिसाव 132

➢ लद्दाख में ग्लेशियरों का पीछे खिसकना 134

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 136

➢ भारत को अपडेटेड फ्लड मैप की आवश्यकता 136

➢ लद्दाख में ग्लेशियरों का पीछे खिसकना 137

सामाजिक न्याय 140

➢ हलाम उप-जनजाति संघर्ष 140

➢ 'फूड फोर्टिफिकेशन' के प्रतिकूल प्रभाव 141

➢ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) संशोधन अधिनियम, 2021 143

➢ ज़ीरो हंगर' लक्ष्य: SDG-2 145

➢ असमान खाद्य प्रणाली 146

➢ अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच 149

➢ सर्पदंश विष 151

➢ अल्पसंख्यक संस्थान और आरटीई: एनसीपीसीआर सर्वेक्षण 152

➢ ITBP में कॉम्बैट भूमिका में महिलाएँ 154

➢ मारबर्ग वायरस 156

➢ बुजुर्गों के लिये जीवन का गुणवत्ता सूचकांक 157

➢ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 2021 160

नोट :

दृष्टि The Vision

आंतरिक सुरक्षा **162**

- आईएनएस विक्रांत का समुद्री परीक्षण 162
- अवैध प्रवासियों का मुद्दा 163

चर्चा में **165**

- कोर सेक्टर आउटपुट 165
- पैंगोलिन 165
- दिल्ली-अलवर RRTS परियोजना 166
- मेंढक की नई प्रजाति: मिनरवेरिया पेंटाली 167
- स्विन्होज़ सॉफ्टशेल टर्टल 168
- उमलिंग-ला दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड 168
- प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ 169
- ई-जेल परियोजना 171
- अबनींद्रनाथ टैगोर 172
- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 172
- मद्रास विधान परिषद के 100 वर्ष 173
- राणा पुंजा भील 174
- काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान: असम 175
- इंटरनेशनल बैचलरेट 176
- ओलंपियन चमगादड़ 177
- विश्व हाथी दिवस 178
- बैलिस्टिक मिसाइल 'गज़नवी': पाकिस्तान 179
- ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क (गरुड़) 180
- इंडिगऊ 181

विविध **182**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का 112वाँ वार्षिक दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control- NCDC) के 112वें वार्षिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु

कार्यक्रम में शुरू की गई पहल:

- जीनोम लैब:
  - रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance- AMR) के लिये संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (WGS) राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया।
  - WGS संपूर्ण जीनोम के विश्लेषण हेतु एक व्यापक विधि है। यह आनुवंशिक जानकारी हेतु वंशानुगत विकारों की पहचान करने, कैंसर को बढ़ावा देने वाले उत्परिवर्तनों को चिह्नित करने और रोग के प्रकोप पर नज़र रखने में सहायक रही है।
    - तेज़ीसे घटती अनुक्रमण लागत और आज के अनुक्रमक/सीक्वेंसर के साथ बड़ी मात्रा में डेटा का उत्पादन करने की क्षमता संपूर्ण-जीनोम अनुक्रमण को जीनोमिक्स अनुसंधान हेतु एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है।
  - रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance-AMR) का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि) द्वारा एंटीमाइक्रोबियल दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइरियल और एंटीहेलमिंटिक्स) जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिये किया जाता है, के खिलाफ प्रतिरोध हासिल करने से है।
  - वैश्विक निगरानी के लिये WGS का अनुप्रयोग AMR के प्रारंभिक उद्भव और प्रसार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है तथा AMR नियंत्रण हेतु समय पर नीतिगत्त विकास को सूचित कर सकता है।
- NPCCHH के तहत अनुकूलन योजनाएँ:
  - 'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम' (NPCCHH) के तहत 'वायु प्रदूषण पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना' और 'हीट संबंधी बीमारी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना' शुरू की गई थी।
  - यह योजना अस्पताल में वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य पर एक समिति गठित करने का सुझाव देती है, जिसमें आपातकालीन और नर्सिंग विभाग सहित चिकित्सा, श्वसन, चिकित्सा, बाल रोग, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी आदि विभागों के स्वास्थ्य अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।
  - यह योजना रसद, दवाओं और उपकरणों को लेकर आवश्यक तैयारी के महत्त्व पर भी प्रकाश डालती है, जो ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से श्वसन एवं हृदय संबंधी आपात स्थितियों को दूर करने के लिये आवश्यक हो सकते हैं।
  - यह संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के अनुसार वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट का चयन और पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों जैसे संवेदनशील वर्गों की पहचान की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है।
- सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) मैटेरियल:
  - 'राष्ट्रीय जूनोज़ रोकथाम और नियंत्रण स्वास्थ्य कार्यक्रम' के तहत 7 प्राथमिकता वाले जूनोटिक रोगों पर सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) मैटेरियल तैयार किया गत्या है, अर्थात्:
    - इसमें रेबीज़, स्क्रब टाइफस, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF), निपाह, क्यासानूर वन रोग शामिल हैं।

नोट :

NPCCHH के उद्देश्य

- मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में सामान्य जनसंख्या (कमज़ोर समुदाय), स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करना।
- जलवायु में परिवर्तनशीलता के कारण बीमारियों / बीमारियों को कम करने के लिये स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता को मज़बूत करना।
- राष्ट्रीय/राज्य/ज़िला/ज़िलों के निचले स्तर पर मौजूदा स्थिति का प्रदर्शन करके स्वास्थ्य की तैयारी और प्रतिक्रिया को मज़बूत करना।
- साझेदारी विकसित करने और अन्य मिशनों के साथ सिंक्रनाइज़ / सिनर्जी बनाने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि देश में जलवायु परिवर्तन एजेंडा में स्वास्थ्य का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है।
- मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभाव के परिणामी-अंतराल को भरने के लिये अनुसंधान क्षमता को मज़बूत करना।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र:

- परिचय:
  - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control- NCDC) को पूर्व में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (National Institute of Communicable Diseases- NICD) के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हिमाचल प्रदेश के कसौली (Kasauli) में केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो (Central Malaria Bureau) के रूप में की गई थी।
  - NICD को वर्ष 2009 में पनप चुके एवं फिर से पनप रहे रोगों को नियंत्रित करने के लिये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में तब्दील कर दिया गया था।
  - यह देश में रोगों की निगरानी के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है जिससे संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में सुविधा होती है।
  - यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रयोगशाला विज्ञान एंटोमोलॉजिकल (Entomological) सेवाओं हेतु विशेष कार्यबल के प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है और विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों में शामिल है।
- नियंत्रण और मुख्यालय:
  - NCDC भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक (Director General of Health Services) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  - इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
- कार्य:
  - यह पूरे देश में किसी भी रोग के प्रकोप की जाँच करता है।
  - व्यक्तियों, समुदायों, मेडिकल कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों एवं राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों को परामर्श व नैदानिक सेवाएँ प्रदान करता है।
  - महामारी विज्ञान, निगरानी और प्रयोगशालाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के सृजन एवं प्रसार करना।
  - संचारी रोगों के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ गैर-संचारी रोगों के कुछ पहलुओं में एकीकृत अनुसंधान को बढ़ावा देना।

हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट: FAO-WFP

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने 'हंगर हॉटस्पॉट्स - अगस्त से नवंबर 2021' (Hunger Hotspots - August to November 2021) नाम से एक रिपोर्ट जारी की।

- मई 2021 में जारी वर्ष 2021 की ग्लोबल फूड क्राइसिस (Global Food Crises Report) रिपोर्ट में पहले ही तीव्र खाद्य असुरक्षा की चेतावनी दी गई थी, इसके अनुसार खाद्य असुरक्षा अपने पाँच वर्ष के उच्च स्तर पर पहुँच गई थी, जिसके कारण वर्ष 2020 में कम-से-कम 155 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा के चक्र में फँस चुके थे।

प्रमुख बिंदु

प्रमुख हंगर हॉटस्पॉट्स:

- इथियोपिया, मेडागास्कर, दक्षिण सूडान, उत्तरी नाइजीरिया और यमन उन 23 देशों में शामिल हैं जहाँ अगस्त से नवंबर, 2021 तक खाद्य असुरक्षा की स्थिति तीव्रता से और अधिक खराब जाएगी।
- इथियोपिया और मेडागास्कर विश्व के सबसे नए "उच्चतम अलर्ट" भूख वाले हॉटस्पॉट हैं।
  - इथियोपिया एक विनाशकारी खाद्य आपातकाल का सामना कर रहा है जिसका कारण टाइग्रे क्षेत्र में चल रहा संघर्ष है।
  - इस बीच दक्षिणी मेडागास्कर में 40 वर्षों में सबसे भीषण सूखे के कारण वर्ष 2021 के अंत तक 28,000 लोगों के अकाल जैसी स्थिति का सामना करने की आशंका है।

खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न करने वाले कारक:

- हिंसा:
  - जनसंख्या का विस्थापन, कृषि भूमि का परित्याग, जन धन और संपत्ति का नुकसान, व्यापार एवं व्यवधान तथा संघर्षों के कारण बाज़ारों तक पहुँच की हानि खाद्य असुरक्षा की स्थिति को और अधिक बढ़ा सकती है।
    - अफगानिस्तान, मध्य साहेल क्षेत्र, मध्य अफ्रीकी गणराज्य आदि में हिंसक गतिविधियों के तीव्र होने की भविष्यवाणी की गई है।
  - हिंसा से मानवीय सहायता तक पहुँच बाधित होने की भी संभावना है।
- महामारी के झटके:
  - वर्ष 2020 में लगभग सभी निम्न और मध्यम आय वाले देश महामारी से ग्रसित आर्थिक मंदी से प्रभावित थे।
- प्राकृतिक खतरे:
  - मौसम की चरम स्थिति और जलवायु परिवर्तनशीलता की अवधि के दौरान विश्व के कई हिस्सों के प्रभावित होने की संभावना है।
  - उदाहरण के लिये हैती में मई के मौसम में कम वर्षा से उपज प्रभावित होने की संभावना है। दूसरी ओर औसत से कम बारिश से मुख्य चावल उगाने वाले मौसम के दौरान उपज में कमी आने की संभावना है।
  - जुलाई 2021 की शुरुआत में हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में रेगिस्तानी टिड्डी का संक्रमण एक बड़ी चिंता थी, जबकि अन्य क्षेत्र इससे अप्रभावित थे।
- खराब' मानवीय पहुँच:
  - मानवीय पहुँच विभिन्न तरीकों से सीमित है, जिसमें प्रशासनिक/नौकरशाही, आंदोलन प्रतिबंध, सुरक्षा प्रतिबंध और पर्यावरण से संबंधित भौतिक बाधाएँ शामिल हैं।
  - वर्तमान में सबसे महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना करने वाले देश, सहायता को उन लोगों तक पहुँचने से रोक रहे हैं, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जिनमें शामिल हैं अफगानिस्तान, इथियोपिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य आदि।

सुझाव:

- अल्पकालिक हस्तक्षेप:
- नई मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने से पूर्व' अल्पकालिक सुरक्षात्मक हस्तक्षेपों को लागू किया जाना चाहिये तथा मौजूदा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिये।
- नीतियों का एकीकरण:
  - संघर्षरत क्षेत्रों में मानवीय, विकास और शांति निर्माण नीतियों को एकीकृत करना- उदाहरण के लिये सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से परिवारों को भोजन के लिये अल्प संपत्ति को बेचने से रोकना।
- जलवायु स्थिति को लचीला बनाना:
  - लघु हितधारक किसानों को जलवायु जोखिम बीमा तथा पूर्वानुमान आधारित वित्तपोषण तक व्यापक पहुँच प्रदान करके खाद्य प्रणालियों में जलवायुविक लचीलेपन को बढ़ाना।

- लचीलेपन को सुदृढ़ करना:
  - महामारी जैसे आपदा के प्रभाव' या खाद्य मूल्य अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिये इन-काइंड या नकद सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक स्थिति के प्रतिकूल प्रभाव हेतु सबसे कमज़ोर लोगों में लचीलेपन को मज़बूत करना।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन:

- इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY):

- इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से पहले से उपलब्ध कराए जा रहे 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त 5 किलोग्राम अनाज (गेहूँ या चावल) निशुल्क प्रदान करना है।

वन नेशन वन राशन कार्ड:

- यह भारत में भुखमरी की समस्या को संबोधित करेगा। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 117 देशों में से 102वें स्थान पर रखा गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि:

- यह प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद में छोटे और सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers- SMF) की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने का इरादा रखता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:

- इसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत के कवरेज का लक्ष्य रखा गया है।
  - अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला का घर का मुखिया होना अनिवार्य है।

खाद्य और कृषि संगठन

- खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को समाप्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्त्व करती है।
- प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
- खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है जो रोम (इटली) में स्थित है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) भी इसमें शामिल हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

- विश्व खाद्य कार्यक्रम' (World Food Programme-WFP) एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में लोगों के जीवन को बचाने और परिवर्तन हेतु खाद्य सहायता प्रदान करता है, यह पोषण स्तर में सुधार करने एवं लचीलापन लाने हेतु समुदायों के साथ मिलकर कार्य करता है।
  - इसे भुखमरी को समाप्त करने के प्रयासों के लिये वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था।
- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organization- FAO) तथा 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' (United Nations General Assembly-UNGA) द्वारा अपने मुख्यालय रोम, इटली में की गई थी।

- WFP आपातकालीन सहायता के साथ-साथ पुनर्वास एवं विकास सहायता पर भी केंद्रित है।
  - इसका दो-तिहाई काम संघर्ष प्रभावित देशों में होता है, जहाँ अन्य जगहों की तुलना में लोगों के तीन गुना कुपोषित होने की संभावना है।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996

चर्चा में क्यों?

झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों से आदिवासी स्वशासन प्रणाली समाप्त हो गई है।

- भारतीय इतिहास के समय में अधिकांश आदिवासियों (भारत के आदिवासी समुदायों) की अपनी संघीय शासन प्रणाली थी। हालाँकि औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्रता के पश्चात् की प्रशासनिक व्यवस्था ने आदिवासी शासन प्रणाली को काफी हद तक प्रभावित किया है।
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम , 1996 को पारंपरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को बनाए रखना था।

प्रमुख बिंदु

केस स्टडी - झारखंड की जनजातीय शासन प्रणाली:

- वर्ष 2000 में झारखंड को बिहार के दक्षिणी भाग से अलग कर भारत के 28वें राज्य के रूप में बनाया गया था।
  - यह भाग भूगोल और सामाजिक संरचना की दृष्टि से बिहार के उत्तरी भाग से विशिष्ट रूप से भिन्न था।
- इसमें 32 विभिन्न जनजातियाँ हैं, जिनमें नौ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) शामिल हैं।
  - 2001 की जनगणना के अनुसार, संथाल (34%), उरांव (19.6%), मुंडा (14.8%) और हो (10.5%) संख्या के मामले में प्रमुख जनजातियों में से हैं।
- राज्य में प्रमुख जनजातीय समुदायों में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को तीन कार्यात्मक स्तरों में संगठित किया गया था।
  - पहला ग्राम स्तर पर है; दूसरा पाँच-छह ग्राम स्तरों के समूह में तथा तीसरा सामुदायिक स्तर पर।
- निर्णय लेने की इन प्रक्रियाओं को जन-केंद्रित और लोकतांत्रिक माना जाता था, हालाँकि महिलाओं को ज़्यादातर ऐसी प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
- उनकी अपनी शासन प्रणाली थी, जो जाति व्यवस्था के विपरीत गैर-श्रेणीबद्ध थी। प्रत्येक आदिवासी गाँव में स्वशासन की मूल इकाई के रूप में एक ग्राम परिषद होती थी।
- ये मंच प्रशासन, संसद और न्यायपालिका से संबंधित सभी मामलों के लिये निर्णय लेने वाले निकायों के रूप में कार्य करते थे।
  - प्रशासनिक मामले गाँव के सामान्य (जैसे भूमि, जंगल और जल निकाय), श्रम साझाकरण, कृषि गतिविधियों, धार्मिक आयोजनों और त्योहारों आदि के रखरखाव से संबंधित थे।
  - संसदीय मामले मानदंडों और अलिखित कानूनों और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने व व्याख्या करने से संबंधित थे।
  - न्यायपालिका के मामले अलिखित मानदंडों और मूल्यों द्वारा निर्देशित संघर्ष, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों आदि के प्रबंधन से संबंधित थे।
- व्यवस्था का क्रमिक पतन: वर्ष 1947 में बिहार पंचायत राज व्यवस्था (BPRS) की शुरुआत के बाद ये आदिवासी पारंपरिक शासन प्रणाली कमज़ोर हो गई।
  - गैर-आदिवासी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए BPRS का गठन किया गया था।
  - परिणामस्वरूप गैर-प्राथमिकता और उपेक्षा के कारण पारंपरिक शासन प्रणाली की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
  - यह औद्योगीकरण, आदिवासियों के विस्थापन और शहरीकरण से बढ़ गया था।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक,1996 के बारे में:

- ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन पारित किया गया।
- इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के लिये कानून बनाया गया।

- हालाँकि अनुच्छेद 243 (M) के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में इस कानून का आवेदन प्रतिबंधित था।
- वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये स्व-शासन सुनिश्चित करने हेतु पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक,1996 अस्तित्व में आया।
  - पेसा ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की, जबकि राज्य विधायिका पंचायतों और ग्राम सभाओं के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने हेतु एक सलाहकार की भूमिका में है।
- पेसा को भारत में आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है।
- पेसा निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देता है और लोगों की स्वशासन की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- ग्राम सभाओं को निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य प्रदान किये गए हैं:
  - भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार।
  - पारंपरिक आस्था और आदिवासी समुदायों की संस्कृति का संरक्षण।
  - लघु वन उत्पादों का स्वामित्व।
  - स्थानीय विवादों का समाधान।
  - भूमि अलगाव की रोकथाम।
  - गांव के बाजारों का प्रबंधन।
  - शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार।
  - साहूकारों पर नियंत्रण का अधिकार।
  - अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई अन्य अधिकार।

पेसा से संबंधित मुद्दे:

- राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिये राज्य स्तरीय कानून बनाएँ।
  - इसके परिणामस्वरूप पेसा आंशिक रूप से कार्यान्वित हुआ है।
  - आंशिक कार्यान्वयन ने आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे- झारखंड में स्वशासन को खराब कर दिया है।
- कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पेसा स्पष्टता की कमी, कानूनी दुर्बलता, नौकरशाही उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सत्ता के पदानुक्रम में परिवर्तन के प्रतिरोध आदि के कारण सफल नहीं हुआ।
- राज्य भर में किये गए सोशल ऑडिट में यह भी बताया गया है कि वास्तव में विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा केवल कागज़ पर अनुमोदित किया जा रहा था, वास्तव में चर्चा और निर्णय लेने के लिये कोई बैठक नहीं हुई थी।

भारत की जनजातीय नीति

- भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारतीय संविधान के भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में निहित अनुच्छेद 244 (अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन) द्वारा इन्हें आत्मनिर्णय के अधिकार (Right to Self-determination) की गारंटी दी गई है।
  - संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किये गए हैं।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 या पेसा अधिनियम।
- जनजातीय पंचशील नीति।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 वन में रहने वाले समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है।

आगे की राह

- यदि पेसा अधिनियम को अक्षरश: लागू किया जाता है, तो यह आदिवासी क्षेत्र में मरती हुई स्वशासन प्रणाली को फिर से जीवंत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
- यह पारंपरिक शासन प्रणाली में खामियों को दूर करने और इसे अधिक लिंग-समावेशी एवं लोकतांत्रिक बनाने का अवसर भी देगा।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लोकसभा में आठवीं अनुसूची में भाषाओं को बढ़ाने से संबंधित सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

आठवीं अनुसूची:

- आठवीं अनुसूची के बारे में:
  - इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
  - आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
    - अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344(1) संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
    - अनुच्छेद 351: यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिये इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्त्वों के लिये अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
  - हालाँकि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है।
- आधिकारिक भाषाएँ:
  - संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
    - असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
  - इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था।
  - वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
  - वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया।
  - वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

शास्त्रीय भाषाएँ:

- परिचय:
  - वर्तमान में ऐसी छह भाषाएँ हैं जिन्हें भारत में 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा प्राप्त है:
    - तमिल (2004 में घोषित), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगू (2008), मलयालम (2013) और ओडिया (2014)।
    - सभी शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

- दिशा-निर्देश:
  - संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करता है जो नीचे दिये गए हैं:
    - इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500-2000 वर्ष से अधिक पुराना हो।
    - प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो।
    - साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा न ली गई हो।
    - शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा व साहित्य से भिन्न हैं, इसलिये इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है।
- प्रचार का लाभ: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं-
  - भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिये दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण।
  - शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
  - मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया है कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के पेशेवर अध्यक्षों के कुछ पदों की घोषणा करे।

निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया कि एक निवारक निरोध आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब बंदी के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

- सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों और अन्य अदालतों को निवारक नज़रबंदी के तहत नज़रबंदी से निपटने के लिये भी निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु:

- सार्वजनिक व्यवस्था के लिये निवारक निरोध: अदालत ने माना कि यह विवादित नहीं हो सकता है कि डिटेनू एक 'सफेदपोश अपराधी' हो सकता है और यदि उसे मुक्त कर दिया जाता है, तो भोले-भाले व्यक्तियों को धोखा देना जारी रखेगा।
  - हालाँकि निवारक निरोध आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब उसकी गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।
- 'सार्वजनिक आदेश' शब्द पर स्पष्टता: निवारक निरोध केवल सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिये एक आवश्यक बुराई है, लेकिन निवारक निरोध कानून के संदर्भ में सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति में इसे अभिव्यक्ति से जोड़कर उदार अर्थ में नहीं लिया जा सकता है।
  - कानून का उल्लंघन, जैसे- धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात में शामिल होना, निश्चित रूप से 'कानून और व्यवस्था' को प्रभावित करता है।
  - हालाँकि जब यह समुदाय या जनता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है तभी इसे 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करना कहा जा सकता है।
- सरकार को निर्देश: राज्य को उन सभी एवं विविध "कानून और व्यवस्था" संबंधी समस्याओं से निपटने के लिये मनमाने ढंग से "निवारक निरोध" का सहारा नहीं लेना चाहिये, जिनसे देश के सामान्य कानूनों द्वारा निपटा जा सकता है।
- न्यायालयों को निर्देश: निवारक निरोध के तहत वैधता तय करने हेतु अदालतों से प्रश्न पूछा जाना चाहिये:
  - क्या देश का सामान्य कानून स्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त था? यदि उत्तर सकारात्मक है, तो निरोध आदेश अवैध होगा।
  - उदाहरण के लिये सड़क पर लड़ रहे दो शराबियों के मामले में अदालत कहती है कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या थी, न कि 'सार्वजनिक अव्यवस्था' का तो यहाँ समाधान निवारक निरोध नहीं है।

- निवारक निरोध स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है: एक नागरिक की स्वतंत्रता उसका सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार है जिसे हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से ऐतिहासिक और कठिन संघर्षों के बाद जीता है।
    - यदि निवारक निरोध की शक्ति को एक सीमा तक सीमित नहीं किया जाता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार निरर्थक हो जाएगा यानी उसका कोई मूल्य या महत्त्व नहीं रह जाएगा।
    - इसलिये निवारक निरोध अनुच्छेद 21 (कानून की उचित प्रक्रिया) के दायरे में आना चाहिये और इसे अनुच्छेद 22 (मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा) तथा विचाराधीन कानून के साथ पढ़ा जाना चाहिये।

व्हाइट कॉलर क्राइम बनाम ब्लू कॉलर क्राइम

- व्हाइट कॉलर क्राइम: यह व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी पेशेवरों द्वारा आर्थिक रूप से प्रेरित अहिंसक अपराध को दर्शाता है।
    - इन अपराधों में छल और विश्वास का उल्लंघन प्रमुख है।
    - व्हाइट कॉलर क्राइम के उदाहरणों में प्रतिभूति धोखाधड़ी, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग, पिरामिड योजनाएँ आदि शामिल हैं।
    - इस प्रकार के अपराधों को शिक्षित और संपन्न लोगों से जोड़कर देखा जाता है।
    - यह शब्द पहली बार वर्ष 1949 में समाजशास्त्री एडविन सदरलैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- ब्लू कॉलर क्राइम: ये अपराध मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर होते हैं, जिसमें शामिल व्यक्ति या समूह को तत्काल लाभ होता है।
    - इसमें व्यक्तिगत अपराध भी शामिल हो सकते हैं जो तत्काल प्रतिक्रिया से प्रेरित हो सकते हैं, जैसे कि झगड़े या टकराव आदि।
    - इन अपराधों में नारकोटिक उत्पादन या वितरण, यौन हमला, चोरी, सेंधमारी, हत्या आदि को शामिल किया जा सकता है।

निवारक निरोध

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत (निरोध) में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। निरोध दो प्रकार का होता है- दंडात्मक और निवारक।
    - दंडात्मक निरोध का आशय किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध के लिये अदालत में मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद दंडित करने से है।
    - वहीं दूसरी ओर, निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसिद्धि के हिरासत में लेने से है।
- अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग साधारण कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है।

दंडात्मक निरोध के तहत दिये गए अधिकार	निवारक निरोध के तहत दिये गए अधिकार
● गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार।	● किसी व्यक्ति की नज़रबंदी तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी हेतु पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं करता है। ● बोर्ड में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
● एक कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार।	● नज़रबंदी के आधारों के बारे में नज़रबंद व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिये। ● तथापि जनहित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
● यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार।	● बंदी को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ● 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत के लिये अधिकृत नहीं करता।
● ये सुरक्षा उपाय किसी विदेशी शत्रु के लिये उपलब्ध नहीं हैं।	● यह सुरक्षा नागरिकों के साथ-साथ बाह्य व्यक्ति दोनों के लिये उपलब्ध है।

नोट: वर्ष 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना नज़रबंदी की अवधि को तीन से घटाकर दो महीने कर दिया है। हालाँकि यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसलिये तीन महीने की मूल अवधि अभी भी जारी है।

संसद द्वारा बनाए गए निवारक निरोध कानून हैं:

- निवारक निरोध अधिनियम, 1950 जो वर्ष 1969 में समाप्त हो गया।
- आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधिनियम (मीसा), 1971, इसे वर्ष 1978 में निरस्त किया गया।
- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA), 1974.
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980
- कालाबाज़ारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम (PBMSECA), 1980.
- आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (टाडा), 1985, वर्ष 1995 में निरस्त किया गया।
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (PITNDPSA), 1988 में अवैध यातायात की रोकथाम।
- आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा), 2002 को वर्ष 2004 में निरस्त किया गया।

भारत में निवारक निरोध कानूनों से संबंधित मुद्दे:

- दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने निवारक निरोध को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में नहीं अपनाया है जैसा कि भारत में किया गया है।
- सरकारें कभी-कभी ऐसे कानूनों का उपयोग एक अतिरिक्त न्यायिक शक्ति के रूप में करती हैं। साथ ही इससे मनमानी गिरफ्तारी का भी भय बना रहता है।

राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और CrPC की धारा 433A

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने माना कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, 'दंड प्रक्रिया संहिता' (CrPC) की धारा 433A से अधिक है।

- इससे पहले जनवरी 2021 में दया याचिका के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश को अस्वीकार नहीं कर सकता है, हालाँकि निर्णय लेने के लिये कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।

प्रमुख बिंदु

धारा 433A को अतिव्यापन करती है क्षमादान शक्ति:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल 14 वर्ष की जेल होने से पूर्व भी कैदियों को क्षमादान दे सकता है।
- इस प्रकार क्षमादान करने की राज्यपाल की शक्ति CrPC की धारा 433A के तहत किये गए प्रावधान को अतिव्यापन करती है, जिसमें कहा गया है कि कैदी को 14 वर्ष की जेल के बाद ही माफ किया जा सकता है।
    - धारा 433A में कहा गया है कि जहाँ किसी व्यक्ति को अपराध के लिये दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है और जिसके लिये मृत्युदंड, कानून द्वारा प्रदान की गई सज़ा में से एक है या जहाँ किसी व्यक्ति को दी गई मौत की सज़ा को धारा 433 के तहत बदल दिया गया है। ऐसे में आजीवन कारावास के तहत व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम-से-कम चौदह वर्ष के कारावास की सज़ा न काट ली हो।
- धारा 433A किसी भी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपाल को क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है।

राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति:

- न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत एक कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति वास्तव में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है।
- सरकार की सलाह राज्य के उपराज्यपाल के लिये बाध्यकारी होती है।

लघुकरण का क्रम:

- लघुकरण और रिहाई की कार्रवाई इस प्रकार एक सरकारी निर्णय के अनुसार हो सकती है और राज्यपाल की मंज़ूरी के बिना भी आदेश जारी किया जा सकता है।
  - राज्य सरकार CrPC की धारा 432 या संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत छूट देने की नीति बना सकती है।
  - यदि कोई कैदी 14 वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रह चुका है, तो राज्य सरकार समय से पहले रिहाई का आदेश पारित करने में सक्षम है।
  - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 सरकार को सज़ा माफ करने का अधिकार देती है।

क्षमादान की शक्ति:

- भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति:
  - संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी, जहाँ दंड मौत की सज़ा के रूप में है।
- सीमाएँ:
  - राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।
  - कई मामलों में SC ने निर्णय सुनाया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। इन मामलों में वर्ष 1980 का मारू राम बनाम भारत संघ और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
- पुनर्विचार:
  - हालाँकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह लेने के लिये बाध्य है, अनुच्छेद 74 (1) उसे एक बार पुनर्विचार के लिये इसे वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिपरिषद किसी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेती है, तो राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

राज्यपाल की क्षमादान शक्ति:

- अनुच्छेद 161:
  - राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ करने, राहत देने, राहत या छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर:

- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है:
  - कोर्ट मार्शल: कोर्ट मार्शल के तहत राष्ट्रपति सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ़ कर सकता है परंतु अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है।
  - मौत की सजा: राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहाँ दी गई सजा मौत की सजा है लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मौत की सजा के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है।

शर्तें

- क्षमा: इसमें दंडादेश और दोषसिद्धि दोनों से मुक्ति देना शामिल है। ध्यातव्य है कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं सकता है, यह शक्ति केवल 'राष्ट्रपति' को ही प्राप्त है हालाँकि, राज्यपाल उक्त अपराध के फलस्वरूप अल्प सज़ा का प्रावधान कर सकता है।
- लघुकरण: इसमें दंड के स्वरुप को बदलकर कम करना शामिल है, उदाहरण के लिये मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।
- परिहार: इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जाना शामिल है, उदाहरण के लिये दो वर्ष के कारावास को एक वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना।
- विराम: इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सज़ा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिये महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सज़ा को परिवर्तित करना।
- प्रविलंबन: इसके अंतर्गत क्षमा या लघुकरण की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दंड के प्रारंभ की अवधि को आगे बढ़ाना या किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना शामिल है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिये योजना को जारी रखना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने दो वर्षों (अप्रैल 2021-मार्च 2023) के लिये केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में 1000 से अधिक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) को जारी रखने की मंज़ूरी दी।

- इसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) के लिये 389 विशेष न्यायालय शामिल हैं।
- इसके लिये केंद्रीय हिस्से को निर्भया फंड से मुहैया कराया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) को पहली बार 2000 में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा "अगले पाँच वर्षों में ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों को काफी हद तक कम करने के लिये"अनुशंसित किया गया था।
- वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र द्वारा पाँच साल की अवधि के लिये विभिन्न राज्यों में 1,734 अतिरिक्त अदालतें बनाने हेतु 502.90 करोड़ रुपए जारी किये गए।
- वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को फंड देना बंद कर दिया था।
  - इस फैसले को वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायलय (SC) में चुनौती दी गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि यह राज्यों पर निर्भर है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर इन अदालतों को जारी रखें या बंद करें।
- तीन राज्यों - महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल ने इन अदालतों का संचालन जारी रखा, जबकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने कहा था कि वे 2013 तक जारी रखेंगे।
- दिसंबर 2012 के गैंगरेप और हत्या के बाद केंद्र सरकार ने 'निर्भया फंड' की स्थापना की, किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया और फास्ट-ट्रैक महिला न्यायालयों की स्थापना की।
  - इसके बाद कुछ अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, बिहार आदि ने भी बलात्कार के मामलों के लिये FTC की स्थापना की।

फास्ट ट्रैक कोर्ट संबंधी योजना

- वर्ष 2019 में सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत लंबित दुष्कर्म के मामलों और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के शीघ्र निपटान के लिये देश भर में 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTSCs) स्थापित करने की एक योजना को मंज़ूरी दी थी।

- जुलाई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे प्रत्येक ज़िले में केंद्र द्वारा वित्तपोषित एक विशेष अदालत स्थापित करने का भी निर्देश दिया था, जहाँ 100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, ताकि इन मामलों से विशेष रूप से निपटा जा सके।

- इस प्रकार फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसी समर्पित अदालतें हैं जिनसे न्याय की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। नियमित अदालतों की तुलना में उनके पास बेहतर निपटान दर है और वे त्वरित परीक्षण करते हैं।
- यह यौन अपराधियों के लिये निवारक ढाँचे को भी मज़बूत करता है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का अब तक का प्रदर्शन:

- इनका प्रदर्शन अब तक आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है।
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2019 के अंत में दुष्कर्म के लंबित मामलों की दर (वर्ष के अंत में लंबित मामले, मुकदमे के लिये कुल मामलों के प्रतिशत के रूप में) 89.5% और दोषसिद्धि दर 27.8% थी।
- पॉक्सो अधिनियम के तहत वर्ष के अंत में 88.8% मामले लंबित थे और जिन मामलों का निपटारा किया गया, उनमें से 34.9% मामलों में दोष सिद्ध हुए थे।

फास्ट ट्रैक कोर्ट संबंधी मुद्दे

- अवसंरचना का अभाव
  - फास्ट-ट्रैक कोर्ट नियमित अदालतों से अलग तरीके से काम नहीं करती हैं। यह ज़िला न्यायपालिका के किसी भी अन्य कोर्ट हॉल की तरह ही है।
  - मामलों को तेज़ी से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिये कानूनी प्रक्रिया में कोई भी विशिष्ट बदलाव नहीं किया गया है। इस व्यवस्था के तहत आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण सहायक बुनियादी अवसंरचना का अभाव देखने को मिलता है।
- कोई स्पष्ट जनादेश नहीं:
  - फास्ट-ट्रैक अदालतों को किस तरह के मामलों की सुनवाई करनी चाहिये, इससे संबंधित कोई स्पष्ट आदेश नहीं है।
  - उदाहरण के लिये निर्भया फंड के तहत स्थापित फास्ट-ट्रैक अदालतें स्पष्ट नहीं थीं कि लिंग आधारित हिंसा जैसे 'ईव-टीज़िंग' (सड़कों पर उत्पीड़न) या घरेलू हिंसा के सभी मामले उनके दायरे में आते हैं या नहीं।
- फैसले में देरी:
  - एक अध्ययन से पता चला है कि गवाहों की अनुपस्थिति के कारण देरी को स्थगन के मुख्य कारणों में से एक के रूप में देखा गया था।
  - देरी का एक अन्य कारण वकीलों द्वारा मांगे गए स्थगन हैं।
    - भारत में मुकदमेबाज़ी की संस्कृति स्थगन की मांग को प्रोत्साहित करती है; दरअसल, मुवक्किल मामलों में देरी करने के लिये वकीलों के पास आते हैं।
  - देरी इसलिये भी हो सकती है क्योंकि कई बार फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में चुनौती दी जाती है।
- न्यायाधीशों पर कार्य का अत्यधिक भार:
  - न्यायिक अधिकारियों की कम संख्या।
    - फरवरी 2020 तक विभिन्न राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या (24,018) का लगभग 21% पद खाली थे; 5,146 रिक्तियों में से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में बड़ी संख्या में सीटें खाली थीं।
  - वे कमोबेश सत्र न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं जिन्हें फास्ट-ट्रैक अदालतों की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी दी जाती है।

आगे की राह

फास्ट-ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता:

- फास्ट-ट्रैक कोर्ट को अधिक प्रभावी बनाने के लिये समयबद्ध तरीके से परीक्षण पूरा किया जाना चाहिये। इसके लिये पुनर्गठन प्रक्रियाओं के दौरान समर्पित न्यायाधीशों और सक्षम कर्मचारियों के साथ इन अदालतों की मानवीय क्षमता में सुधार करने हेतु दो-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

नोट :

क्षमता निर्माण:

- उनके पास समर्पित न्यायाधीश होने चाहिये ताकि मामलों की नियमित आधार पर सुनवाई हो सके।
- सक्षम कर्मचारी जैसे- आशुलिपिक और लिपिक साक्ष्य प्रसंस्करण व गवाहों तथा जाँच अधिकारियों को नोटिस देने में मदद कर सकते हैं जिससे समय की काफी बचत होती है।

अभियांत्रिकी प्रक्रिया:

- कुछ समय लेने वाली प्रक्रियाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिये ताकि सिस्टम को और अधिक कुशल बनाया जा सके।
- प्रत्येक सुनवाई के लिये लगने वाले समय का वास्तविक मूल्यांकन होना चाहिये और फिर एक उचित समय सारिणी होनी चाहिये जो हर मामले को पर्याप्त समय प्रदान करे।

स्पष्ट जनादेश:

- फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिये एक स्पष्ट जनादेश होना चाहिये जैसा कि स्पेन और लाइबेरिया जैसे देशों में होता है।
- सुनवाई एक निर्धारित समय-सीमा में होती है और जेंडर आधारित हिंसा से संबंधित कोई भी मामला स्वचालित रूप से इन अदालतों में स्थानांतरित हो जाता है।

जल संसाधन प्रबंधन पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

- यह रिपोर्ट 'फ्लड मैनेजमेंट इन द कंट्री इंक्लूडिंग इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज़ इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट विथ पर्टिकुलर रिफरेंस टू ट्रीटी/एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद चाइना, पाकिस्तान एंड भूटान' शीर्षक से जारी की गई है।
- भारत सरकार को जलवायु परिवर्तन जैसी वर्तमान चुनौतियों के आलोक में पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि पर पुनः वार्ता करनी चाहिये और ब्रह्मपुत्र नदी पर 'चीन द्वारा किये जा रहे कार्यों' की लगातार निगरानी करनी चाहिये।

प्रमुख बिंदु

बाढ़ प्रबंधन पर

- समिति ने देश में बाढ़ के नियंत्रण और प्रबंधन के लिये जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकीकृत बाढ़ प्रबंधन समूह के रूप में तत्काल एक स्थायी संस्थागत संरचना की स्थापना की सिफारिश की है।
- इस समूह को बाढ़ प्रबंधन और जीवन एवं संपत्ति पर परिणामों के लिये ज़िम्मेदार सभी एजेंसियों के बीच समन्वय की समग्र ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये।

सिंधु जल संधि पर

- जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव:
  - वर्षा पैटर्न: उच्च-तीव्रता वाली वर्षा के साथ-साथ अधिक हिस्सों में कम वर्षा हो रही है।
  - ग्लेशियरों का पिघलना: सिंधु बेसिन में ग्लेशियरों के पिघलने का प्रभाव गंगा या ब्रह्मपुत्र घाटियों की तुलना में अधिक है।
  - आपदाएँ: चूँकि इसमें एक नाज़ुक हिमालयी क्षेत्र शामिल है, अतः भूस्खलन और तीव्र बाढ़ की आवृत्ति अधिक होती है।
- सिंधु जल का उपयोग:
  - भारत पठानकोट में रावी पर रणजीत सागर, ब्यास पर पोंग और सतलुज पर भाखड़ा नांगल जैसे बाँधों की एक श्रृंखला के माध्यम से 'पूर्वी नदियों', अर्थात् रावी, ब्यास तथा सतलुज के संपूर्ण जल का उपयोग करने में सक्षम था।
  - हालाँकि पंजाब और राजस्थान में स्थित नहरें जैसे- राजस्थान फीडर एवं सरहिंद फीडर पुरानी हो गई थीं तथा उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उनकी जल धारण क्षमता कम हो गई थी।

        - इस प्रकार पंजाब में ब्यास और सतलुज के संगम पर हरिके बैराज का जल सामान्यत: पाकिस्तान के निचले हिस्से में छोड़ा जाता था।
    - इसने केंद्र से नई परियोजनाओं में तेज़ी लाने का आग्रह किया, जैसे उज्ज नदी (रावी की सहायक नदी) के साथ-साथ रावी पर स्थित शाहपुरकंडी बाँध, का निर्माण सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिये नदियों की पूरी क्षमता का दोहन करने हेतु किया जा रहा है।
    - इसने यह भी सिफारिश की कि पंजाब और राजस्थान में नहर प्रणालियों की मरम्मत की जाए ताकि उनकी जल वहन क्षमता बढ़ाई जा सके।
- सिंधु जल संधि पर पुन: बातचीत:
    - वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित संधि द्वारा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आदि जैसे वर्तमान में उद्घृत मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा गया था।
    - संधि पर फिर से बातचीत करने की आवश्यकता है ताकि सिंधु बेसिन में जल की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अन्य चुनौतियों का समाधान करने के लिये किसी प्रकार की संस्थागत संरचना या विधायी ढाँचा स्थापित किया जा सके जो संधि के तहत शामिल नहीं है।

ब्रह्मपुत्र पर चीन के विकास के संदर्भ में:

- समिति ने आशंका व्यक्त की कि चीन द्वारा शुरू की गई 'रन ऑफ द रिवर' परियोजनाओं से जल का डायवर्ज़न नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जल को तालाबों में संग्रहीत किया जा सकता है और टर्बाइन चलाने के लिये छोड़ा जा सकता है।
    - इससे डाउनस्ट्रीम प्रवाह में कुछ दैनिक भिन्नता हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप ब्रह्मपुत्र नदी में जल प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है तथा इस प्रकार यह क्षेत्र के जल संसाधनों को टैप करने के भारत के प्रयासों को प्रभावित करता है।
- तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा पर तीन जल-विद्युत परियोजनाओं को चीनी अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है और जांगमु में एक जल-विद्युत परियोजना को अक्तूबर 2015 में चीनी अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से चालू घोषित किया गया था।
- भारत को लगातार चीनी गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई बड़ा हस्तक्षेप न करें जिससे हमारे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- समिति ने इस तथ्य पर संतोष व्यक्त किया कि चीन ब्रह्मपुत्र और सतलुज के संबंध में हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा कर रहा है, हालाँकि ऐसा भुगतान के आधार पर हो रहा है।
    - भारत और चीन के बीच वर्तमान में कोई जल संधि नहीं है।

भूटान के साथ सहयोग:

- "भारत और भूटान की साझा नदियों पर जल-मौसम विज्ञान व बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिये व्यापक योजना" नामक एक योजना चल रही है।
    - भारत और भूटान की सामान्य नदियों में मानस नदी, संकोश नदी आदि शामिल हैं।
- नेटवर्क में भूटान में स्थित 32 हाइड्रो-मौसम विज्ञान/मौसम विज्ञान स्टेशन शामिल हैं और भारत के वित्तपोषण से ही भूटान की शाही सरकार द्वारा बनाए रखा गया है। इन स्टेशनों से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग भारत में बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने के लिये किया जाता है।
- भारत और भूटान के बीच बाढ़ प्रबंधन पर एक संयुक्त विशेषज्ञ समूह (JGE) का गठन भूटान की दक्षिणी तलहटी और भारत के आसपास के मैदानों में बार-बार आने वाली बाढ़ तथा कटाव के संभावित कारणों व प्रभावों पर चर्चा करने, उनका आकलन करने, दोनों सरकारों को उचित एवं पारस्परिक रूप से स्वीकार्य उपचारात्मक उपाय की सिफारिश करने के लिये किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति की दूसरी वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों?

'जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार फोरम' (FHRJK) ने केंद्र शासितप्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर (J&K) के दो वर्ष पूरे होने से एक दिन पूर्व अपनी रिपोर्ट जारी की है।

- इस रिपोर्ट में आतंकवाद को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई है, जो कि जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- 'जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार फोरम' सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर और कश्मीर के पूर्व वार्ताकार राधा कुमार की सह-अध्यक्षता वाली एक स्वतंत्र संस्था है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त कर दिया था और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया था।
  - अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू-कश्मीर को अपने 'स्थायी निवासी' परिभाषित करने और उनसे जुड़े अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी।
- इस पूर्ववर्ती राज्य को केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख (बिना विधायिका के) और जम्मू-कश्मीर (विधायिका के साथ) में विभाजित किया गया था।
- समवर्ती रूप से भारत सरकार ने इस क्षेत्र में लगभग पूर्ण कम्युनिकेशन लॉकडाउन लागू किया था, साथ ही राजनेताओं और असंतुष्ट लोगों को हिरासत में लिया गया तथा हिंसक अशांति को रोकने के लिये इस क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू की गई।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- रिपोर्टों के तहत जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन, मनमानी निवारक निरोध, विधानसभा पर प्रतिबंध और स्थानीय मीडिया सेंसरशिप को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई है।
- सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं लेकिन वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहे हैं।
- रिपोर्ट में माना गया है कि प्रदेश में अभी भी सार्वजनिक, नागरिक और मानव सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बजाय आतंकवाद विरोधी विषयों को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद का कारण:

- चूँकि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर (J&K) की विशेष संवैधानिक स्थिति समाप्त हो गई थी तथा इसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जम्मू-कश्मीर में लोगों का एक वर्ग इस फैसले का विरोध कर रहा है।
  - इसके अलावा भारतीय नागरिकों को बिना अधिवास के जम्मू और कश्मीर (J & K) में ज़मीन खरीदने की अनुमति देने से स्थानीय लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की।
- इसके बाद जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से सहायता प्राप्त उग्रवाद ने इस क्षेत्र को प्रभावित करना जारी रखा है।
  - यह सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) जैसे कठोर कानून के दुरुपयोग के साथ जुड़ा हुआ है।
- इसके अतिरिक्त इस बात की आशंका बढ़ रही है कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्ज़ा किये जाने से सुरक्षा स्थिति और खराब होने की संभावना है।

सरकार और न्यायपालिका द्वारा उठाए गए कदम:

- औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना: हाल ही में उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिये नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को अधिसूचित किया है।
  - यह योजना चार प्रोत्साहन प्रदान करती है अर्थात्:
    - पूंजी निवेश प्रोत्साहन।
    - पूंजीगत ब्याज सबवेंशन।
    - गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव।
    - कार्यशील पूंजी ब्याज सबवेंशन।

- यह योजना क्षेत्र में अधिक रोज़गार के अवसर पैदा करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

- पीएम-जेएवाई योजना : यह योजना निशुल्क बीमा कवर प्रदान करती है। यह केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को फ्लोटर के आधार पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का वित्तीय कवर प्रदान करता है।
- युद्धविराम समझौता: भारतीय और पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस' (DGsMO) सशस्त्र समूहों द्वारा प्रतिबंधित घुसपैठ के लिये सहमत हुए और उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि एक व्यापक शांति प्रक्रिया का पालन हो सकता है।
- जम्मू-कश्मीर में चुनाव: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की मांग की।
  - हालाँकि सरकार ने माना कि चुनाव UT विधानसभा के लिये होंगे। इसके विपरीत क्षेत्रीय दलों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिये जाने के बाद वे चुनाव में भाग लेंगे।
- इंटरनेट बंद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने दायर याचिकाओं के जवाब में फैसला सुनाया जिसमें इंटरनेट बंद करने और जम्मू-कश्मीर में अन्य नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का तर्क दिया गया था।
  - न्यायालय ने माना कि निलंबन केवल अस्थायी अवधि के लिये किया जा सकता है और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिये विशेष पैकेज।

आगे की राह:

- मानवाधिकार मंच ने सभी शेष राजनीतिक बंदियों (Political Detainees) की रिहाई और PSA तथा अन्य निवारक निरोध कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की।
- इसने कश्मीरी पंडितों की वापसी की सुविधा में स्थानीय समुदायों की भागीदारी का भी आह्वान किया।
- कश्मीर समाधान के लिये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री (अटल बिहारी वाजपेयी) के दृष्टिकोण- कश्मीरियत, इंसानियत, जम्हूरियत (कश्मीर की समावेशी संस्कृति, मानवतावाद और लोकतंत्र) को लागू करके जम्मू-कश्मीर में शांति ढाँचा स्थापित किया जा सकता है।

MPLADS में धन व्यपगत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त पर स्थायी समिति ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) को केवल एक सप्ताह का समय देने हेतु वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के निर्णय की आलोचना की, जिसके कारण इसका 50% धन व्यपगत हो गया।

प्रमुख बिंदु

समिति के निष्कर्ष:

- परियोजनाओं पर प्रभाव: वित्तपोषण की कमी के कारण देश भर में कार्यान्वित कई स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजनाएँ प्रभावित हुईं।
  - विशेष रूप से उन राज्यों में जहाँ इस साल चुनाव हुए थे क्योंकि इन राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों के लिये आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए कोई धन जारी नहीं किया गया था।
- नीति में तदर्थवाद: MPLAD के तहत जिला प्राधिकारियों को जारी की गई धनराशि व्यपगत नहीं होती है, जबकि किसी विशेष वर्ष में सरकार द्वारा जारी नहीं की गई धनराशि को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है।
  - हालाँकि वित्त मंत्रालय का निर्णय जिसने निधियों को व्यपगत बना दिया, ने तदर्थता और पूरे भारत में समुदायों के लिये नकारात्मक परिणामों के साथ राजकोषीय प्रबंधन में एक गंभीर चूक को प्रदर्शित किया।

MPLAD योजना के बारे में:

- MPLAD एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों (सांसद) को अवसंरचना के निर्माण पर ज़ोर देने के साथ स्थानीय स्तर की ज़रूरतों के आधार पर पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्यों का सुझाव देने और निष्पादित करने में सक्षम बनाना है।

- प्रारंभ में यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में था। बाद में अक्तूबर 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत स्थानांतरित कर दिया गया।

कार्य:

- प्रत्येक संसद सदस्य को योजना के तहत 5 करोड़ रुपए और कुल 790 सांसदों को सालाना 3,950 करोड़ रुपए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिये प्रदान किया जाता है।
- लोकसभा सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्रों में ज़िला प्राधिकरण परियोजनाओं की सिफारिश करनी होती है।
- राज्यसभा सांसदों को इस निधि को उस राज्य में खर्च करना पड़ता है जहाँ से उन्हें संसद में प्रतिनिधि चुना गया है।
- राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

प्राथमिकता वाली परियोजनाएँ:

- परियोजनाओं में पेयजल सुविधाएँ, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता और सड़कों जैसी संपत्ति निर्माण शामिल हैं।
- जून 2016 से MPLAD वित्त का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये भी किया जा सकता है।

MPLAD से संबंधित अन्य मुद्दे:

- कार्यान्वयन चूक: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्तीय कुप्रबंधन और खर्च की गई राशि की कृत्रिम मुद्रास्फीति के उदाहरणों को हरी झंडी दिखाई है।
- कोई सांविधिक समर्थन नहीं: यह योजना किसी वैधानिक कानून द्वारा शासित नहीं है और यह उस समय की सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है।
- निगरानी और विनियमन: योजना भागीदारी विकास को बढ़ावा देने के लिये शुरू की गई थी लेकिन भागीदारी के स्तर को मापने के लिये कोई संकेतक उपलब्ध नहीं है।
- संघवाद का उल्लंघन: केंद्र सरकार केवल उन मामलों के संबंध में खर्च कर सकती है, जिन पर सातवीं अनुसूची के अनुसार उसका विषय क्षेत्र है।
    - MPLADS स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है और इस प्रकार संविधान के भाग IX और IX-A का उल्लंघन करता है।
- शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ संघर्ष: यह योजना संविधान के तहत शक्तियों के पृथक्करण की विशेषता को बाधित करती है, क्योंकि इससे सांसद कार्यकारी कार्यों में शामिल हो रहे हैं।

प्रमुख प्रशासनिक सुधार

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में शुरू किये गए प्रमुख प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानकारी दी तथा शासन को और अधिक सुलभ बनाने में इन सुधारों के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

- इन सुधारों का उद्देश्य अधिक दक्षता, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जवाबदेही को प्रोत्साहित करना तथा विवेक के दायरे को कम करना है। सरकार अधिकतम "न्यूनतम सरकार - अधिकतम शासन" का अनुसरण करती है।

प्रमुख बिंदु:

- मिशन कर्मयोगी:
    - यह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building- NPCSCB) है। यह कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में व्यापक सुधार है।

- इसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिये तैयार करना है जो न्यू इंडिया की दृष्टि से जुड़ा हुआ है।
- क्षमता निर्माण iGOT-कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से तैयार की गई सामग्री होगी।

- लेटरल एंट्री:
  - लेटरल एंट्री का अर्थ है जब निजी क्षेत्र के कर्मियों का चयन सरकारी प्रशासनिक पद पर किया जाता है, भले ही उनका चयन नौकरशाही व्यवस्था में न हो या उनका हिस्सा न हो।
  - यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि समकालीन समय में प्रशासनिक मामलों के शीर्ष पर अत्यधिक कुशल और प्रेरित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसके बिना सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है।
  - लेटरल एंट्री सरकारी क्षेत्र में मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता के मूल्यों को बढ़ाने में मदद करती है। यह सरकारी क्षेत्र के भीतर प्रदर्शन की संस्कृति के निर्माण में मदद करेगा।
- ई-समीक्षा:
  - यह महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में शीर्ष स्तर पर सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों के आधार पर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिये एक वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली है।
  - यह नौकरशाही में कामचोरी पर लगाम लगाने हेतु एक डिजिटल मॉनीटर है।
    - इसके अलावा सरकार समय से पहले सेवानिवृत्ति द्वारा अक्षम और संदिग्ध ईमानदारी वाले अधिकारियों को बाहर निकालने के लिये गहन समीक्षा कर रही है।
- ई-ऑफिस:
  - मंत्रालयों/विभागों को कागज रहित कार्यालय में बदलने और कुशल निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिये ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना (MMP) को मज़बूत किया गया है।
- सिटीज़न चार्टर:
  - सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों के लिये सिटीज़न चार्टर अनिवार्य कर दिया है जिन्हें नियमित आधार पर अपडेट करने के साथ ही समीक्षा भी की जाती है।
    - यह एक लिखित दस्तावेज़ है जो नागरिकों/ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये सेवा प्रदाता के प्रयासों के बारे में बताता है।
- सुशासन सूचकांक 2019:
  - यह राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) द्वारा किये गए विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से शासन की स्थिति और प्रभाव का आकलन करता है।
  - सुशासन सूचकांक का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति की तुलना करने के लिये मात्रात्मक डेटा प्रदान करना है, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शासन में सुधार के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार करने व लागू करने तथा परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण एवं प्रशासन में बदलाव के लिये सक्षम बनाना है।
  - इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।
- ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन:
  - यह सरकार को ई-गवर्नेंस पहल से संबंधित अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिये उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों के साथ जुड़ने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - 2020 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा मुंबई में ई-गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS):
  - यह लोक शिकायत निदेशालय (DPG) तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है।
  - CPGRAMS किसी भी भौगोलिक स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह नागरिक को संबंधित विभागों के साथ की जा रही शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाता है और डीएआरपीजी को शिकायत की निगरानी करने में भी सक्षम बनाता है।
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन: इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की दक्षता पर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करना है।
- 2014 में और उसके बाद 2020 में 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार' योजना का व्यापक पुनर्गठन।

प्रशासनिक सुधार आयोग

- प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा लोक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करने और इसे सुधारने के लिये सिफारिशें देने हेतु की गई है।
- पहले प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) का नेतृत्व शुरू में मोरारजी देसाई ने किया था और बाद में के. हनुमंतैया ने किया था। 2005 में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी।

आगे की राह:

- सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन करने वाली राज्य संस्था के सामने आने वाली नई चुनौतियों के लिये सुधार एक स्पष्ट प्रतिक्रिया है; इस तरह की कवायद के मूल में बदले हुए परिदृश्य में प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास है।
- चूँकि सिविल सेवक राजनीतिक अधिकारियों (Political Executives) के प्रति जवाबदेह होते हैं और इसके परिणामस्वरूप सिविल सेवाओं का राजनीतिकरण होता है, इसलिये नागरिक चार्टर, सामाजिक लेखापरीक्षा तथा सिविल सेवकों के बीच परिणाम अभिविन्यास को प्रोत्साहित करने जैसे बाहरी जवाबदेही तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- सिविल सेवकों को नीति निर्माण में राजनीतिक अधिकारियों को निष्पक्ष, तर्कसंगत और सराहनीय सुझाव देना चाहिये। इसके लिये एक निष्पक्ष सिविल सेवा बोर्ड की आवश्यकता है जो पदोन्नति, स्थानांतरण, पोस्टिंग और निलंबन से संबंधित सभी पहलुओं को देख सके।

समग्र शिक्षा योजना 2.0

चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिये स्कूली शिक्षा कार्यक्रम 'समग्र शिक्षा योजना 2.0' को मंज़ूरी दे दी है।

- इसे शिक्षा हेतु सतत् विकास लक्ष्य और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने के लिये अपग्रेड किया गया है।

प्रमुख बिंदु

समग्र शिक्षा योजना के विषय में:

- यह स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- इसका उद्देश्य समावेशी, न्यायसंगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना है।
- यह 'सर्व शिक्षा अभियान' (SSA), 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' (RMSA) और 'शिक्षक शिक्षा' (TE) की तीन योजनाओं को समाहित करती है।

- इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन से अधिक छात्र और सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक (पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक) शामिल हैं।
- इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्तपोषण में 60:40 का विभाजन शामिल है। इसे वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

समग्र शिक्षा योजना 2.0 के बारे में:

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):
  - योजना की प्रत्यक्ष पहुँच को बढ़ाने के लिये सभी बाल-केंद्रित हस्तक्षेप छात्रों को सीधे सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म पर DBT मोड के माध्यम से समय-समय पर शिक्षा का अधिकार पात्रताके तहत पाठ्यपुस्तक, ड्रेस और परिवहन भत्ते प्रदान किये जाएंगे।
- NEP की सिफारिशें:
  - भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन:
    - इसमें भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिये एक नया घटक है, जिसमें वेतन और प्रशिक्षण लागत के साथ-साथ द्विभाषी किताबें तथा शिक्षण सामग्री शामिल है, जैसा कि NEP में अनुशंसित किया गया है।
  - पूर्व प्राथमिक शिक्षा:
    - इसमें अब शिक्षण और अधिगम सामग्री, स्वदेशी खिलौने और खेल तथा खेल-आधारित गतिविधियों के लिये सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक वर्गों को समर्थन देने के लिये वित्त प्रदान करना शामिल होगा।
    - योजना के तहत पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों और आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिये कुशल प्रशिक्षकों का समर्थन किया जाएगा।
  - निपुण भारत पहल:
    - इस पहल के तहत शिक्षण सामग्री के लिये प्रति छात्र 500 रुपए, मैनुअल और संसाधनों के लिये प्रति शिक्षक 150 रुपए और आधारभूत साक्षरता तथा अंकगणित के आकलन के लिये प्रति ज़िले 10-20 लाख रुपये का वार्षिक प्रावधान है।
  - डिजिटल पहल:
    - डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लिये समर्थन सहित आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम का प्रावधान है, जो कोविड -19 महामारी के मद्देनजर अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये हैं।
  - स्कूल न जाने वाले बच्चों हेतु:
    - इसमें 16 से 19 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिये 2000 प्रति ग्रेड के वित्तपोषण का समर्थन देने का प्रावधान शामिल है।
    - स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों दोनों के लिये कौशल तथा व्यावसायिक शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा।
- अन्य विशेषताएँ:
  - बाल अधिकार संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राज्य में प्रति प्राथमिक विद्यालय 50 रुपए की दर से वित्तीय सहायता।
  - समग्र, 360-डिग्री, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा डोमेन में प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति/विशिष्टता दिखाने वाली बहु-आयामी रिपोर्ट को समग्र प्रगति कार्ड (HPC) के रूप में पेश किया जाएगा।
  - PARAKH, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की गतिविधियों के लिये समर्थन (प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण)।
  - राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया स्कूल खेलों में उस स्कूल के कम से कम 2 छात्रों के पदक जीतने पर स्कूलों को 25000 रुपए तक का अतिरिक्त खेल अनुदान।
  - बैगलेस दिनों (Bagless days), स्कूल परिसरों, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुधार आदि के प्रावधान।

नोट :

- प्रति वर्ष 20% स्कूलों को कवर करने वाले सामाजिक लेखा परीक्षा के लिये समर्थन ताकि सभी स्कूलों को पाँच वर्ष की अवधि में कवर किया जा सके।

संवैधानिक (127वाँ) संशोधन विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों?

102वें संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिये सरकार पिछड़े वर्गों की पहचान कर राज्यों की शक्ति को बहाल करने हेतु संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है।

- भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अलग-अलग ओबीसी सूचियाँ तैयार की जाती हैं। अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) ने राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने तथा घोषित करने के लिये स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि :

- इस वर्ष की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 102वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखने के पश्चात् संशोधन की आवश्यकता बताई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सिफारिशों के आधार पर यह निर्धारित करेगा कि राज्य ओबीसी सूची में कौन से समुदायों को शामिल किया जाएगा।
  - वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 342 के बाद भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेदों 338B और 342A को जोड़ा गया।
    - अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है।
    - अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिये वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली मुद्दे के उद्देश्य से शुरू किये गए मराठा कोटा को रद्द कर दिया।

विधेयक के बारे में:

- यह अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा और एक नया खंड 3 भी प्रस्तुत करेगा।
- विधेयक अनुच्छेद 366 (26c) और 338B (9) में भी संशोधन करेगा।
  - इसकी परिकल्पना यह स्पष्ट करने के लिये की गई है कि राज्य OBC श्रेणी की "राज्य सूची" को उसी रूप में बनाए रख सकते हैं जैसा कि यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले थी।
  - अनुच्छेद 366 (26c) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है।
- "राज्य सूची" को पूरी तरह से राष्ट्रपति के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा और राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

OBCs से संबंधित अन्य विकास:

- संसद में जारी वर्तमान मानसून सत्र में कुछ सांसदों ने क्रीमीलेयर को परिभाषित करने का मुद्दा उठाया है।
  - इसके अलावा न्यायमूर्ति रोहिणी समिति ओबीसी कोटा के उप-वर्गीकरण और इस बात पर विचार कर रही है कि यदि कोई विशेष समुदाय या समुदायों का समूह ओबीसी कोटा से सबसे अधिक लाभान्वित हो रहा है तो विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) मेडिकल/डेंटल के पाठ्यक्रम के लिये अखिल भारतीय कोटा (AIQ) योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये 10% कोटा की घोषणा की है।

संविधान संशोधन विधेयक

- संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक तीन प्रकार के हो सकते हैं।
  - प्रत्येक को सदन में पारित होने के लिये साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
  - प्रत्येक को सदन में पारित होने के लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात् किसी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से (अनुच्छेद 368)।
  - उनके पारित होने के लिये विशेष बहुमत के साथ ही उन विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के प्रस्तावों के माध्यम से आधे से कम राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है (अनुच्छेद 368 के खंड (2) का परंतुक)।
    - अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है।
    - धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

आगे की राह

- OBC की राज्य सूची को बनाए रखने हेतु राज्य सरकारों की शक्तियों को बनाए रखने के लिये संशोधन आवश्यक है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण से हटा दिया गया था।
  - यदि राज्य सूची को समाप्त कर दिया जाता है तो लगभग 671 OBC समुदायों की शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण तक पहुँच समाप्त हो जाती।
  - इससे कुल OBC समुदायों के लगभग पाँचवें हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- हमारे पास ऐसी केंद्रीय निगरानी (Central oversight) की व्यवस्था नही है। यह राज्यों को सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है जो किसी राज्य या क्षेत्र के लिये विशिष्ट हैं।
- इसके अलावा भारत में एक संघीय ढाँचा है और उस ढाँचे को बनाए रखने के लिये यह संशोधन आवश्यक था।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया है।

- यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग-XVIII को संशोधित करने का प्रावधान करता है।

प्रमुख बिंदु

विधेयक के संबंध में:

- यह अरुणाचल प्रदेश द्वारा अनुशंसित अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक सूची में संशोधन करना चाहता है।
  - वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की दृष्टांत सूची में 18 समुदाय हैं।
- अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में यह संशोधन विधेयक में प्रस्तावित समुदायों के लोगों को प्रदान किये जाने वाले लाभों हेतु भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं करेगा।
  - जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति की आबादी (10.45 करोड़) के कल्याण के लिये वित्तपोषण कर रहा है (जनगणना, 2011)।
  - इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं में भी अनुसूचित जनजाति घटक (STC) के तहत लाभ के पात्र हैं।
    - अनुसूचित जनजाति घटक का मूल उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये कम-से-कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में सामान्य क्षेत्रों से होने वाले परिव्यय और लाभों के प्रवाह को दिशा देना/निगरानी करना है।

- विधेयक अरुणाचल प्रदेश में चिह्नित अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोर (Abor) जनजाति को हटाता है। इसके अलावा यह कुछ अनुसूचित जनजातियों को अन्य जनजातियों के साथ प्रतिस्थापित करता है (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है):

मूल सूची	विधेयक के तहत प्रस्तावित परिवर्तन
अबोर	सूची से हटा दिया गया है।
खाम्प्टी	ताई खाम्प्टी
मिश्मी, इदु और तारों	मिश्मी-कमान (मिजू मिश्मी), इदु (मिश्मी) और तारों (दिगारू मिश्मी)
मोम्बा	मोनपा, मेंबा, सरतांग और सजोलंग (मिजी)
कोई भी नागा जनजाति	नोक्टे, तांगसा, तुत्सा और वांचो

अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति:

- 2001 की जनगणना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 64.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) है।
- राज्य ने 1991-2001 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में 28.1 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की है।

अनुसूचित जनजाति:

- संविधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित हैं।
- अनुच्छेद 342 के अनुसार, केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
- अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है और एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय के लिये दूसरे राज्य में भी ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है।
- किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के मानदंड के बारे में संविधान मौन है। आदिमता, भौगोलिक अलगाव, शर्म और सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन ऐसे लक्षण हैं जो अनुसूचित जनजाति समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करते हैं।
- कुछ अनुसूचित जनजातियाँ, जिनकी संख्या 75 है, उन्हें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में जाना जाता है, इनकी विशेषता है:
  - प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि स्तर
  - स्थिर या घटती जनसंख्या
  - अत्यंत कम साक्षरता
  - अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर
- सरकार की पहल: अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA), पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, लघु वनोपज अधिनियम 2005, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और जनजातीय उप-योजना रणनीति जो कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित हैं।

न्यायाधिकरणों की दयनीय स्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए प्रश्न किया कि क्या सरकार वर्षों से लंबित रिक्तियों को न भरकर देश भर के न्यायाधिकरणों को 'निष्क्रिय' करने का विचार कर रही है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

न्यायाधिकरणों के विषय में

- न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था है, जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने के लिये स्थापित किया जाता है।
- यह कई कार्य करता है, जिसमें विवादों का निपटान, चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण करना, प्रशासनिक निर्णय लेना, मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करना आदि शामिल हैं।
- न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।
    - अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है।
    - अनुच्छेद 323-B अन्य मामलों के लिये न्यायाधिकरणों से संबंधित है।
- ट्रिब्यूनल की स्थापना न्यायालयों के कार्यभार को कम करने और निर्णयों में तेज़ी लाने के लिये की गई थी, जिसे ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले वकीलों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाएगा।

ट्रिब्यूनल से संबंधित मुद्दे:

- स्थायी रिक्तियाँ: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभिन्न न्यायाधिकरणों में देश भर में 20 पीठासीन अधिकारियों, 110 न्यायिक सदस्यों और 111 तकनीकी सदस्यों की रिक्तियाँ लंबित थीं।
    - उदाहरण के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में।
    - इन रिक्तियों का जारी रहना उन्हें अनावश्यक बनाता है।
- सिफारिशों की अनदेखी: रिक्तियों को भरने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों के नेतृत्व वाली चयन समितियों द्वारा की गई नामों की सिफारिशों को सरकार ने काफी हद तक नज़रअंदाज कर दिया है।
- लोगों को न्याय प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करना: न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण निष्क्रिय हैं तथा उच्च न्यायालयों के पास न्यायाधिकरणों द्वारा संचालित कानून के क्षेत्रों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, याचिकाकर्त्ताओं को न्याय के लिये भटकना पड़ता है।
- गैर-एकरूपता की समस्या: अधिकरणों में सेवा शर्तों, सदस्यों के कार्यकाल, विभिन्न न्यायाधिकरणों के प्रभारी नोडल मंत्रालयों के संबंध में गैर-एकरूपता की समस्या बनी हुई है।
    - ये कारक अधिकरणों के प्रबंधन और प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हालिया विकास की पहलें:

- ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइज़ेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) बिल, 2021 लोकसभा में पेश किया गया है।
- यह बिल कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करता है और उनके कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों को स्थानांतरित करता है।
- एक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि चार वर्ष होगी, जो अध्यक्ष के लिये सत्तर वर्ष और अन्य सदस्यों के लिये 70 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगी।
- यह विधेयक निर्दिष्ट करता है कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्ति की आयु कम-से-कम 50 वर्ष होनी चाहिये।

आगे की राह:

- भारत में न्यायाधिकरण प्रणाली में सुधार किया जाना सदियों पुरानी समस्या का समाधान करने की कुंजी हो सकती है जो अभी भी भारतीय न्यायिक प्रणाली को अपंग बनाती है - न्यायिक देरी और बैकलॉग की समस्या।
- अधिकरणों की स्वतंत्रता से समझौता किये बिना उनके मामलों को विनियमित करने हेतु राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना की गई है।

नोट :

फ्यूचर रिटेल बनाम अमेज़न पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) की आपातकालीन मध्यस्थता को लागू करने के एक आदेश को बरकरार रखा, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ फ्यूचर ग्रुप के सौदे को समाप्त करता है।

सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र

- यह सिंगापुर में स्थित एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन है, जो मध्यस्थता के अपने नियमों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) के मध्यस्थता नियमों के तहत मध्यस्थता का प्रबंधन करता है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- अगस्त 2020 में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) ने घोषणा की थी कि वह अपने खुदरा और थोक कारोबार को रिलायंस रिटेल को बेचेगी।
- सौदा निष्पादित होने से पहले ही अमेज़न ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इसने फ्यूचर कूपन (फ्यूचर रिटेल की प्रमोटर फर्म) के साथ अनुबंध का उल्लंघन किया है।
  - अमेज़न ने कहा कि फ्यूचर कूपन के साथ उसके समझौते ने उसे एक "कॉल" विकल्प दिया था, जिसने समझौते के तीन से 10 वर्षों के भीतर उसे कंपनी में फ्यूचर रिटेल की पूरी हिस्सेदारी या उसके हिस्से का अधिग्रहण करने के विकल्प का प्रयोग करने में सक्षम बनाया।
- इसके उपरांत अमेज़न ने फ्यूचर रिटेल को SIAC के समक्ष आपातकालीन मध्यस्थता के आधार पर अपना लिया, जहाँ इस 'आपातकालीन मध्यस्थ' ने बाद वाले सौदे के साथ उसे आगे बढ़ने से रोक दिया।
  - आपातकालीन मध्यस्थता एक ऐसा तंत्र है जो "औपचारिक रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन से पहले एक विवादित पक्ष को तत्काल अंतरिम राहत के लिये आवेदन करने की अनुमति देता है"।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का महत्त्व:

- 'फ्यूचर रिटेल लिमिटेड' के तर्क को खारिज कर दिया गया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत 'आपातकालीन मध्यस्थ' एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण नहीं है।
- इसने 'आपातकालीन मध्यस्थ' के निर्णय की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक, यह पुरस्कार 'एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश की तरह' ही है, जिस पर वर्ष 1996 के अधिनियम की धारा 17 लागू होती है। इसलिये 'आपातकालीन मध्यस्थ' द्वारा दिया गया निर्णय अधिनियम की धारा 17(1) (एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित अंतरिम उपाय) के तहत एक आदेश की तरह ही है।
  - अधिनियम की धारा 17 में मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मध्यस्थ न्यायाधिकरण से अंतरिम राहत प्राप्त करने हेतु मध्यस्थता के पक्षकारों के लिये एक विशिष्ट तंत्र निर्धारित करना है।
  - 'आपातकालीन मध्यस्थ' के आदेश 'दीवानी अदालतों के बोझ को कम करने और पक्षों को शीघ्र अंतरिम राहत प्रदान करने में सहायता के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है।'
- न्यायालय ने भारत में मध्यस्थता तंत्र के संस्थागतकरण की समीक्षा करने और वर्ष 2015 के बाद मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों को देखने के लिये न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को रेखांकित किया।
  - इसने कहा, 'यह देखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास आपातकालीन निर्णयों को लागू करने के पक्ष में है (सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग और यूनाइटेड किंगडम सभी आपातकालीन पुरस्कारों को लागू करने की अनुमति देते हैं), यह उचित समय है कि भारत सभी मध्यस्थ कार्यवाहियों में आपातकालीन पुरस्कारों को लागू करने की अनुमति दे।'
- यह निर्णय पार्टियों को मध्यस्थता के नियमों और शर्तों से सावधानीपूर्वक सहमत होने के लिये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करेगा।

- अधिनियम की धारा 17(2) के तहत किये गए आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश को लागू करने के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत कोई अपील नहीं होगी।
  - मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 अदालत और/या मध्यस्थ न्यायाधिकरण (जैसा भी मामला हो) के कुछ निश्चित आदेशों के खिलाफ अपील का निर्धारण करती है।
  - हालाँकि अधिनियम की धारा 37 (धारा 34 के विपरीत) अपील दायर करने की सीमा अवधि को लेकर मौन है।

मध्यस्थता

परिचय:

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विवाद को एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष को नियुक्त कर सुलझाया जाता है जिसे मध्यस्थ (Arbitrator) कहा जाता है। मध्यस्थ समाधान पर पहुँचने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनता है।

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021:

- यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (A&C अधिनियम 1996) में संशोधन करता है ताकि:

  (i) कुछ मामलों में पुरस्कारों पर स्वत: रोक लग सके।

  (ii) विनियमों द्वारा मध्यस्थों की मान्यता के लिये योग्यता, अनुभव और मानदंडों को निर्दिष्ट किया जा सके।
  - मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता एवं विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित कानून को संशोधित तथा समेकित करने के साथ-साथ सुलह से संबंधित कानून को परिभाषित करने या उसके साथ जुड़े मामलों के लिये एक अधिनियम है।

अधिनियम की विशेषताएँ:

- मध्यस्थों की योग्यता:
  - यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की 8वीं अनुसूची के तहत मध्यस्थों की योग्यता को समाप्त करता है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि मध्यस्थ की योग्यता निम्न होनी चाहिये:
    - अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक वकील, या
    - भारतीय विधि सेवा का एक अधिकारी।
- बिना शर्त पुरस्कार प्राप्त करना:
  - यदि पुरस्कार एक कपटपूर्ण समझौते या भ्रष्टाचार के आधार पर दिया जा रहा है, तो अदालत उस पर बिना शर्त रोक लगा सकती है, जब तक कि मध्यस्थता कानून की धारा 34 के तहत अपील लंबित है।

लाभ:

- यह अधिनियम मध्यस्थता प्रक्रिया में सभी हितधारकों के बीच समानता लाएगा।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने से करदाताओं के पैसे की बचत होगी और उन लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है जिन्होंने इसे गैरकानूनी तरीके से वसूल लिया है।

कमियाँ:

- जब अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और समझौतों को लागू करने की बात आती है तो इसमें भारत पहले से ही पीछे है। यह अधिनियम 'मेक इन इंडिया अभियान' की भावना को और बाधित कर सकता है तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स में रैंकिंग को खराब कर सकता है।
- भारत का लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनना है। इन विधायी परिवर्तनों के कार्यान्वयन के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान में अब अधिक समय लग सकता है।

नोट :

भारत छोड़ो आंदोलन

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2021 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 79 वर्ष पूरे किये, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- 8 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।
- गांधीजी ने ग्वालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में "करो या मरो" का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है।
- स्वतंत्रता आंदोलन की 'ग्रैंड ओल्ड लेडी' के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिये जाना जाता है।
- 'भारत छोड़ो' का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था।
  - मेहरअली ने "साइमन गो बैक" का नारा भी गढ़ा था।

कारण:

- क्रिप्स मिशन की विफलता: आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति/ मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुँचना था।
  - संदर्भ: इस मिशन को स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक नए संविधान एवं स्वशासन के निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिये भेजा गया था।
  - क्रिप्स मिशन के पीछे कारण: दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता, युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता, ब्रिटेन पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया।
  - पतन का कारण: यह मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने भारत के लिये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की।
- नेताओं के साथ पूर्व परामर्श के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी:
  - द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का बिना शर्त समर्थन करने की भारत की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना।
- ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार:
  - ब्रिटिश-विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी।
- कई छोटे आंदोलनों का केंद्रीकरण:
  - अखिल भारतीय किसान सभा, फारवर्ड ब्लाक आदि जैसे काँग्रेस से संबद्ध विभिन्न निकायों के नेतृत्त्व में दो दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिये पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी।
  - देश में कई स्थानों पर उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गए।
- आवश्यक वस्तुओं की कमी:
  - द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था भी बिखर गई थी।

मांगें :

- फासीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिये भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई।

- भारत से अंग्रेज़ों के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाने की मांग।

चरण: आंदोलन के तीन चरण थे:

- पहला चरण- शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने के रूप में चिह्नित, जिसे जल्दी दबा दिया गया था।
  - पूरे देश में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए और श्रमिकों ने कारखानों में काम न करके समर्थन प्रदान किया।
  - गांधीजी को पुणे के आगा खान पैलेस (Aga Khan Palace) में कैद कर दिया गया और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
- आंदोलन के दूसरे चरण में ध्यान ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया गया जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया, इसमें संचार प्रणालियों को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार व पोल, सरकारी भवनों पर हमले या औपनिवेशिक सत्ता का कोई अन्य दृश्य प्रतीक।
- अंतिम चरण में अलग-अलग इलाकों (बलिया, तमलुक, सतारा आदि) में राष्ट्रीय सरकारों या समानांतर सरकारों का गठन किया गया।

आंदोलन की सफलता

भविष्य के नेताओं का उदय:

- राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे।

महिलाओं की भागीदारी:

- आंदोलन में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की जिससे आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा हुई।

राष्ट्रवाद का उदय:

- भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की एक विशिष्ट भावना पैदा हुई। कई छात्रों ने स्कूल-कॉलेज छोड़ दिये और लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी।

स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त:

- यद्यपि वर्ष 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया था और अंग्रेज़ों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया था कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी, किंतु इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को यह अहसास हो गया कि भारत को लंबे समय तक नियंत्रित करना संभव नहीं था।
- इस आंदोलन के कारण अंग्रेज़ों के साथ भारत की राजनीतिक वार्ता की प्रकृति ही बदल गई और अंतत: भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

आंदोलन की असफलता

क्रूर दमन:

- आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई, जो कि पूर्व नियोजित नहीं थी।
- आंदोलन को अंग्रेज़ों द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया, लोगों पर गोलियाँ चलाई गईं, लाठीचार्ज किया गया, गाँवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया।
- इस तरह सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिये हिंसा का सहारा लिया और 1,00,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।

समर्थन का अभाव

- मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भारतीय नौकरशाही ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया।

- मुस्लिम लीग, बँटवारे से पूर्व अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी।
- कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया, क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबद्ध थे।
- हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और इस आशंका के तहत आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया कि यह आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा।

- इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर 'भारतीय राष्ट्रीय सेना' और 'आज़ाद हिंद सरकार' को संगठित किया।
- सी. राजगोपालाचारी जैसे कई कॉन्ग्रेस सदस्यों ने प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे महात्मा गांधी के विचार का समर्थन नहीं करते थे।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने राज्यसभा में सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के कार्यान्वयन के लिये सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी है।

प्रमुख बिंदु:

SAGY:

- परिचय:
  - यह योजना वर्ष 2014 में जय प्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई थी।
  - इस योजना के तहत संसद सदस्य (सांसद) वर्ष 2019 तक तीन गाँवों और वर्ष 2024 तक कुल आठ गाँवों के सामाजिक-आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये ज़िम्मेदार हैं।
    - पहला आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक और दो अन्य को वर्ष 2019 तक विकसित किया जाना था।
    - वर्ष 2019 से 2024 तक प्रत्येक सांसद द्वारा हर वर्ष पाँच और आदर्श ग्राम विकसित किये जाने चाहिये।
  - सांसद आदर्श ग्राम के विकास के लिये उपयुक्त ग्राम पंचायत (अपने स्वयं के गांव या अपने पति या पत्नी के गाँव के अलावा) की पहचान करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
  - ग्रामीण विकास मंत्रालय ने SAGY के तहत 127 केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित और 1806 राज्य योजनाओं का संकलन किया है।
- प्रकिया:
  - ग्राम पंचायत (GP): विकास के लिये बुनियादी इकाई।
  - लोकसभा सांसद: अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं।
  - राज्यसभा सांसद: अपने राज्य में किसी विशिष्ट ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं।
  - मनोनीत सांसद: देश के किसी भी ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं।
  - सांसद, समुदाय के साथ जुड़ते हैं, ग्राम विकास योजना को सुगम बनाते हैं और आवश्यक संसाधन जुटाते हैं, विशेष रूप से 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (CSR) के माध्यम से।
  - तमाम सांसद, 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (MPLADS) की निधि का उपयोग कर अवसंरचना अंतराल को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अपेक्षित परिणाम:

- आजीविका/रोज़गार के अवसरों में वृद्धि।
- संकटग्रस्त प्रवास में कमी।
- बंधुआ मज़दूरी, बाल श्रम और हाथ से मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति।

- मृत्यु और जन्म का शत-प्रतिशत पंजीकरण।
- समुदाय के सभी वर्गों के लिये स्वीकार्य वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का विकास।
- शांति और समन्वय।
- अन्य ग्राम पंचायतों के लिये उदाहरण।

मुद्दे:

- पंचायतों का कम चयन:
  - इस कार्यक्रम के तहत अब तक केवल 2,111 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है और उनमें से 1,618 ने अपनी विकास योजनाएँ तैयार की हैं।
  - इन गाँवों के लिये कुल 79,316 गतिविधियों की योजना बनाई गई है, जिनमें से 49,756 को पूरा किया जा चुका है।
- ब्याज और धन की कमी:
  - कई 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' (Sansad Adarsh Gram Yojana- SAGY) गाँवों में सांसदों ने MPLADS के तहत प्राप्त महत्त्वपूर्ण (Significant) धनराशि आवंटित नहीं की।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:
  - जवाबदेही और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण SAGY की अवधारणा क्षेत्रीय अधिकारियों तक नहीं पहुँच पाई है।
- घोषणा के साथ मुद्दे:
  - यहाँ तक कि कुछ ज़िलों में आदर्श ग्राम घोषित गाँव खुले में शौच से मुक्त पाए गए हैं।
- सीमित प्रभाव:
  - कुछ मामलों में जहाँ सांसद सक्रिय रहे हैं कुछ बुनियादी ढाँचे का विकास हुआ है, लेकिन इस योजना का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है।
- MPLAD के साथ मनरेगा का कम अभिसरण:
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का एमपीलैड के साथ अभिसरण कुछ गाँवों में कम देखा गया।
- ग्रामीण सड़कें:
  - राज्य सरकारों की योजनाओं के तहत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता और केंद्रीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर भी चिंता जताई गई है।

आगे की राह

- सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के सामंजस्य और अभिसरण को सुनिश्चित कर तथा उनके पूर्ण क्रियान्वन को प्राथमिकता देकर आदर्श (Model) गाँवों का निर्माण करना था। हालाँकि योजना के आदर्श वाक्य की पूर्ति के लिये जिस गंभीरता की आवश्यकता थी उसमें कमी देखी गई है। संसद सदस्यों को योजना के प्रति अधिक ज़िम्मेदार होने की आवश्यकता है।
- SAGY सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान देती है और गाँव, समुदाय के सामाजिक संघटन (Mobilization) गाँव में अन्य विकास गतिविधियों की एक श्रृंखला को गति प्रदान कर सकते हैं।

पुलिस हिरासत में हिंसा मानवाधिकारों के लिये खतरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद हिरासत में यातना/हिंसा और पुलिस अत्याचारों को जारी रख पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों एवं गरिमा पर सबसे बड़ा संकट उत्पन्न कर रहे हैं।

- उन्होंने एक कानूनी सेवा मोबाइल एप्लीकेशन एवं 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' (NALSA) की कानूनी सेवाओं के विज़न एवं मिशन स्टेटमेंट के शुभारंभ पर यह बयान दिया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

- इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था, जो समाज के संवेदनशील वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी यूनिफार्म नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से नवंबर 1995 में लागू हुआ था।
- सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
- संविधान का अनुच्छेद-39A समाज के गरीब एवं संवेदनशील वर्गों को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने हेतु मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है।
    - अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1), राज्य को कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिये बाध्य करते हैं।
- गौरतलब है कि नालसा और उसके नेटवर्क द्वारा निभाई गई भूमिका सतत् विकास लक्ष्य-16 को प्राप्त करने हेतु काफी प्रासंगिक है, जिसका लक्ष्य सतत् विकास हेतु शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिये न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना और प्रभावी, जवाबदेह एवं सभी स्तरों पर समावेशी संस्थान का निर्माण सुनिश्चित करना है।

प्रमुख बिंदु

विज़न और मिशन स्टेटमेंट

- यह एक समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देने और हाशिये पर और वंचित क्षेत्र के लिये निष्पक्ष एवं सार्थक न्याय सुनिश्चित करने हेतु नालसा के दृष्टिकोण को समाहित करती है।
- यह कानूनी रूप से उपलब्ध लाभों और लाभार्थियों के बीच की खाई को कम करने के लिये प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व, कानूनी साक्षरता और जागरूकता प्रदान करके समाज के हाशिये पर और बहिष्कृत समूहों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिये नालसा के मिशन को बढ़ावा देती है।

कानूनी सेवाएँ मोबाइल एप्लीकेशन:

- इसमें कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और अन्य शिकायतों के पंजीकरण आदि की सुविधा होगी।
- एप्लीकेशन ट्रैकिंग सुविधाएँ और स्पष्टीकरण की मांग जैसी कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ भी हैं, जो कानूनी सहायता के लाभार्थियों और कानूनी सेवा प्राधिकरणों दोनों के लिये उपलब्ध हैं।
- लाभार्थी एप के माध्यम से पूर्व-संस्थान मध्यस्थता के लिये आवेदन कर सकते हैं। पीड़ित एप के माध्यम से मुआवज़े के लिये भी आवेदन कर सकते हैं।

हिरासत में हिंसा

संबंधित डेटा:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001 और वर्ष 2018 के मध्य भारत में 1,727 ऐसी मौतें दर्ज़ होने के बावजूद केवल 26 पुलिसकर्मियों को हिरासत में हिंसा का दोषी ठहराया गया था।
    - वर्ष 2018 में 70 मौतों में से केवल 4.3% में पुलिस द्वारा शारीरिक हमले के कारण हिरासत के दौरान चोटों के लिये ज़िम्मेदार ठहराया गया था।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को छोड़कर पूरे देश में इस तरह की मौतों के लिये किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं ठहराया गया था।
- हिरासत में हुई मौतों के अलावा वर्ष 2000 और वर्ष 2018 के मध्य पुलिस के खिलाफ 2,000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी दर्ज किये गए थे और उन मामलों में केवल 344 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था।

प्रमुख कारण:

- कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव:
    - पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के अभाव के कारण गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। गिरफ्तारी या नज़रबंदी के पहले घंटे अक्सर आरोपी के मामले के भाग्य का फैसला करते हैं।

- लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ:
  - न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली लंबी, महँगी औपचारिक प्रक्रियाएँ गरीबों और कमज़ोरों को हतोत्साहित करती हैं।
- मज़बूत कानून का अभाव:
  - भारत में अत्याचार विरोधी कानून नहीं है और अभी तक हिरासत में हिंसा को अपराध घोषित नहीं किया गया है, जबकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भ्रामक है।
- संस्थागत चुनौतियाँ:
  - पूरी जेल प्रणाली प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से अपारदर्शी है तथा इसमें पारदर्शिता का अभाव है।
  - भारत कारागारों में वांछित सुधार लाने में भी विफल रहता है और जेलें खराब परिस्थितियों, भीड़भाड़, अधिक लोगों का दबाव एवं जेलों में होने वाले नुकसान के खिलाफ न्यूनतम सुरक्षा उपायों से नही प्रभावित होती रहती हैं।
- अधिक दबाव:
  - हाशिये के समुदायों को लक्षित करने के लिये यातना सहित अत्यधिक बल का उपयोग और आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों को नियंत्रित करना या विचारधाराओं का प्रचार करना, जिसे राज्य अपने अधिकार के विपरीत मानता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन न करना:
  - हालाँकि भारत ने वर्ष 1997 में अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन इसके अनुसमर्थन का मुद्दा अभी भी बना हुआ है।
  - जबकि हस्ताक्षर केवल संधि में निर्धारित दायित्वों को पूरा करने के लिये देश के इरादे को इंगित करता है, दूसरी ओर अनुसमर्थन, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये कानूनों और तंत्रों के निर्माण पर ज़ोर देता है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत यातना से सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत सलाह का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code -CrPC) की धारा 41 को वर्ष 2009 में 41ए, 41बी, 41सी और 41डी के तहत सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिये संशोधित किया गया था, ताकि पूछताछ के लिये गिरफ्तारी और हिरासत में उचित आधार तथा दस्तावेज़ी प्रक्रिया सुनिश्चित हो, गिरफ्तारी को परिवार, दोस्तों और जनता के लिये पारदर्शी बनाया जा सके एवं कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त हो।

आगे की राह:

- पुलिस की ज़्यादतियों पर अंकुश लगाने के लिये कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार करना आवश्यक है।
  - हर थाने/जेल में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिंग लगाना इसी दिशा में एक कदम है।
- यदि भारत कानून के शासन द्वारा शासित समाज के रूप में बना रहना चाहता है, तो न्यायपालिका के लिये अनिवार्य है कि वह अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमज़ोर लोगों के बीच न्याय तक पहुँच के अंतर को पाट दे।
- भारत में न्याय प्राप्त करना केवल एक आकांक्षी लक्ष्य नहीं है। न्यायपालिका को इसे व्यावहारिक रूप देने के लिये सरकार के विभिन्न अंगों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

चर्चा में क्यों?

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) सिस्टम के परिणामस्वरूप पाँच वर्षों में सार्वजनिक खरीद लागत में 10% की बचत हुई है, लेकिन अभी भी यह भारत की कुल सरकारी खरीद का केवल 5% लगभग 20 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है।

- GeM पोर्टल के माध्यम से संसाधित ऑर्डर मूल्य का 56% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा वितरित किया गया है, जिसमें सात लाख लघु उद्यम/ फर्में शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- GeM विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिये वन-स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है।
- GeM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिये मंत्रालयों व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है।
- यह सरकारी उपयोगकर्त्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिये ई-बोली और रिवर्स ई-नीलामी जैसे उपकरण भी प्रदान करता है।
- वर्तमान में GeM के पास 30 लाख से अधिक उत्पाद हैं, इसके पोर्टल पर अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हो चुका है।

लॉन्च:

- इसे वर्ष 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिये लॉन्च किया गया था।

नोडल मंत्रालय:

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

हालिया अद्यतन:

- बम्बू (Bamboo) मार्केट विंडो (द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन)।
- उत्पादों के मूल देश का होना अनिवार्य : GeM ने सभी विक्रेताओं को ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace-GeM) पर नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय 'मूल देश' को सूचीबद्ध करने के लिये अनिवार्य किया है।
  - इसे पोर्टल पर सक्षम किया गया है ताकि खरीदार केवल उन्हीं उत्पादों को खरीदने के लिये चुन सकें जो न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री मानदंडों को पूरा करते हों।

महत्त्व:

- पारदर्शी और लागत प्रभावी खरीद: GeM त्वरित, कुशल, पारदर्शी और लागत प्रभावी खरीद को सक्षम बना रहा है, खासकर जब सरकारी संगठनों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिये उत्पादों और सेवाओं की तत्काल आवश्यकता होती है।
- आत्मनिर्भर भारत का प्रचार: GeM आत्मनिर्भर भारत नीति को बढ़ावा दे रहा है, जिसे कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना और छोटे भारतीय विनिर्माताओं को बढ़ावा देना है।
- छोटे स्थानीय विक्रेताओं का प्रवेश: बाज़ार ने सरकार की 'मेक इन इंडिया' और एमएसएमई खरीद वरीयता नीतियों को सही मायने में लागू करते हुए सार्वजनिक खरीद में छोटे स्थानीय विक्रेताओं के प्रवेश की सुविधा प्रदान की है।
- एक ही स्थान पर कई संस्थाएँ: ऑनलाइन मार्केटप्लेस समान उत्पादों के लिये कई संस्थाओं से मांग कर सकता है और राज्य सरकारों द्वारा छोटे उद्यमों को प्रदान की गई प्राथमिकताओं के आधार पर निर्माण कर सकता है।

चुनौतियाँ:

- एकाधिक पोर्टल:
  - केंद्र सरकार के विभागों में कई पोर्टल हैं, जैसे- रक्षा खरीद पोर्टल और भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में अपने जनादेश को प्राप्त करने के लिये GeM के प्रयास को सीमित कर सकते हैं और पैमाने व दक्षता की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ प्रदान कर सकते हैं।

- अनुपालन की कमी:
  - यह सभी केंद्रीय संगठनों हेतु सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 के नियम 149 का अनुपालन करने की एक चुनौती का भी सामना करता है, जिसमें यह अनिवार्य है कि सभी सामान्य उपयोग की वस्तुएँ और सेवाएँ जो कि GEM पोर्टल पर उपलब्ध हैं, मंच पर आवश्यक रूप से खरीदी जानी चाहिये।

आगे की राह:

- GeM की महत्त्वाकांक्षा आकार में वृद्धि और खरीदारों तथा विक्रेताओं दोनों के लिये वन-स्टॉप शॉप बनने की है। इसने एक शानदार शुरुआत की है और यह धीरे-धीरे एक कुशल व विश्वसनीय मार्केटप्लेस इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है।
- यदि यह अपने विकास को सीमित करने वाली चुनौतियों को प्रभावी ढंग से दूर करता है तो एक चमकदार खनिज क्रिस्टल जितना कीमती हो सकता है, जिसे इसके नाम से ही पुकारा जाता है।

विश्व आदिवासी दिवस, 2021

चर्चा में क्यों?

विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है।

- इसका उद्देश्य दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है तथा उन योगदानों को स्वीकार करना है जो स्वदेशी लोग वैश्विक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण हेतु करते हैं।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- यह दिन वर्ष 1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देता है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1994 से हर वर्ष मनाया जाता है।
- आज भी कई स्वदेशी लोग अत्यधिक गरीबी, वंचन और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन का अनुभव करते हैं।

थीम 2021:

- "किसी को पीछे नहीं छोड़ना: स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान।"

स्वदेशी लोग:

- स्वदेशी लोग अद्वितीय संस्कृतियों, लोगों और पर्यावरण समर्थित परंपराओं के उत्तराधिकारी व अभ्यासी हैं। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं को बरकरार रखा है जो उन प्रमुख समाजों से अलग हैं जिनमें वे रहते हैं।
- दुनिया भर के 90 देशों में 476 मिलियन से अधिक स्वदेशी लोग रहते हैं, जो वैश्विक आबादी का 6.2% हिस्सा है।

महत्त्व:

- महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा:
  - विश्व की लगभग 80% जैव विविधता स्वदेशी आबादी द्वारा आबाद और संरक्षित है।
  - महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भूमि, प्रकृति और इनके विकास के बारे में उनका सहज, विविध ज्ञान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भाषाओं का संरक्षण:
  - दुनिया की अधिकांश सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले 370-500 मिलियन स्वदेशी लोगों के साथ वे दुनिया में लगभग 7000 भाषाओं में सर्वाधिक भाषाएँ बोलते हैं।

- शून्य भूख लक्ष्य में योगदान:
  - स्वदेशी लोगों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें अत्यधिक अनुकूलनीय होती हैं। वे सूखा, ऊँचाई, बाढ़ और तापमान किसी भी प्रकार की आपदा से भी बच सकती हैं। नतीजतन ये फसलें खेतों को पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करती हैं।
  - इसके अलावा क्विनोआ, मोरिंगा और ओका कुछ ऐसी देशी फसलें हैं जो हमारे खाद्य आधार का विस्तार एवं विविधता लाने की क्षमता रखती हैं। ये ज़ीरो हंगर लक्ष्य हासिल करने में योगदान देंगे।

अन्य वैश्विक प्रयास:

- स्वदेशी भाषाओं का दशक (2022-2032): इसका उद्देश्य स्थानीय/स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण करना है, जो उनकी संस्कृतियों, विश्व के विचारों और दृष्टिकोणों के साथ-साथ आत्मनिर्णय की अभिव्यक्ति को संरक्षित करने में मदद करता है।
- स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP): यह दुनिया के स्वदेशी लोगों के अस्तित्व, सम्मान और कल्याण हेतु न्यूनतम मानकों का एक सार्वभौमिक ढाँचा प्रस्तुत करता है।
- स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी संयुक्त राष्ट्र फोरम: इसकी स्थापना आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों से संबंधित स्वदेशी मुद्दों से निपटने के लिये की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद हेतु एक सलाहकार निकाय है।

भारत में जनजातियाँ:

डेटा विश्लेषण:

- भारत में जनजाति की लगभग 104 मिलियन (जो देश की आबादी का लगभग 8.6% है) आबादी है।
- यद्यपि 705 ऐसे जातीय समूह हैं जिनकी औपचारिक रूप से पहचान गई है, इनमें से लगभग 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) हैं।
  - गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है।
- सबसे अधिक संख्या में जनजातीय समुदाय (62) ओडिशा में पाए जाते हैं।
- केंद्रीय जनजातीय बेल्ट जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं (राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र सहित), सबसे अधिक स्वदेशी आबादी (Indigenous Population) का क्षेत्र है।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 342 (1)- राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में, राज्यपाल के परामर्श के बाद एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में जनजातीय या आदिवासी समुदायों या जनजातियों के उप-समूह या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है।
- अनुच्छेद 15- केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
- अनुच्छेद 16- लोक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता पर बल।
- अनुच्छेद 46- अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
- अनुच्छेद 335- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी सेवाओं और पदों पर दावा।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है।
- 5वीं और 6वीं अनुसूची- अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण।

कानूनी प्रावधान:

- अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिये।

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996, पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये आधार प्रदान करता है।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन भूमि में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों और कब्ज़े को मान्यता प्रदान करता है।

पहलें:

- ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह MFP और ट्राइफूड (TRIFOOD) के लिये MSP जैसी योजनाओं में शामिल है।
- प्रधानमंत्री वन धन योजना: यह जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों को मज़बूत करने के लिये एक बाज़ार से जुड़े आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है।
- क्षमता निर्माण पहल: आदिवासी पंचायती राज संस्थान (PRI) को सशक्त बनाना।
- GIS आधारित स्प्रिंग एटलस पर 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव और ऑनलाइन पोर्टल: हार्नेसिंग स्प्रिंग्स, जो भूजल निर्वहन के प्राकृतिक संसाधन हैं।
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन: पहले चरण में 250 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपनाया गया है, जिसमें से 50 EMRS स्कूलों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और 500 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

जनजातीय समुदायों से संबंधित समितियाँ:

- शाशा समिति (2013)
- भूरिया आयोग (2002-2004)
- लोकुर समिति (1965)

पीएम दक्ष योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित समूहों- पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारियों के लिये कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने हेतु 'पीएम-दक्ष' (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही) पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबाइल एप लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- पीएम-दक्ष योजना वर्ष 2020-21 से लागू की जा रही है।
- इसके तहत पात्र लक्ष्य समूहों को कौशल विकास पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है; अप-स्किलिंग/रिस्किलिंग; उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  - ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्र कौशल परिषदों एवं अन्य विश्वसनीय संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

अर्हता:

- अनुसूचित जाति, ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, विमुक्त जनजाति, कचरा बीनने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर और अन्य समान श्रेणियों के हाशिये पर रहने वाले व्यक्ति।

नोट :

कार्यान्वयन:

- यह मंत्रालय के तहत तीन निगमों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है:
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC),
  - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ((NBCFDC),
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)।

लक्षित समूहों के कौशल विकास प्रशिक्षण की स्थिति:

- पिछले 5 वर्षों में लक्षित समूहों के 2,73,152 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान इन तीनों निगमों के माध्यम से लक्षित समूहों के लगभग 50,000 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना का महत्त्व:

- लक्षित समूहों के अधिकांश व्यक्तियों के पास न्यूनतम आर्थिक संपत्ति है इसलिये, हाशिये पर स्थित इन लक्षित समूहों के आर्थिक सशक्तीकरण / उत्थान हेतु प्रशिक्षण का प्रावधान करना और उनकी दक्षताओं को बढ़ाना आवश्यक है।
- लक्षित समूहों के कई व्यक्ति ग्रामीण कारीगरों की श्रेणी से संबंधित हैं जो बाज़ार में बेहतर तकनीकों के आने के कारण हाशिये पर चले गए हैं।
- महिलाओं को उनकी समग्र घरेलू मजबूरियों के कारण मज़दूरी रोज़गार में शामिल नहीं किया जा सकता है जिसमें आमतौर पर लंबे समय तक काम करने के घंटे और कभी-कभी दूसरे शहरों में प्रवास करना शामिल होता है, इन लक्षित समूहों के मध्य महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

कौशल विकास से संबंधित पहलें:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0: इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा वर्ष 2021 में 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराकर भारत के युवाओं को रोज़गार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना: इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, योजना के तहत पंजीकृत रोज़गार चाहने वाले युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कॅरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह परियोजना 'केंद्रीय रोज़गार एवं श्रम मंत्रालय' के महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- आजीविका संवर्द्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (SANKALP) योजना: यह योजना अभिसरण एवं समन्वय के माध्यम से ज़िला-स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- कौशल्याचार्य पुरस्कार: इस पुरस्कार को कौशल प्रशिक्षकों द्वारा दिये गए योगदान को मान्यता देने और अधिक प्रशिक्षकों को कौशल भारत मिशन में शामिल होने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिये श्रेयस (SHREYAS): मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotional Scheme-NAPS) के माध्यम से आगामी सत्र के सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण और कौशल (SHREYAS) योजना शुरू की गई है।
- आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण यानी 'असीम' (ASEEM) पोर्टल: वर्ष 2020 में शुरू किया गया यह पोर्टल कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करता है।

नोट :

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने कृषि आय बढ़ाने में मदद करने के लिये पाम तेल (Palm Oil) उत्पादन पर एक नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है।

- खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिये राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (National Edible Oil Mission-Oil Palm) नामक योजना में 11,000 करोड़ रुपए (पाँच वर्ष की अवधि में) से अधिक का निवेश शामिल है।

प्रमुख बिंदु

उद्देश्य:

- घरेलू खाद्य तेल की कीमतों को कम करना जो महँगे पाम तेल के आयात से तय होती हैं।
- वर्ष 2025-26 तक पाम तेल का घरेलू उत्पादन तीन गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना।
  - इस मिशन में वर्ष 2025-26 तक पाम तेल की खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना शामिल है।

विशेषताएँ:

- इस योजना का विशेष बल भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (इन क्षेत्रों में अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण) में होगा।
- इस योजना के अंतर्गत पाम तेल किसानों को वित्तीय सहायता और पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा।

योजना का महत्त्व:

- आयात पर निर्भरता में कमी:
  - इससे तेल के आयात पर निर्भरता कम होने और किसानों को तेल के विशाल बाज़ार से लाभ उठाने की उम्मीद है।
  - भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसमें से पाम तेल का आयात इसके कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 55% है।
- पैदावार में वृद्धि:
  - भारत सालाना खपत किये जाने वाले लगभग 2.4 करोड़ टन खाद्य तेल के आधे से भी कम का उत्पादन करता है। यह इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल, ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना से सोया तेल एवं रूस व यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल आयात करता है।
  - भारत में 94.1% पाम तेल का उपयोग खाद्य उत्पादों (विशेष रूप से खाना पकाने के प्रयोजनों के लिये) में किया जाता है। यह पाम तेल को भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनाता है।

पाम तेल

- पाम तेल वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है।
- इसका उपयोग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
- कमोडिटी के शीर्ष उपभोक्ता भारत, चीन और यूरोपीय संघ (EU) हैं।

खाद्य तेल अर्थव्यवस्था

- इसकी दो प्रमुख विशेषताएँ हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। एक वर्ष 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना थी जिसे वर्ष 2014 में तिलहन और पाम तेल पर एक राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Oilseeds and Oil Palm) में बदल दिया गया था।
  - इसके अलावा इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission) में मिला दिया गया था।

- इससे तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को बल मिला। यह तिलहन के उत्पादन में वर्ष 1986-87 के लगभग 11.3 मिलियन टन से वर्ष 2019-20 में 33.22 मिलियन टन वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है।
- अन्य प्रमुख विशेषता जिसका खाद्य तिलहन/तेल उद्योग की वर्तमान स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, वह उदारीकरण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सरकार की आर्थिक नीति खुले बाज़ार को अधिक स्वतंत्रता देती है तथा सुरक्षा एवं नियंत्रण के बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा एवं स्व-नियमन को प्रोत्साहित करती है।
- पीली क्रांति (Yellow Revolution) उन क्रांतियों में से एक है जिन्हें देश में खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये शुरू किया गया था।
- सरकार ने तिलहन के लिये खरीफ रणनीति (Kharif Strategy), 2021 भी शुरू की है।
  - यह तिलहन की खेती के अंतर्गत 6.37 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाएगा और इससे 120.26 लाख क्विंटल तिलहन तथा 24.36 लाख क्विंटल खाद्य तेल का उत्पादन होने की संभावना है।
- भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले तेल: मूँगफली, सरसों, रेपसीड, तिल, कुसुम, अलसी, नाइजर बीज, अरंडी पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन हैं।
  - हाल के वर्षों में सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का भी महत्त्व बढ़ा है।
  - बगानी फसलों में नारियल सबसे महत्त्वपूर्ण है।

वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण- 4

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (GYTS-4) के चौथे चरण की शुरुआत की गई ।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़ (IIPS)) द्वारा वर्ष 2019 में वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण का चौथा चरण (GYTS-4) आयोजित किया गया था।
  - IIPS, मुंबई जिसे पहले 1970 तक जनसांख्यिकी प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र (DTRC) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र (UN) के संयुक्त प्रयोजन के तहत वर्ष 1956 में की गई थी।
  - यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र (ESCAP) के लिये आर्थिक और सामाजिक आयोग हेतु जनसंख्या अध्ययन के मामले में प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु एक क्षेत्रीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- सर्वेक्षण को राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (UT) में 13-15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की लैंगिकता, स्कूल के स्थान (ग्रामीण-शहरी) और स्कूल के प्रबंधन (सार्वजनिक-निजी) के बीच तंबाकू के उपयोग का राष्ट्रीय अनुमान तैयार करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
- GYTS के पहले तीन चरण 2003, 2006 और 2009 में आयोजित किये गए थे।
- सर्वेक्षण में 987 स्कूलों के कुल 97,302 छात्रों ने भाग लिया।

सर्वेक्षण का उद्देश्य:

- सर्वेक्षण का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग, तंबाकू को छोड़ना, दूसरों द्वारा किये गए धूम्रपान का असर, पहुँच और उपलब्धता, तंबाकू के दुष्परिणाम बताने वाली जानकारियों तक पहुँच, जागरूकता व तंबाकू की मार्केटिंग, जानकारी एवं दृष्टिकोण आदि के सबंध में सूचना प्रदान करना था।

प्रमुख परिणाम:

- तंबाकू के प्रयोग में गिरावट:
  - पिछले एक दशक में स्कूल जाने वाले 13-15 वर्ष के बच्चों में तंबाकू के सेवन में 42 प्रतिशत की गिरावट आई है।
  - 13-15 वर्ष की आयु के छात्रों में से करीब प्रत्येक 5 में एक ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद (धूम्रपान, धुआँ रहित और किसी भी अन्य रूप) का उपयोग किया।
- लिंग आधारित उपयोग:
  - किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन की मात्रा के मामले में लड़कों की संख्या अधिक थी। लड़कों में तंबाकू के सेवन का प्रसार 9.6 प्रतिशत और लड़कियों में 7.4 प्रतिशत था।
- राज्यवार आँकड़ा:
  - स्कूल जाने वाले बच्चों में तंबाकू का सेवन करने वाले अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में सबसे अधिक तथा हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में सबसे कम थे।
- तंबाकू की शुरुआत की उम्र:
  - सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले 38 प्रतिशत, बीड़ी का इस्तेमाल करने वाले 47 प्रतिशत और धूम्रपान रहित तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले 52 प्रतिशत ने 10 वर्ष की आयु से पूर्व ही तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
  - सिगरेट, बीड़ी तथा धूम्रपान रहित तंबाकू के सेवन की शुरुआती औसत आयु क्रमशः 11.5 वर्ष, 10.5 वर्ष और 9.9 वर्ष थी।
- जागरूकता:
  - 52 प्रतिशत छात्रों ने मुख्य/मास मीडिया में तंबाकू के दुष्परिणाम बताने वाले संदेशों को तथा 18 प्रतिशत छात्रों ने बिक्री स्थलों पर तंबाकू के हानिकारक विज्ञापन या प्रचार को देखा।
  - 85% स्कूल प्रमुख रूप से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 से अवगत थे और 83% स्कूल 'तंबाकू मुक्त स्कूल' बोर्ड प्रदर्शित करने की नीति से अवगत थे।

भारत में तंबाकू नियंत्रण की दिशा में उपाय:

- WHO FCTC को अपनाना:
  - भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया।
- COTPA, 2003:
  - इसने 1975 के सिगरेट अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया (बड़े पैमाने पर वैधानिक चेतावनियों के ज़रिये- 'सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है' जिसे सिगरेट पैक और विज्ञापनों पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें गैर-सिगरेट उत्पाद शामिल नहीं थे)।
  - वर्ष 2003 के इस अधिनियम में सिगार, बीड़ी, चुरूट, पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटखा भी शामिल था।
- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अध्यादेश, 2019 की घोषणा:
  - यह ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।
- नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज़ (NTQLS):
  - टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज़ में बड़ी संख्या में तंबाकू उपयोगकर्त्ताओं तक पहुँचने की क्षमता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य तंबाकू बंद करने के लिये टेलीफोन आधारित जानकारी, सलाह, समर्थन और रेफरल प्रदान करना है।
- एम-सेसेशन कार्यक्रम (mCessation Programme):
  - यह तंबाकू छोड़ने के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी आधारित एक पहल है।
  - भारत ने सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में वर्ष 2016 में टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करते हुए mCessation की शुरुआत की थी।

नोट :

वैश्विक पहल:

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस- 31 मई
- WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल : विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा 'WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल' (WHO FCTC) के तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया गया है और लागू किया गया है।

आगे की राह

- तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों और उनके माता-पिता के बीच जागरूकता पैदा करने तथा इस संबंध में बच्चों के दृष्टिकोण को आकार देने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण है।
- तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों में जितनी जल्दी जागरूकता पैदा की जाएगी, बच्चों में और इसके परिणामस्वरूप वयस्कों में तंबाकू के उपयोग की व्यापकता में कमी लाने के परिणाम बेहतर होंगे।
- तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों को प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही विभिन्न स्तरों पर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिये।

उज्ज्वला 2.0

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) या उज्ज्वला 2.0 योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

- उन्होंने विश्व जैव ईंधन दिवस (10 अगस्त) के अवसर पर "गोबर धन" को बढ़ावा देने की योजनाओं का उल्लेख किया– ऊर्जा के लिये गाय के गोबर का दोहन।
- उज्जवला व्यवहार परिवर्तन के महत्त्वाकांक्षी एजेंडे का हिस्सा है जो भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने में मदद करेगा।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- PMUY-I:
  - गरीब परिवारों को एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करने के लिये मई 2016 में शुरू किया गया।
- PMUY-II:
  - इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।
  - अब उन्हें लाभ उठाने के लिये केवल "सेल्फ डिक्लेरेशन" देना होगा।

उद्देश्य:

- महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना।
- भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना।
- घर के अंदर जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों को होने वाली श्वास संबंधी गंभीर बीमारियों से बचाना।

विशेषताएँ:

- इस योजना में बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिये 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- एक जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हॉटप्लेट नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।

लक्ष्य :

- उज्ज्वला 1.0 के तहत मार्च 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य था। हालाँकि अगस्त 2018 में सात अन्य श्रेणियों की महिलाओं को योजना के दायरे में लाया गया था, इनमें शामिल हैं:
  - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थी, वनवासी, सबसे पिछड़े वर्ग, चाय बागान और द्वीप समूह।
- उज्जवला 2.0 के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।
  - सरकार ने 50 ज़िलों के 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुँचाने का भी लक्ष्य रखा है।

नोडल मंत्रालय:

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG)।

उपलब्धियाँ:

- PMUY के पहले चरण में दलित और आदिवासी समुदायों सहित 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिये गए।
- देश में रसोई गैस के बुनियादी ढाँचे का कई गुना विस्तार हुआ है। पिछले छह वर्षों में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं।

चुनौतियाँ :

- रिफिल की कम खपत:
  - एलपीजी के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, और रिफिल की कम खपत ने योजना के तहत वितरित बकाया ऋण की वसूली में बाधा उत्पन्न की।
  - 31 दिसंबर, 2018 को वार्षिक औसत प्रति उपभोक्ता सिर्फ 3.21 रिफिल थी।
- प्रणाली संबंधित विसंगतियाँ:
  - अनपेक्षित लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करने जैसी कमियाँ तथा राज्य संचालित तेल विपणन कंपनियों के सॉफ्टवेयर के साथ समस्याएँ देखी गई हैं, जो कि लाभार्थियों की पहचान करने के लिये डिडुप्लीकेशन प्रक्रिया में अपर्याप्तता को दर्शाता है।

आगे की राह

- इस योजना को शहरी और अर्द्ध-शहरी स्लम क्षेत्रों के गरीब परिवारों तक विस्तारित किया जाना चाहिये।
- जिन घरों में एलपीजी नहीं है, उन्हें कनेक्शन प्रदान करके अधिक जनसंख्या तक उच्च एलपीजी कवरेज की आवश्यकता है।
- अपात्र लाभार्थियों को कनेक्शन हेतु प्रतिबंधित करने के लिये वितरकों के सॉफ्टवेयर में डिडुप्लीकेशन (Deduplication) के प्रभावी और उचित उपाय करने हेतु मौजूदा एवं नए लाभार्थियों के परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबर दर्ज करना।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के संबंध में कुछ जानकारी साझा की है।

- इससे पहले MoFPI ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' (Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises- PMFME) की शुरुआत की थी।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रमुख उप-खंड हैं- डेयरी, फल और सब्जियाँ, पोल्ट्री एवं मांस प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, खाद्य खुदरा आदि।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- वर्ष 2016 में MoFPI ने "कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों का विकास" या संपदा (SAMPADA) नामक एक अम्ब्रेला योजना शुरू की थी, जिसे वर्ष 2016-20 की अवधि के लिये 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लागू करने का प्रस्ताव था।
- वर्ष 2017 में सरकार ने संपदा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) कर दिया।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला स्कीम है।

उद्देश्य:

- कृषि के पूरक हेतु।
- प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता निर्माण के लिये।
- प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना।
- अपव्यय में कमी हेतु अग्रणी मूल्य जोड़ने के लिये।

घटक:

- मेगा फूड पार्क
- एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना
- कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिये अवसंरचना
- बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण
- खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
- मानव संसाधन संस्थान
- ऑपरेशन ग्रीन्स

सहायता अनुदान:

- MoFPI खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिये उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में अधिकतर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है।
- देश में आधारिक संरचना, रसद परियोजनाओं और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत निवेशकों को पात्र परियोजना लागत के 35% से 75% तक की अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अधीन सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

लाभ:

- PMKSY की घटक योजनाओं के तहत देश भर में स्वीकृत परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 34 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होने का अनुमान है।
    - एक मूल्यांकन अध्ययन में नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने वर्ष 2020 में अनुमान लगाया कि इस योजना के तहत कैप्टिव परियोजनाओं के परिणामस्वरूप फार्म-गेट की कीमतों में 12.38% की वृद्धि हुई है और प्रत्येक परियोजना से 9500 से अधिक किसानों को लाभ होने का अनुमान है।

अन्य संबंधित पहलें

- 100% FDI:
    - खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) तथा भारत में उत्पादित और/या निर्मित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार करने के लिये सरकार से अनुमोदन के तहत 100% FDI की अनुमति दी गई है।

- खाद्य प्रसंस्करण कोष:
  - खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को सस्ते ऋण प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD) के साथ मिलकर 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया गया है।
- PSL के तहत वर्गीकरण:
  - खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन अवसंरचना को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending- PSL) के लिये कृषि गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- राजकोषीय उपाय:
  - नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिये लाभ पर आयकर में 100% छूट जैसे राजकोषीय उपायों, FPO द्वारा 100 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर से प्राप्त लाभ से 100 प्रतिशत आयकर छूट को कृषि के बाद फसल मूल्य संवर्द्धन जैसी गतिविधियों के लिये अनुमति दी गई है।
- कम GST:
  - अधिकांश खाद्य उत्पादों के लिये कम वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरें तय की गई हैं।
- ऑपरेशन ग्रीन्स:
  - कृषक उत्पादक संगठनों (FPO), कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिये 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ टमाटर, प्याज और आलू (TOP) फसल मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास हेतु एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना "ऑपरेशन ग्रीन्स" शुरू की गई है।
- PM FME:
  - मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिये वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PM FME योजना) का औपचारिककरण।
- PLI योजना:
  - केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)" भारत के प्राकृतिक संसाधन बंदोबस्ती के अनुरूप वैश्विक खाद्य निर्माण का समर्थन करने और 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करने हेतु है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति लाँच

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति/राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ किया।

- शिखर सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिये निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- सरकार द्वारा मार्च 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी।
- इस नीति के तहत 51 लाख हल्के मोटर वाहन (LMV) शामिल होने का अनुमान है जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और अन्य 34 लाख LMV 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

प्रमुख बिंदु

लक्ष्य:

- पुराने व खराब वाहनों की संख्या को कम करना, वायु प्रदूषकों को कम करना, सड़क और वाहनों की सुरक्षा में सुधार करना।

नोट :

प्रावधान:

- फिटनेस परीक्षण:
  - पुराने वाहनों को पुन: पंजीकरण से पहले एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और नीति के अनुसार सरकारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने तथा निजी वाहन जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।
  - पुराने वाहनों का परीक्षण अधिकृत ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में किया जाएगा और केवल आयु के आधार पर उन्हें स्क्रैप नहीं किया जाएगा।
    - एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी कंपोनेंट्स की जाँच की जाएगी तथा फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाले वाहनों को रद्द कर दिया जाएगा।
    - यदि पुराना वाहन परीक्षण पास कर लेता है, तो मालिक उसका उपयोग जारी रख सकता है, लेकिन उसके पुन: पंजीकरण के लिये शुल्क बहुत अधिक होगा।
    - केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने स्क्रैपिंग सुविधाओं, उनकी शक्तियों और पालन की जाने वाली स्क्रैपिंग प्रक्रिया हेतु पंजीकरण प्रक्रिया के लिये भी नियम जारी किये हैं।
- सड़क कर छूट:
  - राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये निजी वाहनों के लिये 25% तक तथा वाणिज्यिक वाहनों के लिये 15% तक की रोड-टैक्स छूट प्रदान करें।
- वाहन छूट:
  - वाहन निर्माता उन लोगों को भी 5% की छूट देंगे जो 'स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट' का उपयोग करेंगे और नए वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया जाएगा।
- हतोत्साहन:
  - प्रारंभिक पंजीकरण तिथि से 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वाहनों के लिये बढ़ा हुआ पुन: पंजीकरण शुल्क लागू होगा, जिससे लोग हतोत्साहित होंगे।

महत्त्व:

- स्क्रैप यार्ड का निर्माण:
  - इससे देश में अधिक स्क्रैप यार्ड का निर्माण होगा और पुराने वाहनों के कचरे में सुधार होगा।
  - भारत को पिछले वर्ष के दौरान 23,000 करोड़ मूल्य के स्क्रैप स्टील का आयात करना पड़ा क्योंकि भारत में बहुत सीमित मात्रा में का स्क्रैपिंग होती है और भारत ऊर्जा तथा दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की प्राप्ति में सक्षम नहीं है।
- रोज़गार:
  - नए फिटनेस सेंटरों में 35 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- बेहतर राजस्व:
  - यह भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देगा जो आईएल एंड एफएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ के दिवालिया होने और कोविड -19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप संकुचन की स्थिति में थे।
  - इस नीति से सरकारी खजाने को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ज़रिये करीब 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
- कीमतों में कमी:
  - धातु और प्लास्टिक के पुर्जों के पुनर्चक्रण से ऑटो घटकों की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।
  - जैसे-जैसे स्क्रैप की गई सामग्री सस्ती होगी वाहन निर्माताओं की उत्पादन लागत भी कम होगी।
- प्रदूषण को कम:
  - यह वाहनों की संख्या के आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाएगा क्योंकि यह देश भर में अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगा एवं एक चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा वेस्ट टू वेल्थ मिशनको बढ़ावा देगा।

- चूँकि पुराने वाहन 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और अनुमानत: 17 लाख मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये अन्य पहलें:

- गो इलेक्ट्रिक अभियान
- फेम इंडिया योजना चरण II
- दिल्ली के लिये इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति, 2020
- हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और कार परियोजना
- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020

आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री (PM) ने 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद' में भाग लिया और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत पदोन्नत महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों के साथ संवाद किया।

प्रमुख बिंदु:

सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के दौरान महिलाओं की अभूतपूर्व सेवाओं के लिये स्वयं सहायता समूहों की सराहना की।
  - उदाहरण के लिये मास्क और सैनिटाइज़र बनाने तथा ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने एवं जागरूकता फैलाने में महिलाओं का अद्वितीय योगदान।
- प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM FME) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के लिये SHG को सहायता राशि जारी की।
- प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब बिना गारंटी के SHG को उपलब्ध ऋण की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए कर दी गई है।
- देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त बनाने के प्रयास में स्वयं सहायता समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  - SHG सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और इसके विकल्प के लिये कार्य कर सकते हैं।
  - इस संदर्भ में SHG ऑनलाइन गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के संदर्भ में:

- SHG उन लोगों का अनौपचारिक संघ है जो अपने रहने की स्थिति में सुधार के तरीके खोजने के लिये एक साथ आने का विकल्प चुनते हैं।
- इसे समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के स्व-शासित, सहकर्मी नियंत्रित सूचना समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामूहिक रूप से सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की इच्छा रखते हैं।
- गाँवों में गरीबी, निरक्षरता, कौशल की कमी, औपचारिक ऋण की कमी आदि से संबंधित कई समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत स्तर पर नहीं किया जा सकता है तथा सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
- इस प्रकार SHG गरीबों और हाशिये पर पड़े लोगों के लिये बदलाव का माध्यम बन सकता है। SHG स्व-रोज़गार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिये "स्वयं सहायता" की धारणा पर निर्भर करता है।
- वर्ष 1999 में भारत सरकार ने SHG के गठन और कौशल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY) की शुरुआत की। यह कार्यक्रम वर्ष 2011 में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुआ और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) में परिवर्तित हो गया।

- एसएचजी को बढ़ावा देने के लिये अन्य पहलें:
  - कृषि अवसंरचना कोष
  - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM FME)
  - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
  - अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (AHVY)
  - पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना
  - भारत के पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद (वामपंथी उग्रवाद) प्रभावित ज़िलों में महिला SHG (WSHGs) को बढ़ावा देने की योजना।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी SHG उत्पादों के विपणन के लिये 'सोन चिरैया' (एक ब्रांड और लोगो) को लॉन्च किया है। यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) को भी लागू करता है।

विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण के लिये सरकारी पहल:

- कृषि और कृषि आधारित उद्योग:
  - नए कृषि कानूनों के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वे कितना भंडारण कर सकती हैं।
  - स्वयं सहायता समूहों के पास यह विकल्प होता है कि वे सीधे खेत से उपज बेच सकती हैं या खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करके अच्छी पैकेजिंग के साथ बेच सकती हैं।
- वित्तीय समावेशन:
  - जन धन खाते: 42 करोड़ से अधिक जन धन खातों हैं जिनमें से करीब 55% खाते महिलाओं के हैं।
  - DAY-NRLM: इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को SHG में शामिल करके सार्वभौमिक सामाजिक लामबंदी की परिकल्पना की गई है।
- पंचायतें:
  - ग्राम पंचायत में महिला सभा
  - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)
- शिक्षा में:
  - विज्ञान ज्योति योजना
  - गति योजना
  - किरण योजना
  - बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना
- उद्यमिता में:
  - महिला ई-हाट
  - महिला उद्यमिता मंच (WEP)
  - महिलाओं के लिये प्रशिक्षण और रोज़गार कार्यक्रम (STEP) योजना हेतु सहायता
  - नई श्रम संहिता
  - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, 2013
- अन्य पहलें:
- राष्ट्रीय शिशु गृह योजना
- वन स्टॉप सेंटर योजना
- देश भर में किशोरियों के लिये योजना (SAG)
- पोषण अभियान
- उज्ज्वला योजना

आर्थिक घटनाक्रम

ई-रूपी: वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ई-रूपी (e-RUPI) लॉन्च करने जा रही है।

- इस वाउचर सिस्टम का उपयोग पहले से ही कई दशों द्वारा किया जा रहा है, उदाहरण के लिये अमेरिका, कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हॉन्गकॉन्ग आदि।

प्रमुख बिंदु:

ई-रूपी:

- डिजिटल पेमेंट हेतु यह एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जो उपयोगकर्त्ताओं के मोबाइल पर भेजा जाता है।
- उपयोगकर्त्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान एप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की आवश्यकता के बिना इस वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे।
- यह सेवाओं के प्रायोजकों को बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल मोड में लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ता है।
- तंत्र यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन-देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए।
- सिस्टम प्री-पेड प्रकृति का है और इसलिये किसी भी मध्यस्थ के बिना सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान का आश्वासन देता है।

आभासी मुद्रा से भिन्न:

- वास्तव में ई-रूपी अभी भी मौजूदा भारतीय रुपए द्वारा समर्थित है क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति और इसके उद्देश्य की विशिष्टता इसे एक आभासी मुद्रा से अलग बनाती है और इसे वाउचर-आधारित भुगतान प्रणाली के करीब रखती है।

जारीकर्त्ता संस्थाएँ और लाभार्थी की पहचान:

- वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा अपने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म पर एकमुश्त भुगतान तंत्र विकसित किया गया है।
- यह बैंकों का एक बोर्ड होगा जो इसे जारी करने वाली संस्थाएँ होंगी। किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को साझेदार बैंकों से संपर्क करना होगा, जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में ऋण प्रदान करते हैं, विशिष्ट व्यक्तियों के विवरण तथा उस उद्देश्य हेतु जिसके लिये भुगतान किया जाना है।
- लाभार्थियों की पहचान उनके मोबाइल नंबर का उपयोग करके की जाएगी तथा बैंक द्वारा किसी दिये गए व्यक्ति के नाम पर सेवा प्रदाता को आवंटित वाउचर केवल उस व्यक्ति को ही प्रदान किया जाएगा।

उपयोग:

- सरकारी क्षेत्र:
  - इससे कल्याण सेवाओं की लीक-प्रूफ डिलीवरी (Leak-Proof Delivery) सुनिश्चित होने की उम्मीद है और इसका उपयोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक सब्सिडी आदि योजनाओं के तहत मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं, दवाओं व निदान के तहत दवाएँ तथा पोषण सहायता प्रदान करने हेतु योजनाओं के तहत सेवाएँ देने के लिये भी किया जा सकता है।
- निजी क्षेत्र:
  - यहाँ तक कि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकता है।

महत्त्व:

- सरकार पहले से ही एक केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित 'डिजिटल मुद्रा' विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है और 'ई-रूपी' का शुभारंभ संभावित रूप से डिजिटल भुगतान अवसंरचना में मौजूद अंतराल को उजागर कर भविष्य की डिजिटल मुद्रा की सफलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

भारत में डिजिटल मुद्रा का भविष्य:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत में डिजिटल मुद्राओं के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसके निम्नलिखित चार कारण हो सकते हैं:
- डिजिटल भुगतान की पहुँच में बढ़ोतरी: देश में डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही नकदी का उपयोग, विशेष रूप से छोटे मूल्य के लेन-देन के लिये अभी भी महत्त्वपूर्ण रूप से बरकार है।
- उच्च करेंसी-जीडीपी अनुपात: भारत का उच्च करेंसी-जीडीपी अनुपात देश की 'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा' की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
  - नकद-जीडीपी अनुपात या उच्च करेंसी-जीडीपी अनुपात, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में प्रचलन में नकदी के मूल्य को दर्शाता है।
- वर्चुअल करेंसी का प्रसार: बिटकॉइन और एथेरियम जैसी निजी वर्चुअल मुद्राओं का प्रसार 'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा' की प्रसिद्धि का एक अन्य कारण हो सकता है।
- आम जनता के लिये महत्त्वपूर्ण: केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा, अस्थिर निजी वर्चुअल मुद्राओं के विरुद्ध आम जनता के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होगी।

आनुवंशिक रूप से संशोधित सोया बीजों के आयात की मांग

चर्चा में क्यों?

पोल्ट्री उद्योग (Poultry Industry), केंद्र सरकार से किसानों की कैप्टिव खपत के लिये क्रश्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड (Genetically Modified- GM) सोया बीजों के आयात के लिये परमिट की मांग कर रहा है।

- गैर-राजकोषीय और राजकोषीय राहत उपायों जिसमें सावधि ऋणों का पुनर्गठन और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी शामिल है, की भी केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की गई है।

प्रमुख बिंदु:

जीएम फसलें:

- एक जीएम या ट्रांसजेनिक फसल ऐसी फसल है जिसमें आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री का एक नया संयोजन होता है।
  - उदाहरण के लिये किसी जीएम फसल में एक ऐसा जीन हो सकता है जिसे परागण के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय पौधे में कृत्रिम रूप से डाला गया हो।
- पारंपरिक पौधों के प्रजनन में एक ही जीनस की प्रजातियों का संकरण करना शामिल है ताकि संतान को माता-पिता दोनों के वांछित लक्षण प्रदान किये जा सकें।
  - जीनस वस्तुओं का एक वर्ग है जैसे जानवरों या पौधों का एक समूह जिसमें समान लक्षण, गुण या विशेषताएँ होती हैं।
  - वांछित परिणाम प्राप्त करने में क्रॉस ब्रीडिंग में लंबा समय लग सकता है और प्राय: किसी भी संबंधित प्रजाति में रुचि की विशेषताएँ मौजूद नहीं होती हैं।
- बीटी कपास (Bt Cotton) एकमात्र जीएम फसल है जिसकी भारत में अनुमति है। इसमें जीवाणु बैसिलस थुरिंजिनेसिस (Bt) के विदेशी जीन होते हैं जो फसल को सामान्य कीट पिंक बॉलवर्म (Pink Bollworm) के लिये एक प्रोटीन विषाक्त विकसित करने की अनुमति देता है।

- दूसरी ओर हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी (Herbicide Tolerant- Ht Bt) कपास, एक अन्य मृदा के जीवाणु से एक अतिरिक्त जीन के सम्मिलन से प्राप्त होता है, जो पौधे को सामान्य हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का विरोध करने की अनुमति देता है।
- बीटी बैंगन (Bt Brinjal) में एक जीन पौधे को फल और प्ररोह बेधक के हमलों का विरोध करने की अनुमति देता है।
- डीएमएच-11 सरसों (DMH-11 Mustard) में आनुवंशिक संशोधन एक ऐसी फसल में पर-परागण की अनुमति देता है जो प्रकृति में स्व-परागण करती है।

भारत में GM सोयाबीन की स्थिति:

- भारत GM सोयाबीन और कैनोला तेल के आयात की अनुमति देता है।
- भारत में GM सोयाबीन बीजों के आयात को मंज़ूरी नहीं दी गई है।
  - मुख्य डर यह है कि GM सोयाबीन का आयात गैर-GM किस्मों को दूषित करके भारतीय सोयाबीन उद्योग को प्रभावित करेगा।

मांग काकारण:

- कोविड-19 के प्रकोप ने बड़े पैमाने पर संकट पैदा कर दिया है जिसके कारण चिकन उत्पादों में वायरस और पोल्ट्री उत्पादों के बीच संबंध के बारे में झूठी खबरों के कारण मांग में कमी आई है।
- इसने एक अनुचित वित्तीय संकट पैदा कर दिया और कार्यशील पूंजी (दिन-प्रतिदिन के कार्यों के प्रयुक्त) का क्षरण हुआ।
- पिछले कई महीनों से नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (National Commodity and Derivatives Exchange Limited- NCDEX) पर सोया अनुबंधों में उच्च सट्टा गतिविधियाँ इस क्षेत्र को चिंतित कर रही हैं।
  - NCDEX एक ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज है जो मुख्य रूप से कृषि संबंधी उत्पादों में व्यवहार करता है।
- सोयाबीन की प्रक्रिया में वृद्धि के कारण खुदरा बाज़ार में अंडे और चिकन उत्पादों की कीमतों में उछाल आया था।
  - विशेष समयसीमा के लिये आयात, कच्चे माल के बाज़ार को स्थिर करेगा।

भारत में जीएम फसलों के लिये अनुमोदन प्रक्रिया:

- भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) शीर्ष निकाय है जो जीएम फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिये अनुमति प्रदान करता है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत अस्वीकृत जीएम संस्करण का उपयोग करने पर उसे अधिकतम पाँच साल की सज़ा या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत में आयातित फसलों को विनियमित करने के लिये अधिकृत निकाय है।

प्रमुख संबंधित पहल:

- पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड (PVCF):
  - पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय पशुधन मिशन के "उद्यमिता विकास और रोज़गार सृजन" (EDEG) के तहत इसे लागू कर रहा है।
  - यह एक बैंक-आधारित कार्यक्रम है तथा केंद्र सरकार PVCF हेतु ऋण लेने वाले लाभार्थियों के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से सब्सिडी प्रदान कर रही है।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन:
  - राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रम जिसके अंतर्गत रुरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट (RBPD) और इनोवेशन पोल्ट्री प्रोडक्शन प्रोजेक्ट (IPPP) के कार्यान्वयन के लिये राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- पशु रोग नियंत्रण (ASCAD) योजना के लिये राज्यों को सहायता:
  - ASCAD "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण" (LH&DC) के तहत जो आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण कुक्कुट रोगों जैसे रानीखेत रोग, संक्रामक बर्सल रोग, फाउल पॉक्स आदि के टीकाकरण को कवर करता है, जिसमें एवियन इन्फ्लूएंजा (Avian Influenza) जैसी आकस्मिक और विदेशी बीमारियों का नियंत्रण और रोकथाम करना शामिल है।

नोट :

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने बढ़ती बेरोज़गारी और नौकरी छूटने पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की है।

- पैनल ने सरकार से सामाजिक सुरक्षा उपायों में सुधार करने और धन के प्रत्यक्ष हस्तांतरण तथा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये शहरी रोज़गार गारंटी योजना जैसे उपाय करने का आह्वान किया।

सामाजिक सुरक्षा

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसे वंचितों को रोकने, व्यक्ति को एक न्यूनतम न्यूनतम आय का आश्वासन देने और किसी भी अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें दो तत्व भी शामिल हैं, अर्थात्:
  - भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल तथा आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित स्वास्थ्य व कल्याण के लिये पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार।
  - आय का अधिकार किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण से परे परिस्थितियों में बेरोज़गारी, बीमारी, दिव्यांगता, विधवापन, वृद्धावस्था या आजीविका की अन्य की स्थिति में सुरक्षा।

प्रमुख बिंदु:

सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता:

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में थे, जो कि 465 मिलियन श्रमिकों में से 419 मिलियन हैं।
  - रोज़गार की मौसमी और औपचारिक कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों की कमी के कारण महामारी के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
- दूसरी लहर के प्रभाव पर अभी तक कोई सर्वेक्षण आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो निर्विवाद रूप से पहली की तुलना में अधिक गंभीर रहा है।
  - हालाँकि उपाख्यानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण आय की हानि हुई है, जिसने कमज़ोर वर्ग को संकट में डाल दिया है।
  - इसके अलावा भारत में कोविड -19 संकट, पहले से मौजूद उच्च और बढ़ती बेरोज़गारी की पृष्ठभूमि में आया है।
- असंगठित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की नौकरियों के नुकसान, बढ़ती बेरोज़गारी, ऋणग्रस्तता, पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा पर परिणामी प्रभाव एक लंबी अवधि तक अपूर्णीय क्षति डालने की क्षमता रखते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- श्रम मंत्रालय ने कोविड -19 के प्रभाव की वजह से प्रवासी संकट का प्रतिउत्तर देने में देरी की।
- महामारी ने श्रम बाज़ार को नष्ट कर दिया है, जिसने रोज़गार परिदृश्य को प्रभावित किया है और लाखों श्रमिकों व उनके परिवारों के अस्तित्व को खतरा है।
- इस परिदृश्य में समिति ने सिफारिश की:
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: कोविड-19 जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के बैंक खातों में पैसा भेजना।
    - यह पीएम-स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को दिये गए ऋण को सीधे नकद अनुदान में परिवर्तित करने का भी सुझाव देता है।
  - यूनिवर्सल हेल्थकेयर: यूनिवर्सल हेल्थकेयर को सरकार का कानूनी दायित्व बनाया जाना चाहिये। यह अनौपचारिक श्रमिकों को अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

- मनरेगा सुधार: मनरेगा के लिये बजटीय आवंटन बढ़ाया जाना चाहिये तथा मनरेगा की तर्ज पर एक शहरी रोज़गार गारंटी योजना लागू की जानी चाहिये।
  - यह मनरेगा के तहत गारंटीकृत काम के अधिकतम दिनों को 100 दिनों से बढ़ाकर 200 करने का सुझाव देता है।
- रोज़गार के अवसरों में वृद्धि: पारंपरिक क्षेत्रों में निवेश का लाभ उठाना, 'मेक इन इंडिया' मिशन को मज़बूत करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रसार को तेज़ करने से आगे बढ़कर यह स्थानीय एवं अखिल भारतीय रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा।

अनौपचारिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिये पूर्व में की गई पहलें:

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)

श्रम सुधार

- प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)
- PM स्वनिधि : स्ट्रीट वेंडर्स के लिये सूक्ष्म ऋण योजना
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- PM गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
- वन नेशन वन राशन कार्ड
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग को विश्व बैंक की सहायता

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कल्याणकारी लाभों का लाभ उठा सकें।

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिये जाने वाले कल्याणकारी लाभों का उपयोग कर सकें।
- ONORC प्रणाली के आधार पर कार्य करना: SC ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को 31 जुलाई, 2021 तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया।
  - यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले प्रवासी मज़दूरों को देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन कार्ड के साथ किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन प्राप्त करने की अनुमति देती है।

आगे की राह

- श्रम मंत्रालय को PLFS को समय पर पूरा करने का मुद्दा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के समक्ष उठाना चाहिये।
- एक व्यापक योजना और रोडमैप की आवश्यकता है ताकि महामारी से बहुत अधिक बिगड़ती रोज़गार की स्थिति और संगठित क्षेत्र में नौकरी बाज़ार में बढ़ती असमानताओं को दूर किया जा सके।
- असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा इस क्षेत्र को औपचारिक बनाना, इसकी उत्पादकता में वृद्धि करना, मौजूदा आजीविका को मज़बूत करना, नए अवसर पैदा करना और सामाजिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना, कोविड -19 के प्रभाव को कम करने हेतु प्रमुख कार्य हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता से छूट

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड से छूट देने के लिये प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 में संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु:

संशोधन:

- सरकार अब किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंड से छूट दे सकती है, जो सभी सूचीबद्ध संस्थाओं के लिये कम-से-कम 25% सार्वजनिक फ्लोट को अनिवार्य करता है।

नए संशोधन का औचित्य:

- बड़ी कंपनियों के लिये आईपीओ लॉन्च करना आसान बनाने के लिये एमपीएस के ढाँचे को संशोधित किया गया है।
- यह कदम तब उठाया गया है जब सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आईपीओ की तैयारी कर रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी लिस्टिंग होगी।

चिंताएँ:

- पीएसयू शेयरों में तरलता को प्रभावित कर सकता है:
  - निवेशक विशेष रूप से विदेशी, तरलता की कमी के कारण ऐसे शेयरों में निवेश करने से सावधान रहते हैं- उच्च प्रमोटर होल्डिंग के कारण।
- विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकता है:
  - सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट का रखरखाव उच्च विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में मदद करता है और MSCI (मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल) तथा FTSE (फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज) जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में भारत का वज़न बढ़ाता है।
  - इन मानदंडों का पालन नहीं करने वाली सरकारी कंपनियाँ विदेशी पूंजी के प्रवाह पर दबाव डाल सकती हैं।
- सामरिक विनिवेश कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है:
  - यह उस समय हानिकारक हो सकता है जब सरकार बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन और एयर इंडिया सहित विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक बिक्री की योजना बना रही है।
  - 'लो फ्री फ्लोट' का एक कारण पीएसयू शेयरों का बाज़ार में कम मूल्यांकन है।
- गैर-समान शासन मानक:
  - विभिन्न सरकारी विशेषज्ञ समितियों ने अपनी रिपोर्ट में तर्क दिया है कि सभी सूचीबद्ध संस्थाओं, सरकारी या निजी को शासन मानकों के समान माना जाना चाहिये।

न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MSP):

- MSP के बारे में:
  - MPS (जिसे फ्री फ्लोट भी कहा जाता है) नियम के लिये भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके इक्विटी शेयरों का कम-से-कम 25% गैर-प्रवर्तकों, अर्थात् जनता के पास है।
  - सार्वजनिक शेयरधारक व्यक्तिगत या वित्तीय संस्थान हो सकते हैं और वे आमतौर पर सार्वजनिक पेशकश या द्वितीयक बाज़ारों के माध्यम से शेयरों की खरीद करते हैं।
  - न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की अवधारणा सूचीबद्ध कंपनियों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु पेश की गई थी।

नोट :

    - वर्ष 2010 में सेबी ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिये 25% सार्वजनिक फ्लोट पर ज़ोर देने हेतु प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियमों में संशोधन किया।
  - भारत में औसत प्रमोटर होल्डिंग (Promoter Holding) वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा है।
    - वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार ने न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट (Minimum Public Float) को 25% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव किया था।
- अनुपालन की स्थिति:
  - सूचीबद्ध कंपनियों के लिये 25% MPS प्राप्त करने की समय-सीमा वर्ष 2013 तक निर्धारित की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों अर्थात् PSU और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) हेतु समय-सीमा के अनुपालन के लिये ऐसी कंपनियों के प्रयासों की कमी के कारण समय-सीमा को कई बार बढ़ाया गया था।
    - पिछले ऐसे विस्तार हेतु उन्हें अनुपालन के लिये 2 अगस्त, 2021 तक का समय दिया गया था।
  - नवीनतम संशोधन के साथ केंद्र सरकार ने चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 25% MPS मानदंड से छूट देने का अधिकार दिया है।
- महत्त्व:
  - यह एक सूचीबद्ध कंपनी में फ्री फ्लोट ट्रेडिंग स्टॉक में पर्याप्त तरलता प्रदान करने हेतु आवश्यक है जिससे उचित मूल्य और बाज़ार की एकता को बनाए रखने में सुविधा हो।
  - पब्लिक फ्लोट यह सुनिश्चित करता है कि स्टॉक की कीमतों में कम हेरफेर हो।
  - सूचीबद्ध कंपनियों पर अपनी पकड़ कम करने के लिये प्रवर्तकों को मजबूर कर व सार्वजनिक शेयरधारकों और संस्थानों को कॉर्पोरेट कार्यों में अधिक-से-अधिक हिस्सेदारी देकर कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार किया जा सकता है।
    - शेयर बाज़ार में निवेश के बहुत कम अवसर विद्यमान हैं और इसलिये प्रमोटरों को शेयर बेचने के लिये मजबूर करने से शेयरों की आपूर्ति में सुधार होगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

- सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत अप्रैल 1992 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है।

सूचीबद्ध कंपनियाँ

- 'सूचीबद्ध कंपनियों' का आशय ऐसी कंपनी से है जो किसी विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है ताकि उसके स्टॉक का कारोबार किया जा सके।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE)

- 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम' (CPSE) का आशय इन कंपनियों से है, जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSEs की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है।
- 31 मार्च, 2019 तक कुल 348 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम' (बीमा कंपनियों को छोड़कर) थे। इनमें से 86 उद्यमों ने अब तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया था, जबकि 13 CPSEs परिसमापन के अधीन हैं। शेष 249 उद्यम अभी भी संचालित हैं।

प्रवर्तक

- कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (ICDR) विनियम, 2018 में 'प्रवर्तक' एवं 'प्रवर्तक समूह' को परिभाषित किया गया है।
- प्राय: प्रवर्तक किसी विशिष्ट स्थान पर एक विशेष व्यवसाय स्थापित करने के लिये विचार की कल्पना करता है और कंपनी शुरू करने के लिये आवश्यक विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करता है।

नोट :

प्राथमिक बाज़ार और द्वितीयक बाज़ार

- प्राथमिक बाज़ार वह है जहाँ प्रतिभूतियों का सृजन किया जाता है, जबकि द्वितीयक बाज़ार वह होता है जहाँ निवेशकों द्वारा उन प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है।
- प्राथमिक बाज़ार में कंपनियाँ पहली बार जनता को नए स्टॉक और बॉण्ड बेचती हैं, जैसे कि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO)।
- द्वितीयक बाज़ार मूल रूप से शेयर बाज़ार है, जैसे- न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आदि।

स्टॉक तरलता

- तरलता आम तौर पर यह संदर्भित करती है कि द्वितीयक बाज़ार में स्टॉक को कितनी आसानी से या जल्दी से खरीदा या बेचा जा सकता है। तरल निवेश को ज़रूरत पड़ने पर बिना किसी भारी शुल्क के आसानी से बेचा जा सकता है।

भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिये नया फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों द्वारा भुगतान एवं निपटान से संबंधित गतिविधियों के लिये एक रूपरेखा (फ्रेमवर्क) जारी की है।

- यह फ्रेमवर्क भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
- भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों के लिये विनियमन और पर्यवेक्षण प्रदान करता है तथा RBI को उसके उद्देश्य और सभी संबंधित मामलों के लिये प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।

भुगतान प्रणाली

- भुगतान प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग मौद्रिक मूल्य के हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय लेन-देन को निपटाने के लिये किया जाता है तथा इसमें विभिन्न तंत्र शामिल होते हैं जो एक पार्टी (भुगतानकर्त्ता) से दूसरे (प्रदाता) को धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- एक भुगतान प्रणाली में प्रतिभागियों (संस्थाओं) व उपयोगकर्ताओं (ग्राहकों/पक्षकार), नियमों और विनियमों को शामिल किया जाता है जो इसके संचालन, मानकों एवं प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करते हैं जिन पर सिस्टम संचालित होता है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS), RBI के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति, भारत में भुगतान प्रणाली पर नीति निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है।

भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (PSO)

- PSO अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और उन मॉडलों के निर्माण के आधार पर, जिन पर वे काम करते हैं, बड़े पैमाने पर अपने भुगतान और निपटान से संबंधित गतिविधियों को विभिन्न अन्य संस्थाओं को आउटसोर्स करते हैं।
- यह एक संस्था है जिसे भुगतान प्रणाली के संचालन के लिये एक प्राधिकरण प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

नया ढाँचा:

- लाइसेंस प्राप्त गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (PSOs), मुख्य प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं।
  - मुख्य प्रबंधन कार्यों में जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखापरीक्षा, अनुपालन तथा निर्णय लेने के कार्य जैसे-KYC मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करना, शामिल है।
- यह भारत या विदेश में स्थित सभी सेवा प्रदाताओं पर लागू होगा।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य ग्राहकों और आईटी-आधारित सेवाओं जैसे ऑनबोर्डिंग कार्यों सहित भुगतान तथा निपटान संबंधी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन के लिये न्यूनतम मानकों को स्थापित करना है।

आवश्यकता:

- भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और अधिकृत भुगतान प्रणालियों के प्रतिभागियों द्वारा आउटसोर्सिंग से जुड़े परिचालन जोखिम का एक संभावित क्षेत्र है।
  - भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र ने पिछले साल ग्राहकों के भुगतान डेटा को लक्षित करते हुए कई हाई-प्रोफाइल साइबर हमले देखे हैं, जैसे कि जसपे (Juspay), अपस्टॉक्स (Upstox) और मोबिक्विक (Mobikwik) पर।

संबंधित पूर्व की पहलें:

- इससे पहले RBI ने उन नई संस्थाओं द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (PSO) में निवेश के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया है जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों से निपटने के लिये कमज़ोर उपाय हैं।

आगे की राह

- चूँकि, विश्व स्तर पर 17 सबसे अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से भारत दूसरा सबसे तेज़ डिजिटल एडेप्टर है और तेज़ी से डिजिटलीकरण हेतु साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये दूरंदेशी उपायों की आवश्यकता होती है।
- कॉरपोरेट्स या संबंधित सरकारी विभागों के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे अपने संगठनों में कमियों का पता लगाएँ तथा उन कमियों को दूर करें और एक स्तरित सुरक्षा प्रणाली बनाएँ जिसमें विभिन्न चरणों के बीच सुरक्षा खतरे की खुफिया जानकारी साझा हो रही हो।

पूर्वव्यापी कराधान को दूर करना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया है।

- यह विधेयक भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने हेतु 2012 के पूर्वव्यापी कानून का उपयोग करके की गई कर की मांगों को वापस लेने का प्रयास करता है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- यूएस-आधारित वोडाफोन के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वर्ष 2012 में पूर्वव्यापी कर कानून पारित किया गया था।
  - वोडाफोन समूह की डच शाखा ने वर्ष 2007 में एक केमैन (Cayman) आइलैंड्स-आधारित कंपनी खरीदी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय फर्म हचिसन एस्सार लिमिटेड (Hutchison Essar Ltd) में बहुमत हिस्सेदारी रखी, बाद में इसका नाम बदलकर वोडाफोन इंडिया (11 बिलियन डॉलर में) कर दिया गया।
- इसे वित्त अधिनियम में संशोधन के बाद पेश किया गया था, जिसने कर विभाग को सौदों के लिये पूर्वव्यापी पूंजीगत लाभ कर लगाने में सक्षम बनाया, 1962 के पश्चात् से इसमें भारत में स्थित विदेशी संस्थाओं में शेयरों का हस्तांतरण भी शामिल है।
- जबकि संशोधन का उद्देश्य वोडाफोन को दंडित करना था, कई अन्य कंपनियाँ एक दूसरे के अंतर्विरोध (Crossfire) में फँस गईं और वर्षों से भारत के लिये कई समस्याएँ उत्पन्न कर रही है।
  - यह आयकर कानून में सर्वाधिक विवादास्पद संशोधनों में से एक है।
- पिछले वर्ष भारत ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में केयर्न एनर्जी पीएलसी और केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड (Cairn Energy Plc and Cairn UK holdings Ltd) पर कंपनी द्वारा प्राप्त किये गए कथित पूंजीगत लाभ पर कर लगाने के खिलाफ एक मामले को तब ख़ारिज कर दिया था, जब वर्ष 2006 में उसने स्थानीय इकाई को सूचीबद्ध करने से पहले देश में अपने व्यवसाय को पुनर्गठित किया था।

नोट :

विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन:

- आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 2012 में संशोधन प्रभावी रूप से यह दर्शाता है कि यदि लेन-देन 28 मई, 2012 से पहले किया गया था तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिये कोई कर मांग नहीं की जाएगी।
- मई 2012 से पूर्व भारतीय संपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिये लगाया गया कर "निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर शून्य" होगा, जैसे- लंबित मुकदमे की वापसी तथा एक उपक्रम के कोई नुकसान का दावा दायर नहीं किया जाएगा।
- यह इन मामलों में फँसे कंपनियों द्वारा भुगतान की गई राशि को बिना ब्याज के वापस करने का भी प्रस्ताव करता है।

विधेयक का महत्त्व:

- यह विधेयक बेहतर कर स्पष्टता के लिये पूर्वव्यापी कर को हटाने की मांग करने वाले विदेशी निवेशकों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।
- यह एक निवेश-अनुकूलित व्यवसायिक वातावरण स्थापित करने में मदद करेगा, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकता है तथा सरकार के लिये समय के साथ अधिक राजस्व संग्रहण करने में मदद करेगा।
- यह भारत की प्रतिष्ठा को बहाल करने और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार करने में मदद कर सकता है।

पूर्वव्यापी कराधान

- यह किसी भी देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाने को लेकर एक नियम पारित करने की अनुमति देता है। यह किसी भी कानून के पारित होने की तारीख की पूर्व अवधि से कंपनियों से शुल्क लेता है।
- वे देश अपनी कराधान नीतियों में किसी भी विसंगति को ठीक करने के लिये इस मार्ग का उपयोग करते हैं, जिन्होंने अतीत में कंपनियों को इस तरह की खामियों का फायदा उठाने की अनुमति दी थी।
- पूर्वव्यापी कराधान उन कंपनियों को आहत करता है जिन्होंने जान-बूझकर या अनजाने में कर नियमों की अलग-अलग व्याख्या की थी।
- भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड और बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया एवं इटली सहित कई देशों में पूर्वव्यापी कराधान वाली कंपनियाँ हैं।

पूंजी लाभ

- यह वृद्धि या लाभ 'आय' की श्रेणी में आता है।
- इसलिये उस वर्ष में उस राशि के लिये पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना आवश्यक होगा जिसमें पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण होता है। इसे पूंजीगत लाभ कर कहा जाता है, जो अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है।
  - दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर: यह एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर लगाया जाता है। कर देने वाले वर्गों (Tax Bracket) के आधार पर ये दरें 0%, 15% या 20% हैं।
  - लघु अवधि पूंजीगत लाभ कर: यह एक वर्ष या उससे कम समय के लिये रखी गई संपत्ति पर लागू होता है और सामान्य आय के रूप में कर लगाया जाता है।
- पूंजीगत हानियों को घटाकर पूंजीगत लाभ को कम किया जा सकता है, जो तब होता है जब एक कर योग्य संपत्ति को मूल खरीद मूल्य से कम पर बेचा जाता है। कुल पूंजीगत लाभ में से किसी भी पूंजीगत हानि को घटाकर "शुद्ध पूंजीगत लाभ" के रूप में जाना जाता है।
- पूंजीगत परिसंपत्ति संपत्ति के महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं जैसे कि घर, कार, निवेश संपत्तियाँ, स्टॉक, बॉण्ड और यहाँ तक कि संग्रहणता (Collectibles) या कला।

आगे की राह

- विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जाने से रोकने हेतु और लागत तथा समय बचाने के लिये भारत को सीमा पार लेन-देन के मामले में सार्थक एवं स्पष्ट विवाद समाधान तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है।
- मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार से व्यापार करने में आसानी के साथ ही इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना: चरण II

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने 'बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना' के दूसरे चरण के लिये विश्व बैंक (WB) के साथ 250 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

चरण-I

- भारत सरकार ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से अप्रैल 2012 में 'बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना' की शुरुआत की थी।
- इसका उद्देश्य पूरे देश के कुछ चयनित बाँधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार तथा व्यापक प्रणाली प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना है।
- यह राज्य क्षेत्रक योजना थी, जिसमें एक केंद्रीय घटक भी शामिल था। इसमें 10 कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सात राज्यों (झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड) में स्थित 223 बाँधों के पुनर्वास का प्रावधान किया गया था।
- 'केंद्रीय जल आयोग' (CWC) को समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है।
- सभी बाँधों के लिये महत्त्वपूर्ण डेटा प्राप्त करने और पुनर्वास प्रोटोकॉल की उचित निगरानी एवं विकास के लिये 'बाँध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी एप्लीकेशन' (धर्म) नामक एक वेब-आधारित उपकरण विकसित किया गया है।
    - यह मौजूदा जल संपत्तियों का स्मार्ट प्रबंधन करने के लिये बाँध सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अनुप्रयोग की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इस योजना को मार्च 2021 में बंद कर दिया गया था।

चरण-II और चरण-III

- 'बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना' के पहले चरण की सफलता के आधार पर जल शक्ति मंत्रालय ने बाह्य रूप से वित्तपोषित योजना के चरण-II और चरण-III की शुरुआत की है।
    - इस योजना को अक्तूबर 2020 में मंज़ूरी दी गई थी।
- इसमें 19 राज्यों और 3 केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी है। यह योजना 10 वर्ष की अवधि की है और दो चरणों में लागू की जाएगी, प्रत्येक छह साल की अवधि में, जिसमें दो वर्ष की ओवरलैप अवधि भी शामिल है।
- 736 बाँधों के पुनर्वास प्रावधान के साथ बजट परिव्यय तकरीबन 10,211 करोड़ रुपए (चरण-II: 5107 करोड़ रुपए; चरण III: 5104 करोड़ रुपए) है।

ड्रिप फेज-2:

- वित्तपोषण ढाँचा/पैटर्न:
    - योजना के दूसरे चरण को दो बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों - विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) द्वारा सह-वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक द्वारा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण किया जा रहा है।
    - योजना के वित्तपोषण पैटर्न में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 80:20 (विशेष श्रेणी के राज्य), 70:30 (सामान्य श्रेणी के राज्य) और 50:50 (केंद्रीय एजेंसियाँ) है।
- उद्देश्य:
    - चयनित मौजूदा बाँधों और संबद्ध उपकरणों की सुरक्षा व प्रदर्शन में स्थायी रूप से सुधार करना।
    - भाग लेने वाले राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर बाँध सुरक्षा संस्थागत व्यवस्था को मज़बूत करना।
    - बाँधों के सतत् संचालन और रखरखाव हेतु आकस्मिक राजस्व उत्पन्न करने के लिये कुछ चुनिंदा बाँधों पर वैकल्पिक साधनों का पता लगाना।

नोट :

- अन्य विशेषताएँ:
  - यह नई योजना सुरक्षा एवं परिचालन निष्पादन में सुधार, विभिन्न उपायों के माध्यम से संस्थागत सुदृढ़ीकरण, बाँधों के चिरस्थायी संचालन एवं रखरखाव के लिये आकस्मिक राजस्व की व्यवस्था आदि विभिन्न समस्याओं का समाधान कर चयनित बाँधों का भौतिक पुनर्वास करते हुए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई बाँध सुरक्षा पहल को मज़बूती प्रदान करेगी।
  - यह बाँध परिसंपत्ति प्रबंधन हेतु एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पेश करेगा जो प्राथमिकता वाली बाँध सुरक्षा ज़रूरतों के लिये वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद करेगा।
  - ड्रिप-2 द्वारा समर्थित अन्य महत्त्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं:
    - बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली और एकीकृत जलाशय संचालन जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होंगे।
    - बंधों के नीचे रहने वाले समुदायों को जलवायु परिवर्तन के संभावित जोखिमों और जलवायु परिवर्तन के प्रति तैयार करने हेतु आपातकालीन कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन करना।
    - फ्लोटिंग सोलर पैनल जैसी पूरक राजस्व सृजन योजनाओं का संचालन।
- कार्यान्वयन:
  - इसे छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में तथा केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 120 बाँधों में लागू किया जाएगा।

महत्त्व:

- देश में बाँधों की संख्या:
  - भारत 5334 बड़े बांधों के संचालन के साथ चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा वर्तमान में देश में लगभग 411 बाँध निर्माणाधीन हैं। कई हजार और भी छोटे बाँध हैं।
  - ये बाँध देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय बाँध और जलाशय सालाना लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण करके देश के आर्थिक और कृषि विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने में मिलेगी मदद:
  - यह सिंचित कृषि पर निर्भर लाखों भारतीयों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखते हुए तथा किसानों को भूजल आधारित कृषि से बाहर निकलने में सक्षम बनाएगा, जिससे ऊर्जा की खपत व ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी।
- बाढ़ शमन:
  - भारत में बाढ़ की औसत वार्षिक लागत 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, कई बाँध बाढ़ को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी विफलता निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिये गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है।
- बाँधों का पुराना होना:
  - संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की रिपोर्ट "एजिंग वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर: एन इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क" के अनुसार, भारत में 1,000 से अधिक बड़े बाँध वर्ष 2025 में लगभग 50 वर्ष पुराने हो जाएंगे और दुनिया भर में इस तरह के पुराने तटबंध बढ़ते खतरे का कारण बनते हैं।
  - यह योजना विशेष रूप से बाँधों के जोखिम को कम करने और लोगों की सुरक्षा, नदी पारिस्थितिकी तथा चयनित बाँधों पर स्थित संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- देश में बाँध सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ाना:
  - यह भारतीय बाँध मालिकों को प्रस्तावित बाँध सुरक्षा कानून में परिकल्पित कई महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को व्यापक रूप से संभालने के लिये अपने मानव संसाधनों को तैयार करने हेतु सक्षम बनाएगा।
- रोज़गार सृजन:
  - इससे अकुशल श्रमिकों के लिये लगभग 10,00,000 व्यक्ति दिवस और कामकाजी पेशेवरों के लिये 2,50,000 व्यक्ति दिवसों के बराबर रोज़गार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

बाँध सुरक्षा कानून

- बाँध सुरक्षा विधेयक, 2019 देश भर में निर्दिष्ट बाँधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिये एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है।
- विशेषताएँ:
  - राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष करेगा।
  - विधेयक में एक राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।
  - प्रस्तावित कानून में एक राज्य बाँध सुरक्षा संगठन के गठन की भी परिकल्पना की गई है, जिसका कार्य सतत् निगरानी, निरीक्षण, बाँधों का संचालन और रखरखाव की निगरानी करना, सभी बाँधों का डेटाबेस रखना एवं बाँधों के मालिकों को सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना होगा।
  - विधेयक दो प्रकार के अपराधों का प्रावधान करता है - किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना और प्रस्तावित कानून के तहत जारी निर्देशों का पालन करने से इनकार करना।

फेसलेस असेसमेंट स्कीम: इनकम टैक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयकर (IT) विभाग ने फेसलेस या ई-असेसमेंट स्कीम (Faceless or e-Assessment Scheme) के तहत शिकायतों को दर्ज करने के लिये तीन आधिकारिक ईमेल आईडी अधिसूचित किये हैं।

- अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान' मंच के तहत तीन प्रमुख संरचनात्मक कर सुधारों की घोषणा की- कर विवादों को कम करने के लिये फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाताओं के चार्टर।

प्रमुख बिंदु

फेसलेस या ई-असेसमेंट स्कीम:

- परिचय:
  - फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के तहत करदाता या कर निर्धारिती को आयकर विभाग के कार्यालय में जाने या आयकर से संबंधित मामलों के लिये विभाग के अधिकारी से मिलने की आवश्यकता नहीं है।
- प्रारंभ:
  - फेसलेस असेसमेंट स्कीम को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य एक कुशल तथा प्रभावी कर प्रशासन को बढ़ावा देना, भौतिक इंटरफेस को कम करना, जवाबदेही बढ़ाना और टीम आधारित आकलन की शुरुआत करना है।
- तंत्र:
  - फेसलेस मूल्यांकन, कर विभाग के भीतर अलग-अलग इकाइयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की प्रक्रिया में एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे मूल्यांकन इकाइयाँ, सत्यापन इकाइयाँ, तकनीकी इकाइयाँ और समीक्षा इकाइयाँ। ये सभी इकाइयाँ राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (NeAC) व क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (ReAC) के साथ मिलकर काम करती हैं।
- लाभ
  - यह योजना करदाताओं और कर अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने वाले पेशेवरों को अधिक लचीलापन प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप कर कार्यालय में उपस्थित होने और प्रतीक्षा में लगने वाले समय आदि में कमी के कारण पर्याप्त समय की बचत होती है।

संबंधित हालिया पहल:

- विवाद समाधान समिति:
  - बजट 2021 में वित्त मंत्री ने कर विवादों में करदाताओं को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु एक विवाद समाधान समिति (DRC) के गठन का प्रस्ताव दिया है।
  - DRC 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाले छोटे करदाताओं के मामले देखती है।
- विवाद से विश्वास योजना:
  - योजना विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के संबंध में विवादित कर के 100% और विवादित जुर्माना या ब्याज या शुल्क के 25% के भुगतान पर एक मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आदेश के तहत निपटान का प्रावधान करती है।

कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी' में देरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 के तहत 'कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी' प्रक्रिया में देरी पर ध्यान आकर्षित किया गया है।

- इसके तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLTs) में लगातार हो रही रिक्तियों के बारे में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) को सूचित किया गया है।
- इससे पहले सरकार ने लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन विधेयक), 2021 पेश किया, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिये एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया पेश करता है जिसे प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (PIRP) कहा जाता है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता:

- इसे वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह व्यावसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करती है।
- यह दिवालियापन की समस्या के समाधान के लिये सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एक समान मंच प्रदान करने के लिये मौजूदा विधायी ढाँचे के प्रावधानों को मज़बूत करती है।

नोट

- इन्सॉल्वेंसी: यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होती है।
- बैंकरप्सी: यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय द्वारा इसका समाधान करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये उचित आदेश दिया गया हो। यह किसी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।

प्रमुख बिंदु

प्रमुख चिताएँ:

- NCLT में रिक्तियाँ:
  - देश भर में NCLT की ब्रांचों में सदस्यों की स्वीकृत संख्या कुल 63 है जिनमें वर्तमान में केवल 29 सदस्य हैं।
- स्वीकृति में देरी:
  - समिति ने कहा कि NCLT द्वारा इन्सॉल्वेंसी/दिवाला मामलों को स्वीकार करने में हुई देरी और समाधान योजनाओं की मंज़ूरी, IBC के तहत समयसीमा का पालन न करने के प्रमुख कारण थे।
  - NCLT की ओर से मामलों को स्वीकार करने में हुई देरी में चूक से मालिकों को फंड डायवर्ट करने और परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने का अवसर मिला।

- निर्णयों को चुनौती दी गई:
  - IBC के तहत कई हाई प्रोफाइल मामलों में हितधारकों द्वारा कई निर्णयों को चुनौती दी गई। इनमें से कई अपील दिवालिया कार्यवाही को धीमा करने के लिये की गई हैं।
- विलंबित योजनाएँ:
  - जिन मामलों में लेनदारों ने निर्दिष्ट समयसीमा के बाद प्रस्तुत समाधान योजनाओं का मूल्यांकन किया है, वे बोलीदाताओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर बोली लगाने में हतोत्साहित करेंगे और ऐसी योजनाएँ देरी और मूल्यह्रास को भी बढ़ावा देती हैं।

सिफारिशें:

- समय पर कार्रवाई:
  - NCLT द्वारा एक डिफॉल्ट कंपनी को दिवाला कार्यवाही में शामिल करने और 30 दिनों के भीतर इसके नियंत्रण को एक समाधान पेशेवर को सौंपने की आवश्यकता है।
- मंत्रालय को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये:
  - नोडल मंत्रालय के रूप में MCA को एनसीएलटी/नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में परिचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु अधिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये, जबकि समाधान, वसूली, समय आदि के संबंध में कार्य की गति, निपटान और परिणामों की लगातार निगरानी एवं विश्लेषण किया जाना चाहिये।
- IBC में संशोधन:
  - मौजूदा आर्थिक माहौल में एमएसएमई, जो कि IBC के तहत परिचालन लेनदार हैं, को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये आईबीसी में संशोधन किया गया है।
    - वित्तीय लेनदार वे हैं जिनका इकाई के साथ संबंध एक शुद्ध वित्तीय अनुबंध है, जैसे कि ऋण या ऋण सुरक्षा।
    - परिचालन लेनदार वे हैं जिनका दायित्व इकाई संचालन को लेकर लेन-देन से है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण

परिचय

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण' (NCLT) का गठन किया था।
- यह भारत में पंजीकृत कंपनियों को नियंत्रित करने हेतु एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है और इसने 'कंपनी लॉ बोर्ड' का स्थान लिया है।
- इसके पास भारत में पंजीकृत कंपनियों को नियंत्रित करने हेतु समग्र शक्तियाँ मौजूद हैं।
  - NCLT और NCLAT की स्थापना के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित 'कंपनी लॉ बोर्ड' भंग कर दिया गया था।
- यह नागरिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित नियमों से बाध्य है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, साथ ही यह अधिनियम के अन्य प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन है।
- ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल को अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति है।

अपील

- ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध NCLAT में अपील की जा सकती है। NCLT के आदेश या निर्णय से व्यथित कोई भी अपीलकर्त्ता आदेश या ट्रिब्यूनल के निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर अपील कर सकता है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT)

परिचय

- NCLAT का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण' (NCLT) के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिये किया गया था।

नोट :

- यह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 61 के तहत पारित आदेश तथा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 202 और 211 के तहत 'भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड' (IBBI) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ भी एक अपीलीय अधिकरण है।

अपील

- NCLAT के किसी भी आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट: भारतीय रिज़र्व बैंक

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2021 के महीने के लिये मौद्रिक नीति रिपोर्ट (Monetary Policy Report- MPR) जारी की है।

- इसने लगातार सातवीं बार नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा और केंद्र तथा राज्यों से मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिये ईंधन पर कर कम करने की अपील की।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट

- MPR को RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- MPC विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिये RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक और संस्थागत ढाँचा है।
- MPC, 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीति ब्याज दर (रेपो दर) निर्धारित करती है, जिसमें दोनों तरफ 2% अंक होते हैं।
- RBI का गवर्नर MPC का पदेन अध्यक्ष है।

प्रमुख बिंदु

अपरिवर्तित रेट/दर:

- रेपो दर - 4%.
- रिवर्स रेपो दर - 3.35%.
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) - 4.25%.
- बैंक दर- 4.25%.

GDP आकलन:

- वर्ष 2021-22 के लिये वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 9.5% पर बरकरार रखी गई है।

मुद्रास्फीति:

- RBI ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.1% से संशोधित कर 5.7% कर दिया है।

परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (Variable Rate Reverse Repos):

- अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिये RBI ने फिक्स्ड रेट ओवरनाइट रिवर्स रेपो की तुलना में अधिक यील्ड की संभावनाओं के कारण एक परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की।
  - RBI ने चरणबद्ध तरीके से VRRR के तहत राशि को बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपए करने का फैसला किया है।
- इसने तनावग्रस्त व्यवसायों को ऋण देने के लिये बैंकों को तरलता सहायता अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया।

ब्याज़ दर:

- मुद्रास्फीति का ऊँचा स्तर और अर्थव्यवस्था में देरी से सुधार ने पैनल को दरों को स्थिर रखने के लिये प्रेरित किया है। बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दरें अगले कुछ महीनों में स्थिर रहने की आशा है।
    - राज्यों में कोविड की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण रिकवरी की खराब स्थिति का सामना करना पड़ा

अनुकूल रुख:

- इसने टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिये आवश्यक लंबे समय तक एक समायोजन रुख को जारी रखने का फैसला किया और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करना जारी रखा, जबकि यह भी सुनिश्चित किया कि मुद्रास्फीति आगे बढ़ने वाले लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
    - एक उदार रुख का अर्थ है कि एक केंद्रीय बैंक ज़रूरत पड़ने पर वित्तीय प्रणाली में पैसा लगाने के लिये दरों में कटौती करेगा।

रिकवरी के लिये आशावाद:

- लचीली मांग:
    - संक्रमण की दूसरी लहर के बाद त्वरित टीकाकरण से घरेलू आर्थिक गतिविधियों में सुधार देखा गया।
- आर्थिक पैकेज:
    - हालाँकि निवेश की मांग अभी भी कमज़ोर है, क्षमता उपयोग में सुधार, इस्पात की बढ़ती खपत, पूंजीगत वस्तुओं के उच्च आयात, अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थिति तथा केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों से लंबे समय से प्रतीक्षित पुनरुद्धार कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
- उच्च आवृत्ति संकेतक:
    - उच्च आवृत्ति संकेतक (बिजली की खपत, रात्रि प्रकाश की तीव्रता और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन) सुझाव देते हैं कि उपभोग (निजी और सरकारी दोनों), निवेश और बाहरी मांग सभी आकर्षण का केंद्र हैं।

चिंताएँ:

- मुद्रास्फीति प्रबंधन एक गंभीर चुनौती पेश कर सकता है जब ईंधन की ऊँची कीमत पास-थ्रू होने लगती है तो इस प्रकार के मुद्रास्फीति परिवर्तन के परिभाषित रूप से अस्थायी होने की संभावना नहीं होती।

सुझाव:

- कर में कमी द्वारा :
    - कच्चे तेल की कीमतें ऊँचे स्तर पर होने से केंद्र और राज्यों द्वारा पंप की कीमतों के अप्रत्यक्ष कर घटक की एक अंशांकित कमी, लागत दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है।
- आर्थिक प्रोत्साहन:
    - आर्थिक गतिविधियों पर तेज़ी के बावजूद यह महत्त्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा उपभोग पर ज़ोर देने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। इस तरह के उपायों के लिये इस समय यह उपयुक्त होगा क्योंकि फेस्टिवल सीज़न शुरू होने वाला है।
- नीति उपयोग:
    - राजकोषीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय नीति उत्तोलक के माध्यम से प्रारंभिक और लंबित बहाली को पोषित करने की आवश्यकता है।

महत्त्वपूर्ण मामले

रेपो और रिवर्स रेपो दर:

- रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक) किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है।
- रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर RBI देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है।

नोट :

बैंक दर:

- यह वाणिज्यिक बैंकों को निधियों को उधार देने के लिये RBI द्वारा प्रभारित दर है।

सीमांत स्थायी दर (MSF):

- MSF ऐसी स्थिति में अनुसूचित बैंकों के लिये आपातकालीन स्थिति में RBI से ओवरनाइट ऋण लेने की सुविधा है जब अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह से कम हो जाती है।
- अंतर-बैंक ऋण के तहत बैंक निर्दिष्ट अवधि के लिये एक-दूसरे को धन उधार देते हैं।

मुद्रास्फीति:

- मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है, जैसे कि भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता स्टेपल इत्यादि।
- मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट में औसत मूल्य परिवर्तन को मापती है।
- मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। इससे अंतत: आर्थिक विकास में मंदी आ सकती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:

- यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया जाता है।
- CPI खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिन्हें भारतीय उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिये खरीदा जाता है।

पीएम-किसान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi- PM-KISAN) के तहत वित्तीय लाभ की 9वीं किस्त जारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान किसान लाभार्थियों से भी बातचीत की।

प्रमुख बिंदु

पीएम-किसान:

- परिचय:
  - इस योजना के तहत केंद्र प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि तीन समान किश्तों में सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
  - इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
- वित्तपोषण और कार्यान्वयन:
  - यह भारत सरकार के 100% वित्तपोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
  - इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- लाभार्थियों की पहचान:
  - लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की होती है।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप, उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है।

- इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिये उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाना और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री के अभिभाषण की मुख्य बातें:

- प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य के रूप में एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) की शुरुआत की है।
- भारत ने पहली बार कृषि निर्यात के मामले में विश्व के टॉप-10 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए सीधे चावल की खेती करने वाले किसानों के खाते में और लगभग 85,000 करोड़ रुपए गेहूँ की खेती करने वाले किसानों के खाते में स्थानांतरित की गई है।
- देश की कृषि नीतियों में अब छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
  - फूड पार्क, किसान रेल और किसान अवसंरचना कोष जैसी पहल से छोटे किसानों को मदद मिलेगी।
  - ये कदम छोटे किसानों की बाज़ार तक पहुँच और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से उनकी सौदेबाज़ी की शक्ति को बढ़ाते हैं।
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited) की दुकानों में मिशन हनी-बी और जम्मू-कश्मीर में केसर उत्पादन जैसी पहलों की भी चर्चा की।
- वर्ष 2047 में देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत की स्थिति को निर्धारित करने में भारतीय कृषि और किसानों की बड़ी भूमिका है

किसानों के लिये अन्य पहलें:

- सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) कार्यक्रम
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- परंपरागत कृषि विकास योजना

वार्षिक सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा 60वाँ सार्वजनिक उद्यम (Public Enterprises-PE) सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया गया था।

- यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) को लेकर सूचना का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है और सूचित नीति निर्माण के आधार पर कार्य करता है।
- सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) को भारी उद्योग मंत्रालय से फिर से वित्त मंत्रालय को आवंटित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

सार्वजनिक उद्यमों (PE) के सर्वेक्षण के बारे में:

- पीई सर्वेक्षण संपूर्ण CPSE विश्व को शामिल करता है। यह विभिन्न वित्तीय और भौतिक मानकों पर सभी CPSE के लिये आवश्यक सांख्यिकीय डेटा प्राप्त करता है।

- पीई सर्वेक्षण CPSE को पाँच क्षेत्रों में विभाजित करता है, अर्थात्:
  - कृषि
  - खनन और अन्वेषण
  - विनिर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन
  - सेवाएँ
  - निर्माणाधीन उद्यम
- लोक उद्यम विभाग (DPE) ने दूसरी लोकसभा की प्राक्कलन समिति की 73वीं रिपोर्ट (1959-60) की सिफारिशों पर वित्तीय वर्ष 1960-61 से सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण जारी करना शुरू किया।

DPE और CPSEs के बारे में:

- DPE सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के लिये नोडल विभाग है और CPSE से संबंधित नीति तैयार करता है।
- DPE के अनुसार, CPSE का मतलब उन सरकारी कंपनियों से है, जो सांविधिक निगमों के अलावा हैं, जिनमें इक्विटी में 50% से अधिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है।
  - इन कंपनियों की सहायक कंपनियाँ, यदि भारत में पंजीकृत हैं, तो उन्हें CPSE के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है।
  - यह विभागीय रूप से संचालित सार्वजनिक उद्यमों, बैंकिंग संस्थानों और बीमा कंपनियों को कवर नहीं करता है।
- CPSE को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न नाम से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
  - वर्तमान में 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 74 मिनीरत्न CPSE हैं।

CPSEs का वर्गीकरण

श्रेणी

- महारत्न
- नवरत्न
- मिनीरत्न

शुरुआत

- CPSEs के लिये महारत्न योजना मई, 2010 में शुरू की गई थी, ताकि मेगा CPSEs को अपने संचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने के लिये सशक्त बनाया जा सके।
- नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी ताकि उन CPSEs की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं और वैश्विक खिलाड़ी बनने के अभियान में उनका समर्थन करते हैं।
- मिनीरत्न योजना की शुरुआत वर्ष 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी।

मानदंड

महारत्न:

- कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिये।
- कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होना चाहिये।
- विगत तीन वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।

- पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।
- पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।
- कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिये।
- उदाहरण: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड आदि।

नवरत्न:

- मिनीरत्न श्रेणी- I और अनुसूची 'A' के तहत आने वाली CPSEs, जिन्होंने पिछले पाँच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है और छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो। ये छह मापदंड हैं:
  - शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ।
  - उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैनपॉवर पर आने वाली कुल लागत।
  - मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ, वर्किंग कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज।
  - ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर।
  - प्रति शेयर कमाई।
  - अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन।
- उदाहरण: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आदि।

मिनीरत्न:

- मिनीरत्न श्रेणी- I: मिनीरत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कंपनी ने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा तीन साल में एक बार कम-से-कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।
  - उदाहरण (श्रेणी- I): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदि।
- मिनीरत्न श्रेणी- II : CPSE द्वारा पिछले तीन साल से लगातार लाभ अर्जित किया गया हो और उनकी निवल संपत्ति सकारात्मक हो, वे मिनीरत्न- II का दर्जा पाने के लिये पात्र हैं।
  - उदाहरण (श्रेणी- II): भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO), भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (BPCL) आदि।
- मिनीरत्न CPSE को सरकार के किसी भी ऋण पर ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिये।
- मिनीरत्न CPSE कंपनियाँ बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होंगी।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका:

- भारत में CPSE का व्यावसायिक दक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व का दोहरा उद्देश्य है।
  - सरकारी आय में योगदान के अलावा वे अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं।
- CPSE के विचार की कल्पना निम्नलिखित सभी समस्याओं के समाधान के लिये की गई थी:
  - बेरोज़गारी
  - ग्रामीण-शहरी असमानता
  - अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-वर्गीय असमानताएँ
  - तकनीकी पिछड़ापन
- CPSE ने सार्वजनिक क्षेत्र को आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के लिये एक उपकरण के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की है।

नोट :

- भारत को आज़ादी मिलने से पहले उसके पास केवल कुछ CPSE थे।
  - इनमें रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, पोर्ट ट्रस्ट, आयुध कारखाने आदि शामिल थे।
  - अधिकांश CPSE स्वतंत्रता के बाद स्थापित किये गए थे जब निजी क्षेत्र में बड़े पूंजी गहन उद्यमों के लिये सीमित क्षमता थी।
- चुनौती: इन उद्यमों हेतु चुनौती उनके लिये अपने संवैधानिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए निवेश पर उचित रिटर्न सुनिश्चित करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान- CPSE द्वारा योगदान:

- सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों (CPSE) ने भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' एजेंडा को पूरा करने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में कई पहलें की हैं।
- इन पहलों में नीतिगत सुधार, रणनीतिक भागीदारी, प्रशासनिक कार्रवाई, परिचालन में बदलाव और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
- CPSE द्वारा की गई पहलों को निम्नलिखित पाँच व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
  - सरकार के बड़े रणनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने के लिये स्थानीय क्षमता को बढ़ाना।
  - सहक्रियाओं का पता लगाने के लिये CPSE के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
  - घरेलू फर्मों/MSMEs की अधिक भागीदारी के लिये एक मंच प्रदान करना।
  - दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये आयात निर्भरता को युक्तिसंगत बनाना।
  - स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास और CPSE के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना।

सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया गया।

यह सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन है।

प्रमुख बिंदु

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- सरकारी शेयरधारिता सीमा:
  - यह एक निर्दिष्ट बीमाकर्त्ता को 51 प्रतिशत से कम इक्विटी पूंजी रखने के लिये केंद्र सरकार की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त करेगा।
- सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा:
  - यह सामान्य बीमा व्यवसाय को अग्नि, समुद्री या विविध बीमा व्यवसाय के रूप में परिभाषित करता है।
  - यह परिभाषा कुछ व्यवसायों को पूंजी से छूट तथा वार्षिक लेने-देन की स्थिति से बाहर करता है।
    - पूंजी रिडेम्पशन (Capital Redemption) बीमा में लाभार्थी द्वारा समय-समय पर प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमाकर्त्ता द्वारा एक विशिष्ट तिथि पर राशि का भुगतान शामिल होता है।
    - वार्षिकी पॉलिसी के तहत बीमाकर्त्ता लाभार्थी को समयावधि में भुगतान करता है।
- सरकार से नियंत्रण का हस्तांतरण:
  - यह उस तारीख से निर्दिष्ट बीमाकर्त्ताओं पर लागू नहीं होगा जिस दिन केंद्र सरकार बीमाकर्त्ता का नियंत्रण छोड़ देती है। यहाँ नियंत्रण का अर्थ है:
    - एक निर्दिष्ट बीमाकर्त्ता के अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति।
    - इसके प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों पर अधिकार होना।

नोट :

- केंद्र सरकार को प्राप्त अधिकार :
  - यह केंद्र सरकार को निर्दिष्ट बीमा कंपनियों के कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
  - यह प्रावधान करता है कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं को बीमाकर्त्ता द्वारा अपनाया गया माना जाएगा।
    - बीमाकर्त्ता का निदेशक मंडल इन योजनाओं को बदल सकता है या नई नीतियाँ बना सकता है।
    - इसके अतिरिक्त ऐसी योजनाओं के तहत केंद्र सरकार की शक्तियाँ बीमाकर्त्ता के निदेशक मंडल को हस्तांतरित की जाएंगी।
- निदेशकों के दायित्व:
  - यह विशिष्ट प्रावधान करता है कि एक निर्दिष्ट बीमाकर्त्ता का निदेशक, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, केवल कुछ कृत्यों के लिये उत्तरदायी होगा, जिसमें शामिल कार्य हैं:
    - स्व विवेकाधिकार, बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से ज़िम्मेदार होगा।
    - उसकी सहमति या असहमति से या जहाँ उसने परिश्रमपूर्वक कार्य नहीं किया।

महत्त्व:

- निजी पूंजी:
  - यह सामान्य बीमा व्यवसाय में अधिक निजी पूंजी लाएगा और ग्राहकों को अधिक उत्पाद उपलब्ध कराने के लिये अपनी पहुँच में सुधार करेगा।
- बेहतर दक्षता:
  - यह कदम निजी भागीदारी के लिये और अधिक क्षेत्रों को खोलने तथा दक्षता में सुधार करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है।
- बीमा पैठ में बढ़ोतरी:
  - यह पॉलिसीधारकों के हितों को बेहतर ढंग से सुरक्षित करने के लिये बीमा पैठ और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाएगा तथा अर्थव्यवस्था के तेज़ी से विकास में योगदान देगा।

चिंताएँ:

- मजदूरों पर असर :
  - यह देश में बीमा क्षेत्र और सामान्य बीमा कंपनी से जुड़े श्रमिकों को प्रभावित करेगा।
- पूर्ण निजीकरण (Total Privatisation):
  - इससे सामान्य बीमा कंपनियों का पूर्ण निजीकरण हो सकता है जिससे 30 करोड़ पॉलिसीधारक असुरक्षा में पड़ जाएंगे।
- सरकार का नुकसान:
  - पेशकश किये जा रहे शेयरों के अनुपात में लाभांश के रूप में सरकार को भी नुकसान होगा।
- पेंशन सुरक्षा:
  - सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों के पेंशनभोगी तब अपने भविष्य की पेंशन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, जब केंद्र सरकार ने उनमें से एक का निजीकरण कर दिया।
  - पेंशन फंड कर्मचारियों के योगदान पर निर्भर है ताकि पेंशन ट्रस्ट पेंशनभोगियों को भुगतान कर सके।

सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972

- यह अधिनियम भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाली सभी निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये अधिनियमित किया गया था। इसके तहत 'भारतीय सामान्य बीमा निगम' (GIC) की स्थापना गई।
  - GIC एक भारतीय राष्ट्रीयकृत पुनर्बीमा कंपनी है।

- अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकृत कंपनियों के व्यवसायों को 'भारतीय सामान्य बीमा निगम' की चार सहायक कंपनियों में पुनर्गठित किया गया था:
  - नेशनल इंशोरेंस
  - न्यू इंडिया एशोरेंस
  - यूनाइटेड इंशोरेंस
  - यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस
- बाद में 2002 में इन चार सहायक कंपनियों का नियंत्रण GIS से केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने के लिये अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वे स्वतंत्र कंपनियाँ बन गईं।
- वर्ष 2000 से GIC विशेष रूप से पुनर्बीमा व्यवसाय कर रहा है।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में रिक्तियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में रिक्त पदों को भरने में देरी पर नाराज़गी व्यक्त की है।

- इसने केंद्र और राज्यों को आठ सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

संदर्भ:

- न्यायालय ज़िलों और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों / कर्मचारियों की नियुक्ति में निष्क्रियता तथा पूरे भारत में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे पर एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था।
- इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि विवादों के निवारण में देरी के कारण रिक्तियाँ उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचा रही हैं।
- न्यायालय ने केंद्र से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को लेकर विधायी प्रभाव अध्ययन पर चार सप्ताह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।
- दो सप्ताह में यह तीसरी बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और विवाद समाधान निकायों में रिक्तियों के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बारे में:

- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) भारत में एक अर्द्ध-न्यायिक आयोग है जिसे 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था।
- इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।
- आयोग का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
- 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने राष्ट्रीय (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग), राज्य और ज़िला स्तरों पर एक त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र का प्रावधान किया।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना करता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना होगा।

विधायी प्रभाव अध्ययन के बारे में:

- विधायी प्रभाव अध्ययन या आकलन तय समय की अवधि में समाज पर कानून (बनाए और लागू किये जा रहे) के प्रभाव का अध्ययन है।

- यह विधायी प्रस्तावों और सरकारी नीतियों के स्वीकृत व अधिनियमित होने से पहले तथा बाद में उनके संभावित प्रभावों का आकलन करने की एक विधि है।
  - उदाहरण के लिये मुकदमेबाज़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार की जनशक्ति की आवश्यकता है, किस प्रकार के बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।
- यह निर्धारित करने के लिये कि कौन सी नीति सर्वोत्तम परिणाम देती है, यह विभिन्न नीति डिज़ाइनों के साथ उनकी तुलना करती है।
- कानून बनने के बाद संसद की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होती है। इसे इस बात की पुष्टि करनी होती है कि कानून के इच्छित उद्देश्यों और ज़रूरतों को हासिल किया गया है या नहीं।

कराधान का संप्रभु अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया, जो भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने हेतु वर्ष 2012 के पूर्वव्यापी कानून का उपयोग करके की गई कर मांगों को वापस लेने का प्रयास करता है।

- सरकार ने कराधान के अपने संप्रभु अधिकार को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

प्रमुख बिंदु

संप्रभुता:

- राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर संप्रभुता की परिभाषा, राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया और व्यवस्था के रखरखाव में अंतिम पर्यवेक्षक या अधिकार है।
- फ्राँसीसी संप्रभुता के माध्यम से उत्पन्न, इस शब्द को मूल रूप से सर्वोच्च शक्ति के बराबर समझा गया था।
- संवैधानिक संप्रभुता का तात्पर्य है कि संविधान संप्रभु और सर्वोच्च है।

भारत में कराधान का संप्रभु अधिकार:

- भारत में संविधान सरकार को व्यक्तियों और संगठनों पर कर लगाने का अधिकार देता है, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी को भी कर लगाने या चार्ज करने का अधिकार नहीं है।
  - किसी भी कर को विधायिका या संसद द्वारा पारित कानून (अनुच्छेद 265) द्वारा समर्थित होना चाहिये।

भारत में कराधान:

- कर सरकार का समर्थन करने हेतु व्यक्तियों या संपत्ति के मालिकों पर लगाया गया एक आर्थिक भार है, जो विधायी प्राधिकरण द्वारा भारित भुगतान है और यह कि एक स्वैच्छिक भुगतान या दान नहीं है, बल्कि योगदान है, जो विधायी प्राधिकरण के अनुसार सटीक है।
- भारत में कर केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के आधार पर त्रि-स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं व संविधान की सातवीं अनुसूची संघ एवं राज्य सूची के तहत कराधान के अलग-अलग प्रावधान करती है।
- समवर्ती सूची के तहत कोई अलग प्रावधान नहीं है, जिसका अर्थ है कि संघ और राज्यों के पास कराधान की कोई समवर्ती शक्ति नहीं है।

राज्यों की संप्रभुता की सीमा:

- राज्य के कराधान उपायों को चुनौती देने के लिये दो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली द्विपक्षीय निवेश सधियों (BIT) का प्रावधान हैं- स्वामित्व, निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार प्रावधान।
- कर भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिये।

आगे की राह:

- भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायित्वों के प्रति सचेत रहते हुए सद्भावपूर्वक और आनुपातिक तरीके से कार्य करते हुए विनियमित करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिये।

नोट :

- निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) न्यायाधिकरण ऐसे नियामक उपायों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। संक्षेप में यह बहस कभी नहीं थी कि क्या भारत के पास कर का एक संप्रभु अधिकार है, लेकिन क्या यह संप्रभु अधिकार कुछ सीमाओं के अधीन है। इसका उत्तर 'हाँ' है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कर का संप्रभु अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है।

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम

चर्चा में क्यों?

घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लचीले ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (OALP) के तहत नीलामी के छठे चरण की शुरुआत की।

- इससे पूर्व, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने तेल एवं गैस के घरेलू अन्वेषण तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिये अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग क्षेत्र में सुधारों पर नीतिगत ढाँचे को मंज़ूरी दी थी।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- मार्च 2016 में पूर्ववर्ती न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP) के स्थान पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) को मंज़ूरी दी गई थी तथा जून 2017 में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के साथ-साथ नेशनल डेटा रिपोजिटरी (NDR) को भारत में अन्वेषण और उत्पादन (E&P) गतिविधियों में तेजी लाने के लिये प्रमुख संचालक के रूप में लॉन्च किया गया था।
- OALP के तहत कंपनियों को उन क्षेत्रों के अन्वेषण की अनुमति है, जिनमें वे तेल और गैस का पता लगाना चाहती हैं।
- कंपनियाँ वर्ष भर किसी भी क्षेत्र के अन्वेषण हेतु अपनी रुचि को प्रकट कर सकती हैं लेकिन ऐसी सुविधा वर्ष में तीन बार दी जाती है। फिर मांगे गए क्षेत्रों की बोली लगाने की पेशकश की जाती है।
- यह पूर्व नीति से अलग नीति है इसमें जहाँ एक तरफ सरकार ने क्षेत्रों की पहचान की वहीं दूसरी तरफ उन्हें बोली लगाने की पेशकश की।

नीति की आवश्यकता :

- भारत दुनिया की तीव्र उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा अमेरिका और चीन के बाद पेट्रोलियम उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भर है।
- कच्चे तेल का शुद्ध आयात 2006-07 के दौरान के 111.50 मीट्रिक टन से बढ़कर 2015-16 के दौरान 202.85 मीट्रिक टन हो गया है।
  - इसके आधार पर भारत ने 2022 तक कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को 10 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है।

लाभ :

- अन्वेषण में वृद्धि:
  - ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) नीलामी प्रक्रिया के बाद हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) के सफल रोल-आउट से भारत में एक्सप्लोरेशन रकबे में वृद्धि हुई है।
- लालफीताशाही को हटाना :
  - OALP ने लालफीताशाही को दूर करने में मदद की है तथा अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।

मुद्दे:

- निवेशकों को आकर्षित करने में विफल:
  - नई नीति इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों की रुचि को आकर्षित करने में विफल रही है।

- भारी दायित्व:
  - यह अपस्ट्रीम तेल और गैस उत्पादन की देखरेख करता है।
  - OALP हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (DGH) को उस क्षेत्र को स्वीकार करने के लिये विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है जिसके लिये EOI जमा किया गया है या जो उचित मूल्यांकन के बाद क्षेत्र को परिवर्तित/संशोधित करता है।
  - हालाँकि इस तरह के विवेक के प्रयोग का आधार OALP के तहत प्रदान नहीं किया गया है।

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP):

- हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP), जो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर आधारित है, भारतीय एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (E&P) सेक्टर में 'ईज़ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- इसकी मुख्य विशेषताओं में राजस्व साझा करने हेतु समझौता, अन्वेषण के लिये एकल लाइसेंस, परंपरागत और गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों का उत्पादन, मार्केटिंग व मूल्य निर्धारित करने की आज़ादी शामिल है।
- बोली के चौथे राउंड के बाद उदारीकृत नीति शर्तों के तहत बोली के अगले चरण को शुरू किया जा रहा है, जो श्रेणी I बेसिन में प्रतिबद्ध संचालित कार्यक्रम के लिये उच्च भार के साथ अधिकतम उत्पादन पर केंद्रित है तथा न्यून अन्वेषण वाले श्रेणी-II और श्रेणी-III बेसिन के लिये किसी राजस्व हिस्सेदारी हेतु बोलियों की आवश्यकता नहीं होगी।
- श्रेणी-I बेसिन में पहले से ही उत्पादन कर रहे भंडार और क्षेत्र हैं, जबकि श्रेणी- II बेसिन ऐसे हैं जिनके पास वाणिज्यिक उत्पादन लंबित आकस्मिक भंडार हैं। श्रेणी- III बेसिन वे हैं जिनके पास संभावित संसाधन हैं जो अन्वेषण हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आगे की राह:

- सरकार को कराधान और उपकर को युक्तिसंगत बनाने पर विचार करना चाहिये।
- साथ ही सरकार को उनकी चिंताओं को समझने के लिये विभिन्न हितधारकों से परामर्श करना चाहिये।
- बेहतर तकनीक लाने के लिये इस क्षेत्र के निजी और विदेशी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने अगस्त 2021 के महीने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता ग्रहण की।

- सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के दौरान यह की भारत की पहली अध्यक्षता होगी।
- भारत ने जनवरी 2021 में UNSC के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना दो वर्ष का कार्यकाल शुरू किया।
- UNSC में यह भारत का आठवाँ कार्यकाल है।

प्रमुख बिंदु

भारत द्वारा UNSC की अध्यक्षता:

- भारत इस महीने के लिये संयुक्त राष्ट्र निकाय का एजेंडा तय करेगा और कई मुद्दों पर महत्त्वपूर्ण बैठकों का समन्वय करेगा।
- यह समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी तीन प्रमुख क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है।
  - सुरक्षा परिषद के एजेंडे के तहत सीरिया, इराक, सोमालिया, यमन और मध्य पूर्व सहित कई महत्त्वपूर्ण बैठकें होंगी।
  - सुरक्षा परिषद लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल सोमालिया, माली से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को भी अपनाएगी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNSC की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे।
  - पिछली बार जब कोई भारतीय पीएम इस प्रयास में लगा था तो वे वर्ष 1992 में तत्कालीन PM पीवी नरसिम्हा राव थे, जब उन्होंने UNSC की बैठक में भाग लिया था।

फ्राँस और रूस का समर्थन:

- फ्राँस ने कहा है कि वह समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद-निरोध जैसी सामरिक समस्याओं पर भारत के साथ सहयोग करने के लिये समर्पित है।
- रूस ने UNSC की अध्यक्षता प्राप्त करने वाले देश का स्वागत करते हुए कहा कि वह भारत के एजेंडे से बहुत प्रभावित है, जो महत्त्वपूर्ण वैश्विक चिंताओं पर बात करता है।

UNSC में भारत के लिये चुनौतियाँ:

- चीन की चुनौती:
  - भारत ऐसे समय में UNSC में प्रवेश कर रहा है जब बीजिंग वैश्विक मंच पर पहले से कहीं अधिक मज़बूती से अपना दावा पेश कर रहा है। यह कम-से-कम छह संयुक्त राष्ट्र संगठनों का प्रमुख है और इसने वैश्विक नियमों को चुनौती दी है।
  - भारत-प्रशांत के साथ-साथ भारत-चीन सीमा पर चीन का आक्रामक व्यवहार वर्ष 2020 के दौरान देखा गया।
  - चीन ने UNSC में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की है।
- कोविड के बाद की वैश्विक व्यवस्था:
  - वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी और स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना कर रहे विभिन्न देशों के साथ जर्जर स्थिति में है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस व अस्थिर पश्चिम एशिया को संतुलित करना:
  - अमेरिका और रूस के बीच बिगड़ते हालात तथा अमेरिका एवं ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत के लिये इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा।

नोट :

- भारत को राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने वाले मानवाधिकारों के उचित सम्मान के साथ नियम आधारित विश्व व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने UNSC सहित संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' की संरचना से संबंधित है।
  - संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय।
- 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी दी गई है और जब भी वैश्विक शांति पर कोई खतरा उत्पन्न होता है तब परिषद की बैठक आयोजित की जाती है।
- यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों के लिये सिफारिशें करते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद के पास सदस्य देशों के लिये निर्णय लेने और बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने की शक्ति होती है।

मुख्यालय

- परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।

सदस्य

- UNSC का गठन 15 सदस्यों (5 स्थायी और 10 गैर-स्थायी) द्वारा किया जाता है।
  - पाँच स्थायी सदस्य: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और चीन।
  - दस गैर-स्थायी सदस्य: इन्हें महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिये चुना जाता है।
- प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो वर्षीय कार्यकाल के लिये पाँच अस्थायी सदस्यों (कुल दस में से) का चुनाव किया जाता है। दस अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर होता है।
- परिषद की अध्यक्षता प्रतिमाह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती है।

UNSC में मतदान और चर्चा:

- सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किये जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है।
  - पाँच स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है।
- संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है, यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

भारत एक स्थायी सदस्य के रूप में:

- भारत UNSC में अपनी स्थायी सीट का दावा प्रस्तुत करता रहा है।
- स्थायी सदस्य की सीट हेतु भारत के निम्नलिखित मानदंड हैं, जैसे जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विरासत और विविधता, राजनीतिक व्यवस्था तथा संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अतीत एवं वर्तमान में भारत का योगदान।

गिलगित-बाल्टिस्तान' को प्रांतीय दर्जा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तानी अधिकारियों ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण 'गिलगित-बाल्टिस्तान' को अनंतिम प्रांतीय दर्जा देने के लिये एक कानून (26वें संविधान संशोधन विधेयक) को अंतिम रूप दिया है।

प्रमुख बिंदु

गिलगित-बाल्टिस्तान के विषय में

- गिलगित-बाल्टिस्तान भारत के विवादित क्षेत्रों में से एक है।
- यह केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के उत्तर-पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊँचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है।
- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करने के कारण इसे रणनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

गिलगित-बाल्टिस्तान विवाद की पृष्ठभूमि:

- इस क्षेत्र पर भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है, क्योंकि यह वर्ष 1947 में जम्मू-कश्मीर के भारत में प्रवेश के समय अस्तित्व में था।
  - जम्मू-कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्तूबर, 1947 को भारत के साथ 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर किये थे।
- हालाँकि 04 नवंबर, 1947 को कबायली हमलावरों और पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर पर किये गए आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
- इसके पश्चात् भारत ने 01 जनवरी, 1948 को पाकिस्तानी आक्रमण के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष उठाया।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर से बाहर जाने और भारत से अपनी सेना को न्यूनतम स्तर तक कम करने का आह्वान किया गया, इसके पश्चात् लोगों का मत जानने के लिये जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था।
- हालाँकि दोनों ही देशों द्वारा वापसी नहीं की गई, जो कि दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है।

वर्तमान स्थिति:

- गिलगित-बाल्टिस्तान अब एक स्वायत्त क्षेत्र है और विधेयक पारित होने के बाद यह देश का 5वाँ प्रांत बन जाएगा।
  - वर्तमान समय में पाकिस्तान में चार प्रांत हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध।
- वर्तमान में यह अधिकांशत: कार्यकारी आदेशों द्वारा शासित है।
- वर्ष 2009 तक इस क्षेत्र को केवल उत्तरी क्षेत्र कहा जाता था।
- इसे वर्तमान नाम गिलगित-बाल्टिस्तान (सशक्तीकरण और स्व-शासन) आदेश, 2009 के लागू होने के साथ मिला, जिसने उत्तरी क्षेत्र विधानपरिषद (Northern Areas Legislative Council) को विधानसभा (Legislative Assembly) में बदल दिया।

गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का कारण:

- गिलगित-बाल्टिस्तान पाकिस्तान द्वारा प्रशासित सबसे उत्तरी क्षेत्र है। यह पाकिस्तान की एकमात्र प्रादेशिक सीमा है तथा चीन के साथ एक स्थल मार्ग है।
  - गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र 65 अरब अमेरिकी डॉलर की चीन-पाक आर्थिक गलियारा (CPEC) अवसंरचना विकास योजना का केंद्रबिंदु है।
  - CPEC ने इस क्षेत्र को दोनों देशों के लिये महत्त्वपूर्ण बना दिया है। CPEC जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट को चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ता है, चीन की महत्त्वाकांक्षी बहु-अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की प्रमुख परियोजना है।

- भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर कुछ विशेषज्ञ यह दावा भी प्रस्तुत करते हैं कि पाकिस्तान का यह निर्णय 5 अगस्त, 2019 को किये गये जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत द्वारा अपना दावा प्रस्तुत करने के कारण भी हो सकता है।

भारत का रुख:

- भारत का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध रूप से उसके द्वारा जबरन कब्ज़ा किये गए क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है।
  - भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश, जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान के क्षेत्र भी शामिल हैं, पूरी तरह से कानूनी व अपरिवर्तनीय परिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग हैं।
  - CPEC को लेकर भारत ने चीन के सामने विरोध जताया है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर से गुज़रता है।

भारत-बांग्लादेश वाणिज्यिक रेलवे लिंक की बहाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी - चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया, जो दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार को मज़बूत करेगा।

- हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी रेल लिंक एक ऐसा मार्ग है जो वर्ष 1965 तक संचालन में था।
- वर्ष 2021 के समाप्ति तक अगरतला-अखौरा के बीच एक और रेल लिंक का संचालन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- 1947 में विभाजन के बाद 1965 तक भारत और बांग्लादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) के मध्य सात रेलवे लिंक संचालित थे।
- वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच पाँच रेलवे लिंक संचालित हैं।
- ये हैं- पेट्रापोल (भारत) – बेनापोल (बांग्लादेश), गेदे (भारत) – दर्शन (बांग्लादेश), सिंहाबाद (भारत) -रोहनपुर (बांग्लादेश), राधिकापुर (भारत) – बिरोल (बांग्लादेश), हल्दीबाड़ी (भारत) -चिलाहाटी (बांग्लादेश)।

महत्त्व :

- हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी मार्ग से बांग्लादेश से असम और पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।
- यह क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि का समर्थन करने हेतु मुख्य बंदरगाहों एवं शुष्क बंदरगाहों तक रेल नेटवर्क पहुँच को बढ़ाएगा।
- इस रूट पर पैसेंजर ट्रेनों की योजना बनने से दोनों देशों के आम लोग और कारोबारी वस्तु और यात्री यातायात दोनों का लाभ उठा सकेंगे।
- इस नए रेल लिंक से इन दक्षिण एशियाई देशों की आर्थिक गतिविधियों (पर्यटक गतिविधियों सहित) को भी लाभ होगा।
- 75 किलोमीटर लंबा ट्रैक देश के बाकी हिस्सों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करने में मदद करेगा, जिसे 'चिकन नेक'(Chicken's Neck) भी कहा जाता है।
  - यह कोरिडोर भारत को उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है, जहाँ हाल ही में चीन के एक अन्य पड़ोसी देश के साथ संघर्ष देखा गया।

भारत-बांग्लादेश संबंध

ऐतिहासिक संबंध:

- 50 साल पूर्व वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ने भारत की जीत का समर्थन किया था क्योंकि एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के गठन का भारत द्वारा नेतृत्व किया गया था।

नोट :

रक्षा सहयोग:

- संयुक्त अभ्यास:
  - टेबल टॉप (वायु सेना)
  - सम्प्रीति (थल सेना)
  - इन-बीएन कॉर्पोरेट (वायु सेना)
  - बोंगोसागर (नौसेना)
  - संवेदना-बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ बहुराष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास।
- सीमा प्रबंधन: भारत और बांग्लादेश कुल 4096.7 किमी. लंबी सीमा साझा करते हैं, यह सबसे लंबी भूमि सीमा है जिसे भारत अपने किसी पड़ोसी के साथ साझा करता है।

आर्थिक संबंध:

- बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। वर्ष 2019-20 में दोनों देशों के मध्य कुल द्विपक्षीय व्यापार 9.5 बिलियन डॉलर का रहा है, जो वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में 10 बिलियन डॉलर से अधिक रहा।
- भारत द्वारा बांग्लादेश को होने वाला कुल निर्यात द्विपक्षीय व्यापार का 85% से अधिक है।
- दिसंबर 2020 में द्विपक्षीय व्यापार सहयोग को और बढ़ावा देने के लिये भारत-बांग्लादेश सीईओ फोरम (India-Bangladesh CEO's Forum) को शुरू किया गया।
- बांग्लादेश ने वर्ष 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत भारत द्वारा बांग्लादेशी निर्यात को दिये गए शुल्क-मुक्त और कोटा मुक्त पहुँच की सराहना की है।

कनेक्टिविटी में सहयोग:

- मार्च 2021 में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया, 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल सबरूम (त्रिपुरा में) को रामगढ़ (बांग्लादेश में) के साथ जोड़ता है।
- अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल (PIWTT)।
- बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते को अमल में लाया जाना है।

बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग:

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)

- बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC)
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)

अन्य विकास:

- लाइन ऑफ क्रेडिट:
  - भारत ने सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु पिछले 8 वर्षों में बांग्लादेश को 3 लाइन ऑफ क्रेडिट्स (LOCs) प्रदान किये हैं, जिसकी राशि 8 बिलियन डॉलर है।
- कोविड-19:
  - बांग्लादेश भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन खुराक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता (कुल आपूर्ति का 16%) है।
  - भारत द्वारा चिकित्सा विज्ञान तथा वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग की पेशकश की गई है।

उभरते मुद्दे:

- बांग्लादेश द्वारा पहले ही असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), असम में रहने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करने और अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिये एक अभ्यास, को लागू करने पर चिंता व्यक्त की गई है।

- वर्तमान में बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक सक्रिय भागीदार है, जिस पर दिल्ली ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
- सुरक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश पनडुब्बियों सहित चीनी सैन्य हथियारों का एक प्रमुख प्राप्तकर्त्ता है।

आगे की राह:

- पानी के बँटवारे से संबंधित लंबित मुद्दों को सुलझाने के प्रयास होने चाहिये, साथ ही बंगाल की खाड़ी में महाद्वीपीय शेल्फ मुद्दों को हल करने, सीमा पर होने वाली घटनाओं को शून्य स्तर पर लाने और मीडिया का प्रबंधन करने पर दोनों देशों को ध्यान देना चाहिये।
- संस्कृति, संगीत, खेल, फिल्म जैसे क्षेत्रों के आधार पर युवा उद्यमियों और नागरिक समाज के बीच नियमित आदान-प्रदान एवं सतत् विकास, मानव पूंजी विकास, लैंगिक समानता तथा अन्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की आवश्यकता है।
- दोनों ओर से चुनिंदा सीमावर्ती स्थानों पर पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाना और सीमा पर एक साझा मनोरंजन क्षेत्र के निर्माण के माध्यम से आदान-प्रदान की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने से सौहार्द को मज़बूत करने में मदद मिल सकती है।
- साझा सीमाओं पर सुरक्षा के नए प्रतिमान की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने की आवश्यकता है। एक ऐसा प्रतिमान जो सीमाओं को न केवल मात्र रेखा के रूप में राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन करता है बल्कि समावेशी विकास और समृद्धि के लिये "कनेक्टर ज़ोन" के तौर पर कार्य करता है।

सीमा पर तनाव कम करने हेतु सहमत हुए भारत-चीन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिये भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच 12वें दौर की चर्चा हुई जिसमें दोनों ने सीमा पर तनाव कम करने हेतु सैद्धांतिक रूप से पूर्वी लद्दाख में एक प्रमुख गश्ती बिंदु पर अलगाव की सहमति व्यक्त की है।

- 11वीं कोर कमांडर स्तर की वार्ता अप्रैल 2021 में हुई थी जब दोनों पक्ष एक संयुक्त बयान पर भी सहमत नहीं हो पाए थे।

प्रमुख बिंदु

वर्तमान अलगाव:

- भारत और चीन की सेना के मध्य पेट्रोलिंग प्वाइंट (PP) 17A (गोगरा पोस्ट) पर समझौता हो गया था लेकिन चीन PP15 (हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र) से पीछे हटने को इच्छुक नहीं है; वह इस बात पर ज़ोर देता है कि यह क्षेत्र उसकी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के अधीन है।
  - PP17A में अलगाव की उस प्रक्रिया का पालन करने की संभावना है जिसे PP14 के लिये गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो में अपनाया गया था, जहाँ वापसी के लिये एक समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
- दोनों पक्ष मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार इन शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने तथा बातचीत एवं वार्ता की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए।
- वे इस बात पर भी सहमत हुए कि अंतरिम तौर पर वे पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये अपने प्रभावी प्रयास जारी रखेंगे और संयुक्त रूप से शांति बनाए रखेंगे।

पेट्रोलिंग प्वाइंट 15 और 17A:

- भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ भारतीय सेना को कुछ ऐसे स्थान दिये गए हैं, जहाँ इसके सैनिकों की पहुँच अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में गश्त करने तक है।
- इन पॉइंट्स को पेट्रोलिंग प्वाइंट या PP के रूप में जाना जाता है और इनका निर्धारण चीन स्टडी ग्रुप (CAG) द्वारा तय किया जाता है।
  - CSG की स्थापना वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल के दौरान हुई थी और यह चीन के संदर्भ में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था हैं।

- डेपसांग मैदानों जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, ये पेट्रोलिंग प्वाइंट LAC पर ही स्थित हैं और सैनिक इन बिंदुओं तक पहुँच कर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं।
    - यह एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि भारत और चीन के बीच की सीमा अभी तक आधिकारिक रूप से सीमांकित नहीं हुई है।
    - LAC वह सीमांकन है जो भारत-नियंत्रित क्षेत्र को चीन-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है।
- PP15 और PP17A, वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लद्दाख में स्थित 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से दो हैं।
    - ये दोनों पॉइंट्स ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ भारत और चीन LAC के संरेखण पर काफी हद तक सहमत हैं।
- PP15 हॉट स्प्रिंग्स के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्र में स्थित है, जबकि PP17A गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र के पास है।

हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट की अवस्थिति:

- हॉट स्प्रिंग्स चांग चेनमो (Chang Chenmo) नदी के उत्तर में है और गोगरा पोस्ट इस नदी के गलवान घाटी से दक्षिण-पूर्व दिशा से दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ने पर बने हेयरपिन मोड़ (Hairpin Bend) के पूर्व में है।
- यह क्षेत्र काराकोरम श्रेणी (Karakoram Range) के उत्तर में है जो पैंगोंग त्सो (Pangong Tso) झील के उत्तर में और गलवान घाटी के दक्षिण में स्थित है।

हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट का महत्त्व:

- यह क्षेत्र कोंग्का दर्रे (Kongka Pass) के पास है जो चीन के अनुसार भारत और चीन के बीच की सीमा को चिह्नित करता है।
- भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दावा पूर्व की ओर अधिक है, क्योंकि इसमें पूरा अक्साई चिन (Aksai Chin) का क्षेत्र भी शामिल है।
- हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट, चीन के दो सबसे अशांत प्रांतों (शिनजियांग और तिब्बत) की सीमा के करीब हैं।

प्रमुख घर्षण बिंदु:

- PP15 व PP17A के अलावा गलवान घाटी (Galwan Valley) में PP14 और पैंगोंग त्सो (Pangong Tso) के उत्तरी तट पर फिंगर 4 तथा चांग चेनमो नदी (Chang Chenmo River) के दक्षिणी तट पर रेजांग ला एवं रेचिन ला (Rezang La and Rechin La) को घर्षण बिंदुओं के रूप में पहचाना गया है।

पैंगोंग त्सो झील (Pangong Tso lake):

- पैंगोंग झील केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है।
- यह लगभग 4,350 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊँची खारे पानी की झील है।
- लगभग 160 किमी. तक फैली पैंगोंग झील का एक-तिहाई हिस्सा भारत में और अन्य दो-तिहाई चीन में स्थित है।

गलवान घाटी (Galwan Valley):

- गलवान घाटी सामान्यत: उस भूमि को संदर्भित करती है, जो गलवान नदी (Galwan River) के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है।
- गलवान नदी का स्रोत चीन की ओर अक्साई चिन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की श्योक नदी (Shyok River) से मिलती है।
- घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चिन के बीच स्थित है, जो वर्तमान में चीन द्वारा अपने झिंजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में नियंत्रित है।

चांग चेनमो नदी (Chang Chenmo River):

- चांग चेनमो नदी या चांगचेनमो नदी श्योक नदी की एक सहायक नदी है, जो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है।
- यह विवादित अक्साई चिन क्षेत्र के दक्षिणी किनारे और पैंगोंग झील बेसिन के उत्तर में है।
- चांग चेन्मो का स्रोत लनक दर्रे के पास है।

कोंगका पास (Kongka Pass):

- कोंगका दर्रा या कोंगका ला एक पहाड़ी के ऊपर एक निचला पहाड़ी दर्रा है जो चांग चेन्मो घाटी में प्रवेश करता है। यह लद्दाख में विवादित भारत-चीन सीमा क्षेत्र में है।

काराकोरम रेंज (Karakoram Range):

- इसे कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है जो ट्रांस-हिमालयी पर्वतमाला की सबसे उत्तरी सीमा में स्थित है। यह अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाएँ बनाता है।
- यह पामीर से पूर्व की ओर लगभग 800 किमी. तक फैला हुआ है। यह ऊँची चोटियों [ऊँचाई 5,500 मीटर और उससे अधिक] वाली एक श्रेणी है ।
- कुछ चोटियाँ समुद्र तल से 8,000 मीटर से अधिक ऊँची हैं। K2 (8,611 मीटर) [गॉडविन ऑस्टेन या क्यूगीर] विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है और भारतीय संघ की सबसे ऊँची चोटी है।
- लद्दाख का पठार काराकोरम रेंज के उत्तर-पूर्व में स्थित है।

विदेश मंत्री की ईरान यात्रा

चर्चा में क्यों?

भारत के विदेशमंत्री (External Affairs Minister- EAM) नये ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिये ईरान गये हैं। यह हाल के दिनों में तनाव में रहे ईरान के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास करने वाली एक ऐतिहासिक घटना है।

- तालिबान तथा अफगान सुरक्षा बलों के बीच अफगानिस्तान में गृहयुद्ध के बढ़ने के बीच एक महीने में विदेशमंत्री की यह दूसरी यात्रा हो रही है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत के लिये ईरान का महत्त्व:
  - भू-रणनीतिक पहुँच: भारत, ईरान को चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भू-आबद्ध अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने की कुंजी के रूप में देखता है।
    - ईरान की भौगोलिक स्थिति विशेष रूप से मध्य एशिया के लिये, जो प्राकृतिक संसाधनों का एक समृद्ध भंडार है, भारत की भू-राजनीतिक पहुँच के लिये सर्वोपरि है।
    - इसी प्रकार अफगानिस्तान में भारत की पहुँच के लिये ईरान महत्त्वपूर्ण है, जिसमें भारत के महत्त्वपूर्ण रणनीतिक और सुरक्षा हित शामिल हैं।
    - इसके अलावा, भारत चाबहार बंदरगाह का विकास पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने में किये जाने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये कर रहा है।
  - ऊर्जा सुरक्षा: ईरान, हाइड्रोकार्बन के सबसे संपन्न देशों में से एक और भारत, ऊर्जा की आवश्यकता के साथ तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक ऐसी परिस्थितियाँ दोनों देशों को प्राकृतिक भागीदार बनाते हैं।
- यात्रा का महत्त्व:
  - भारत-ईरान संबंधों में संघर्ष के कारण:
    - भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल आयात रद्द कर दिया।
    - चाबहार बंदरगाह में धीमी प्रगति।
    - फरजाद-बी गैस फील्ड को लेकर तनाव।
    - पिछले कुछ वर्षों में ईरान द्वारा कश्मीर पर की गई नकारात्मक टिप्पणी।

- अफगानिस्तान से उत्पन्न सुरक्षा चिंताएँ: अफगानिस्तान में तेज़ी से विकास के बीच यह दौरा हुआ है, जब अमेरिका ने सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है और तालिबान ने अफगान शहरों पर अपने हमले बढ़ा दिये हैं।
  - तालिबान का तेज़ी से बढ़ना भारत और ईरान दोनों के लिये चिंता का विषय है।
  - इस संदर्भ और साझा हितों को देखते हुए, भारत और ईरान के लिये विशेष रूप से अफगानिस्तान पर अधिक निकटता से सहयोग करना आवश्यक है।
- संबद्ध चुनौतियाँ:
  - अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में भारत का बहिष्कार: एक और "ट्रोइका प्लस" बैठक, अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर यू.एस.-रूस-चीन-पाकिस्तान समूह, दोहा में आयोजित होने जा रहा है।
    - हालाँकि, भारत और ईरान, जो दो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, को बाहर रखा जा रहा है।
- ईरान पर लगातार प्रतिबंध: ईरान पर डोनाल्ड ट्रम्प की नीति को उलटने के अभियान के वादे के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने वर्ष 2017-2018 में लगाये गये अधिकांश अतिरिक्त प्रतिबंधों को वापस लेना शेष है।

आगे की राह:

- भारत ने चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के ढाँचे में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
  - इस संदर्भ में, चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर भारत-उज्बेकिस्तान-ईरान-अफगानिस्तान चतुर्भुज कार्य समूह का गठन एक स्वागत योग्य कदम है।
- भारत को एक तरफ ईरान के साथ और दूसरी तरफ सऊदी अरब तथा इज़रायल जैसे अपने सहयोगियों के साथ-साथ अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का मामला

चर्चा में क्यों ?

पूर्व में ओबामा और ट्रम्प प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया था। हालाँकि नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शासन के तहत अमेरिकी विदेश विभाग के हालिया बयान इस मुद्दे पर एक अस्पष्ट या आधे-अधूरे विचार को दर्शाते हैं।

प्रमुख बिंदु

हाल के दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएँ:

- अमेरिका के अनुसार, सुरक्षा परिषद में ऐसा सुधार होना चाहिये, जिसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो, प्रभावी हो और जो अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के हित में प्रासंगिक हो।
  - हालाँकि अमेरिका स्थायी व अस्थायी सदस्यों के लिये परिषद (UNSC) के विस्तार पर आम सहमति कायम करने का पूर्ण समर्थन करता है।
- अमेरिका वीटो के विस्तार का समर्थन नहीं करेगा, जिसका वर्तमान में पाँच स्थायी सदस्यों (P-5) द्वारा प्रयोग किया जाता है: चीन, फ्राँस, रूस, यूके तथा यूएस।
- साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने इस बात से इनकार किया था कि अमेरिका ने UNSC की स्थायी सदस्यता के लिये भारत और G4 (जापान, जर्मनी और ब्राज़ील) के अन्य सदस्यों का समर्थन किया है।
- इसने यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (UFC) समूह- पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, इटली और अर्जेंटीना द्वारा क्षेत्रीय असहमति का हवाला दिया, जो G4 योजना का विरोध करता है।

UNSC में सुधारों की आवश्यकता:

- UNSC की गैर-लोकतांत्रिक प्रकृति: दो क्षेत्रों (उत्तरी अमेरिका और यूरोप) को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को या तो कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है (जैसे- एशिया) या बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व (अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और छोटे विकासशील द्वीपीय राज्य) नहीं दिया जाता है।
- वीटो पावर का दुरुपयोग: P-5 देशों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल अपने और अपने सहयोगियों के रणनीतिक हितों की पूर्ति के लिये किया जाता है।
  - उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका ने इज़रायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के मामले में अपने सहयोगी इज़रायल का समर्थन करने हेतु 16 बार परिषद के प्रस्तावों पर वीटो पेश किया।
- ग्लोबल गवर्नेंस का अभाव: इंटरनेट, स्पेस, हाई सीज़ (किसी के EEZ-अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर) जैसे ग्लोबल कॉमन्स के लिये कोई नियामक तंत्र नहीं है।
  - साथ ही ये आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य (जैसा कि वर्तमान महामारी में देखा गया है) जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने के तरीके पर एकमत नहीं हैं।
- इन सभी कारकों के कारण संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि सुरक्षा परिषद को या तो सुधार करना चाहिये या तेज़ी से अप्रासंगिक होने का जोखिम उठाना चाहिये।

UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का मामला:

- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ भारत का ऐतिहासिक संघ: भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है।
  - भारत अब तक दो वर्ष की गैर-स्थायी सदस्य सीट के लिये आठ बार निर्वाचित हुआ है।
  - सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत में P5 देशों की तुलना में ज़मीन पर तैनात शांति सैनिकों की संख्या लगभग दोगुनी है।

नोट:

- अतीत में भारत को दोनों महाशक्तियों अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा क्रमशः वर्ष 1950 और 1955 में UNSC में शामिल होने की पेशकश की गई थी।
  - हालाँकि भारत ने उस दौर में शीत युद्ध की राजनीति के चलते इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
- भारत वर्तमान में (2021 और 2022 के लिये) UNSC का अस्थायी सदस्य है और अगस्त महीने के लिये अध्यक्ष है।
- भारत का आंतरिक मूल्य: भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश (जल्द ही सबसे अधिक आबादी वाला देश) होने के कारण इसे UNSC में स्थायी सदस्यता प्रदान करने के प्राथमिक कारण हैं।
  - साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- भारत की भू-राजनीतिक स्थिति: मई 1998 में भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राज्य (NWS) का दर्जा प्राप्त हुआ था, जो कि एक स्थायी सदस्य के रूप में भारत की दावेदारी का महत्त्वपूर्ण आधार है, क्योंकि परिषद के वर्तमान सभी स्थायी सदस्य परमाणु हथियार संपन्न देश हैं।
  - इसके अलावा भारत को विभिन्न निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं जैसे- MTCR और वासेनर व्यवस्था आदि में शामिल किया गया है।
  - राजनीति, सतत् विकास, अर्थशास्त्र, संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों में भारत के लगातार बढ़ते वैश्विक कद के कारण देश की वैश्विक क्षमता काफी मज़बूत हुई है।
- विकासशील विश्व का प्रतिनिधित्व: भारत तीसरी दुनिया के देशों का निर्विवाद प्रतिनिधि है, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका से परिलक्षित होता है।

स्थायी सदस्यता संबंधी भारत की चुनौतियाँ:

- आलोचकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि भारत ने अभी भी परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और वर्ष 1996 में व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया था।
- चीन, जिसके पास UNSC में वीटो पावर है, स्थायी सदस्य बनने के भारत के प्रयासों को लेकर चुनौतियाँ पैदा कर रहा है।

नोट :

- यद्यपि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण स्थान पर है और देश का व्यापक आर्थिक बुनियादी ढाँचा भी स्थिर है, किंतु भारत मानव विकास सूचकांक जैसे कई सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में भारत खराब प्रदर्शन कर रहा है।
- हिंद महासागर क्षेत्र से परे अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने की भारत की क्षमता का परीक्षण किया जाना अभी शेष है। इसके अलावा भारत अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिये अमेरिका और रूस से हथियारों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

सुरक्षा पर भारत, श्रीलंका और मालदीव का सहयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में श्रीलंका, भारत द्वारा आयोजित एक उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार-स्तरीय बैठक में श्रीलंका और मालदीव सुरक्षा सहयोग के "चार स्तंभों" पर काम करने के लिये सहमत हुए हैं।

- इन चार क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, मानव तस्करी, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्षा शामिल है।
- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत हुई बैठक में बांग्लादेश, सेशेल्स और मॉरीशस ने पर्यवेक्षकों की भूमिका में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- नवंबर 2020 में कोलंबो में समुद्री सुरक्षा पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) की त्रिपक्षीय बैठक के तुरंत बाद इस समूह का नाम बदलकर `कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन' कर दिया गया। श्रीलंका की राजधानी (कोलंबो) में एक सचिवालय भी स्थापित किया गया है।
- यह त्रिपक्षीय ढाँचा वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था।
- कॉन्क्लेव की स्थापना का उद्देश्य तीन हिंद महासागर देशों के बीच समुद्री और सुरक्षा मामलों पर घनिष्ठ सहयोग बनाना था।
- सैन्य और सुरक्षा सहयोग पर आधारित यह पहल भारत द्वारा श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा की जाने वाली वर्तमान भू-रणनीतिक गतिशीलता के मद्देनज़र इस क्षेत्र में महत्त्व रखती है।

वर्तमान भूस्थैतिक गतिशीलता:

- श्रीलंका: इस वर्ष की शुरुआत में भारत ने अपनी दक्षिणी सीमा के करीब श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के एक द्वीप में चीन द्वारा विकास परियोजनाओं को शुरू किये जाने पर सुरक्षा चिंताएँ ज़ाहिर की हैं।
- भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया समूह जिसे 'क्वाड' के रूप में जाना जाता है, के सदस्यों के साथ मालदीव को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग (खासकर रक्षा क्षेत्र में) कर रहा है।

नवीनतम बैठक के मुख्य बिंदु:

- इस बैठक का उद्देश्य चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच बंगाल की खाड़ी सहित संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिये एक समुद्री सुरक्षा तंत्र स्थापित करना था।
- बैठक में भाग लेने वाले छह देशों के साथ फोकस क्षेत्रों का भी विस्तार किया गया और इसमें हथियारों तथा मानव तस्करी, आतंकवाद व हिंसक उग्रवाद का मुकाबला, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, क्षमता निर्माण, नशीले पदार्थों सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराध तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत आदि को भी शामिल किया गया।
- हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को और मज़बूत करने हेतु नौसेनाओं तथा तटरक्षकों के संयुक्त अभ्यास के माध्यम से अधिक सहयोग पर भी चर्चा की गई।
- गौरतलब है कि हिंद महासागर क्षेत्र में प्रदूषण संबंधी कई दुर्घटनाएँ देखी गई हैं। एमवी एक्सप्रेस पर्ल, एमटी न्यू डायमंड और एमवी वाकाशियो जैसे जहाज़ों की इस क्षेत्र में दुर्घटनाएं हुईं, इससे समुद्री पर्यावरण प्रभावित हुआ। इसके मद्देनज़र सदस्यों ने पानी में होने वाले प्रदूषण से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की।
- इसके अलावा तीन पर्यवेक्षक देशों को अगली बैठक में पूर्ण सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया गया है। यह बैठक मालदीव में होगी।

महत्त्व

- सहयोग के विषयगत क्षेत्रों का विस्तार और बांग्लादेश, मॉरीशस तथा सेशेल्स के रूप में सदस्यता का विस्तार, हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच एक साझा मंच पर एक साथ काम करने व एक क्षेत्रीय ढाँचे के तहत जुड़ाव के क्षेत्रों को मज़बूत करने का संकेत देता है।
- भारत के तत्काल पड़ोसी देशों में हिंद महासागर क्षेत्र के 6 देशों का एक समान समुद्री सुरक्षा मंच पर साथ आना व्यापक वैश्विक संदर्भ में भी महत्त्वपूर्ण है।
- यह एक प्रमुख सुरक्षा भूमिका निभाने की भारत की इच्छा पर भी प्रकाश डालता है।

चिंताएँ:

- मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में माले (Male) के साथ दिल्ली के संबंध बिगड़ने से NSA स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक की प्रगति प्रभावित हुई है।
- उपक्षेत्रीय सहयोग को द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों से अलग नहीं किया जा सकता है और इसलिये अलग-अलग देशों के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना तथा छोटे पड़ोसियों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करना महत्त्वपूर्ण होगा।
- उपक्षेत्रीय स्तर पर भारत के साथ कठिन सैन्य सहयोग करने की तुलना में अधिकांश छोटे पड़ोसी देश गैर-पारंपरिक सुरक्षा सहयोग करने में अधिक सहज हैं।

आगे की राह

- सुरक्षा सहयोग के निर्माण के लिये एक उपक्षेत्रीय दृष्टिकोण हाल के वर्षों में भारत की पड़ोस नीति में प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर NSA स्तरीय त्रिपक्षीय भारत-श्रीलंका-मालदीव वार्ता का पुनरुद्धार इस नीतिगत दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
- उपक्षेत्र की स्पष्ट सीमा तय करना एक चुनौती बना रहेगा क्योंकि सहयोग हमेशा निकटता कारक से नहीं बल्कि मुद्दे की प्रकृति से भी संचालित होगा। सीमा मुद्दे पर स्पष्टता उपक्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद कर सकती है और सदस्यता के अतिव्यापी या गतिविधियों के दोहराव से बचा जा सकता है।

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने अपनी पुस्तक में दावा किया है कि भारत में वामपंथी दल भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का विरोध करने के अपने निर्णय के मामले में चीन से प्रभावित थे।

- हालाँकि भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के साथ भारत को एक विशेष परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) से छूट मिली जबकि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की प्रगति धीमी है।

ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ:

- ग्रीनफील्ड परियोजना' का तात्पर्य ऐसी परियोजना से है, जिसमें किसी पूर्व कार्य/परियोजना का अनुसरण नहीं किया जाता है।
- अवसंरचना में अप्रयुक्त भूमि पर तैयार की जाने वाली परियोजनाएँ जिनमें मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें 'ग्रीन फील्ड परियोजना' कहा जाता है।

परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG):

- यह परमाणु आपूर्तिकर्त्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु निर्यात और परमाणु संबंधित निर्यात के लिये दिशा-निर्देशों के दो सेटों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान करना चाहता है।
- यह वर्ष 1974 में एक गैर-परमाणु-हथियार राज्य (भारत) द्वारा परमाणु उपकरण के विस्फोट के बाद बनाया गया था, जिसने प्रदर्शित किया कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये हस्तांतरित परमाणु तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है।

- समूह में 48 प्रतिभागी सरकारें शामिल हैं और NSG दिशा-निर्देश प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने राष्ट्रीय कानूनों तथा प्रथाओं के अनुसार लागू किये जाते हैं। NSG सर्वसम्मति से निर्णय लेता है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- अमेरिका लंबे समय से भारत को गुटनिरपेक्ष खेमे (गुटनिरपेक्ष आंदोलन) का नेता मानता रहा और यह मानता था कि वह USSR की ओर तथा बाद में रूस की ओर रुख कर रहा है।
  - भारत ने अपने अधिकांश हथियार रूस से खरीदे और उसके पास छद्म-समाजवादी आर्थिक शासन था।
- शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद के वर्षों में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा।
- हालाँकि चीन के उदय के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन (US) ने भारत को पश्चिम के खेमे में शामिल करने और चीन को नियंत्रित करने में मदद के लिये इसे आकर्षित करने का फैसला किया।
- इसलिये अमेरिका ने भारत को असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी और यूरेनियम तक पहुँच की पेशकश की, वह ईंधन जो उसके परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिये आवश्यक था।
- भारत सरकार 123 समझौते (या यू.एस.-भारत असैनिक परमाणु समझौते) पर हस्ताक्षर करने के लिये सहमत हुई।
- वर्ष 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया, जो तब से मज़बूती से आगे बढ़ रहे हैं।
- भारत-अमेरिका परमाणु समझौता:
  - NSG छूट: भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का एक प्रमुख पहलू यह था कि परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) ने भारत को एक विशेष छूट दी, जिसने उसे एक दर्जन देशों के साथ सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाया।
  - अलग कार्यक्रम: इसने भारत को अपने नागरिक और सैन्य कार्यक्रमों को अलग करने में सक्षम बनाया तथा अपनी असैनिक परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के तहत रखा।
  - प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण: यह भारत को उन राज्यों के संवर्द्धन और उन्हें पुनर्संसाधन प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण से रोकता है जो कि उनके पास नहीं हैं तथा भारत को उनके प्रसार को सीमित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भी समर्थन करना चाहिये।

सौदे का महत्त्व:

- अन्य देशों के साथ सौदे:
  - छूट के बाद भारत ने अमेरिका, फ्राँस, रूस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश, कज़ाखस्तान और कोरिया के साथ शांतिपूर्ण उपयोग के लिये परमाणु सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
  - इसके बाद फ्राँस, कज़ाखस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस से यूरेनियम के आयात के लिये विशिष्ट समझौते हुए हैं।
- भारत को मान्यता:
  - इसने भारत को मज़बूत अप्रसार साख के साथ एक ज़िम्मेदार परमाणु हथियार राज्य होने की मान्यता दी।
- भारत-अमेरिका संबंधों में मज़बूती:
  - इसने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया।
  - इसने सैन्य सहयोग को भी बढ़ावा दिया जिससे रक्षा व्यापार का विस्तार हुआ; इसमें वर्ष 2014 के बाद से नवीकरणीय प्रौद्योगिकी सहित ऊर्जा सहयोग में वृद्धि शामिल है।
- तकनीकी विकास:
  - भारत ने दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर' (Pressurized Heavy Water Reactor- PHWR) विकसित किये, जो वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन की रीढ़ हैं।

- PHWR एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जो आमतौर पर अपने ईंधन के रूप में गैर-समृद्ध प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है। यह अपने शीतलक और मॉडरेटर के रूप में भारी पानी (ड्यूटेरियम ऑक्साइड D_2O) का उपयोग करता है।

- यूरेनियम आयात में वृद्धि:
  - भारत-अमेरिका परमाणु समझौते ने भारत को विभिन्न देशों से यूरेनियम आयात करने में सक्षम बनाया।

मुद्दे:

- दायित्व:
  - वेस्टिंगहाउस को वर्ष 2008-09 में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
  - इसके बीच वेस्टिंगहाउस के नए खरीदारों ने पहले ही भारत में व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया है।
  - वे भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण नहीं करेंगे और केवल रिएक्टरों तथा घटकों की आपूर्ति करेंगे, जिसके कारण भारत में एक रिएक्टर के निर्माण में लगभग 10 वर्ष लगेंगे।
  - इसे देखते हुए भारत में फुकुशिमा-प्रकार (Fukushima-Type) की परमाणु दुर्घटना के मामले में अमेरिकी कंपनियाँ जो दायित्व वहन करेंगी, वह अत्यधिक अनिश्चित है।
- भारत की आवश्यकताएँ:
  - भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते से भारत की आवश्यकताओं में काफी बदलाव आया है।
  - साथ ही भारत को रूस के एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट (Russia's Atomstroyexport) के साथ अपने मौजूदा समझौते से भी काफी राहत मिली है।
- लागत:
  - एक अन्य मुद्दा उस लागत से संबंधित है जिसे भारत विदेशी सहयोग के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के लिये भुगतान करने हेतु तैयार है।
  - महाराष्ट्र के जैतापुर में 1,650 मेगावाट के छह यूरोपीय दबाव रिएक्टर्स (European Pressurised Reactors- EPR) के लिये भारत-फ्राँस वार्ता परमाणु ऊर्जा विभाग और EDF के बीच मतभेदों के कारण विलंबित है जो प्रति यूनिट लागत से संबंधित है।

वर्तमान स्थिति:

- वर्ष 2008 के समझौते के बाद से अमेरिका द्वारा भारत को परमाणु रिएक्टरों की बिक्री पर चर्चा की जा रही है, इसके बाद के दो समझौतों पर केवल वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में हस्ताक्षर किये गए थे।
- वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी (WEC) के सहयोग से छह रिएक्टर स्थापित करने के लिये एक परियोजना प्रस्ताव की घोषणा की गई है, लेकिन अभी काम शुरू होना बाकी है।
- फ्राँसीसी राज्य के स्वामित्व वाली ऑपरेटर अरेवा (Areva) से जुड़ी एक अन्य बड़ी परियोजना, जिसे बाद में फ्राँसीसी बिजली उपयोगिता EDF ने अधिग्रहण कर लिया था, में भी देरी हो रही है।
  - इसने जैतापुर, महाराष्ट्र में छह रिएक्टरों के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग अध्ययन और उपकरणों की आपूर्ति के लिये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

आगे की राह

- ऐतिहासिक परमाणु समझौते (2008) के बावजूद असैन्य परमाणु सहयोग आगे नहीं बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही कोई स्थायी शत्रु केवल स्थायी हित होते हैं। ऐसे में भारत को रणनीतिक हेजिंग की अपनी विदेश नीति को जारी रखना चाहिये।
- 21वीं सदी में विश्व व्यवस्था को आकार देने के लिये भारत-अमेरिका संबंध महत्त्वपूर्ण हैं। दोनों सरकारों को अब अधूरे समझौतों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये और व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिये।

नोट :

सुरक्षित हिंद महासागर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एक ओपन डिबेट बुलाने (Open Debate) का प्रस्ताव रखा है।

- इस बहस का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा के लिये प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों का समग्र रूप से जवाब देने हेतु प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को मज़बूत करना है।
- यह एक समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत के अंतर्राष्ट्रीय को भी दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु

भारत के लिये हिंद महासागर का महत्त्व:

- लंबी समुद्री सीमा: 7,500 किमी. से अधिक लंबी की तटरेखा के साथ, समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने में भारत की स्वाभाविक रुचि है।
- संचार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना: हिंद महासागर में तीन प्रमुख समुद्री संचार मार्ग (SLOCS) ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:
  - SLOC बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य के माध्यम से लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला समुद्री मार्ग है। (यह यूरोप और अमेरिका में अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ एशिया के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करता है)।
  - SLOC होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है (भारत, आसियान और पूर्वी एशिया जैसे प्रमुख आयात स्थलों के लिये ऊर्जा निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रूट से होता है)।
  - SLOC मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से भारतीय और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है (आसियान, पूर्वी एशिया, रूस के सुदूर पूर्व और अमेरिका के साथ व्यापार के सुचारू प्रवाह का अभिन्न अंग)।
  - हिंद महासागर क्षेत्र से विश्व के समुद्री व्यापार का 75% और दैनिक वैश्विक तेल खपत के 50% का परिवहन होता है।

भारत की समुद्री पहलें:

- आपदा प्रबंधन: वर्ष 2004 की सुनामी, जिसने मानव और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी प्रभाव डाला था, के कारण वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली' का निर्माण किया गया था।
- इसके माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा ऐसी गंभीर आपदा की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है।
- एंटी-पाइरेसी ऑपरेशन्स: वर्ष 2007 से सोमालिया के तट से शुरू होने वाली समुद्री डकैती के कारण पश्चिमी हिंद महासागर में शिपिंग के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिये भारतीय नौसेना ने सोमालिया के समुद्र तट से समुद्री डकैती पर UNSC द्वारा अनिवार्य '60-कंट्री कांटेक्ट ग्रुप' की गतिविधियों में मज़बूती से हिस्सा लिया है।
- 'सागर' पहल: भारत की 'सागर' (Security and Growth for All in the Region- SAGAR) नीति एक एकीकृत क्षेत्रीय ढाँचा है, जिसका अनावरण भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2015 में मॉरीशस की यात्रा के दौरान किया गया था। 'सागर' पहल के प्रमुख स्तंभ हैं:
  - हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका।
  - भारत 'हिंद महासागर क्षेत्र' में मित्र देशों की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देना जारी रखेगा।
  - 'हिंद महासागर क्षेत्र' के भविष्य पर अधिक एकीकृत और सहयोगात्मक फोकस, जो इस क्षेत्र के सभी देशों के सतत् विकास की संभावनाओं को बढ़ाएगा।
  - 'हिंद महासागर क्षेत्र' में शांति, स्थिरता और समृद्धि स्थापित करने का प्राथमिक दायित्व उनका है, जो 'इस क्षेत्र में निवास करते हैं।'
- अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन: भारत ने 'भारत-बांग्लादेश' के बीच समुद्री सीमा मध्यस्थता पर 'यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी' (UNCLOS) न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार कर लिया था।

- इसके तहत बिम्सटेक देशों के बीच प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की परिकल्पना की गई है।

- डेटा साझा करना: वाणिज्यिक नौवहन के खतरों पर डेटा साझा करना समुद्री सुरक्षा बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
  - इस संदर्भ में भारत ने वर्ष 2018 में गुरुग्राम में हिंद महासागर क्षेत्र के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संलयन केंद्र (IFC) की स्थापना की।
  - IFC को संयुक्त रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा प्रशासित किया जाता है।
  - IFC सुरक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर समुद्री डोमेन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कार्य करता है।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बनाए रखने हेतु नीति और परिचालन क्षेत्रों में दो सहायक ढाँचे की आवश्यकता होती है।
  - नियम-कानून आधारित दृष्टिकोण: UNCLOS की परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
    - विशेष रूप से नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री संसाधनों के सतत् दोहन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर इसके प्रावधानों को लागू करने के संबंध में।
  - संचार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना: समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने हेतु महासागरों को पार करने वाले SLOC को सुरक्षित करना केंद्र के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - इस प्रकार वैश्विक वार्ता के माध्यम से मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करते हुए राज्यों द्वारा SLOC तक समान और अप्रतिबंधित पहुँच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- निजी क्षेत्र को शामिल करना: समुद्री क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका की आवश्यकता है, चाहे वह शिपिंग हो या नीली अर्थव्यवस्था के माध्यम से सतत् विकास।
  - इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले महत्त्वपूर्ण पनडुब्बी फाइबर-ऑप्टिक केबल प्रदान करने के लिये समुद्री डोमेन के उपयोग का लाभ उठाया जा सकता है।
- समुद्री सुरक्षा बढ़ाने हेतु बहु-हितधारक दृष्टिकोण का समर्थन कर बहस द्वारा समाधान पाने के लिये UNSC की क्षमता एक महत्त्वपूर्ण परिणाम प्रदान कर सकती है, जो 21वीं सदी में "बहु-आयामी" सुरक्षा को बनाए रखकर एक प्रतिमान स्थापित करेगा।

मॉरीशस के अगलेगा द्वीप समूह में भारतीय बेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मॉरीशस ने एक रिपोर्ट का खंडन किया है कि उसने भारत को अगलेगा (Agalega) के दूरस्थ द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी है।

- इससे पूर्व एक समाचार प्रसारक द्वारा यह बताया गया था कि अगलेगा द्वीप पर एक भारतीय सैन्य अड्डे के लिये एक हवाई पट्टी और दो जेटी निर्माणाधीन हैं।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2015 में भारत ने अगलेगा द्वीप समूह के विकास के लिये मॉरीशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - यह बाहरी द्वीप में अपने हितों की रक्षा करने में मॉरीशस रक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिये समुद्री और हवाई संपर्क में सुधार हेतु बुनियादी ढाँचे की स्थापना तथा उन्नयन के लिये प्रदान करता है।
- हालाँकि तब से ट्रांसपोंडर सिस्टम और निगरानी बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने में भारतीय नौसेना और तटरक्षकों के हितों के बारे में रिपोर्टें बढ़ रही हैं, जिसके कारण कुछ स्थानीय विरोध हुए हैं।

नोट :

अगलेगा परियोजना:

- इस परियोजना में एक जेटी का निर्माण, पुनर्निर्माण और रनवे का विस्तार तथा अगलेगा द्वीप पर एक हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण शामिल है।
  - 87 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इन परियोजनाओं को भारत द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
- परियोजना में एक नया हवाई अड्डा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक और संचार सुविधाएँ तथा संभावित परियोजना से संबंधित कोई अन्य सुविधाएँ शामिल होंगी।
- अगलेगा द्वीप दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरीशस से 1,122 किमी. उत्तर में स्थित है।
  - इसका कुल क्षेत्रफल 27 वर्ग मील (70 वर्ग किमी.) है।

महत्त्व:

- भारत की उपस्थिति को मज़बूत करना:
  - यह दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मज़बूत करेगा तथा इस क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदर्शन की आकांक्षाओं को सुविधाजनक बनाएगा।
  - भारत दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में और एक खुफिया पोस्ट के रूप में हवाई तथा सतही समुद्री गश्त दोनों की सुविधा के लिये नए आधार को आवश्यक मानता है।
- भू-आर्थिक:
  - एक "केंद्रीय भौगोलिक बिंदु" के रूप में मॉरीशस हिंद महासागर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिये महत्त्व रखता है।
  - अफ्रीकी संघ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग के सदस्य के तौर पर भी मॉरीशस की भौगोलिक अवस्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है।
  - 'छोटे विकासशील द्वीपीय देश' (SIDS) के संस्थापक सदस्य के रूप में इसे एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में देखा गया है।
- सुरक्षित विदेश व्यापार :
  - भारत का 95% व्यापार मात्रात्मक रूप में तथा 68% व्यापार मूल्य के रूप में हिंद महासागर से होता है।
  - भारत की कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% हिंद महासागर के माध्यम से समुद्र द्वारा आयात किया जाता है। इसलिये हिंद महासागर में उपस्थिति भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- चीन का सामना:
  - चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' का मुकाबला करने, जो कि हमारे रणनीतिक हितों के लिये खतरा साबित हो सकता है, के लिये भारत को हिंद महासागर के बड़े क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करना बेहद ज़रूरी हो गया है।
- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास:
  - इस परियोजना को सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) के तहत अपने पड़ोसी की विकास यात्रा में योगदान करने के भारत के प्रयासों के एक भाग के रूप में देखा जा सकता है।
  - इस परियोजना को भारत और उसके पड़ोसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है।
- मॉरीशस के सुरक्षा ढाँचे को बढ़ाना:
  - यह परियोजना अपने बुनियादी ढाँचे में उन्नयन के माध्यम से मॉरीशस सुरक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाएगी।

चुनौतियाँ:

- विपक्ष का विरोध :
  - मॉरीशस में विपक्ष परियोजना में पारदर्शिता को लेकर चिंता जताता रहा है।
  - मॉरीशस सरकार ने परियोजना को पर्यावरण लाइसेंस प्रक्रिया (EIA clearances) में छूट प्रदान की है।

- स्थानीय लोगों का विरोध :
  - वर्ष 1965 में मॉरीशस की स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटेन ने चागोस द्वीपों को मॉरीशस से अलग कर दिया और यहाँ के निवासियों को ज़बरन स्थानांतरित कर दिया। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसी घटनाओं को लेकर चिंतित है।
  - फ्राँस, चीन, अमेरिका और यूके जैसी सभी प्रमुख सैन्य शक्तियों के हिंद महासागर में नौसैनिक अड्डे हैं, जिससे यह आशंका पैदा हो रही है कि उनके शांतिपूर्ण द्वीप क्षेत्र का भी सैन्यीकरण किया जाएगा।
- चीन केंद्रित नीतियाँ:
  - हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में चीन की तेज़ी से बढ़ती उपस्थिति के साथ-साथ इस क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों और जहाज़ों की तैनाती भारत के लिये एक चुनौती है।
- अति-उत्साही सुरक्षा नीति:
  - अपने पड़ोसियों के प्रति भारत की एक अति-उत्साही सुरक्षा-संचालित नीति ने अतीत में मदद नहीं की है।
  - मॉरीशस के प्रति भारत को अपने दृष्टिकोण में जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास और नीली अर्थव्यवस्था जैसी कुछ सामान्य चुनौतियों पर पुनर्विचार करना चाहिये।

अन्य हालिया घटनाक्रम:

- जुलाई 2021 में भारत और मॉरीशस के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से मॉरीशस में एक सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया।
- फरवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECPA) पर हस्ताक्षर करने को मंज़ूरी दी।
- भारत और मॉरीशस ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- मॉरीशस को एक डोर्नियर विमान और एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव पट्टे पर मिलेगा जो इसकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं का निर्माण करेगा।
- दोनों पक्षों ने चागोस द्वीप समूह विवाद पर भी चर्चा की, जो संयुक्त राष्ट्र (UN) के समक्ष संप्रभुता और सतत् विकास का मुद्दा था।
  - वर्ष 2019 में भारत ने इस मुद्दे पर मॉरीशस की स्थिति के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया। भारत उन 116 देशों में से एक था, जिसने इस द्वीप समूह पर ब्रिटेन के "औपनिवेशिक प्रशासन" को समाप्त करने के लिये वोटिंग की मांग की थी।
  - भारत द्वारा मॉरीशस को 1,00,000 कोविशील्ड के टीके प्रदान किये गए हैं।

आगे की राह

- अन्य देशों द्वारा संचालित सैन्य ठिकानों के विपरीत भारतीय ठिकाने सॉफ्ट बेस पर आधारित हैं, जिसका अर्थ है कि स्थानीय लोग किसी भी भारतीय-निर्मित परियोजना के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिये स्थानीय सरकारें अपनी संप्रभुता को कम किये बिना अपने डोमेन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करती हैं।
- भारत को प्रभावित सभी पक्षों के डर को दूर करते हुए अधिक प्रेरक तरीके से खुद को एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में पेश करने की ज़रूरत है।
- मॉरीशस में पंजीकृत कंपनियाँ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सबसे बड़ा स्रोत हैं, जिससे भारत के लिये अपनी द्विपक्षीय कर संधि को उन्नत करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को अपनाना जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कृत्रिम रूप से मुनाफे को कम कर वाले देशों में स्थानांतरित करने से रोकती हैं।
- जैसा कि भारत दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें मॉरीशस का स्वाभाविक रूप से एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसलिये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (Neighbourhood First policy) में सुधार करना आवश्यक हो गया है।

बेलारूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

बेलारूस के राष्ट्रपति 'अलेक्जेंडर लुकाशेंको' पर दबाव बढ़ाने के लिये ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने बेलारूस पर नए व्यापार, वित्तीय और विमानन प्रतिबंध अधिरोपित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- यूरोप के सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले शासक, बेलारूस के राष्ट्रपति 'अलेक्जेंडर लुकाशेंको' ने सोवियत संघ के पतन (वर्ष 1991) के कारण पैदा हुई अराजकता के बीच वर्ष 1994 में पदभार ग्रहण किया था।
- इन्हें अक्सर यूरोप के 'अंतिम तानाशाह' के रूप में वर्णित किया जाता है, उन्होंने सोवियत साम्यवाद के तत्त्वों को संरक्षित करने का प्रयास किया है।
    - वह 26 वर्ष से सत्ता में हैं और देश की अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा सरकार के नियंत्रण में है तथा विरोधियों के खिलाफ सेंसरशिप एवं पुलिस कार्रवाई का उपयोग कर रहे हैं।
- वर्ष 2020 में हुए चुनावों में 'अलेक्जेंडर लुकाशेंको' को विजेता घोषित किया गया था, जिसके बाद राजधानी मिन्स्क में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की गई।
    - आर्थिक अस्थिरता और चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह को लेकर सरकार के खिलाफ आम लोगों में व्यापक गुस्सा है।

प्रतिबंध

- इन प्रतिबंधों का उद्देश्य बेलारूस की सरकार और राष्ट्रपति 'अलेक्जेंडर लुकाशेंको' के सहयोगियों पर यथासंभव ध्यान केंद्रित करना तथा पश्चिमी देशों की कंपनियों को बेलारूस के साथ व्यापार करने से हतोत्साहित करना है।
- नवीनतम प्रतिबंध बेलारूस को किसी भी प्रकार की निगरानी एवं सैन्य प्रौद्योगिकी के निर्यात को प्रतिबंधित करते हैं।
- साथ ही इसके तहत आंशिक रूप से बेलारूस से पोटाश उर्वरक, पेट्रोल और पेट्रोल आधारित उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
- यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा के मामलों में ये प्रतिबंध वित्तीय व्यापार जैसे- राज्य से संबंधित संस्थाओं का बीमा या पुनर्बीमा आदि पर भी रोक लगाते हैं।
- यूरोपीय संघ और अमेरिका ने बेलारूस के तंबाकू उद्योग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि सिगरेट तस्करी के व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
    - वर्ष 2019 में लिथुआनिया में तस्करी की जाने वाली 90% से अधिक सिगरेट बेलारूस से आई थी।
- पश्चिमी देशों ने बेलारूस के कुछ नागरिकों को 'ब्लैक लिस्ट' में डाल दिया है।

प्रभाव:

- बेलारूस के पोटाश क्षेत्र को लक्षित करना एक रणनीतिक कदम था क्योंकि यह कनाडा के बाद उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसकी वर्ष 2019 में विश्व पोटाश निर्यात में 21% हिस्सेदारी रही है।
    - लेकिन लगाए गए प्रतिबंध यूरोपीय संघ को निर्यातित कुल पोटाश निर्यात का केवल 15% हिस्सा ही कवर करते हैं।
- इसके अलावा रूस की बेलारूस के व्यापार में 49.2% की हिस्सेदारी है और बेलारूस वहाँ से पुन: रूसी सीमा के पार अपने स्वीकृत माल का निर्यात कर सकता है।
- दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं, निगरानी और अवरोधन माल तथा प्रौद्योगिकी एवं सिगरेट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले सामानों पर प्रतिबंधों का प्रभाव नगण्य होगा।

रूस के लिये संभावनाएँ/अवसर:

- चूँकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लुकाशेंको (Lukashenko) के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं और प्रतिबंध रूस को एक कमज़ोर राज्य के नियंत्रण में बेलारूस के लुकाशेंको पर अपनी शर्तों को लागू करने का एक अवसर है, जिसे रूस ने दशकों से आर्थिक रूप से समर्थन दिया है।

बेलारूस का रुख:

- यूके, अमेरिका और कनाडा पर बेलारूसी लोगों की इच्छा की अनदेखी करने और शासन परिवर्तन हेतु 'शीत युद्ध' की स्थिति को नियोजित करने का आरोप लगाया।

आगे की राह:

- बेलारूस के राष्ट्रपति को एक वैध सरकार का गठन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो देश की महत्त्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सके।
- उन्हें इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान हेतु विपक्ष से वार्ता के लिये पेशकश करनी होगी।

समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने समुद्री सुरक्षा पर पहली बार अध्यक्षीय वक्तव्य (Presidential Statement) को अपनाया है।

- अगस्त 2021 के लिये UNSC के अध्यक्ष के रूप में भारत ने समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा हेतु खतरों को संबोधित किया तथा सदस्यों से अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 2000 को लागू करने का आह्वान किया।
- UNSC (अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्राँस) के सभी स्थायी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

समुद्री सुरक्षा पर वक्तव्य:

- महासागरों के वैध उपयोग और तटीय समुदायों की सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए इस बात की पुष्टि की गई कि अन्य वैश्विक उपकरणों के मध्य समुद्री सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कानून वर्ष 1982 की संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) में परिलक्षित होता है जो महासागरों में अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु एक कानूनी ढाँचा प्रदान करती है।
- नौपरिवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड तथा समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्याय XI-2 को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के साथ कार्य करने हेतु सुरक्षित नौपरिवहन को बढ़ावा देने के लिये कहा गया।
- सदस्य राज्यों को अन्य शर्तों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और उसके प्रोटोकॉल के विरुद्ध वर्ष 2000 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का समर्थन करने, उसे स्वीकार करने और लागू करने पर भी विचार करना चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)

- 'लॉ ऑफ द सी ट्रीटी', (Law of the Sea Treaty) जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के रूप में जाना जाता है, को वर्ष 1982 में विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार व ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करने हेतु अपनाया गया था।
- यह कन्वेंशन बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्र सीमा के रूप में और 200 समुद्री मील की दूरी को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र सीमा के रूप में परिभाषित करता है।
- भारत वर्ष 1982 में UNCLOS का हस्ताक्षरकर्ता देश बना।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय पोत और पोर्ट सुविधा सुरक्षा (ISP) कोड

- ISPS कोड जहाज़ों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों का एक समूह है। इसे 9/11 के हमलों के बाद जहाज़ों और बंदरगाह सुविधाओं हेतु कथित खतरों के जवाब में विकसित किया गया था।
- समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्याय XI-2 में ISPS कोड निहित है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष संस्था हैI यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उत्तरदायी है।
- वर्ष 1959 में भारत IMO में शामिल हुआ। IMO वर्तमान में भारत को 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि' वाले 10 राज्यों में सूचीबद्ध करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC)

- UNTOC को पलेर्मो कन्वेंशन (Palermo Convention) के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे वर्ष 2000 में इटली के पलेर्मो में अपनाया गया था तथा यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। भारत वर्ष 2002 में UNTOC में शामिल हुआ।
- संगठित अपराध के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन रखने के पीछे का विचार यह था कि यदि अपराध सीमा को पार करते हैं, तो इनके लिये एक प्रवर्तन कानून (Enforcement Law) भी होना चाहिये।
- भारत का पक्ष: भारत ने समुद्री सुरक्षा के लिये पाँच बुनियादी सिद्धांत सामने रखे हैं।
  - बिना किसी बाधा के वैध व्यापार स्थापित करना।
  - इस संदर्भ में 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) विज़न पर प्रकाश डाला जा सकता है।
- समुद्री विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिये।
  - इसी समझ और परिपक्वता के चलते भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी समुद्री सीमा के मुद्दे का समाधान किया।
- उत्तरदायी समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का संदर्भ देते हुए भारत ने माना कि "समुद्री संपर्क" हेतु संरचनाएँ बनाते समय, देशों को "वित्तीय स्थिरता" और मेज़बान देशों की क्षमता को बनाए रखना चाहिये।
- गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समुद्री खतरों का सामूहिक रूप से मुकाबला करने की आवश्यकता है।
  - हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की रही है।
- समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना।
  - प्लास्टिक कचरे और तेल रिसाव से बढ़ते प्रदूषण पर प्रकाश डालना।

अमेरिका का पक्ष:

- दक्षिण चीन सागर या किसी भी महासागर में संघर्ष के कारण सुरक्षा और वाणिज्य हेतु गंभीर वैश्विक परिणाम उत्पन्न होंगे।
- इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि चीन इस क्षेत्र के कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बना रहा है, जिस पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी दावा करते हैं।
- अमेरिका ने पाँच वर्ष पहले UNCLOS के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से दिये गए और कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसे चीन ने अवैध रूप से खारिज़ कर दिया।

चीन का पक्ष:

- चीन ने माना कि चीन और आसियान देशों के संयुक्त प्रयासों से दक्षिण चीन सागर में स्थिति सामान्य रूप से स्थिर बनी हुई है।
- परोक्ष रूप से क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया) का जिक्र करते हुए कुछ देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय रणनीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।

- यह समुद्री संघर्षों को और तेज़ कर सकता है तथा संबंधित देशों की संप्रभुता एवं सुरक्षा हितों को कमज़ोर करने के साथ ही क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को कमज़ोर कर सकता है।
- इसके अलावा चीन, अमेरिका की आलोचना करता है कि दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर उसे गैर-ज़िम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अमेरिका खुद UNCLOS में शामिल नहीं हुआ है।

रूस का पक्ष:

- रूस ने दक्षिण चीन सागर या हिंद-प्रशांत का उल्लेख नहीं किया।
- यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख मानदंडों और सिद्धांतों के सख्त पालन को बढ़ावा देता है, जैसे कि संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और बातचीत के माध्यम से विवादों का निपटारा करना।

UK का पक्ष:

- UK के पास एक स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हिंद-प्रशांत का विज़न है।
- इस संदर्भ में ब्रिटेन की विदेश, सुरक्षा, रक्षा और विकास नीति की हालिया एकीकृत समीक्षा ने हिंद-प्रशांत के महत्त्व को निर्धारित किया है।

फ्राँस का पक्ष:

- इसने माना कि समुद्री क्षेत्र नई पीढ़ी की चुनौतियों के लिये एक रंगमंच के रूप में उभरा है और इस मुद्दे से निपटने हेतु UNSC के सदस्यों के बीच अधिक सहयोग का आग्रह किया।
- जैसे कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और सुरक्षा को लेकर इसके परिणाम विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में।

फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया (FEMBoSA)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के लिये फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया (FEMBoSA) की 11वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

बैठक के बारे में :

- आयोजन : बैठक की मेज़बानी भूटान के चुनाव आयोग द्वारा वर्चुअल मोड में की गई थी।
  - बैठक में शामिल राष्ट्र : भारत सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्षता: भारत के चुनाव आयोग ने 2021-22 के लिये भूटान के चुनाव आयोग को फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया (FEMBoSA) की ज़िम्मेदारी सौंपी।
  - भारत का चुनाव आयोग इस फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है।
- थिम्पू संकल्प : वर्तमान महामारी की स्थिति के दौरान अध्यक्ष के कार्यकाल को दो साल तक बढ़ाने के लिये FEMBoSA सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया गया था।
  - इससे पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का था।
- बैठक का विषय (थीम) : 'चुनावों में प्रौद्योगिकी का उपयोग'।
- चुनाव का डिजिटलीकरण: उन्नत तकनीकी का चुनाव प्रबंधन पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
  - चुनावों को अधिक सहभागी, सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - यह कोविड-19 महामारी के दौरान और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह एक-दूसरे व्यक्ति के संपर्क को कम करने में मदद कर रहा है।

FEMBoSA के बारे में :

- स्थापना :
  - फोरम की स्थापना वर्ष 2012 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB) के प्रमुखों के तीसरे सम्मेलन में की गई थी।
    - सार्क में आठ सदस्य देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- लक्ष्य:
  - फोरम का लक्ष्य सार्क के चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB) के सामान्य हितों के संबंध में आपसी सहयोग को बढ़ाना है।
- उद्देश्य:
  - सार्क देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।
  - एक-दूसरे से सीखने की दृष्टि से अनुभव साझा करना।
  - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में चुनाव प्रबंधन निकायों की क्षमताओं को बढ़ाने में एक-दूसरे का सहयोग करना।
- महत्त्व :
  - FEMBoSA लोकतांत्रिक विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और यह चुनाव प्रबंधन निकायों का एक सक्रिय क्षेत्रीय सहयोग संघ है।
  - सुनहरे मोतियों वाला इसका लोगो पारदर्शिता, निष्पक्षता, लोकतंत्र और सहयोग के शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

- ECI भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिये ज़िम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है।
- यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
- निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं।
  - अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिये चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

संरचना:

- मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त था लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया है।
- आयोग में वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो निर्वाचन आयुक्त (EC) हैं।
- निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

चार नए रामसर स्थल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चार और भारतीय स्थल जिनमें दो हरियाणा और दो गुजरात में स्थित है, को रामसर अभिसमय (Ramsar Convention) के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों (Wetlands) के रूप में मान्यता दी गई है।

- इसके अलावा वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया (Wetlands International South Asia) के हालिया अनुमानों के अनुसार, पिछले तीन दशकों में भारत के प्राकृतिक आर्द्रभूमि क्षेत्र में लगभग 30% की कमी हुई है। प्रमुख रूप से आर्द्रभूमि का नुकसान शहरी क्षेत्रों में अधिक हुआ है।

- वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया की स्थापना वर्ष 1996 में नई दिल्ली में एक कार्यालय के साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत् विकास को बढ़ावा देने हेतु वेटलैंड्स इंटरनेशनल नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में की गई थी।

प्रमुख बिंदु

आर्द्रभूमियों के बारे में:

- आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र हैं जो या तो मौसमी या स्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं।
- इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र जहाँ निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते तथा इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे- अपशिष्ट जल उपचारित जलाशय शामिल हैं।
- यद्यपि ये भू-सतह के केवल 6% हिस्से हो ही कवर करते हैं। सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का 40% आर्द्रभूमियों में ही पाया जाता है या वे यहाँ प्रजनन करते हैं।

नए रामसर स्थल/साइट

- हाल ही में रामसर अभिसमय/समझौते (Ramsar Convention) ने भारत में चार नई आर्द्रभूमियों को वैश्विक महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया है। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  - भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। यह मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है।
  - हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय प्रवासी जलपक्षियों (Local Migratory Waterbirds) की 220 से अधिक प्रजातियों का उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों जिनमें निवास स्थल और उनका शीतकालीन प्रवास शामिल है, को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
  - गुजरात में थोल झील वन्यजीव अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ 320 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - गुजरात की वाधवाना आर्द्रभूमि इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह प्रवासी जलपक्षियों को सर्दियों के समय रुकने के लिये स्थान प्रदान करती है, जिसमें 80 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती हैं।
- ये आर्द्रभूमि मिस्र के गिद्ध, सेकर फाल्कन,सोशिएबल लैपविंग और संकटग्रस्त डेलमेटियन पेलिकन जैसी लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों का निवास स्थल हैं।
- इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है।

शहरी आर्द्रभूमि की भूमिका:

- ऐतिहासिक महत्त्व: आर्द्रभूमि का मूल्य, विशेष रूप से शहरी परिप्रेक्ष्य में हमारे इतिहास के माध्यम से प्रमाणित होता है।
  - दक्षिण भारत में चोलों, होयसलों ने पूरे राज्य में तालाबों का निर्माण किया।
- बहुस्तरीय भूमिका: आर्द्रभूमि न केवल जैव विविधता की उच्च सांद्रता का समर्थन करती है, बल्कि भोजन, पानी, फाइबर, भूजल पुनर्भरण, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, तूफान संरक्षण, क्षरण नियंत्रण, कार्बन भंडारण, जलवायु विनियमन जैसे महत्त्वपूर्ण संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।
- शहरों की तरल संपत्ति: वे सांस्कृतिक विरासत में योगदान देने वाले विशेष गुणों के रूप में कार्य करते हैं और शहर के लोकाचार के साथ गहरे संबंध रखते हैं।
  - मछली पकड़ने, खेती और पर्यटन जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय आजीविका हासिल करने में आर्द्रभूमि का मूल्य अतुलनीय है।

आर्द्रभूमि के लिये प्रमुख खतरे:

• शहरीकरण	• शहरी केंद्रों के पास आर्द्रभूमि आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक सुविधाओं के विकासात्मक दबाव में वृद्धि कर रही है।
• मानवजनित गतिविधियाँ	• अनियोजित शहरी और कृषि विकास, उद्योगों, सड़क निर्माण, इंपाउंडमेंट, संसाधन निष्कर्षण और जल निकासी संबंधी समस्या के कारण, आर्द्रभूमियों की स्थिति खराब हुई है, जिससे लंबी अवधि में पर्याप्त आर्थिक व पारिस्थितिक नुकसान हुआ है।
• कृषि गतिविधियाँ	• 1970 के दशक की हरित क्रांति के बाद आर्द्रभूमि के विशाल हिस्सों को धान के खेतों में बदल दिया गया है। • सिंचाई के लिये बड़ी संख्या में जलाशयों, नहरों और बाँधों के निर्माण ने संबंधित आर्द्रभूमि के जल विज्ञान को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।
• जल विज्ञान संबंधी गतिविधियाँ	• सिंचाई के लिये निचले शुष्क क्षेत्रों में पानी पहुँचाने हेतु नहरों के निर्माण और नदियों और नदियों के मोड़ ने जल निकासी पैटर्न को बदल दिया है तथा क्षेत्र की आर्द्रभूमि को काफी हद तक खराब कर दिया है। • केवलादेव घाना अभयारण्य, लोकटक झील, चिल्का झील, वेम्बनाड कोले उन स्थलों में से हैं जो पानी और गाद प्रवाह को प्रभावित करने वाले बाँधों से गंभीर रूप से प्रभावित हैं।
• वनोन्मूलन	• जलग्रहण क्षेत्र में वनस्पति को हटाने से मिट्टी का क्षरण और गाद जमा होती है।
• प्रदूषण	• उद्योगों से सीवेज और जहरीले रसायनों के अप्रतिबंधित डंपिंग ने कई मीठे पानी की आर्द्रभूमि को प्रदूषित कर दिया है।
• लवणीकरण	• भूजल के अत्यधिक दोहन से लवणीकरण में वृद्धि हो रही है।
• मत्स्य पालन	• झींगा और मछलियों की मांग ने मछली पालन व जलीय कृषि तालाबों को विकसित करने के लिये आर्द्रभूमि एवं मैंग्रोव वनों को परिवर्तित करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया है।
• नई प्रजातियाँ	• भारतीय आर्द्रभूमि को जलकुंभी और साल्विनिया जैसी विदेशी पौधों की प्रजातियों से खतरा है। वे जलमार्गों को रोकते हैं तथा देशी वनस्पतियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
• जलवायु परिवर्तन	• हवा के तापमान में वृद्धि; वर्षा में बदलाव; तूफान, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि; वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एकाग्रता में वृद्धि; समुद्र के स्तर में वृद्धि भी आर्द्रभूमि को प्रभावित कर सकती है।

आर्द्रभूमि संरक्षण संबंधी मुद्दे:

- 'केंद्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण' जैसे प्रमुख नियामक निकायों का सीमित प्रभाव और उनके पास केवल सलाहकारी शक्तियाँ होना।
- इसके अतिरिक्त आर्द्रभूमि पर शासन और निगरानी में मौजूदा कानून स्थानीय समुदायों की भागीदारी की उपेक्षा करते हैं।
- इसके अलावा नीतिगत शून्यता के कारण शहर पानी की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास शहरी जल प्रबंधन हेतु कोई भी बेहतर 'राष्ट्रीय शहरी जल नीति' नहीं है।
- शहरीकरण संबंधी ज़रूरतों के अलावा इस व्यापक नुकसान के लिये आर्द्रभूमि और उनकी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में जागरूकता व ज्ञान की कमी को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

नोट :

वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण पहल

- रामसर कन्वेंशन
- मोंट्रेक्स रेकॉर्ड
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस
- 'सिटीज़4फॉरेस्ट' वैश्विक अभियान: यह वनों से जुड़ने के लिये दुनिया भर के शहरों के साथ मिलकर काम करता है, साथ ही शहरों में जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा जैव विविधता की रक्षा में मदद करने के लिये आर्द्रभूमि के कई लाभों पर ज़ोर देता है।

भारत द्वारा संरक्षण उपाय

- जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना (NPCA)
- आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017
- इसरो ने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का उपयोग करके राष्ट्रीय आर्द्रभूमि इन्वेंटरी और आकलन का कार्य किया है तथा भारत में लगभग दो लाख आर्द्रभूमियों का मानचित्रण किया है।

आगे की राह

- मेगा शहरी योजनाओं के साथ तालमेल करना: हमारी विकास नीतियों, शहरी नियोजन और जलवायु परिवर्तन शमन में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को उजागर करने की आवश्यकता है।
  - इस संदर्भ में स्मार्ट सिटी मिशन तथा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जैसी मेगा शहरी योजनाओं को आर्द्रभूमि के स्थायी प्रबंधन के पहलुओं से जोड़ने की आवश्यकता है।
- लोगों की भागीदारी को सक्षम बनाना: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी की जैव विविधता और माइक्रोक्लाइमेट को बनाए रखने के लिये दिल्ली की 'हरी और नीली संपत्ति' के एक एकीकृत नेटवर्क की रक्षा एवं विकास हेतु मास्टर प्लान दिल्ली 2041 पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं।
  - 'हरी-नीली नीति' से तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ जल निकाय और भूमि अन्योन्याश्रित हैं तथा पर्यावरण और सामाजिक लाभ प्रदान करते हुए एक-दूसरे की मदद से बढ़ रहे हैं।
  - इसी तरह स्वामीनी का दस महिलाओं का स्वयं सहायता समूह वर्ष 2017 से महाराष्ट्र में मांडवी क्रीक में पर्यटकों के लिये 'मैंग्रोव सफारी' का आयोजन कर रहा है। इसे पारिस्थितिक पर्यटन के माध्यम से समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण हेतु एक मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
- आगे के विकास और गरीबी उन्मूलन को समायोजित करते हुए हमारे सतत् विकास लक्ष्यों तथा लचीले शहरों के निर्माण के महत्त्वाकांक्षी एजेंडे को प्राप्त करने हेतु आर्द्रभूमि द्वारा प्रदान किये जाने लाभ और सेवाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

कोविड -19 से रिकवरी में 'अश्वगंधा' का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और यूके ने कोविड-19 से रिकवरी के मामले को बढ़ावा देने हेतु 'अश्वगंधा (AG)' पर एक अध्ययन का आयोजन करने में सहयोग किया है।

- परीक्षण की सफलता के पश्चात् 'अश्वगंधा' कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु एक सिद्ध औषधीय उपचार होगा तथा वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय द्वारा पहचाना जाएगा।
- यह पहली बार है जब आयुष मंत्रालय ने किसी विदेशी संस्थान के साथ मिलकर कोविड-19 रोगियों पर इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु

अश्वगंधा के बारे में:

- अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा/Withania Somnifera) एक औषधीय जड़ी बूटी है। इसे इम्युनिटी बढ़ाने के लिये जाना जाता है।
- इसे "एडाप्टोजेन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह आपके शरीर को तनाव का प्रबंधन करने में मदद कर सकती है।
- अश्वगंधा मस्तिष्क की स्मृति और संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ाने के साथ-साथ रक्त शर्करा को कम करती है तथा चिंता एवं अवसाद के लक्षणों से लड़ने में मदद करती है।
- अश्वगंधा ने तीव्र और पुरानी संधिशोथ/गठिया दोनों के नैदानिक इलाज में सफलता प्राप्त की है।
  - रुमेटाइड आर्थराइटिस यानी गठिया (Rheumatoid Arthritis) एक ऐसी बीमारी है, जो व्यक्ति के जोड़ों में विकृति व विकलांगता पैदा कर सकती है।
  - ऑटोइम्यून बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अचेतन अवस्था में आपके शरीर को प्रभावित करती है।

अश्वगंधा की क्षमता:

- अध्ययन से पता चलता है कि अश्वगंधा कोविड-19 के दीर्घकालिक लक्षणों को कम करने के लिये एक संभावित चिकित्सीय औषधि के रूप में है।
- हाल ही में भारत में मनुष्यों में AG के कई यादृच्छिक प्लेसबो (Randomized Placebo) नियंत्रित परीक्षणों ने चिंता और तनाव को कम करने, मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने तथा पुरानी स्थितियों के इलाज वाले रोगियों में थकान के लक्षणों को कम करने में इसकी प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है।
  - यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (RCT) एक संभावित, तुलनात्मक, मात्रात्मक अध्ययन / प्रयोग है जो नियंत्रित परिस्थितियों में तुलनात्मक समूहों को हस्तक्षेपों के यादृच्छिक आवंटन के साथ किया जाता है।

नैदानिक परीक्षण:

- मनुष्यों में नैदानिक परीक्षणों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है: चरण I, चरण II एवं चरण III और कुछ देशों में इनमें से किसी भी अध्ययन को करने के लिये औपचारिक नियामक अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

नोट :

- चरण-I के नैदानिक अध्ययन में स्वस्थ वयस्कों की कम संख्या (जैसे 20) में टीके का प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है, ताकि टीके के गुणों, इसकी सहनशीलता और यदि उपयुक्त हो तो नैदानिक प्रयोगशाला एवं औषधीय मापदंडों का परीक्षण किया जा सके। प्रथम चरण के अध्ययन मुख्य रूप से सुरक्षा से संबंधित हैं।
- चरण-II के अध्ययन में बड़ी संख्या में विषय शामिल हैं और इसका उद्देश्य लक्षित आबादी तथा इसकी सामान्य सुरक्षा में वांछित प्रभाव (आमतौर पर इम्यूनोजेनेसिटी) उत्पन्न करने के लिये एक टीके की क्षमता के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्रदान करना है।
- टीके की सुरक्षात्मक प्रभावकारिता और सुरक्षा का पूरी तरह से आकलन करने के लिये व्यापक चरण-III के परीक्षणों की आवश्यकता होती है। चरण III नैदानिक परीक्षण एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन है जिस पर यह निर्णय लिया जाता है कि क्या लाइसेंस प्रदान करना है और यह प्रदर्शित करने लिये पर्याप्त डेटा प्राप्त करना है कि एक नया उत्पाद सुरक्षित और इच्छित उद्देश्य हेतु प्रभावी है या नहीं।

नासा का बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्षयान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चालक रहित बोइंग के स्टारलाइनर ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट-2 (OFT-2) की लॉन्चिंग को एक बार फिर टाल दिया गया है।

- अंतरिक्षयान, जिसे क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन-100 (CST-100) कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) हेतु एक मानव रहित परीक्षण उड़ान का हिस्सा है।
- यह मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु

CST-100 के बारे में:

- इस अंतरिक्षयान को 'लो अर्थ ऑर्बिट' में मिशन के लिये सात यात्रियों या चालक दल और कार्गो के मिश्रण को समायोजित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- यह मिशन ISS के लिये नासा द्वारा प्रायोजित मिशनों में से एक है तथा यह चार चालक दल के सदस्यों के साथ कम समय में महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता करेगा।
  - स्टारलाइनर अंतरिक्षयान 400 पाउंड से ज़्यादा के नासा के कार्गो और चालक दल को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा।
- स्टारलाइनर में एक नई, वेल्डलेस (weldless) संरचना विद्यमान है जिसे छह महीने के टर्नअराउंड समय (Turnaround Time) में 10 बार पुन: प्रयोग किया जा सकता है।

उद्देश्य:

- जब इस परीक्षण हेतु उड़ान भरी जाएगी तो यह अंतरिक्षयान की लॉन्चिंग, डॉकिंग, वायुमंडलीय पुन: प्रवेश और अमेरिका में एक रेगिस्तान में लैंडिंग की क्षमताओं की जाँच करेगा।
- स्पेसफ्लाइट भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने के लिये परिवहन प्रणाली का पता लगाने और प्रमाणित करने में नासा की भी मदद करेगा।

नासा का वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम:

- इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्षयान की लागत को कम करके अंतरिक्ष तक पहुँच को आसान बनाना है, ताकि ISS से कार्गो और चालक दल को आसानी से ले जाया जा सके और अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान को सक्षम बनाया जा सके।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से नासा ने बोइंग और स्पेसएक्स' (SpaceX) जैसे वाणिज्यिक भागीदारों के साथ साझेदारी कर लागत कम करने की योजना बनाई है।
- यह कमर्शियल ऑर्बिटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ (COTS) के डिज़ाइन और निर्माण के लिये कंपनियों को प्रोत्साहन देने की भी योजना बना रहा है।

- ◆ COTS एक नासा कार्यक्रम था, जिसे 2006 में निजी कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में चालक दल और कार्गो के वितरण के समन्वय हेतु घोषित किया गया था।
- बोइंग और स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों को लो-अर्थ ऑर्बिट' के लिये चालक दल व परिवहन सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करके नासा गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिये अंतरिक्षयान और रॉकेट बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- 'क्रू-2' मिशन 'स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन' का दूसरा क्रू रोटेशन मिशन और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ पहला मिशन है।
  - ◆ 'क्रू-2' मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री, 'एक्सपीडिशन-65' (इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 65वाँ दीर्घावधि अभियान) के सदस्यों में शामिल हो जाएंगे।
- मई 2020 में नासा की स्पेसएक्स डेमो-2 परीक्षण उड़ान दो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर 'अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन' (ISS) के लिये रवाना हुई थी।
  - ◆ उड़ान का उद्देश्य इस तथ्य का परीक्षण करना था कि क्या स्पेसएक्स द्वारा निर्मित कैप्सूल का उपयोग नियमित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वहाँ से लाने के लिये किया जा सकता है या नहीं।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)

- यह निवास करने योग्य एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना है। इसका पहला हिस्सा वर्ष 1998 में 'लो-अर्थ ऑर्बिट' में लॉन्च किया गया था।
- यह पृथ्वी का लगभग 92 मिनट में चक्कर लगाता है और प्रतिदिन 15.5 परिक्रमा पूरी करता है।
- 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' कार्यक्रम पाँच प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियों की एक संयुक्त परियोजना है: नासा (अमेरिका), रॉसकॉसमॉस (रूस), जाक्सा (जापान), ESA (यूरोप) और CSA (कनाडा)। हालाँकि इसके स्वामित्व और उपयोग को अंतर-सरकारी संधियों और समझौतों के माध्यम से शासित किया जाता है।
- यह एक माइक्रोग्रैविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है जिसमें चालक दल के सदस्य जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और अन्य विषयों से संबंधित प्रयोग करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कारण ही 'लो-अर्थ ऑर्बिट' में निरंतर मानव उपस्थिति संभव हो पाई है।
- इसके वर्ष 2030 तक संचालित रहने की उम्मीद है।
- हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस (Russian Space Agency Roscosmos) ने अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला नौका को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में लॉन्च किया।

GSLV-F10 की विफलता: इसरो का 'EOS-03' उपग्रह मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (ISRO) को एक महत्त्वपूर्ण 'पृथ्वी अवलोकन उपग्रह' (EOS-03) के लॉन्च के दौरान नुकसान का सामना करना पड़ा जब इसे ले जाने वाले GSLV रॉकेट में लिफ्ट-ऑफ के दौरान लगभग पाँच मिनट में ही कुछ तकनीकी खराबी आ गई।

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह

- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस उपग्रह होते हैं, जो कि पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी संग्रह करते हैं।
- कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को 'सन-सिंक्रोनस' ऑर्बिट में तैनात किया जाता है।
- इसरो द्वारा लॉन्च किये गए अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में रिसोर्ससैट-2, 2A, कार्टोसैट-1, 2, 2A, 2B, रिसैट-1 और 2, ओशनसैट-2, मेघा-ट्रॉपिक्स, सरल और स्कैटसैट-1, इन्सैट-3DR, 3D शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

‘EOS-03’ के विषय में:

- यह उपग्रह प्रतिदिन पूरे देश की चार से पाँच बार इमेजिंग करने में सक्षम था।
- इसे एक GSLV रॉकेट (GSLV-F10) के माध्यम से लॉन्च किया जा रहा था, जिसमें एक नया पेलोड कैरियर शामिल है, जिसे वायुगतिकीय ड्रैग को कम करने के लिये डिज़ाइन किया गया है और इस प्रकार यह अधिक पेलोड ले जाता है।
- यह रॉकेट उपग्रह को ‘जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट’ तक ले जाने वाला था, जहाँ से उपग्रह की अपनी प्रणोदन प्रणाली इसे ‘‘जियोस्टेशनरी ऑर्बिट’ में निर्देशित कर देती, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर है।
    - ‘जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट’ एक गोलाकार कक्षा है, जो भूमध्य रेखा से लगभग 35,900 किमी. ऊपर स्थित है।
    - इस ऑर्बिट में कोई वस्तु घूर्णन करती हुई पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देती है।

महत्त्व

- ‘EOS-03’ पृथ्वी-अवलोकन उपग्रहों की नई जनरेशन का हिस्सा है और देश के बड़े हिस्से की लगभग वास्तविक समय की छवियाँ प्रदान करने में सक्षम था।
    - इन छवियों का उपयोग बाढ़ एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं, जल निकायों, फसलों, वनस्पति और वन आवरण की निगरानी के लिये किया जा सकता है।
- EOS-03 को EOS-02 से पहले भेजा जाना था, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गया है।
    - EOS-02 को इस वर्ष मार्च-अप्रैल के आसपास लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसे सितंबर-अक्तूबर के लिये पुनर्निर्धारित किया गया है।
    - EOS-02 को ISRO के नए SSLV (स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाना था।
    - SSLVs इसरो की वर्तमान रॉकेट रेंज का विस्तार है, जिसमें और GSLVs शामिल हैं तथा यह छोटे वाणिज्यिक उपग्रहों के प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करता है।

EOS-01

- नवंबर 2020 में ISRO ने EOS-01 लॉन्च किया था, जो नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला में पहला उपग्रह है।
    - इसे भारत की तीसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान- ‘पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल’ (PSLV) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में अनुप्रयोगों के लिये अभिप्रेत है।

जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV)

- GSLV एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, जिसे इसरो द्वारा डिज़ाइन, विकसित और संचालित किया जाता है ताकि उपग्रहों एवं अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सके।
    - जियोसिंक्रोनस उपग्रहों को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है और उनका झुकाव किसी भी ओर हो सकता है।
- GSLV में ‘ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान’ (PSLV) की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड l;ए जाने की क्षमता है।
- यह स्ट्रैप-ऑन मोटर्स के साथ तीन चरणों वाला लॉन्चर है।

GSLV-F10 की विफलता

कारण:

- तरल ईंधन स्ट्रैप-ऑन बूस्टर रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाने के लिये आवश्यक अतिरिक्त बल प्रदान करके उपग्रह का प्रक्षेपण शुरू करते हैं।

- फिर पहले चरण में ठोस ईंधन का अनुसरण करके दूसरे चरण में तरल ईंधन चरण का प्रयोग किया जाता है। ये दो चरण अपेक्षित रूप से संचालित होते हैं।
- उसके बाद रॉकेट का महत्त्वपूर्ण तीसरा चरण था, जो स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक अपर स्टेज (CUS) का उपयोग करता है, यह प्रज्वलित होने में विफल रहा।
  - क्रायोजेनिक चरण "अत्यंत कम तापमान पर प्रणोदकों के उपयोग और संबंधित थर्मल और संरचनात्मक समस्याओं के कारण ठोस या पृथ्वी-भंडारण योग्य तरल प्रणोदक चरणों की तुलना में तकनीकी रूप से एक बहुत ही जटिल प्रणाली है"।

भविष्य के मिशनों पर प्रभाव:

- यह दूसरा प्रक्षेपण था जिसे इसरो ने वर्ष 2021 के लिये प्रतीक्षा में रखा था, जिसे मूल रूप से मार्च 2020 तक निर्धारित होने के बाद कई बार देरी का सामना करना पड़ा था।
  - इसरो ने फरवरी में एक मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जो ब्राज़ील का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेज़ोनिया-1 और 18 सह-यात्री उपग्रह थे।
- इस विफलता ने वर्ष 2017 से इसरो द्वारा लगातार 16 सफल प्रक्षेपणों की श्रृंखला को तोड़ा है।
- वर्ष 2020-21 के लिये उपग्रहों की योजना बनाई गई थी, जिसमें OCEANSAT-3, GISAT-2, RISAT-2A आदि शामिल हैं, इन मिशनों की अनुमानित लागत 701.5 करोड़ रुपए है।
- गगनयान और चंद्रयान-3 जैसे मिशन GSLV Mk-III पर लॉन्च किये जाएंगे, जीएसएलवी रॉकेट का एक अधिक उन्नत संस्करण है जिसे अंतरिक्ष में अधिक भारी पेलोड ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह निसार मिशन के लिये चिंता का एक बड़ा कारण है, जो संयुक्त पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह के लिये नासा और इसरो के बीच अपनी तरह का पहला सहयोग है।
  - NISAR जो कि 12 दिनों के चक्र में पूरी पृथ्वी की निगरानी के लिये दो सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) का उपयोग करेगा, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मिशन है जिसमें GSLV Mk-II रॉकेट शामिल है।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

ओज़ोन का स्तर अनुमत स्तरों से अधिक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) के एक अध्ययन में पाया गया है कि ओज़ोन का स्तर दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान भी अनुमत स्तरों से अधिक है, जिससे स्मॉग/धुंध अधिक "विषाक्त" होता है।

- महामारी और लॉकडाउन के बावजूद अधिक दिनों तथा स्थानों में ओज़ोन स्तर की उच्च एवं लंबी अवधि देखी गई।
- CSE नई दिल्ली में स्थित एक सार्वजनिक ब्याज अनुसंधान और सलाहकारी संगठन है।

ओज़ोन

- ओज़ोन (ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनी) एक गैस है जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और ज़मीनी स्तर दोनों में होती है। ओज़ोन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये "अच्छा" या "बुरा" हो सकती है, जो वायुमंडल में इसकी स्थिति पर निर्भर करती है।
- पृथ्वी के समताप मंडल की परत में मौजूद 'अच्छी' ओज़ोन मानव को हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण से बचाती है, जबकि ज़मीनी स्तर का ओज़ोन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
  - ज़मीनी स्तर की ओज़ोन श्वसन और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिये खतरनाक है।

स्मॉग

- स्मॉग वायु प्रदूषण है जो दृश्यता को कम करता है।
- धुंध और कोहरे के मिश्रण का वर्णन करने के लिये "स्मॉग" शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1900 के दशक की शुरुआत में किया गया था।
- धुआँ सामान्यत: जलते कोयले से निकलता है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्मॉग एक सामान्य घटना है जो आज भी शहरों में देखा जाती है। वर्तमान स्मॉग में से अधिकांश में फोटोकैमिकल स्मॉग है।
  - फोटोकैमिकल स्मॉग तब उत्पन्न होता है जब सूर्य का प्रकाश वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और कम-से-कम एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) के साथ प्रतिक्रिया करता है।
  - नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कार के धुएँ, कोयला बिजली संयंत्रों तथा कारखाने से होता है। VOCs गैसोलीन, पेंट और कई सफाई सॉल्वेंट्स से जारी किये जाते हैं। जब सूरज की रोशनी इन रसायनों से टकराती है, तो वे हवा के कणों और निचले स्तर पर ओज़ोन या स्मॉग का निर्माण करते हैं।

प्रमुख बिंदु

अब वर्ष भर खतरा:

- इस धारणा के विपरीत कि ओज़ोन केवल गर्मी के मौसम में होने वाली घटना है, यह पाया गया है कि सर्दियों के दौरान भी यह गैस एक विकराल चिंता के रूप में उभरी है।

समसामयिक अधिकता:

- शहर-व्यापी औसत काफी हद तक मानक के भीतर रहता है, जिसमें कभी-कभार ही अधिकता होती है। लेकिन वर्ष 2020 में 'अच्छे' श्रेणी के दिन कम होकर 115 रह गए हैं, जो दिल्ली में 2019 की तुलना में 24 दिन कम है।
- स्थान-वार विश्लेषण से पता चलता है कि यह शहर में आठ घंटे के औसत मानक से अधिक व्यापक रूप से वितरित होती है।
- उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और हरियाणा के भिवानी सहित NCR के छोटे शहर भी ओज़ोन प्रभावित शहरों की शीर्ष 20 सूची में शामिल हैं। दक्षिण दिल्ली के चार स्थान शीर्ष 10 की सूची में हैं।

सलाह:

- अध्ययन से पता चलता है कि परिवहन क्षेत्र NOx और VOCs में सर्वाधिक योगदानकर्त्ता है, इसलिये वाहनों तथा अन्य उद्योगों सहित एनओएक्स एवं वीओसी के इन उच्च उत्सर्जकों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- ओज़ोन का स्तर सर्दियों के दौरान भी 100 µg/m3 के निशान से अधिक पाया जाता है और सौर विकिरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। गैसों को कम करने से इन गैसों से बनने वाले द्वितीयक कण भी कम हो जाएंगे।
- ओज़ोन वर्तमान समय की समस्या है और यह स्थिति वाहनों, उद्योग और अपशिष्ट जलाने पर मज़बूत कार्रवाई के साथ ओज़ोन शमन हेतु रणनीतियों को जोड़ने के लिये स्वच्छ वायु कार्ययोजना के संशोधन की मांग करती है।
- दिन के सबसे प्रदूषित आठ घंटे के औसत की रिपोर्ट करने के लिये AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) को जाँचना महत्त्वपूर्ण है। केवल शहर के औसत की मौजूदा प्रथा को बदलने की ज़रूरत है ताकि सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र के आधार पर अलर्ट जारी किया जा सके।

सरकारी प्रयास:

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के तत्त्वावधान में सार्वजनिक सूचना हेतु राष्ट्रीय AQI का विकास किया गया है। AQI को आठ प्रदूषकों की मात्रा के मापन हेतु विकसित किया गया है, इनमें PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं।
- बीएस-VI वाहनों की शुरुआत, इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के प्रयोग को बढ़ावा, एक आपातकालीन उपाय के रूप में ऑड-ईवन और वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिये पूर्वी व पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण।
- राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से निपटने हेतु ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ((GRAP) का क्रियान्वयन। इसमें तापविद्युत संयंत्रों को बंद करने और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल हैं।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का शुभारंभ: राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण के मुद्दे से व्यापक तरीके से निपटने हेतु सरकार औसत परिवेशी वायु के लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही देश के सभी स्थानों पर गुणवत्ता मानक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) लेकर आई है।

स्काईग्लो: प्रकाश प्रदूषण

चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि बीटल जैसे कीट जो अपने कम्पास के रूप में आकाशगंगा की प्राकृतिक चमक पर निर्भर थे, स्काईग्लो (प्रकाश प्रदूषण के परिणामस्वरूप किसी क्षेत्र में रात के दौरान आकाश में चमक) के कारण पृथ्वी की कृत्रिम रोशनी पर निर्भर हैं।

प्रमुख बिंदु

स्काईग्लो के बारे में:

- स्काईग्लो शहरों में और उनके आस-पास रात के समय आकाश में प्रकाश की एक सर्वव्यापी चादर है जो सबसे चमकीले सितारों को छोड़कर सभी को अवरुद्ध कर सकती है।
- रात के समय रिहायशी इलाकों में आसमान का चमकना स्ट्रीट लाइट, सुरक्षित फ्लडलाइट और बाहरी सजावटी रोशनी स्काईग्लो का कारण बनता है।
- यह प्रकाश सीधे रात्रिचर (रात में सक्रिय जीव) की आँखों में जाता है तथा उन्हें मार्ग से भटकाने का कार्य करता है।
- स्काईग्लो' प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है।

प्रकाश प्रदूषण:

- प्रकाश प्रदूषण के बारे में:
  - कृत्रिम प्रकाश का अनुचित या अत्यधिक उपयोग- जिसे प्रकाश प्रदूषण (Light Pollution- LP) के रूप में जाना जाता है, के मानव, वन्य जीवन और जलवायु के लिये गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं।

- प्रकाश प्रदूषण के घटकों में शामिल हैं:
  - चकाचौंध (Glare): अत्यधिक चमक जो दृश्यता में अवरोध का कारण बनती है।
  - स्काईग्लो (Skyglow): रिहायशी इलाकों में रात में आसमान का चमकना।
  - प्रकाश अतिचार (Light Trespass): प्रकाश का उस स्थान पर गिरना जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं हो।
  - अव्यवस्थित (Clutter): प्रकाश स्रोतों का चमकीला, भ्रमित और अत्यधिक समूह।
- कारण:
  - LP औद्योगीकरण का एक साइड इफेक्ट है।
  - इसके स्रोतों में इमारतों की बाहरी और आंतरिक प्रकाश व्यवस्था, विज्ञापन, वाणिज्यिक संपत्तियों, कार्यालयों, कारखानों, स्ट्रीटलाइट्स तथा खेल स्थलों का निर्माण शामिल है।
- प्रभाव:
  - ऊर्जा और धन की बर्बादी:
    - जब प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है या जब और जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं होती है, उन स्थानों पर इसकी चमक बेकार है। ऊर्जा की बर्बादी में के भारी आर्थिक व पर्यावरणीय परिणाम होते हैं।
  - पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवन को बाधित करना:
    - प्रजनन, पोषण, नींद और शिकारियों से सुरक्षा जैसे जीवन-निर्वाह व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु पौधे व जानवर पृथ्वी पर दिन एवं रात के प्रकाश दैनिक चक्र पर निर्भर करते हैं।
    - वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि रात में कृत्रिम प्रकाश उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीड़ों और पौधों सहित कई जीवों पर नकारात्मक एवं घातक प्रभाव डालता है।
    - उदाहरण: एक अध्ययन से पता चला है कि कैसे रात्रिचर गोबर भृंग (Dung Beetles) रात्रिकालीन प्राकृतिक प्रकाश से मार्गनिर्देश न प्राप्त कर पाने की स्थिति में अपने आस-पास के वातावरण में संकेतों की खोज करने के लिये मजबूर होते हैं।
  - मानव स्वास्थ्य को नुकसान:
    - पृथ्वी पर अधिकांश जीवों की तरह मनुष्य एक सर्केडियन विधि का पालन करते हैं जिसे हम जैविक घड़ी या दिन-रात चक्र द्वारा शासित नींद-जागने के एक पैटर्न के रूप में उपयोग करते हैं। रात में कृत्रिम प्रकाश उस चक्र को बाधित कर सकता है।

समाधान:

- जानवरों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रदूषण के अनुभव को कम करने के लिये एक उल्लेखनीय सरल उपाय है: रात में अनावश्यक प्रकाश बंद कर दें।
- जहाँ रोशनी को बंद नहीं किया जा सकता है, उन्हें संरक्षित किया जा सकता है ताकि वे आसपास के वातावरण और आकाश में प्रकाश का उत्सर्जन न करें।
- इंटरनेशनल डार्क-स्काईज़ एसोसिएशन ने 130 से अधिक 'इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस' को प्रमाणित किया है, जहाँ कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को स्काईग्लो और प्रकाश अतिचार को कम करने के लिये समायोजित किया गया है। हालाँकि लगभग सभी उत्तरी गोलार्ध में स्थित विकसित देशों में पाए जाते हैं।
- कम विकसित क्षेत्र अक्सर दोनों प्रजातियों के लिये समृद्ध होते हैं और वर्तमान में जहाँ के प्रकाश कम प्रदूषणकारी होते हैं, जिससे जानवरों को गंभीर रूप से प्रभावित होने से पूर्व प्रकाश जैसी समस्याओं के समाधान में निवेश करने का अवसर मिलता है।

डेयरी क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

डेयरी उद्योग हाल के वर्षों में व्यापक रूप से वाद-प्रतिवाद का विषय रहा है, जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन संकट की चिंताओं के साथ-साथ अधिक स्थायी प्रतिस्थापन का दावा करने वाले विभिन्न संयंत्र-आधारित विकल्पों की उन्नति से प्रेरित है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- श्वेत क्रांति की मदद से भारत दूध की कमी वाले देश से विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है।
  - आनंद मॉडल (अमूल), जिसे पूरे देश में अपनाया गया है, ने दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया है।
- डेयरी और पशु-आधारित उत्पादों के लिये पशुओं की हार्वेस्टिंग- खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और अन्य सामाजिक ज़रूरतों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- हालाँकि जलवायु पर पशुओं की हार्वेस्टिंग के हानिकारक परिणाम देखे जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त जानवरों के खिलाफ क्रूरता करने के लिये पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) जैसे गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा पशुपालन की काफी आलोचना की गई है।

डेयरी क्षेत्र का महत्त्व:

- आर्थिक निर्भरता: भारत में डेयरी और पशु-आधारित उत्पादों के लिये पशुओं की हार्वेस्टिंग 150 मिलियन डेयरी किसानों के लिये आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।
  - राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का योगदान 4.2 प्रतिशत है।
  - डेयरी क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार का क्षेत्र है।
- सामाजिक महत्त्व: डेयरी उत्पाद आवश्यक पोषक तत्त्वों का एक समृद्ध स्रोत है जो एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार में योगदान करते हैं।
  - विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले पशु स्रोत प्रोटीन की मांग बढ़ने के साथ, डेयरी क्षेत्र में डेयरी उत्पादों की आपूर्ति के माध्यम से वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी को कम करने में योगदान दे रहा है।

जलवायु परिवर्तन पर डेयरी क्षेत्र का प्रभाव:

- GHG उत्सर्जन: भारत के ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कृषि का योगदान लगभग 16% है जो कि डेयरी फार्मिंग के दौरान मवेशियों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है।
  - पशु अपशिष्ट से मीथेन का उत्सर्जन, डेयरी क्षेत्र के कुल GHG उत्सर्जन का लगभग 75% योगदान देता है।
    - हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने एक एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट 'हरित धारा' (HD) विकसित की है, जो मवेशी मीथेन उत्सर्जन को 17-20% तक कम कर सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप दूध का उत्पादन भी बढ़ सकता है।
  - कृषि-खाद्य प्रणालियों से उत्सर्जित तीन प्रमुख GHG, अर्थात् मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव: डेयरी की इस बढ़ती मांग के साथ, मीठे पानी और मिट्टी सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।
  - नेस्ले और डैनोन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर पंजाब व पड़ोसी राज्यों में जल-गहन डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है, जिससे भूजल स्तर तेज़ी से घट रहा है।
  - अस्थायी डेयरी फार्मिंग और चारे के उत्पादन से पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे- आर्द्रभूमि एवं जंगलों का नुकसान हो सकता है।
  - जैव विविधता की अत्यधिक क्षति हेतु मवेशियों को खिलाने के लिये उगाई जानी वाली अत्यधिक जल गहन तथा ऊर्जा गहन फसलों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है ।
- बढ़ती मांग: चीन और भारत जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती आय, शहरीकरण तथा आहार के पश्चिमीकरण के कारण बड़े पैमाने पर डेयरी उत्पादों की वैश्विक मांग में वृद्धि जारी है।

डेयरी क्षेत्र के विरुद्ध अन्य तर्क:

- पशुओं के प्रति क्रूरता: मवेशियों के उचित संचालन के लिये दिशा-निर्देशों के बावजूद उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने हेतु क्रूर प्रथाएँ बेरोकटोक जारी हैं क्योंकि डेयरी और मांस की मांग लगातार बढ़ रही है। इसमें शामिल हैं:
  - कृत्रिम गर्भाधान,
  - दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये वृद्धि हार्मोन (ऑक्सीटोसिन) का व्यापक उपयोग,
  - नर बछड़ों का वध,
  - उन मवेशियों को छोड़ना जो बाँझ हैं,
  - पशुओं को उस स्थिति में बूचड़खानों और टेनरियों को बेचना जब वे दूध का उत्पादन नहीं कर सकते आदि।
- जूनोटिक रोग: पशुपालन के माध्यम से पशुओं का शोषण, प्राकृतिक आवासों का विनाश, पशुधन से जुड़े वनों की कटाई, शिकार और वन्यजीवों का व्यापार, जानवरों व मनुष्यों के बीच फैलने वाले कीटाणुओं की वजह से होने वाले जूनोटिक रोगों का प्रमुख कारण है।
  - नोवल कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) महामारी जैसी बीमारियों की लंबी सूची में नवीनतम है।
- खाद्य अपमिश्रण: भारत में दूध और दुग्ध उत्पाद मिलावट से मुक्त नहीं हैं।
  - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की एक हालिया रिपोर्ट में अनियमित फीड और चारे के माध्यम से अनुमेय सीमा से परे एफ्लाटॉक्सिन एम 1 और हार्मोन अवशेषों की उपस्थिति का पता चला है।
  - इससे इंसानों में जीवनशैली से जुड़ी कई तरह की बीमारियाँ होने लगी हैं।

प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग:

- शाकाहार: शाकाहार जीवन जीने का एक तरीका है जो सभी प्रकार के जानवरों को शोषण से मुक्त करने और इसे पौधे आधारित उत्पादों के साथ बदलने का प्रयास करता है।
  - विकसित देशों में दूध सहित पौधे आधारित भोजन के पारिस्थितिक और स्वास्थ्य लाभों के कारण शाकाहारी आंदोलन गति प्राप्त कर रहा है।
  - पेटा पशु-आधारित खाद्य पदार्थों को बदलने के लिये शाकाहारी विकल्पों को बढ़ावा दे रहा है।
- शाकाहार की आलोचना: अमूल और उसके समर्थकों का तर्क है कि पेटा के इस कदम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एक गलत सूचना अभियान के माध्यम से सिंथेटिक दूध एवं आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों को बढ़ावा मिल सकता है।
  - उन्होंने मानव उपभोग के लिये रसायनयुक्त, प्रयोगशाला-निर्मित पौधे-आधारित दूध की उपयुक्तता पर सवाल उठाया है।
  - इसके अलावा FSSAI ने अधिसूचित किया कि 'दूध' शब्द का इस्तेमाल वृक्ष आधारित डेयरी विकल्पों के लिये नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह:

- वैकल्पिक रोज़गार और सामाजिक वानिकी: 15 करोड़ लोगों की आजीविका दाँव पर लगी है, नीति निर्माताओं को विस्थापित लोगों हेतु वैकल्पिक रोज़गार के अवसरों की पहचान करने की आवश्यकता होगी।
  - सामाजिक वानिकी बड़े पैमाने पर पृथ्वी पर सकारात्मक परिणामों के साथ इस गिरावट को दूर करने का एक कारगर समाधान हो सकती है।
- सतत् डेयरी प्रथाएँ: स्थायी डेयरी प्रथाओं को सक्रिय रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
  - दूध की बर्बादी को तीव्रता को कम करने हेतु इस क्षेत्र में तकनीकी और कृषि की सर्वोत्तम प्रथाओं तथा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिये मौजूदा संभावनाओं की तलाश हेतु तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है।
  - प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण, कृषि विस्तार और वनों की कटाई से जुड़े कारकों को लक्षित करके कार्बन सिंक (घास के मैदान और जंगल) की रक्षा करने वाली उत्पादन प्रथाओं में बदलाव को बढ़ावा देना।

- सर्कुलर बायो-इकॉनमी (Circular Bio-Economy) में पशुधन को बेहतर ढंग से एकीकृत कर संसाधनों की मांग को कम करना।
  - इस लक्ष्य को पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण एवं पुनर्प्राप्ति तथा पशु अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
  - कम मूल्य और कम उत्सर्जन वाले बायोमास का उपयोग करने के लिये विभिन्न मानकों पर फसलों एवं कृषि-उद्योगों के साथ पशुधन का एकीकरण करना।

लाल ज्वार

चर्चा में क्यों?

फ्लोरिडा कई वर्षों से 'करेनिया ब्रेविस' (Karenia Brevis) शैवाल के कारण होने वाले लाल ज्वार के प्रकोप से जूझ रहा है।

- 'टैंपा बे' में प्रदूषित जल छोड़े जाने के कारण इस वर्ष लाल ज्वार का प्रकोप देखा जा सकता है।
- 'टैंपा बे' मेक्सिको की खाड़ी की शाखा, फ्लोरिडा, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन (HABs) की प्रक्रिया तब होती है जब शैवाल समूह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और व्यक्तियों, मछलियों, शंख, समुद्री स्तनधारियों तथा पक्षियों पर विषाक्त या हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं।
- जबकि कई लोग इन ब्लूम्स को 'लाल ज्वार' कहते हैं, वैज्ञानिक इसके लिये हानिकारक 'एल्गी प्रस्फुटन' शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं।
- अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध HABs की घटना फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर लगभग हर गर्मियों में घटित होती है।
  - इस प्रकार का 'ब्लूम' डाइनोफ्लैगलेट की एक प्रजाति के कारण होता है जिसे करेनिया ब्रेविस के नाम से जाना जाता है।
- दूसरी ओर, मीठे पानी की झीलों और जलाशयों में ब्लूम आमतौर पर नीले-हरे शैवाल (सायनोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है) के कारण होता है।
  - नील-हरित शैवाल प्रस्फुटन का कृषि और शहरी अपवाह से सीधा संबंध है। पोषक तत्त्व प्रदूषण साइनोबैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करता है।

एल्गी प्रस्फुटन का कारण:

- सुपोषण:
  - पोषक तत्त्व शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं और इसके विकास में सहयोग करते हैं। जलमार्गों का सुपोषण (पोषक तत्त्व संवर्द्धन) एक प्रमुख कारक माना जाता है।
- तापमान:
  - ब्लूम की घटना गर्मियों या पतझड़ में होने की अधिक संभावना होती है लेकिन यह वर्ष के किसी भी समय घटित हो सकती है।
- मैलापन:
  - पानी के स्तंभ में निलंबित कणों और कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण गंदगी होती है।
  - जब गंदगी कम होती है, तो अधिक प्रकाश जल स्तंभ में प्रवेश कर सकता है। यह शैवाल विकास के लिये अनुकूलतम परिस्थितियों का निर्माण करता है।

एल्गी प्रस्फुटन के निहितार्थ:

- अत्यंत खतरनाक विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो लोगों और जानवरों को बीमार या मार सकते हैं।
  - शैवाल से दूषित और मनुष्यों सहित अन्य जीवों द्वारा खाई जाने वाली मछली उनके लिये हानिकारक हो सकती है।
  - एल्गी प्रस्फुटन की घटना जलीय कृषि या समुद्री जीवन को भी प्रभावित कर सकती है।

- लाल ज्वार के कारण मनुष्यों में साँस लेने में तकलीफ की भी शिकायत हुई है।
- 'एल्गी प्रस्फुटन' जलीय जीवों को सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन से वंचित करता है तथा जल की सतह के नीचे रहने वाली विभिन्न प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- जल में 'डैड जोन' का निर्माण करना:
  - "डेड ज़ोन" हाइपोक्सिया के लिये एक अधिक सामान्य शब्द है, जो जल में ऑक्सीजन के कम स्तर को संदर्भित करता है।

HAB से जोखिम कम करना:

- बहि:स्राव का बहु उपचार (Multiple treatment of effluent):
  - सरल उपचार विकल्प प्रभावी नहीं हैं; शैवाल विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिये आमतौर पर कई उपचार चरणों की आवश्यकता होती है।
  - नदियों और झीलों में प्रवाहित करने से पहले फॉस्फेट और नाइट्रेट को हटाने के लिये तृतीयक सीवेज उपचार विधियों का उपयोग करना।
- नाइट्रोजन परीक्षण और मॉडलिंग (Nitrogen Testing & Modelling):
  - एन-टेस्टिंग (N-Testing) फसल के पौधों के लिये आवश्यक उर्वरक की इष्टतम मात्रा का पता लगाने की एक तकनीक है। यह आसपास के क्षेत्र में नष्ट हुई नाइट्रोजन की मात्रा को कम करेगा।
- जैविक खेती को बढ़ावा (Encouraging Organic Farming):
  - कृषि में उर्वरकों के अति प्रयोग को कम करने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने से अपवाह के थोक प्रवाह को कम किया जा सकता है तथा यह अति शैवाल वृद्धि को कम करने के लिये प्रभावी हो सकता है।
- वाहनों और बिजली संयंत्रों से नाइट्रोजन उत्सर्जन में कमी करना।
- डिटर्जेंट में फॉस्फेट के निर्माणकर्त्ता के रूप में उपयोग को कम करना।

भारत में एल्गी प्रस्फुटन से निपटने के उपाय:

- एल्गी प्रस्फुटन सूचना सेवा: ABIS हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन के संबंध में समय पर जानकारी प्रदान करता है, जो तटीय मत्स्य पालन, जल की गुणवत्ता के लिये हानिकारक है और समय-समय पर तटीय आबादी के भीतर श्वसन समस्याओं को भी प्रेरित करता है।
- वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया इसरो का ओशनसैट-2 उपग्रह (ISRO's Oceansat-2 Satellite) बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकता है और वैश्विक महासागरीय रंग प्रदान कर सकता है।

नेट ज़ीरो कार्बन लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन : ऑक्सफैम रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट (टाइटनिंग द नेट) के अनुसार, नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट की घोषणा करना कार्बन उत्सर्जन में कटौती की प्राथमिकता से एक खतरनाक भटकाव हो सकता है।

- न्यूज़ीलैंड, यूके, यूएस, चीन तथा यूरोपीय संघ जैसे कई देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर शुद्ध-शून्य लक्ष्य निर्धारित किये हैं।
- रिपोर्ट में ज़ोर दिया गया है कि उत्सर्जन में कमी को उत्सर्जन में कटौती का विकल्प नहीं माना जा सकता है।
- ऑक्सफैम इंटरनेशनल वर्ष 1995 में गठित स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों का एक समूह है।

प्रमुख बिंदु

नेट ज़ीरो:

- नेट ज़ीरो यानी कार्बन तटस्थता राज्य वह है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की खपत वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन से होती है।

- इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा। यह ग्रॉस ज़ीरो होगा, जिसका अर्थ है कि ऐसे राज्य में पहुँचाना जहाँ बिल्कुल भी उत्सर्जन न हो अर्थात् एक ऐसा परिदृश्य जिसे सुलझाना मुश्किल है।

- यह कार्बन सिंक बनाने का एक तरीका है जिसके द्वारा कार्बन को अवशोषित किया जा सकता है। इस तरह किसी देश के लिये नकारात्मक उत्सर्जन होना भी संभव है, अगर अवशोषण और निष्कासन वास्तविक उत्सर्जन से अधिक हो।
    - कुछ समय पूर्व तक दक्षिण अमेरिका में अमेज़न वर्षावन, जो दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन हैं, कार्बन सिंक थे। लेकिन इन जंगलों के पूर्वी हिस्सों के महत्त्वपूर्ण वनोन्मूलन के परिणामस्वरूप इन्होंने कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने के बजाय CO_2 का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया है।
    - भूटान पहले से ही कार्बन नकारात्मक देश है अर्थात् यह CO_2 के उत्सर्जन की तुलना में अधिक अवशोषण करता है।

जिन देशों ने शुद्ध शून्य लक्ष्यों की घोषणा की है (कुछ उदाहरण):

- यह यूरोपीय संघ की एक योजना है, जिसे कार्बन तटस्थता लक्ष्य प्रदान करने के लिये "फिट फॉर 55" कहा जाता है।
- चीन ने यह भी घोषणा की कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य स्थिति प्राप्त लेगा और साथ ही अपने उत्सर्जन को 2030 के स्तर से अधिक नहीं होने देगा।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अपना शुद्ध शून्य उत्सर्जन (NZE) रोडमैप जारी किया है, जिसका नाम 'नेट ज़ीरो बाय 2050' है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- ऊर्जा क्षेत्र के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये एक बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता है:
    - यदि संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र जिसका उत्सर्जन बढ़ता रहता है- समान 'शुद्ध शून्य' लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उसे दुनिया भर में सभी कृषि भूमि के एक-तिहाई के बराबर अमेज़न वर्षावन के आकार की भूमि की आवश्यकता होगी।
- अधिक वनों की आवश्यकता:
    - यदि परिवर्तन की चुनौती का समाधान केवल अधिक-से-अधिक पेड़ लगाकर किया जाता है, तो वर्ष 2050 तक दुनिया से अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन को दूर करने के लिये लगभग 1.6 बिलियन हेक्टेयर नए वनों की आवश्यकता होगी।
- भूमि आधारित तरीके खाद्य संकट बढ़ा सकते हैं:
    - वर्तमान में उत्सर्जन में कटौती करने की देशों की योजना से वर्ष 2030 तक केवल 1% की कमी आएगी।
    - गौरतलब है कि अगर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये केवल भूमि आधारित तरीकों (वनीकरण) का इस्तेमाल किया जाए तो खाद्य संकट और भी बढ़ने की आशंका है। ऑक्सफैम का अनुमान है कि यह वर्ष 2050 तक 80% तक बढ़ सकता है।
- उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती की आवश्यकता:
    - ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर से नीचे सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने हेतु वैश्विक स्तर पर सामूहिक रूप से प्रयास किया जाना चाहिये तथा सबसे बड़े उत्सर्जकों द्वारा तेज़ी के साथ वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को वर्ष 2010 के स्तर से 45% की कटौती करने का लक्ष्य रखना चाहिये।

विश्लेषण (नेट-ज़ीरो बनाम जलवायु परिवर्तन):

- 'नेट ज़ीरो' 'सबसे बड़े उत्सर्जक' की ज़िम्मेदारी को कम करता है:
    - कई सरकारें और कंपनियाँ शुद्ध शून्य जलवायु लक्ष्यों को अपना रही हैं क्योंकि वे जलवायु संकट की तात्कालिकता को पहचानती हैं।
    - हालाँकि एक स्पष्ट परिभाषा के बिना ये लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये कम आय वाले देशों में भूमि के विशाल क्षेत्रों का उपयोग करने के जोखिम पर निर्भर करते हैं, जिससे सबसे बड़े उत्सर्जक अपने स्वयं के उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण कटौती करने से बचते हैं।
- ज़मीन की मांग बढ़ने की संभावना:
    - यह भूमि की मांग को और अधिक तीव्र कर सकता है, यदि सावधानीपूर्वक सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाया गया है, तो भुखमरी व भूमि असमानता का जोखिम और अधिक बढ़ सकता है।

आगे की राह:

- ग्रीनवाश/स्वच्छ और हरित कार्रवाइयों के स्थान पर शुद्ध शून्य वास्तविक व परिवर्तनकारी जलवायु कार्रवाई को अपनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है और भूमि आधारित जलवायु समाधान 'खाद्य-पहले' दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये ताकि शून्य उत्सर्जन एवं शून्य भूख दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

स्टबल बर्निंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुछ विशेषज्ञों ने सलाह दी कि सरकार को पराली जलाने (Stubble Burning) के विकल्पों के कार्यान्वयन में तेज़ी लानी चाहिये।

- कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की आलोचना का सामना कर रही केंद्र सरकार ने वायु आयोग विधेयक, 2021 में एक खंड को हटाने का निर्णय लिया था, जो किसानों को पराली जलाने हेतु दंडित करेगा और वायु की गुणवत्ता को कम करने में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता है।

प्रमुख बिंदु:

पराली के बारे में:

- पराली जलाना, अगली फसल बोने के लिये फसल के अवशेषों को खेत में आग लगाने की क्रिया है।
- इसी क्रम में सर्दियों की फसल (रबी की फसल) बोने के लिये हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा कम अंतराल पर फसल की बोआई की जाती है तथा अगर सर्दी की छोटी अवधि के कारण फसल बोआई में देरी होती है तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है, इसलिये पराली को जलना पराली की समस्या का सबसे सस्ता और तीव्र तरीका है।
  - यदि पराली को खेत में छोड़ दिया जाता है, तो दीमक जैसे कीट आगामी फसल पर हमला कर सकते हैं।
  - किसानों की अनिश्चित आर्थिक स्थिति उन्हें पराली हटाने के लिये महँगे मशीनीकृत तरीकों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है।
- पराली जलाने की यह प्रक्रिया अक्तूबर के आसपास शुरू होती है और नवंबर में अपने चरम पर होती है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी का समय भी है।

प्रमुख कारण:

- प्रौद्योगिकी:
  - मशीनीकृत कटाई के कारण समस्या उत्पन्न होती है जिससे खेतों में कई इंच फसल के अवशेष/ठूंठ (Stubble) रह जाते हैं।
  - इससे पहले फसल के इन अतिरिक्त अवशेषों का उपयोग किसान खाना पकाने के लिये, घास के रूप में, अपने पशुओं को गर्म रखने के लिये या यहाँ तक कि घरों के लिये अतिरिक्त इन्सुलेशन के रूप में करते थे।
  - लेकिन अब ऐसे उद्देश्यों के लिये पराली का उपयोग तार्किक नहीं रह गया है।
- कानूनों का प्रतिकूल प्रभाव:
  - पंजाब उप-जल संरक्षण अधिनियम (2009) के कार्यान्वयन से उत्तरी भारत में सर्दियों की शुरुआत के साथ पराली जलाने की समयावधि का भी संयोग बन गया।
  - पीपीएसडब्ल्यू अधिनियम (2009) द्वारा निर्देशित जल की कमी को रोकने के लिये खरीफ मौसम के दौरान धान की देर से रोपाई करने से किसानों के पास अगली फसल हेतु फसल की कटाई और खेत तैयार करने के बीच बहुत कम समय बचता था, इसलिये किसान पराली जलाने का सहारा ले रहे हैं।
- उच्च सिलिका सामग्री:
  - उच्च सिलिका सामग्री के कारण गैर-बासमती चावल के मामले में चावल के भूसे को चारे के लिये उपयुक्त नहीं माना जाता है।

पराली जलाने के प्रभाव:

- प्रदूषण:
  - खुले में पराली जलाने से वातावरण में बड़ी मात्रा में ज़हरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जिनमें मीथेन (CH4), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें होती हैं।
  - वातावरण में छोड़े जाने के बाद ये प्रदूषक वातावरण में फैल जाते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुज़र सकते हैं तथा अंतत: स्मॉग की मोटी चादर बनाकर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- मृदा उर्वरकता:
  - भूसी को ज़मीन पर जलाने से मिट्टी के पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे यह कम उर्वरक हो जाती है।
- गर्मी उत्पन्न होना:
  - पराली जलाने से उत्पन्न गर्मी मिट्टी में प्रवेश करती है, जिससे नमी और उपयोगी रोगाणुओं को नुकसान होता है।

पराली जलाने के विकल्प:

- पराली का स्व-स्थानिक उपचार: उदाहरण के लिये 'ज़ीरो टिलर' मशीन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन और बायो डीकंपोजर का उपयोग।
- गैर-स्थानिक उपचार: उदाहरण के लिये मवेशियों के चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: उदाहरण के लिये 'टर्बो हैप्पी सीडर' (THS) मशीन, जो पराली को उखाड़ सकती है और साफ किये गए क्षेत्र में बीज भी बो सकती है। इसके बाद पराली को खेत के लिये गीली घास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- फसल पैटर्न में बदलाव: यह अधिक मौलिक समाधान है।

आगे की राह

- पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिये जुर्माना लगाना भारतीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के लिहाज़ से बेहतर विकल्प नहीं है। हमें वैकल्पिक समाधानों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
- यद्यपि सरकार मशीनों का वितरण कर रही है, किंतु स्व-स्थानिक प्रबंधन के लिये सभी को मशीनें नहीं मिल पाती हैं। सरकार को उनकी उपलब्धता सभी के लिये सुनिश्चित करनी चाहिये।
- इसी तरह गैर-स्थानिक उपचार प्रबंधन में कुछ कंपनियों ने अपने उपयोग के लिये पराली इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, किंतु इस दृष्टिकोण को और अधिक बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।
- छोटे और सीमांत किसानों को विशेष रूप से, गैर-स्थानिक रणनीतियों को अपनाने के लिये समर्थन की आवश्यकता होती है, ताकि भूसे को मिट्टी में मिलाया जा सके और इसे जलाया नहीं जाए। समाधान तक पहुँचे बिना दंड अधिरोपित करना विकल्प नहीं है।

अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग करंट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी IPCC की रिपोर्ट के अनुसार, अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग करंट (AMOC) अपनी स्थिरता खो रहा है और 21वीं सदी में इसके कम होने की संभावना है।

- महासागर में हवा, ज्वार, पृथ्वी के घूर्णन (कोरिओलिस प्रभाव), सूर्य (सौर ऊर्जा) और जल घनत्व अंतर एक अंत:स्थापित धारा या परिसंचरण द्वारा संचालित प्रणाली है।

प्रमुख बिंदु

AMOC के बारे में:

- यह महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है।

- यह महासागरीय कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन (THC) की अटलांटिक शाखा है और दुनिया भर की महासागरीय घाटियों में ऊष्मा तथा पोषक तत्त्व वितरित करती है।

AMOC के कार्य:

- AMOC उष्ण कटिबंध से उत्तरी गोलार्द्ध की ओर गर्म सतही जल ले जाता है, जहाँ यह ठंडा होकर समाहित हो जाता है।
- यह फिर उष्णकटिबंधीय और उसके बाद दक्षिण अटलांटिक में नीचे की धारा के रूप में वापस आता है। वहाँ से इसे अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट के माध्यम से सभी महासागरीय घाटियों में वितरित किया जाता है।
  - अंटार्कटिक सर्कम्पोलर धारा (Antarctic Circumpolar Current) दक्षिणी महासागर की सबसे महत्त्वपूर्ण धारा है, यह एकमात्र धारा है जो पृथ्वी के चारों ओर बहती है ।

AMOC की गिरावट के निहितार्थ:

- AMOC और गल्फ स्ट्रीम के कमज़ोर पड़ने से यूरोप को भीषण ठंड का सामना करना होगा।
  - गल्फ स्ट्रीम (गर्म धारा), AMOC का एक हिस्सा, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ-साथ यूरोप की जलवायु के लिये एक ज़िम्मेदार कारक है।
- AMOC के कमज़ोर होने से उत्तरी गोलार्द्ध ठंडा हो जाएगा तथा यूरोप में वर्षा कम होगी।
- इसका प्रभाव अल नीनो पर भी पड़ सकता है।
  - अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है।
- यह दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी मानसून को स्थानांतरित कर सकता है।

कारण

- जलवायु मॉडल ने लंबे समय से भविष्यवाणी की है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की प्रमुख महासागर प्रणालियों के कमज़ोर होने का कारण बन सकता है।
- ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के पिघलने से ताज़े पानी का प्रवाह।
  - जुलाई 2021 में शोधकर्त्ताओं ने देखा कि आर्कटिक की बर्फ का एक हिस्सा जिसे "लास्ट आइस एरिया" कहा जाता है, भी पिघल गया है।
  - पिघलने वाली बर्फ से निर्मित ताज़ा जल दूसरे जल की लवणता और घनत्व को कम करता है।
  - अब पानी पहले की तरह बहने में असमर्थ है और AMOC प्रवाह को कमज़ोर करता है।
- यह हिंद महासागर में भी AMOC को धीमा करने में मदद कर सकता है।
- बढ़ती वर्षा और नदी अपवाह।

AMOC का महत्त्व:

- यह दुनिया भर में गर्मी के पुनर्वितरण और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चिंताएँ:

- AMOC की गिरावट केवल एक उतार-चढ़ाव या बढ़ते तापमान के साथ एक रैखिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है एक महत्त्वपूर्ण सीमा तक पहुँचना जिसके आगे संचलन प्रणाली बाधित हो सकती है।

महासागरीय धाराएँ:

परिचय:

- महासागरीय धाराएँ समुद्र की सतह पर और गहरे पानी में 300 मीटर से नीचे स्थित होती हैं। ये जल को क्षैतिज और लंबवत रूप से स्थानांतरित कर सकती हैं तथा स्थानीय एवं वैश्विक दोनों पैमानों पर उत्पन्न हो सकती हैं।

सतही धाराएँ:

- महासागर में सतही धाराएँ वैश्विक पवन प्रणालियों द्वारा संचालित होती हैं जो सूर्य की ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। सतही धाराओं का पैटर्न, वायु की दिशा, पृथ्वी के घूर्णन से कोरिओलिस बलों और भू-आकृतियों की स्थिति से निर्धारित होता है।
- सतही वायु से चलने वाली धाराएँ भू-आकृतियों के साथ ऊपर की ओर उठती धाराएँ उत्पन्न करती हैं, जिससे गहरे पानी की धाराएँ बनती हैं।
    - अपवेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गहरा, ठंडा पानी सतह की ओर ऊपर उठता है।
- अमेरिका के पूर्वी तट के साथ गल्फ स्ट्रीम भूमध्यरेखीय क्षेत्र से उत्तरी अटलांटिक महासागर तक गर्म पानी ले जाती है, जिससे दक्षिण-पूर्वी तट अपेक्षाकृत गर्म रहता है।
    - अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ कैलिफ़ोर्निया धारा ध्रुवीय क्षेत्र से दक्षिण की ओर ठंडा जल ले जाती है, जिससे पश्चिमी तट, पूर्वी तट की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा रहता है।
- घूर्णन (Gyre), एक विशाल गोलाकार प्रणाली है जो समुद्र की धाराओं से बनी होती है जो सर्पिल होती है।
    - जैसे अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम-नॉर्थ अटलांटिक-नॉर्वे करंट और प्रशांत महासागर में कुरोशियो-नॉर्थ पैसिफिक धारा।

गहरे पानी की धाराएँ:

- तापमान (थर्मो) और लवणता (हलाइन) भिन्नताओं के कारण पानी के द्रव्यमान में घनत्व अंतर के कारण भी धाराएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिसे थर्मोहेलिन परिसंचरण के रूप में जाना जाता है।
- ये धाराएँ अपने साथ पोषक तत्त्व, ऑक्सीजन और ऊष्मा को गहरे समुद्र में पानी के द्रव्यमान में ले जाती हैं।

कन्वेयर बेल्ट:

- समुद्र के पानी में घनत्व अंतर वैश्विक स्तर पर परिसंचरण प्रणाली में योगदान देता है जिसे वैश्विक कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है। इसमें सतह और गहरे समुद्र की धाराएँ शामिल हैं जो 1,000 वर्ष के चक्र में दुनिया का चक्कर लगाती हैं।
- वैश्विक कन्वेयर बेल्ट का संचलन एक साथ दो प्रक्रियाओं का परिणाम है: गर्म सतह की धाराएँ कम घने पानी को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाती हैं और ठंडी गहरी समुद्री धाराएँ ध्रुवों से दूर भूमध्य रेखा की ओर सघन पानी ले जाती हैं।
    - महासागर की वैश्विक परिसंचरण प्रणाली गर्मी, ऊर्जा के वितरण, मौसम एवं जलवायु को विनियमित करने और पोषक तत्त्वों तथा गैसों के चक्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इंडिया प्लास्टिक पैक्ट

चर्चा में क्यों?

इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के सहयोग से एशिया में पहली बार सितंबर में लॉन्च किया जाएगा।

- हाल ही में प्लास्टिक सर्कुलर गैप को बंद करने पर प्रकाशित एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु बड़े पैमाने पर वैश्विक हस्तक्षेप करने की सख्त आवश्यकता है।

प्लास्टिक पैक्ट:

- प्लास्टिक समझौते, व्यवसाय के नेतृत्त्व वाली पहलें हैं और सभी प्रारूपों एवं उत्पादों के लिये प्लास्टिक पैकेजिंग मूल्य शृंखला को बदलते हैं।
- समझौते व्यावहारिक समाधानों को लागू करने के लिये प्लास्टिक मूल्यशृंखला से संबंधित सभी लोगों को एक साथ लाते हैं।
- सभी समझौतों के चार साझा लक्ष्य हैं:
    - रिडिज़ाइन और इनोवेशन के ज़रिये अनावश्यक और समस्याग्रस्त प्लास्टिक पैकेजिंग को खत्म करना;

- यह सुनिश्चित करना कि सभी प्लास्टिक पैकेजिंग पुन: प्रयोज्य हों,
- प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग, संग्रह और पुनर्चक्रण को बढ़ाना,
- प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकरण सामग्री को बढ़ाना।

- पहला प्लास्टिक समझौता वर्ष 2018 में यूके में लॉन्च किया गया था।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्त्वाकांक्षी, सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मूल्य शृंखला में व्यवसायों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को एक साथ लाना है ताकि प्लास्टिक को कम करने के लिये समयबद्ध प्रतिबद्धताएँ निर्धारित की जा सकें।
- जब इंडिया प्लास्टिक पैक्ट भारत में सक्रिय होगा तो यह विश्व स्तर पर अन्य प्लास्टिक संधियों के साथ जुड़ जाएगा।
- यह समझौता मार्गदर्शन हेतु एक रोडमैप विकसित करेगा, जिसके आधार पर सदस्यों के साथ मिलकर एक्शन ग्रुप बनाया जाएगा और इनोवेशन प्रोजेक्ट शुरू होगा।
  - इसके तहत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों और वार्षिक डेटा रिपोर्टिंग के माध्यम से सदस्यों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
- इंडिया प्लास्टिक पैक्ट का विज़न, लक्ष्य और महत्त्वाकांक्षा 'एलेन मैकआर्थर फाउंडेशन' की 'न्यू प्लास्टिक इकॉनमी' के 'सर्कुलर इकॉनमी' सिद्धांतों के अनुरूप है।

लक्ष्य:

- संधि का उद्देश्य वर्तमान रैखिक प्लास्टिक प्रणाली को एक सर्कुलर प्लास्टिक अर्थव्यवस्था में बदलना है, अन्य उद्देश्य हैं:
  - समस्याग्रस्त प्लास्टिक का उपयोग कम करना,
  - अन्य उत्पादों में उपयोग के लिये अर्थव्यवस्था में मूल्यवान सामग्री को बनाए रखना,
  - भारत में प्लास्टिक प्रणाली में रोज़गार, निवेश और अवसर पैदा करना।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना है जो प्लास्टिक को खत्म करने वाले समाधानों को सक्षम बनाता है, पैकेजिंग डिज़ाइन में नवाचार लाता है और हमारे द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक मूल्यों को ग्रहण करता है।

प्लास्टिक समझौते की आवश्यकता:

- भारतीय परिदृश्य:
  - भारत वार्षिक तौर पर 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है।
  - 40% प्लास्टिक कचरा बिना संग्रहण के चला जाता है।
  - भारत में उत्पादित सभी प्लास्टिक का 43% पैकेजिंग के लिये उपयोग किया जाता है, उनमें से अधिकांश का एकल उपयोग होता है।
  - हालाँकि आजीविका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपभोक्ता के बाद के अलगाव, प्लास्टिक का संग्रह और निपटान भारत में 1.5-4 मिलियन कचरा बीनने वालों की आय का लगभग आधा है।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - अगले 20 वर्षों में वैश्विक स्तर पर 7.7 बिलियन मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन की संभावना है, जो मानव आबादी के वज़न के 16 गुना के बराबर है।
    - प्लास्टिक के कई अनुप्रयोगों में प्लास्टिक पैकेजिंग सबसे बड़ा है।
  - सेंटर फॉर इंटरनेशनल एन्वायरनमेंटल लॉ (Center for International Environmental Law) की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2050 तक प्लास्टिक से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 56 गीगाटन से अधिक हो सकता है, शेष कार्बन बजट का 10-13%।

नोट :

अपेक्षित परिणाम:

- इसके चलते पुनर्नवीनीकरण सामग्री की मांग को बढ़ावा देने, पुनर्चक्रण बुनियादी ढाँचे में निवेश, अपशिष्ट क्षेत्र में नौकरियों और उससे अधिक की उम्मीद की जा सकती है।
- यह फ्रेमवर्क सरकार के विस्तारित उत्पादक जवाबदेहिता ढाँचे का समर्थन करेगा और स्वच्छ भारत अभियान में परिकल्पित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करेगा।
- समझौते के फ्रेमवर्क का अभिन्न अंग अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र की भागीदारी है जो उपभोक्ता के बाद के अलगाव, प्लास्टिक कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- समाज और अर्थव्यवस्था को लाभ के अलावा, लक्ष्यों को पूरा करने से प्लास्टिक के पुर्नचक्रण में वृद्धि होगी और प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी।
- वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी करेंगे।

चक्रीय अर्थव्यवस्था

- चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग का वह मॉडल है, जिसमें यथासंभव वर्तमान सामग्रियों और उत्पादों को साझा करना, पट्टे पर देना, पुन: उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण करना शामिल है। इस प्रकार उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ाया जाता है।
- व्यावहारिक रूप में इसका तात्पर्य कचरे को न्यूनतम करना है। जब कोई उत्पाद अपने जीवन के अंत तक पहुँच जाता है, तो उसकी सामग्री को जहाँ भी संभव हो अर्थव्यवस्था के भीतर रखा जाता है। इन्हें बार-बार उत्पादक द्वारा उपयोग किया जा सकता है, जिससे आगे मूल्य अर्जित किया जा सके।

एलेन मैकआर्थर (Ellen MacArthur) फाउंडेशन की नई प्लास्टिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत:

- यह तीन सिद्धांतों पर आधारित है:
  - कचरे और प्रदूषण को डिज़ाइन करें।
  - उत्पादों और सामग्रियों को उपयोग में रखें।
  - प्राकृतिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करें।

जलवायु परिवर्तन 2021 रिपोर्ट: IPCC

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) का पहला भाग क्लाइमेट चेंज 2021: द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से जारी किया।

- इसे वर्किंग ग्रुप- I के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। शेष दो भाग वर्ष 2022 में जारी किये जाएंगे।
- यह नोट किया गया कि वर्ष 2050 तक वैश्विक शुद्ध-शून्य तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के लिये न्यूनतम आवश्यकता है।
- यह नवंबर 2021 में कॉप (COP) 26 सम्मेलन के लिये मंच तैयार करता है।

प्रमुख बिंदु:

औसत सतही तापमान:

- पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अगले 20 वर्षों (2040 तक) में पूर्व-औद्योगिक स्तरों (1.5 डिग्री सेल्सियस) और उत्सर्जन में तीव्र कमी के बिना सदी के मध्य तक 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा।
  - वर्ष 2018 में IPCC की 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग की विशेष रिपोर्ट ने अनुमान लगाया था कि वैश्विक आबादी का 2-5वाँ हिस्सा 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान वाले क्षेत्रों में रहता है।

- पिछला दशक पिछले 1,25,000 वर्षों में किसी भी अवधि की तुलना में अधिक गर्म था। वैश्विक सतह का तापमान 2011-2020 के दशक में 1850-1900 की तुलना में 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
- यह पहली बार है जब IPCC ने कहा है कि सबसे अच्छी स्थिति में भी 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान अपरिहार्य था।

कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) सांद्रता:

- यह कम-से-कम दो मिलियन वर्षों में सबसे अधिक है। 1800 के दशक के अंत से मनुष्य ने 2,400 बिलियन टन CO_2 का उत्सर्जन किया है।
- इसमें से अधिकांश को मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
  - मानवीय गतिविधियों के प्रभाव ने 2,000 वर्षों में अभूतपूर्व दर से जलवायु को गर्म कर दिया है।
- विश्व अपने उपलब्ध कार्बन बजट का 86 प्रतिशत पहले ही समाप्त कर चुका है।

ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव:

- समुद्र स्तर में वृद्धि:
  - वर्ष 1901-1971 की तुलना में समुद्र स्तर में तीन गुना वृद्धि हो गई है। आर्कटिक सागर की बर्फ 1,000 वर्षों में सबसे कम है।
  - तटीय क्षेत्रों में 21वीं सदी के दौरान समुद्र के स्तर में निरंतर वृद्धि देखी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप तटीय कटाव और निचले इलाकों में अधिक लगातार और गंभीर बाढ़ आएगी।
  - समुद्र के स्तर में लगभग 50% वृद्धि तापीय विस्तार के कारण होती है (जब पानी गर्म होता है, तो यह फैलता है, इस प्रकार गर्म महासागर अधिक जगह घेर लेते हैं)।
- वर्षा और सूखा:
  - हर अतिरिक्त 0.5 °C तापीय वृद्धि से गर्म चरम सीमा, अत्यधिक वर्षा और सूखे में वृद्धि होगी। अतिरिक्त तापीय वृद्धि पौधों, मिट्टी और समुद्र में मौजूद पृथ्वी के कार्बन सिंक को भी कमज़ोर कर देगी।
- अत्यधिक गर्मी:
  - चरम गर्मी में वृद्धि हुई है, जबकि सर्दी में कमी आई है और ये रुझान आने वाले दशकों में एशिया में जारी रहेंगे।
- घटती हिमरेखा और पिघलते ग्लेशियर:
  - ग्लोबल वार्मिंग का हिमालय सहित दुनिया भर की पर्वत श्रृंखलाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
  - पहाड़ों के हिमांक के स्तर में बदलाव की संभावना है और आने वाले दशकों में हिमरेखाएँ पीछे हट जाएंगी।
  - हिमरेखाओं का पीछे हटना और ग्लेशियरों का पिघलना चिंता का विषय है क्योंकि इससे जल चक्र में बदलाव, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, बाढ़ में वृद्धि तथा साथ ही भविष्य में हिमालय के राज्यों में पानी की कमी में वृद्धि हो सकती है।
  - पहाड़ों में तापमान वृद्धि और हिमनदों के पिघलने का स्तर 2,000 वर्षों में अभूतपूर्व है। हिमनदों के पिघलने का कारण अब मानवजनित कारकों एवं मानव प्रभाव को बताया जाता है।

भारतीय उपमहाद्वीप के विशिष्ट परिणाम:

- ग्रीष्म लहर: दक्षिण एशिया में 21वीं सदी के दौरान ग्रीष्म लहर और आर्द्र ग्रीष्म तनाव अधिक तीव्र और निरंतर घटित होगा।
- मानसून: मानसूनी वर्षा में परिवर्तन की भी उम्मीद है, वार्षिक और ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा दोनों में वृद्धि का अनुमान है।
  - एरोसोल की वृद्धि के कारण पिछले कुछ दशकों में दक्षिण-पश्चिम मानसून में गिरावट आई है, लेकिन एक बार एरोसोल के कम हो जाने पर हम पुन: भारी मानसूनी वर्षा प्राप्त करेंगे।
- समुद्री तापमान: हिंद महासागर, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शामिल हैं, वैश्विक औसत से अधिक तेज़ी से गर्म हुआ है।
  - हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान ग्लोबल वार्मिंग (1.5°C से 2°C) होने पर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है।

नोट :

- हिंद महासागर में समुद्र का तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक तीव्र गति से गर्म हो रहा है और इसलिये अन्य क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है।

नेट ज़ीरो उत्सर्जन :

- परिचय :
  - 'नेट ज़ीरो उत्सर्जन' से तात्पर्य है सभी मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जैसे जीवाश्म-ईंधन वाले वाहनों और कारखानों से) को यथासंभव शून्य के करीब लाया जाना चाहिये। दूसरा, किसी भी शेष GHGs को कार्बन को अवशोषित (प्राकृतिक और कृत्रिम सिंक के माध्यम से) कर (जैसे- जंगलों की पुनर्स्थापना द्वारा) संतुलित किया जाना चाहिये।
  - इस तरह मानवजनित कार्बन न्यूट्रल होगा और वैश्विक तापमान स्थिर होगा।
- वर्तमान स्थिति :
  - 100 से अधिक देशों ने पहले ही 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा कर दी है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख उत्सर्जक शामिल हैं।
  - भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, यह तर्क देते हुए स्थिर है कि यह पहले से ही अन्य देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है अर्थात् वैश्विक रूप से निर्धारित मानक से कहीं अधिक कमी कर रहा है।
    - किसी भी प्रकार का बोझ उसके लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के सतत् प्रयासों को खतरे में डालेगा।
  - आईपीसीसी ने सूचित किया है कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के लिये वर्ष 2050 तक न्यूनतम वैश्विक नेट-शून्य आवश्यक था। भारत के बिना यह संभव नहीं होगा।
    - यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने भी वर्ष 2060 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया हुआ है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल

- यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
- IPCC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation- WMO) द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके निहितार्थ और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा शमन के विकल्प भी उपलब्ध कराता है।
- IPCC आकलन जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने हेतु सभी स्तरों पर सरकारों के लिये एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं और वे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) में इस पर बातचीत करते हैं।

IPCC आकलन रिपोर्ट

- हर कुछ वर्षों (लगभग 7 वर्ष) की IPCC मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है जो पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का सबसे व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन है।
- अब तक पाँच मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई हैं, पहली वर्ष 1990 में जारी की गई है। पाँचवीं मूल्यांकन रिपोर्ट 2014 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिये जारी की गई थी।
- वैज्ञानिकों के तीन कार्य समूहों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट।
- कार्यकारी समूह- I : जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार से संबंधित है।
- कार्यकारी समूह- II : संभावित प्रभावों, कमज़ोरियों और अनुकूलन मुद्दों को देखता है।
- कार्यकारी समूह-III : जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये की जा सकने वाली कार्रवाइयों से संबंधित है।

आगे की राह

- कई लोगों ने जलवायु परिवर्तन को इसके अपरिवर्तनीय प्रभावों के कारण कोविड-19 की तुलना में मानवता के लिये कहीं अधिक बड़ा खतरा बताया है। इसके कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और ग्लेशियरों के पिघलने जैसे कई प्रभाव कई वर्षों तक जारी रहेंगे।

नोट :

- कार्बन उत्सर्जन में भारी और तत्काल कटौती की आवश्यकता है यह देखते हुए कि पहले से किये गए जलवायु में परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं हैं।
- सभी देशों विशेष रूप से G20 व अन्य प्रमुख उत्सर्जकों को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 से पहले शुद्ध-शून्य उत्सर्जन गठबंधन में शामिल होने और विश्वसनीय, ठोस तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एवं नीतियों के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

विश्व शेर दिवस 2021

चर्चा में क्यों?

वैश्विक स्तर पर शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 10 अगस्त को 'विश्व शेर दिवस' का आयोजन किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- शेरों के संरक्षण की पहल वर्ष 2013 में शुरू हुई थी और इसी वर्ष पहला 'विश्व शेर दिवस' भी आयोजित किया गया था।
- पिछले 100 वर्षों में शेरों की आबादी में 80% की गिरावट दर्ज की गई है।
  - इस दिवस के आयोजन का प्रमुख लक्ष्य शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु जागरूकता बढ़ाना है।
- यह शेर समुदाय की सुरक्षा संबंधी उपायों पर भी काम करता है।

शेर

- वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा लियो
  - शेर को दो उप-प्रजातियों में विभाजित किया गया है: अफ्रीकी शेर (पैंथेरा लियो लियो) और एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका)।
- प्राणिजगत में शेरों की भूमिका
  - शेर वन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्त्वपूर्ण स्थान पर मौजूद हैं, वह अपने आवास का शीर्ष शिकारी है, जो चरवाहों की आबादी को नियंत्रित कर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
  - शेर अपने शिकार की आबादी को स्वस्थ रखने और उनके बीच लचीलापन बनाए रखने में भी योगदान देते हैं, क्योंकि वे झुंड के सबसे कमज़ोर सदस्यों को निशाना बनाते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से शिकार, आबादी में रोग नियंत्रण में मदद करता है।
- खतरा: अवैध शिकार, एक स्थान पर रहने वाली एक ही तरह की आबादी से उत्पन्न आनुवंशिक अंतर्प्रजनन, रोग जैसे- प्लेग, कैनाइन डिस्टेंपर या प्राकृतिक आपदा।
- संरक्षण स्थिति:
  - IUCN रेड लिस्ट: संवेदनशील
    - एशियाई शेर: संकटग्रस्त
  - CITES: भारतीय आबादी के लिये परिशिष्ट- I एवं अन्य सभी आबादी परिशिष्ट- II
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची- I
- भारत में स्थिति
  - भारत एशियाई शेरों का प्रमुख आवास स्थान है और ये मुख्य तौर पर सासन-गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात) के संरक्षित क्षेत्र में निवास करते हैं।
  - वर्ष 2020 के आँकड़ों के मुताबिक, भारत में कुल 674 शेर हैं, जबकि वर्ष 2015 में यह संख्या 523 से अधिक थी।

नोट :

- संरक्षण संबंधी प्रयास
  - प्रोजेक्ट लायन: 'प्रोजेक्ट टाइगर' और 'प्रोजेक्ट एलीफैंट' की तर्ज पर अगस्त 2020 में घोषित प्रोजेक्ट लायन के तहत 'कुनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य' (मध्य प्रदेश) के अलावा छह नए स्थलों की पहचान की गई है।
    - यह कार्यक्रम एशियाई शेर के संरक्षण के लिये शुरू किया गया है, जिसकी अंतिम शेष जंगली आबादी गुजरात के 'एशियाई शेर लैंडस्केप' (ALL) में मौजूद है।
  - इससे पूर्व केंद्रीय 'पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 'एशियाई शेर संरक्षण परियोजना' शुरू की गई थी। इसे वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक तीन वित्तीय वर्षों के लिये मंज़ूरी दी गई थी।
    - इसके तहत एशियाई शेरों के समग्र संरक्षण के लिये रोग नियंत्रण एवं पशु चिकित्सा देखभाल हेतु बहु-क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में समुदायों की भागीदारी के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन की परिकल्पना की गई है।
  - शेरों की जनगणना प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।
- बिल्ली की अन्य बड़ी प्रजातियाँ भी अधिकतर भारत में पाई जाती हैं, जिनमें रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड शामिल हैं।

विश्व जैव ईंधन दिवस

चर्चा में क्यों?

'विश्व जैव ईंधन दिवस' प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

विश्व जैव ईंधन दिवस

- यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधन के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।
- 'संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन' और 'वैश्विक पर्यावरण सुविधा (एक वित्तीय तंत्र) के सहयोग से 'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' ने इस अवसर पर निम्नलिखित दो योजनाएँ शुरू की हैं:
  - इंटरेस्ट सबवेंशन योजना।
  - जैविक अपशिष्ट स्ट्रीम्स का GIS आधारित इन्वेंटरी टूल।
- जैव ईंधन कार्यक्रम भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।

इतिहास

- यह दिवस 'सर रुडोल्फ डीज़ल' के सम्मान में मनाया जाता है। वह डीज़ल इंजन के आविष्कारक थे और जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर वनस्पति तेल के प्रयोग की संभावना की भविष्यवाणी करने वाले पहले व्यक्ति थे।

वर्ष 2021 की थीम

- यह बेहतर पर्यावरण के लिये जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर आधारित है।

आयोजन

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 से इसका आयोजन किया जा रहा है।

महत्त्व

- कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन, जो किसी कार्बनिक पदार्थ (जीवित या किसी एक समय पर जीवित सामग्री) से कम समय (दिन, सप्ताह या महीनों) में उत्पन्न होता है, उसे जैव ईंधन माना जाता है।
  - जैसे- इथेनॉल, बायोडीज़ल, ग्रीन डीज़ल और बायोगैस आदि।

- जैव ईंधन कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त आय और रोज़गार सृजन में भी मदद करेगा।
- यह न केवल भारत की ग्रामीण ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि परिवहन की बढ़ती मांगों को भी पूरा करेगा।
- जैव ईंधन के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और 21वीं सदी की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

इंटरेस्ट सबवेंशन योजना

- यह अपशिष्ट से ऊर्जा संबंधी बायोमेथेनेशन परियोजनाओं और अभिनव व्यापार मॉडल के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - औद्योगिक जैविक अपशिष्ट-से-ऊर्जा जैव-मीथेनेशन परियोजनाएँ आमतौर पर पूंजी गहन और वित्तीय रूप से परिचालन लागतों (जैसे- अपशिष्ट उपलब्धता) एवं राजस्व, विशेष रूप से बायोगैस यील्ड तथा इसके उपयोग, दोनों के प्रति ही संवेदनशील होती हैं।
  - ऐसी परियोजनाओं में नवाचार का उद्देश्य समग्र ऊर्जा उत्पादन में सुधार करना होता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम-से-कम किया जा सके, लेकिन स्थापना चरण में प्रारंभिक परियोजना लागत अधिक हो सकती है फिर भी राजस्व में वृद्धि एवं परियोजना के जीवनकाल में परिचालन लागत कम होती है।
- यह ऋण योजना लाभार्थियों को ऐसी परियोजनाओं के सामने आने वाले ऋण घटक पर ब्याज़ के वित्तीय बोझ को कम करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जैविक अपशिष्ट स्ट्रीम्स का GIS आधारित इन्वेंटरी टूल

- यह टूल पूरे भारत में उपलब्ध शहरी और औद्योगिक जैविक कचरे एवं उनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता के ज़िला स्तर का अनुमान प्रदान करता है।
- GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) टूल SMEs (लघु एवं मध्यम उद्यम) और परियोजना डेवलपर्स को ऊर्जा परियोजनाओं के लिये नए अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में सक्षम बनाएगा और देश में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बायोमेथेनेशन के तीव्र विकास की सुविधा प्रदान कर सकता है।

बायोमेथेनेशन

- बायोमेथेनेशन का आशय ऐसी प्रकिया से है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्मजैविक रूप से बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है।
  - इसमें सूक्ष्मजीवों के तीन मुख्य शारीरिक समूह शामिल हैं: किण्वन बैक्टीरिया, कार्बनिक अम्ल ऑक्सीकरण बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्किया।
  - सूक्ष्मजीव, जैव रासायनिक रूपांतरणों के कैस्केड के माध्यम से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं।

जैव ईंधन को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल

- जैव ईंधन का सम्मिश्रण: जैव ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम, इथेनॉल के लिये प्रशासनिक मूल्य तंत्र,तेल विपणन कंपनियों (OMC) के लिये खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों में संशोधन आदि कुछ पहलें की गई हैं।
- इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (ICGEB) के शोधकर्त्ता जैव ईंधन उत्पादन के लिये साइनोबैक्टीरियम (Cyanobacterium) का उपयोग करने हेतु एक विधि विकसित कर रहे हैं।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने भी अधिशेष चावल को इथेनॉल में बदलने की अनुमति दी है।
- प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019 : इस योजना का उद्देश्य दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल उत्पादन हेतु वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है।
- गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan - GOBAR-DHAN) योजना: यह खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे को उपयोगी खाद, बायोगैस और बायो-सीएनजी में बदलने और इस प्रकार गाँवों को साफ रखने व ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है।

नोट :

- रिपर्पज़ यूज़्ड कुकिंग ऑयल (Response Used Cooking Oil): इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा लॉन्च किया गया था तथा इसका उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है जो प्रयुक्त कुकिंग आयल को बायो-डीज़ल में संग्रह व रूपांतरण करने में सक्षम हो।
- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 : इस नीति द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे- चुकंदर, मीठा शर्बत सोरघम, स्टार्च युक्त सामग्री तथा मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त क्षतिग्रस्त अनाज, जैसे- गेहूँ, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है।

आगे की राह

- भारत जैसे देश में परिवहन में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने से कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी।
- एक बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था बनने हेतु भारत के पास बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष उपलब्ध हैं, इसलिये देश में जैव ईंधन के उत्पादन की गुंजाइश बहुत अधिक है। जैव ईंधन नई नकदी फसलों के रूप में ग्रामीण और कृषि विकास में मदद कर सकता है।
- शहरों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट और नगरपालिका कचरे का उपयोग सुनिश्चित कर स्थायी जैव ईंधन उत्पादन के प्रयास किये जाने चाहिये। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और कार्यान्वित जैव ईंधन नीति भोजन एवं ऊर्जा दोनों प्रदान कर सकती है।
- एक समुदाय आधारित बायोडीज़ल वितरण कार्यक्रम जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुँचाता है, फीडस्टॉक को विकसित करने वाले किसानों से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक ईंधन का उत्पादन और वितरण करने वाला एक स्वागत योग्य कदम होगा।

तेल रिसाव

चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन के अनुसार, यह पुष्टि की गई है कि कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र के ठंडे समुद्री जल में पोषक तत्त्वों के साथ उत्तेजक बैक्टीरिया (बायोरेमेडिएशन) तेल रिसाव के बाद डीज़ल और अन्य पेट्रोलियम तेल को विघटित करने में मदद कर सकते हैं।

- इससे पूर्व 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT), चेन्नई ने एक इको-फ्रेंडली क्रूड ऑयल बायोरेमेडिएशन मैकेनिज़्म तकनीक विकसित की है।

प्रमुख बिंदु

तेल रिसाव :

- तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या अन्य तेल उत्पादों के अनियंत्रित रिसाव को संदर्भित करता है।
- तेल रिसाव की घटना भूमि, वायु या पानी को प्रदूषित कर सकती है, हालाँकि इसका उपयोग सामान्य तौर पर समुद्र में तेल रिसाव के संदर्भ में किया जाता है।

प्रमुख कारण :

- मुख्य रूप से महाद्वीपीय चट्टानों पर गहन पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन तथा जहाज़ों में बड़ी मात्रा में तेल के परिवहन के परिणामस्वरूप तेल रिसाव एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन गया है।
- तेल रिसाव जो नदियों, खाड़ियों और समुद्र में होता है, अक्सर टैंकरों, नावों, पाइपलाइनों, रिफाइनरियों, ड्रिलिंग क्षेत्र तथा भंडारण सुविधाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण होता है, लेकिन सामान्य नौकायान और प्राकृतिक आपदाएँ भी इसे प्रभावित करती हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव

- स्वदेशी लोगों के लिये खतरा:
  - समुद्री भोजन पर निर्भर रहने वाली स्वदेशी आबादी हेतु तेल प्रदूषण स्वास्थ्य के लिये खतरा बन गया है।
- जलीय जीवों के लिये हानिकारक:
  - समुद्र की सतह पर तेल जलीय जीवों के कई रूपों के लिये हानिकारक है क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश को सतह में प्रवेश करने से रोकता है और यह घुलित ऑक्सीजन के स्तर को भी कम करता है।

- अतिताप (Hyperthermia):
  - कच्चा तेल पक्षियों के पंखों और फर के इन्सुलेट और जलरोधक गुणों को नष्ट कर देता है और इस प्रकार तेल से लिपटे पक्षी व समुद्री स्तनधारी की मृत्यु अतिताप (शरीर का तापमान सामान्य स्तर से अधिक) के कारण हो सकती है।
- विषाक्त:
  - इसके अलावा अंतर्ग्रहण तेल प्रभावित जानवरों के लिये विषाक्त हो सकता है और उनके आवास व प्रजनन दर को नुकसान पहुँचा सकता है।
- मैंग्रोव के लिये खतरा:
  - खारे पानी के दलदल और मैंग्रोव अक्सर तेल रिसाव से पीड़ित होते हैं।

आर्थिक प्रभाव:

- पर्यटन:
  - यदि समुद्र तटों और आबादी वाली तटरेखाओं को दूषित कर दिया जाता है, तो पर्यटन और वाणिज्य बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं।
- बिजली संयंत्र:
  - बिजली संयंत्र और अन्य उपयोगिताएँ जो समुद्र के पानी को खींचने या निकालने पर निर्भर करती हैं, तेल रिसाव से गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं।
- मछली पकड़ना:
  - वाणिज्यिक उद्देश्य से मछली पकड़ने (Commercial Fishing) में कमी द्वारा तेल रिसाव की घटनाओं को रोका जा सकता है।

उपचार:

- बायोरेमेडिएशन:
  - बायोरेमेडिएशन के ज़रिये समुद्र में फैले तेल को साफ करने के लिये बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। विशिष्ट जीवाणुओं का उपयोग हाइड्रोकार्बन जैसे विशिष्ट संदूषकों को बायोरेमेडिएट करने के लिये किया जा सकता है, जो तेल और गैसोलीन में मौजूद होते हैं।
  - पैरापरलुसीडिबाका, साइक्लोक्लास्टिकस, ओईस्पिरा, थैलासोलिटस ज़ोंगशानिया और इसी प्रकार के अन्य बैक्टीरिया का उपयोग करने से कई प्रकार के दूषित पदार्थों को हटाने में मदद मिल सकती है।
- कंटेनमेंट बूम्स
  - तेल के प्रसार को रोकने और इसकी रिकवरी, हटाने के लिये फ्लोटिंग बैरियर, जिन्हें 'बूम' के नाम से जाना जाता है, का उपयोग किया जा सकता है।
- स्कीमर:
  - ये पानी की सतह पर मौजूद तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिये उपयोग किये जाने वाले उपकरण हैं।
- सोरबेंट्स
  - विभिन्न प्रकार के सोरबेंट्स (जैसे- पुआल, ज्वालामुखी राख और पॉलिएस्टर-व्युत्पन्न प्लास्टिक की छीलन) जो पानी से तेल को अवशोषित करते हैं, का उपयोग किया जाता है।
- डिस्पेरिंग एजेंट
  - ये ऐसे रसायन होते हैं, जिनमें तेल जैसे तरल पदार्थों को छोटी बूँदों में तोड़ने का काम करने वाले यौगिक मौजूद होते हैं। वे समुद्र में इसके प्राकृतिक फैलाव को तेज़ करते हैं।

नोट :

भारत में संबंधित कानून:

- वर्तमान में भारत में तेल रिसाव और इसके परिणामी पर्यावरणीय क्षति को कवर करने वाला कोई कानून नहीं है लेकिन ऐसी स्थितियों से निपटने हेतु भारत के पास वर्ष 1996 की राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (National Oil Spill Disaster Contingency Plan- NOS-DCP) है।
  - यह दस्तावेज़ रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996 में जारी किया गया था। इसे अंतिम बार मार्च 2006 में अपडेट किया गया।
  - यह भारतीय तटरक्षक बल को तेल रिसाव के सफाई कार्यों में सहायता के लिये राज्य के विभागों, मंत्रालयों, बंदरगाह प्राधिकरणों और पर्यावरण एजेंसियों के साथ समन्वय करने का अधिकार देता है।
- वर्ष 2015 में भारत ने बंकर तेल प्रदूषण क्षति, 2001 (बंकर कन्वेंशन) के लिये नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पुष्टि की। कन्वेंशन तेल रिसाव से होने वाले नुकसान के लिये पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी मुआवज़ा सुनिश्चित करता है।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा प्रशासित था।

लद्दाख में ग्लेशियरों का पीछे खिसकना

चर्चा में क्यों ?

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, लद्दाख की ज़ांस्कर घाटी में स्थित पेन्सिलुंगपा ग्लेशियर के तापमान में वृद्धि और सर्दियों के दौरान कम बर्फबारी होने के कारण यह ग्लेशियर पीछे खिसक रहा है।

- यह अध्ययन ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करता है। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने यह भी आकलन किया था कि हिंदूकुश हिमालयन (HKH) पर्वत शृंखलाएँ वर्ष 2100 तक अपनी दो-तिहाई बर्फ से विहीन हो सकती हैं।
- WIHG देहरादून, उत्तराखंड में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

प्रमुख बिंदु

परिणाम :

- गिरावट की दर :
  - ग्लेशियर अब 6.7 प्लस/माइनस 3 मीटर प्रतिवर्ष की औसत दर से पीछे खिसक रहा है।
  - हिमनद तब पीछे खिसकते हैं जब उनकी बर्फ अधिक तीव्र गति से पिघलने लगती है, जिसके कारण हिमपात हो सकता है और नई हिमनद बन सकती है।
- मलबे का ढेर लगना:
  - विशेष रूप से गर्मियों में ग्लेशियर के समापन बिंदु के द्रव्यमान संतुलन तथा पीछे खिसकने पर मलबे के ढेर का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
    - इसके अलावा पिछले तीन वर्षों (2016-2019) के दौरान बर्फ के जमाव में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई तथा यहाँ पर बहुत छोटे से हिस्से में ही बर्फ जमी है।
    - ग्लेशियर का द्रव्यमान संतुलन सर्दियों में जमा हुई बर्फ और गर्मी के दौरान बर्फ के पिघलने के बीच का अंतर है।
- हवा के तापमान में वृद्धि का प्रभाव:
  - हवा के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण बर्फ पिघलने में तेज़ी आएगी और संभावना है कि गर्मियों की अवधि बढ़ने के कारण ऊँचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की जगह बारिश होने लगेगी, जो सर्दी-गर्मी के मौसमी पैटर्न को प्रभावित कर सकती है।

प्रभाव :

- मानव जीवन पर प्रभाव :
  - यह मृदा अपरदन, भूस्खलन और बाढ़ के कारण मिट्टी के नुकसान सहित पानी, भोजन, ऊर्जा सुरक्षा एवं कृषि को प्रभावित करेगा।

- हिमनद झीलें पिघली हुई बर्फ के जमा होने के कारण भी बन सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यहाँ तक कि महासागरों में ताज़े पानी को डंप करके यह वैश्विक जलवायु को स्थानांतरित कर सकता है और इस तरह उनके परिसंचरण को परिवर्तित कर सकता है।

- मलबा:
  - हिमनदों के पीछे खिसकने से शिलाखंड और बिखरे हुए चट्टानी मलबे तथा मिट्टी के ढेर लग जाते हैं जिन्हें हिमनद मोराइन कहा जाता है।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिये पहल:

- नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम (National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem-NMSHE) : यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।

हिमनद

परिचय:

- हिमनद जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील संकेतक होते हैं। क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलछट एवं जल से निर्मित क्षेत्र, जहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी होती है, को हिमनद कहते हैं। अत्यधिक भार व गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हिमनद ढलान की ओर प्रवाहित होते हैं।
- पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का 2.1% हिमनदों में बर्फ के रूप में मौजूद है, जबकि 97.2% की उपस्थिति महासागरों एवं अंत:स्थलीय समुद्रों में होती है।

हिमनद हेतु आवश्यक दशाएँ:

- औसत वार्षिक तापमान गलनांक बिंदु के आसपास होना चाहिये।
- सर्दियों में हिमपात से बर्फ की बड़ी मात्रा एकत्रित होनी चाहिये।
- सर्दियों के अलावा शेष वर्ष में भी तापमान इतना अधिक नहीं होना चाहिये कि सर्दियों के दौरान एकत्रित पूरी बर्फ पिघल जाए।

हिमनद भू-आकृतियाँ:

ज़ांस्कर घाटी

- यह एक अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र है जो 13 हज़ार फीट से अधिक की ऊँचाई पर महान हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है।
- ज़ांस्कर रेंज ज़ांस्कर को लद्दाख से अलग करती है और ज़ांस्कर रेंज की औसत ऊँचाई लगभग 6,000 मीटर है।
- यह पर्वत श्रृंखला लद्दाख और ज़ांस्कर को अधिकांश मानसून से बचाने के लिये जलवायु बाधा के रूप में कार्य करती है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों में सुखद गर्म और शुष्क जलवायु होती है।
- ज़ांस्कर रेंज के चरम उत्तर-पश्चिम में मार्बल दर्रा, ज़ोजिला दर्रा इस क्षेत्र के दो उल्लेखनीय दर्रे हैं।
- कई नदियाँ इस श्रेणी की विभिन्न शाखाओं से शुरू होकर उत्तर की ओर बहती हैं और महान सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इन नदियों में हनले नदी, खुर्ना नदी, ज़ांस्कर नदी, सुरू नदी (सिंधु) तथा शिंगो नदी शामिल हैं।
- ज़ांस्कर नदी तब तक उत्तर-पूर्वी मार्ग अपनाती है जब तक कि यह लद्दाख में सिंधु में शामिल नहीं हो जाती।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

भारत को अपडेटेड फ्लड मैप की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हुई भारी वर्षा की घटनाओं से देश भर के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि देश में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की संख्या 'केंद्रीय निगरानी मानचित्र' में उल्लिखित क्षेत्रों से कहीं अधिक है।

- बाढ़ के पैटर्न और आवृत्तियों में बदलाव के लिये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के मानचित्र को अपडेट करने की आवश्यकता है।

NDMA के अनुसार बाढ़-प्रवण क्षेत्र

प्रमुख बिंदु

भारत में बाढ़-प्रवण क्षेत्र

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र मुख्यत: गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तरी राज्यों (जो उत्तर प्रदेश और बिहार को कवर करते हैं) से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं।
- ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय राज्यों, तेलंगाना और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बाढ़-प्रवण क्षेत्र हैं।

नए मानचित्र की आवश्यकता

- पुराना अनुमान
  - वर्तमान सीमांकन चार दशक पूर्व गठित 'राष्ट्रीय बाढ़ आयोग' (RBA) द्वारा वर्ष 1980 के अनुमानों पर आधारित है।
    - राष्ट्रीय बाढ़ आयोग को 1954 के राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की विफलता के बाद वर्ष 1976 में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा भारत के बाढ़ नियंत्रण उपायों का अध्ययन करने के लिये स्थापित किया गया था।
  - राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार, भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है।
  - राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने बाढ़ के लिये विशुद्ध रूप से मानवजनित कारकों को उत्तरदायी ठहराया है, न कि भारी बारिश को।
- जलवायु परिवर्तन:
  - पिछले चार दशकों से भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहा है। तापमान में वैश्विक वृद्धि के कारण अत्यधिक वर्षा होने के बाद लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई है।
  - साइंस नेचर जर्नल के अनुसार, वर्ष 1950 से 2015 के बीच मध्य भारत में तीव्र वर्षा की घटनाओं में तीन गुना वृद्धि हुई।
    - केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्लाइमेट्स चेंज एंड इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2070 से वर्ष 2100 के मध्य तापमान में वृद्धि केचलते भारत में बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि होगी।
- मूसलाधार वर्षा की मात्रा में वृद्धि:
  - हाल के दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की अवधि में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है।
  - वर्ष 2020 में भारत के 13 राज्यों के 256 ज़िलों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की सूचना मिली है।

बाढ़:

- यह भूमि पर जल का अतिप्रवाह है। भारी बारिश के दौरान उस स्थिति में बाढ़ आ सकती है, जब समुद्र की लहरें तट पर आती हैं, बर्फ जल्दी पिघलती है, या जब बाँध टूटते हैं।

नोट :

- हानिकारक बाढ़ कुछ इंच ज़मीन या एक घर को छत तक ढक सकती है। बाढ़ मिनटों के भीतर या लंबी अवधि में आ सकती है और दिनों, हफ्तों या उससे अधिक समय तक यह स्थिति रह सकती है। मौसम संबंधी सभी प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ सबसे आम और व्यापक है।
- फ्लैश फ्लड सबसे खतरनाक प्रकार की बाढ़ है, क्योंकि यह बाढ़ की विनाशकारी शक्ति को अत्यधिक तीव्र गति से जोड़ती है।
  - बाढ़ अचानक तब आती है जब ज़मीन की जल अवशोषित करने की क्षमता से अधिक वर्षा होती है।
  - यह स्थिति तब भी होती है जब पानी सामान्य रूप से सूखी खाड़ियों या नालों को भर देता है या पर्याप्त पानी जमा हो जाता है जिससे धाराएँ अपने किनारों को पार कर जाती हैं, जिससे कम समय में पानी का बहाव तेज़ी से बढ़ता है।
  - यह वर्षा के कुछ मिनटों के भीतर हो सकता है जिसके कारण जनता को चेतावनी देने और उनकी सुरक्षा के लिये समय नहीं मिल पाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

परिचय:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिये शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका औपचारिक रूप से गठन सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत हुआ जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में) और नौ अन्य सदस्य होते हैं और इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाता है।

अधिदेश:

- प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रियाओं में समन्वय कायम करना और आपदा से निपटने (आपदाओं में लचीली रणनीति) व संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है।
- आपदाओं के प्रति समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिये आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश तैयार करने का यह एक शीर्ष निकाय है।

विज़न:

- एक समग्र, अग्रसक्रिय तकनीक संचालित और संवहनीय विकास रणनीति द्वारा सुरक्षित और आपदा-प्रत्यास्थ भारत बनाना, जिसमें सभी हितधारकों की मौजूदगी हो तथा जो रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति का पालन करती हो।

लद्दाख में ग्लेशियरों का पीछे खिसकना

चर्चा में क्यों?

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, लद्दाख की ज़ांस्कर घाटी में स्थित पेन्सिलुंगपा ग्लेशियर के तापमान में वृद्धि और सर्दियों के दौरान कम बर्फबारी होने के कारण यह ग्लेशियर पीछे खिसक रहा है।

- यह अध्ययन ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करता है। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने यह भी आकलन किया था कि हिंदूकुश हिमालयन (HKH) पर्वत श्रृंखलाएँ वर्ष 2100 तक अपनी दो-तिहाई बर्फ से विहीन हो सकती हैं।
- WIHG देहरादून, उत्तराखंड में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

प्रमुख बिंदु

परिणाम :

- गिरावट की दर :
  - ग्लेशियर अब 6.7 प्लस/माइनस 3 मीटर प्रतिवर्ष की औसत दर से पीछे खिसक रहा है।
  - हिमनद तब पीछे खिसकते हैं जब उनकी बर्फ अधिक तीव्र गति से पिघलने लगती है, जिसके कारण हिमपात हो सकता है और नई हिमनद बन सकती है।

- मलबे का ढेर लगना:
  - विशेष रूप से गर्मियों में ग्लेशियर के समापन बिंदु के द्रव्यमान संतुलन तथा पीछे खिसकने पर मलबे के ढेर का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
    - इसके अलावा पिछले तीन वर्षों (2016-2019) के दौरान बर्फ के जमाव में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई तथा यहाँ पर बहुत छोटे से हिस्से में ही बर्फ जमी है।
    - ग्लेशियर का द्रव्यमान संतुलन सर्दियों में जमा हुई बर्फ और गर्मी के दौरान बर्फ के पिघलने के बीच का अंतर है।
- हवा के तापमान में वृद्धि का प्रभाव:
  - हवा के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण बर्फ पिघलने में तेज़ी आएगी और संभावना है कि गर्मियों की अवधि बढ़ने के कारण ऊँचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की जगह बारिश होने लगेगी, जो सर्दी-गर्मी के मौसमी पैटर्न को प्रभावित कर सकती है।

प्रभाव :

- मानव जीवन पर प्रभाव :
  - यह मृदा अपरदन, भूस्खलन और बाढ़ के कारण मिट्टी के नुकसान सहित पानी, भोजन, ऊर्जा सुरक्षा एवं कृषि को प्रभावित करेगा।
  - हिमनद झीलें पिघली हुई बर्फ के जमा होने के कारण भी बन सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यहाँ तक कि महासागरों में ताज़े पानी को डंप करके यह वैश्विक जलवायु को स्थानांतरित कर सकता है और इस तरह उनके परिसंचरण को परिवर्तित कर सकता है।
- मलबा:
  - हिमनदों के पीछे खिसकने से शिलाखंड और बिखरे हुए चट्टानी मलबे तथा मिट्टी के ढेर लग जाते हैं जिन्हें हिमनद मोराइन कहा जाता है।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिये पहल:

- नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम (National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem-NMSHE) : यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।

हिमनद

परिचय:

- हिमनद जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील संकेतक होते हैं। क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलछट एवं जल से निर्मित क्षेत्र, जहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी होती है, को हिमनद कहते हैं। अत्यधिक भार व गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हिमनद ढलान की ओर प्रवाहित होते हैं।
- पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का 2.1% हिमनदों में बर्फ के रूप में मौजूद है, जबकि 97.2% की उपस्थिति महासागरों एवं अंत:स्थलीय समुद्रों में होती है।

हिमनद हेतु आवश्यक दशाएँ:

- औसत वार्षिक तापमान गलनांक बिंदु के आसपास होना चाहिये।
- सर्दियों में हिमपात से बर्फ की बड़ी मात्रा एकत्रित होनी चाहिये।
- सर्दियों के अलावा शेष वर्ष में भी तापमान इतना अधिक नहीं होना चाहिये कि सर्दियों के दौरान एकत्रित पूरी बर्फ पिघल जाए।

हिमनद भू-आकृतियाँ:

ज़ांस्कर घाटी

- यह एक अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र है जो 13 हज़ार फीट से अधिक की ऊँचाई पर महान हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है।

नोट :

- ज़ांस्कर रेंज ज़ांस्कर को लद्दाख से अलग करती है और ज़ांस्कर रेंज की औसत ऊँचाई लगभग 6,000 मीटर है।
- यह पर्वत शृंखला लद्दाख और ज़ांस्कर को अधिकांश मानसून से बचाने के लिये जलवायु बाधा के रूप में कार्य करती है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों में सुखद गर्म और शुष्क जलवायु होती है।
- ज़ांस्कर रेंज के चरम उत्तर-पश्चिम में मार्बल दर्रा, ज़ोजिला दर्रा इस क्षेत्र के दो उल्लेखनीय दर्रे हैं।
- कई नदियाँ इस श्रेणी की विभिन्न शाखाओं से शुरू होकर उत्तर की ओर बहती हैं और महान सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इन नदियों में हनले नदी, खुर्ना नदी, ज़ांस्कर नदी, सुरू नदी (सिंधु) तथा शिंगो नदी शामिल हैं।
- ज़ांस्कर नदी तब तक उत्तर-पूर्वी मार्ग अपनाती है जब तक कि यह लद्दाख में सिंधु में शामिल नहीं हो जाती।

दृष्टि The Vision

सामाजिक न्याय

हलाम उप-जनजाति संघर्ष

चर्चा में क्यों?

उत्तरी त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के साथ संघर्ष के बाद असम में शरण लेने वाले हलाम (Halam) उप-जनजातियों के लोग त्रिपुरा के उत्तरी ज़िले में अपने गाँव दामचेरा वापस लौट रहे हैं।

- मिज़ोरम में जातीय संघर्ष से बचने के लिये ब्रू शरणार्थी 1997 में त्रिपुरा आए और उत्तरी त्रिपुरा ज़िले के छह राहत शिविरों में रहने लगे।

प्रमुख बिंदु

हलाम (Halam) उप-जनजाति:

- जातीय रूप से हलाम समुदाय (त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत) तिब्बती-बर्मी जातीय समूह की कुकी-चिन जनजातियों से संबंधित हैं।
- उनकी भाषा भी कमोबेश तिब्बती-बर्मन समुदाय से मिलती-जुलती है।
- हलाम को मिला कुकी (Mila Kuki) के रूप में भी जाना जाता है, हालाँकि वे भाषा, संस्कृति और जीवनशैली के संदर्भ में कुकी से काफी अलग हैं अर्थात् इनकी संस्कृति कुकी से मेल नहीं खाती है।
- हलाम कई उप-कुलों में विभाजित हैं जिन्हें "बरकी-हलाम" (Barki-Halam) कहा जाता है।
- हलाम के प्रमुख उप-कुलों में कोलोई, कोरबोंग, काइपेंग, बोंग, साकचेप, थांगचेप, मोलसोम, रूपिनी, रंगखोल, चोराई, लंकाई, कैरेंग (डारलोंग), रंगलोंग, मार्चफांग और सैहमर हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी कुल जनसंख्या 57,210 है तथा यह संपूर्ण राज्य में पाए जाते है।
- हलाम विशिष्ट प्रकार के "टोंग घर" (Tong Ghar) में रहते हैं जो विशेष रूप से बाँस और चान घास से बने होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में खेती के अतिरिक्त वे अभी भी झूम खेती करते हैं तथा अन्य वैकल्पिक कार्यों के अलावा दोनों गतिविधियों पर निर्भर हैं।

ब्रू शरणार्थी:

- ब्रू या रियांग पूर्वोत्तर भारत का एक क्षेत्रीय/स्वदेशी समुदाय है, जो अधिकतर त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम में रहते हैं। त्रिपुरा में उन्हें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- मिज़ोरम में उन्हें उन समूहों द्वारा निशाना बनाया गया है जो उन्हें राज्य के लिये स्वदेशी नहीं मानते हैं।
  - 1997 में जातीय संघर्षों के बाद लगभग 37,000 ब्रू मिज़ोरम के ममित, कोलासिब और लुंगलेई ज़िलों से भाग गए तथा उन्हें त्रिपुरा में राहत शिविरों में ठहराया गया।
  - मिज़ोरम के साथ अंतर्राज्यीय सीमा से पहले दमचेरा त्रिपुरा का आखिरी गाँव है।
- तब से लेकर आज तक प्रत्यावर्तन के आठ चरणों में 5,000 लोग मिज़ोरम लौट आए हैं, जबकि 32,000 अभी भी उत्तरी त्रिपुरा में छह राहत शिविरों में रहते हैं।
- जून 2018 में, ब्रू शिविरों के सामुदायिक नेताओं ने मिज़ोरम में प्रत्यावर्तन के लिये केंद्र और दो राज्य सरकारों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये लेकिन शिविर में रहने वाले अधिकांश लोगों ने समझौते की शर्तों को खारिज कर दिया।
- जनवरी 2020 में केंद्र, मिज़ोरम और त्रिपुरा की सरकारों तथा ब्रू संगठनों के नेताओं ने एक चतुर्पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - समझौते के तहत गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा में इनके बंदोबस्त का पूरा खर्च वहन करने की प्रतिबद्धता जताई है।

- इस समझौते के तहत प्रत्येक विस्थापित ब्रू परिवार के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गई है-
  - समझौते के तहत विस्थापित परिवारों को आवासीय प्लॉट दिया जाएगा, इसके साथ ही हर परिवार को 4 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप दिये जाएंगे।
  - पुनर्वास सहायता के रूप में परिवारों को दो वर्षों तक प्रतिमाह 5 हज़ार रुपए और नि:शुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।
  - साथ ही प्रत्येक विस्थापित परिवार को घर बनाने के लिये 1.5 लाख रुपए की नकद सहायता भी दी जाएगी।

संबंधित मुद्दे:

- पूर्वोत्तर में न केवल "स्वदेशी" एवं "अधिवासी (Settlers)" के बीच बल्कि अंतर-जनजातियों के बीच जातीय संघर्षों का इतिहास रहा है और एक ही जनजाति में छोटे उप-समूहों के भीतर भी मुद्दे उठ सकते हैं।
- त्रिपुरा में ब्रू जनजाति के लोगों को बसाने का निर्णय से उनकी नागरिकता का सवाल भी उठ सकता है, विशेष रूप से असम में जहाँ यह परिभाषित करने की प्रक्रिया चल रही है कि कौन स्वदेशी है और कौन नहीं।
- ब्रू शरणार्थियों को लेकर यह कदम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत विदेशियों के निपटान को भी वैध बनाता है, जिससे स्वदेशी लोगों सहित पहले से बसे समुदायों के साथ संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
- इससे त्रिपुरा में बसे अन्य समुदायों के लिये जगह और राजस्व की हानि भी हो सकती है।
- इसके अलावा असम-मिज़ोरम सीमा पर हालिया हिंसक झड़प के बाद अंतर-राज्यीय सीमा विवाद नए सिरे से सामने आए हैं।

आगे की राह:

- ब्रू की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि चतुर्पक्षीय समझौते को अक्षरश: लागू किया जाए।
- हालाँकि वह समझौता जो त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास का प्रावधान करता है, उसे गैर-ब्रू लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिये ताकि ब्रू और गैर-ब्रू समुदायों के बीच कोई संघर्ष न हो।

'फूड फोर्टिफिकेशन' के प्रतिकूल प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों एवं कार्यकर्त्ताओं के एक समूह ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को स्वास्थ्य तथा आजीविका पर 'फूड फोर्टिफिकेशन' के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में चेतावनी दी है।

- यह विटामिन और खनिजों के साथ चावल एवं खाद्य तेलों को अनिवार्य रूप से फोर्टिफाइड करने की केंद्र की योजना के खिलाफ है।
- एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिये सरकार वर्ष 2021 से देश भर में समेकित बाल विकास सेवाओं एवं मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना बना रही है, जिसमें आकांक्षी ज़िलों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

अनिर्णायक साक्ष्य:

- फोर्टिफिकेशन का समर्थन करने वाले साक्ष्य अनिर्णायक हैं और निश्चित रूप से प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।
- फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिये FSSAI जिन अध्ययनों पर निर्भर है। वे खाद्य कंपनियों द्वारा प्रायोजित हैं, जो इससे लाभान्वित होंगी तथा हितों का टकराव होगा।

हाइपरविटामिनोसिस:

- मेडिकल जर्नल 'लैंसेट' और 'अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन' में प्रकाशित हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि एनीमिया तथा विटामिन ए की कमी दोनों का निदान अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि अनिवार्य फोर्टिफिकेशन से 'हाइपरविटामिनोसिस' हो सकता है।

- हाइपरविटामिनोसिस विटामिन के असामान्य रूप से उच्च भंडारण स्तर की स्थिति है, जो विभिन्न लक्षणों जैसे कि अत्यधिक उत्तेजना, चिड़चिड़ापन या यहाँ तक कि विषाक्तता को जन्म दे सकती है।

विषाक्तता:

- खाद्य पदार्थों के रासायनिक फोर्टिफिकेशन के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि पोषक तत्त्व अलगाव में काम नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतम अवशोषण के लिये एक-दूसरे की आवश्यकता होती है। भारत में अल्पपोषण सब्जियों और पशु प्रोटीन की कम खपत वाले अनाज आधारित आहार के कारण होता है।
- एक या दो सिंथेटिक रासायनिक विटामिन और खनिजों को जोड़ने से बड़ी समस्या का समाधान नहीं होगा तथा अल्पपोषित आबादी में विषाक्तता हो सकती है।
  - वर्ष 2010 के एक अध्ययन में बताया गया है कि कुपोषित बच्चों में आयरन फोर्टिफिकेशन के कारण आँत में सूजन और रोगजनक आँत माइक्रोबायोटा प्रोफाइल की स्थिति उत्पन्न होती है।

कार्टेलाइज़ेशन:

- गुटबाज़ी (Fortification) के चलते भारतीय किसानों, स्थानीय तेल और चावल मिलों सहित खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं की विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के एक छोटे समूह को लाभ मिलेगा, जिसके चलते 3,000 करोड़ रुपए का बाज़ार प्रभावित होगा।
- सिर्फ पाँच निगमों/व्यापार संघ ने वैश्विक गुटबाज़ी प्रवृत्तियों के अधिकांश लाभ प्राप्त किये हैं और ये कंपनियाँ/निगम ऐतिहासिक रूप से कार्टेलिज़िंग व्यवहार में लगी हुई हैं जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।
  - यूरोपीय संघ को इस तरह के व्यवहार हेतु इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने के लिये मजबूर किया गया है।

नेचुरल फूड की कीमत में कमी:

- कुपोषण से लड़ने के लिये आहार विविधता को एक स्वस्थ और अधिक लागत प्रभावी तरीका माना गया है। जब से एनीमिया के उपचार हेतु आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल बाज़ार में बेचा जाने लगा, तब से इसने प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कुछ लौह युक्त खाद्य पदार्थों, जैसे- बाजरा, हरी पत्तीदार सब्जियों की किस्में, मांस व अन्य खाद्य पदार्थों के बाज़ार को नितिगत रुप से सीमित कर दिया है।

फूड फोर्टिफिकेशन

फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, फूड फोर्टिफिकेशन से आशय खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की जान-बूझकर की जाने वाली वृद्धि से है ताकि इन पोषक तत्त्वों की न्यूनता में सुधार या निवारण किया जा सके तथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके।
- यह ध्यान देने की बात है कि बायोफोर्टिफिकेशन (Biofortification) पारंपरिक फूड फोर्टिफिकेशन से भिन्न है। बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य फसलों के प्रसंस्करण के दौरान मैनुअल साधनों के बजाय पौधों की वृद्धि के दौरान ही फसलों में पोषक तत्त्वों के स्तर को बढ़ाना है। अर्थात् बायोफोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि संबंधी प्रथाओं, पारंपरिक पौधों के प्रजनन या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है।

प्रकार:

- लक्षित:
  - सामान्य आबादी (मास फोर्टिफिकेशन) द्वारा व्यापक रूप से उपभोग किये जाने वाले खाद्य पदार्थों हेतु फूड फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, विशिष्ट जनसंख्या उपसमूहों के लिये डिज़ाइन किये गए खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि की जा सकती है जैसे- छोटे बच्चों के पूरक खाद्य पदार्थ या विस्थापित आबादी के लिये राशन।

- प्रचलित बाज़ार :
  - खाद्य निर्माताओं को बाज़ार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों को स्वेच्छा से मज़बूत करने की अनुमति देना (बाज़ार संचालित फोर्टिफिकेशन)।

प्रक्रिया:

- जिस व्यापक स्तर तक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति मज़बूत होती है, वह काफी भिन्न होती है। एक ही खाद्य पदार्थ (जैसे नमक का आयोडीनीकरण) में सिर्फ एक सूक्ष्म पोषक तत्त्व की सांद्रता बढ़ाई जा सकती है या यह पैमाने के दूसरे छोर पर खाद्य-सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के संयोजन की एक पूरी शृंखला हो सकती है।

सरकारी हस्तक्षेप:

- FSSAI विनियमन:
  - अक्तूबर 2016 में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) विनियम, 2016 को मज़बूत करने वाली सूची जारी की जैसे- गेहूँ का आटा और चावल (आयरन, विटामिन बी 12 एवं फोलिक एसिड के साथ), दूध तथा खाद्य तेल (विटामिन ए और डी के साथ) व भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों के कुपोषण के उच्च बोझ को कम करने के लिये डबल फोर्टिफाइड नमक (आयोडीन और आयरन के साथ)।
- पोषण संबंधी रणनीति:
  - भारत की राष्ट्रीय पोषण रणनीति, 2017 ने पूरक आहार और आहार विविधीकरण के अलावा एनीमिया, विटामिन ए तथा आयोडीन की कमी को दूर करने के लिये फूड फोर्टिफिकेशन को एक हस्तक्षेप के रूप में सूचीबद्ध किया था।
- मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट :
  - वर्ष 2017 में मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा विश्व बैंक तथा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

परिचय:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम) के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
- इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।

कार्य:

- खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिये विनियम बनाना।
- खाद्य व्यवसायों के लिये FSSAI खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करना।
- खाद्य व्यवसायों में प्रयोगशालाओं के लिये प्रक्रिया और दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
- नीतियाँ बनाने में सरकार को सुझाव देना।
- खाद्य उत्पादों में संदूषकों के संबंध में डेटा एकत्र करना, उभरते जोखिमों की पहचान करना और एक त्वरित चेतावनी प्रणाली की शुरुआत करना।
- खाद्य सुरक्षा के संबंध में देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) संशोधन अधिनियम, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसी महिला के गर्भ का चिकित्सकीय समापन (Medical Termination of Pregnancy-MTP) करने की अनुमति दी है, जिसने गर्भ के 22 सप्ताह पूरे कर लिये थे क्योंकि भ्रूण कई असामान्यताओं से पीड़ित था।

- गर्भावधि/गर्भकाल का आशय गर्भधारण के समय से जन्म तक भ्रूण के विकास काल से है।
- भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के तहत गर्भपात की अनुमति के लिये गर्भधारण की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह निर्धारित की गई है जिसके बाद भ्रूण का गर्भपात वैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

प्रमुख बिंदु

MTP अधिनियम के बारे में :

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (MTP ACT) को सुरक्षित गर्भपात के संबंध में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण पारित किया गया था।
- प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के एक ऐतिहासिक कदम में भारत ने व्यापक गर्भपात देखभाल प्रदान करके महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने हेतु MTP अधिनियम 1971 में संशोधन किया।
- नए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम 2021 को व्यापक देखभाल के लिये सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सीय, उपचारात्मक, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करने हेतु लाया गया है।

MTP संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान:

- गर्भनिरोधक विधि या डिवाइस की विफलता के कारण समाप्ति:
  - अधिनियम के तहत गर्भनिरोधक विधि या उपकरण की विफलता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। यह विधेयक अविवाहित महिलाओं को भी गर्भनिरोधक विधि या डिवाइस की विफलता के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।
- गर्भ की समाप्ति के लिये चिकित्सकों से राय लेना आवश्यक:
  - गर्भधारण से 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिये एक पंजीकृत चिकित्सक की राय की आवश्यकता होती है।
  - गर्भधारण के 20-24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिये दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी।
  - भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भ की समाप्ति के लिये राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक होगा।
- विशेष श्रेणियों के लिये अधिकतम गर्भावधि सीमा
  - महिलाओं की विशेष श्रेणियों (इसमें दुष्कर्म तथा अनाचार से पीड़ित महिलाओं तथा अन्य कमज़ोर महिलाओं जैसे-दिव्यांग महिलाएँ और नाबालिग आदि) के लिये गर्भकाल/गर्भावधि की सीमा को 20 से 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है।
- गोपनीयता:
  - गर्भ को समाप्त करने वाली किसी महिला का नाम और अन्य विवरण, वर्तमान कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर, किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा।

महत्त्व:

- नया कानून सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) 3.1, 3.7 और 5.6 को पूरा करने में मदद कर रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर को समाप्त करने में योगदान देगा।
  - SDG 3.1 मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने से संबंधित है, जबकि SDG 3.7 और 5.6 यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुँच से संबंधित है।
- संशोधन सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं के दायरे और पहुँच को बढ़ाएगा तथा उन महिलाओं के लिये गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता एवं न्याय सुनिश्चित करेगा जिन्हें गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है।

मुद्दे:

- गर्भपात संबंधित भिन्न-भिन्न मुद्दे:
  - एक राय यह है कि गर्भावस्था को समाप्त करना गर्भवती महिला की पसंद और उसके प्रजनन अधिकारों का हिस्सा है, जबकि दूसरी यह है कि राज्य का दायित्व है कि वह जीवन की रक्षा करे और इसलिये उसे भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिये।

- विश्व में देशों ने भ्रूण के स्वास्थ्य और गर्भवती महिला के लिये जोखिम के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने हेतु अलग-अलग शर्तें और समय सीमाएँ निर्धारित की हैं।

- 24 सप्ताह से अधिक की अवस्था में गर्भपात की अनुमति नहीं है:
  - अधिनियम 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति केवल उन मामलों में देता है जहाँ एक मेडिकल बोर्ड पर्याप्त भ्रूण असामान्यताओं का निदान करता है।
  - इसका तात्पर्य यह है कि बलात्कार के कारण गर्भपात की आवश्यकता वाले मामले में, जिसे 24 सप्ताह से अधिक समय हो जाता है, रिट याचिका एकमात्र सहारा है।
- गर्भपात डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा:
  - अधिनियम में केवल स्त्री रोग या प्रसूति में विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों द्वारा गर्भपात कराए जाने का प्रावधान है।
    - चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे डॉक्टरों की 75% कमी है, इसलिये गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के लिये सुविधाओं तक पहुँचने में मुश्किल हो सकती है।

आगे की राह

- यह प्रशंसनीय है कि केंद्र सरकार ने विविध संस्कृतियों, परंपराओं और विचारों के समूहों को संतुलित करते हुए साहसिक कदम उठाया है जिसे हमारा देश बनाए रखता है, हालाँकि संशोधन में अभी भी महिलाओं को विभिन्न शर्तों के साथ छोड़ दिया गया है जो कई मामलों में सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच में बाधा बन जाता है।
  - न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ और अन्य (2017), मामले में न्यायालय ने प्रजनन संबंधी विकल्प को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को मान्यता दी, जो कि प्रजनन अधिकारों और एक महिला की गोपनीयता को बनाए रखने की नैतिकता को मज़बूती प्रदान करने के बावजूद एक चिकित्सक द्वारा गर्भपात करने के अधिकार को गर्भपात की इच्छा रखने वाली महिला के मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित नहीं करता है।
- सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देश भर के स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में गर्भपात की सुविधा के लिये नैदानिक प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मानदंडों और मानकीकृत प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
- इसके साथ ही मानव अधिकारों, ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रौद्योगिकी में उन्नति के अनुरूप गर्भपात के मामले पर फैसला लिया जाना चाहिये।
- चूँकि यह अब एक अधिनियम बन गया है, इसलिये यह आश्वासन दिया जा सकता है कि देश पहले से कहीं अधिक तेज़ी से महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रगति की राह पर है।

ज़ीरो हंगर' लक्ष्य: SDG-2

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सतत् विकास लक्ष्य-2 (SDG-2) यानी 'ज़ीरो हंगर' को प्राप्त करने का लक्ष्य कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के मद्देनज़र प्रभावित हुआ है।

- 'ज़ीरो हंगर' का लक्ष्य कई अन्य लक्ष्यों जैसे- गरीबी उन्मूलन (SDG-1), बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण (SDG-2) तथा स्वच्छ पेयजल (SDG-6) के साथ मिलकर काम करता है।

प्रमुख बिंदु

अन्य SDG लक्ष्यों के साथ संबंध

- SDG-2 और SDG-1:
  - खाद्य सुरक्षा न केवल खाद्य उपलब्धता पर निर्भर करती है, बल्कि खाद्य पहुँच पर भी निर्भर करती है।

- यदि खाद्य सुरक्षा और गरीबी को एक ही लड़ाई के हिस्से के रूप में देखा जाए, तो गरीबी को कम करने के लिये न केवल कम खाद्य कीमतों के माध्यम से बल्कि उच्च आय के माध्यम से भी मांग की जानी चाहिये।

- SDG-2 और SDG-3:
  - पोषण बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है, इसलिये SDG-2 और SDG-3 के बीच का संबंध भी सहक्रियात्मक है।
  - अधिक सतत् कृषि के माध्यम से पर्यावरणीय स्वास्थ्य भी SDG-2 और SDG-3 के बीच संबंध स्थापित करता है।
    - कृषि गतिविधियाँ वैश्विक प्रदूषण में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं: बायोमास जलने से वायु प्रदूषण होता है।
    - कृषि अमोनिया उत्सर्जन मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यह वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष कई लाख मौतों का कारण है।
- अन्य SDGs: इसी प्रकार शिक्षा (SDG-4), लैंगिक समानता (SDG-5), अच्छा कार्य और आर्थिक विकास (SDG-8), असमानता में कमी (SDG-10), स्थायी शहर व समुदाय (SDG-11), शांति, न्याय और मजबूत संस्थान (SDG-16) एवं साझेदारी के लिये लक्ष्य (SDG-17) खपत पैटर्न और स्वस्थ आहार विकल्प को भी प्रभावित करते हैं।
  - लैंगिक असमानता तथा महिलाओं की खाद्य असुरक्षा: महिला श्रमिक कृषि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा है परंतु उन्हें भूमि, पशुधन, शिक्षा, विस्तार और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  - अच्छा कार्य व आर्थिक विकास (SDG-8) तथा असमानता में कमी (SDG-10) भी SDG-1 से आगे जाकर और आर्थिक संसाधन प्रदान कर बेहतर पोषण का समर्थन कर सकते हैं।

चुनौतियाँ:

- खाद्य प्रणाली के सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किये गए प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों में से एक जलवायु परिवर्तन में इसका योगदान है।
  - खाद्य प्रणाली मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 34% का योगदान करती है।
- जल संसाधनों का अत्यधिक उपभोग कृषि के सामने एक और महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
  - सिंचाई वैश्विक जल निकासी के लगभग 70% का प्रतिनिधित्व करती है और आने वाले दशकों में इस मांग में वृद्धि की उम्मीद है।
- नाइट्रोजन (N) तथा फास्फोरस (P) का अत्यधिक उपयोग स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिये हानिकारक है।
  - नाइट्रोजन की अधिकता मिट्टी तथा मीठे पानी के अम्लीकरण का कारण बनती है और नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) जलवायु-वार्मिंग उत्सर्जन एवं समतापमंडलीय ओज़ोन रिक्तीकरण का कारण बनता है।

सुझाव:

- सतत् कृषि के लिये नए निवेश, अनुसंधान और नवाचार को सुगम बनाना।
- खाद्यान्न के नुकसान को कम करना।
- प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करके और स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देकर SDG परिणामों का अधिक लाभ उठाने के लिये हमारे उपभोग पैटर्न को बदलना।

असमान खाद्य प्रणाली

चर्चा में क्यों?

खाद्य प्रणाली पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में खाद्य प्रणालियाँ शक्ति असंतुलन और असमानता से अत्यधिक ग्रसित हैं तथा अधिकांश महिलाओं के लिये अनुकूल नहीं हैं।

- जलवायु परिवर्तन, कोविड-19, भेदभाव, कम भूमि अधिकार, प्रवास आदि जैसे कारकों से महिलाएँ असमान रूप से प्रभावित हुई हैं।
- यह रिपोर्ट सितंबर 2021 में फूड सिस्टम्स समिट से पहले आई है।

प्रमुख बिंदु:

खाद्य प्रणाली:

- खाद्य प्रणाली उत्पादन, प्रसंस्करण, हैंडलिंग, तैयारी, भंडारण, वितरण, विपणन, पहुँच, खरीद, खपत, खाद्य हानि और अपशिष्ट के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिणामों सहित इन गतिविधियों के आउटपुट से जुड़ी गतिविधियों का एक जटिल जाल है।

रिपोर्ट से प्राप्त निष्कर्ष:

- जलवायु परिवर्तन:
    - महिला किसान जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण से अधिक प्रभावित हैं।
    - पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जलवायु और कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने की संभावना कम होती है, जबकि महिलाएँ, पुरुषों की तुलना में कृषि उत्पादकता, पशुधन समस्याओं तथा जल की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पहचान करने में अधिक सक्षम हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे जलवायु संबंधी चिंताओं के लिये योजना बनाने की सहमति प्रदान करती है।
- कुपोषण:
    - इन्हें मोटापे के उच्च स्तर का सामना पड़ता है और पुराने रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
    - भूख और कुपोषण को मिटाने में आदिवासी महिलाओं की अहम भूमिका होती है। लेकिन अधिकारों को मान्यता और प्रयोग संबंधी सीमाओं ने भोजन की समान प्रणालियों तक पहुँच में बाधा उत्पन्न की है।
- प्रवास:
    - शहरी ट्रांजिशन के दौरान युवाओं के प्रवासन ने लिंग आधारित आर्थिक भूमिकाओं को प्रभावित किया है।
    - इस तरह के प्रवासन ने खाद्य उत्पादन और खाद्य खपत के बीच बढ़ते अंतर को जन्म दिया है।
    - इसके बाद जीवनशैली में बदलाव आ सकता है, जिसमें आहार संबंधी आदतें भी शामिल हैं।
- कोविड-19:
    - वर्ष 2020 की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया था कि कैसे महामारी महिलाओं की आर्थिक और आजीविका गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर सकती है, गरीबी दर और खाद्य असुरक्षा को बढ़ा सकती है।
- खाद्य असुरक्षा
    - 821 मिलियन (वर्ष 2017 तक) की खाद्य असुरक्षित आबादी में ग्रामीण महिलाएँ सबसे बुरी तरह प्रभावित थीं।
    - वर्ष 2019 तक 31 अफ्रीकी देश बाहरी खाद्य सहायता पर निर्भर थे।
- भेदभाव:
    - विकासशील देशों में कृषि कार्यबल की लगभग आधी संख्या ग्रामीण महिलाओं पर निर्भर है जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है इसका कारण उनके पास बहुत कम भूमि अधिकार, स्वामित्व प्राप्त करने में व्याप्त चुनौतियाँ, ऋण तक जटिल पहुँच तथा अवैतनिक कार्य में संलग्न होना है।
    - इनसे संबंधित निकायों की यह कमी उनके आहार पैटर्न में परिलक्षित होती है क्योंकि वे कम, अंत में और कम गुणवत्ता वाला भोजन करती हैं। वहीं संसाधनों को नियंत्रित करने वाली महिला किसान आमतौर पर बेहतर गुणवत्ता वाले आहार लेती हैं।

सुझाव:

- महिला स्व-सहायता समूहों की आवश्यकता है:
    - उप-सहारा अफ्रीका के ग्रामीण क्षेत्रों में दिमित्रा क्लब (Dimitra Clubs) एक दशक से भी अधिक समय से महिला नेतृत्व के संचालक रहे हैं। इन समूहों में महिलाएँ एवं पुरुष शामिल हैं जो परिवारों तथा समुदायों में लैंगिक असमानताओं पर प्रकाश डालते हैं।
    - संयुक्त राष्ट्र ने संस्थागत अवसंरचना को मज़बूत करने तथा खाद्य प्रणालियों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को और अधिक समावेशी बनाने के लिये राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी व्यापक स्वतंत्र, सामाजिक प्रणालियों का आह्वान किया है।

- मौलिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना:
  - इसने प्रणालियों से ऐसी नीतियों को अपनाने का आग्रह किया जो मूलभूत सेवाओं तक पहुँच में बाधाओं को दूर करती हैं, उदाहरण के लिये भोजन, आश्रय तथा स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करती हैं।
  - रिपोर्ट ने जर्मन दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली का उदाहरण दिया, एक संस्थागत बुनियादी ढाँचा जो नौकरियों के साथ-साथ बेहतर आजीविका निर्माण करता है। यह इच्छुक किसानों के लिये वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ-साथ विशिष्ट कौशल पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान कर स्कूल-आधारित शिक्षा को कार्य-आधारित अभ्यास के साथ एकीकृत करता है।
- सरकारों और व्यवसायों को जवाबदेह बनाना:
  - संयुक्त राष्ट्र ने विशेष रूप से कहा कि खाद्य प्रणाली श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के लिये असमानताओं को सक्षम और बढ़ाने वाली असमान प्रणालियों एवं संरचनाओं को समाप्त किया जाना चाहिये, साथ ही समान आजीविका सुनिश्चित करने के लिये सरकारों, व्यवसायों और संगठनों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।

समान खाद्य प्रणाली के लिये भारत की पहल

- वर्ग: छोटे और सीमांत किसान FPO (किसान उत्पादक संगठन), सहकारिता, अधिकांश विकास कार्यक्रमों में काम करने हेतु क्लस्टर मोड।
- वंचित वर्ग (कृषि श्रमिक और आदिवासी आबादी): कार्यक्रमों में बेहतर समावेश के लिये समर्पित बजट आवंटन।
- जेंडर बजटिंग, अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन, महिला सशक्तीकरण परियोजना (M/oRD की महिला सशक्तीकरण योजना), कृषि के लिये राष्ट्रीय जेंडर संसाधन केंद्र।
- खाद्य और पोषण सुरक्षा: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), वन नेशन वन कार्ड, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषक अनाज पर ध्यान देना।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन

परिचय:

- इसे वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये कार्रवाई के दशक के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा।
- यह शिखर सम्मेलन सभी 17 SDG पर प्रगति के लिये साहसिक नए कार्य शुरू करेगा, जिनमें से प्रत्येक स्वस्थ और अधिक स्थायी तथा न्यायसंगत खाद्य प्रणालियों पर कुछ हद तक निर्भर करता है।
- फूड सिस्टम्स समिट (Food Systems Summit) का आयोजन पाँच एक्शन ट्रैक्स के आसपास किया जाता है।

एक्शन ट्रैक्स:

- सुरक्षित और पौष्टिक भोजन।
- सतत् खपत पैटर्न।
- प्रकृति अनुकूल उत्पादन।
- समान आजीविका को बढ़ाना।
- कमज़ोरियों, झटकों और तनाव के प्रति लचीलापन।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में भारत:

- भारत ने स्वेच्छा से एक्शन ट्रैक 4 संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 के लिये कृषि-खाद्य प्रणाली-उन्नतशील आजीविका हेतु पहल की है लेकिन यह इसी पहल तक सीमित नहीं है।
- कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट पहलों का कार्यान्वयन किया जाना महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

- यह फोरम मान्यता, न्याय और विकास के विषयों पर केंद्रित है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- यह फोरम नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और असहिष्णुता की चुनौतियों का समाधान करने के लिये विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा।
- यह "अफ्रीकी मूल के लोगों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता तथा आजीविका में सुधार के लिये एक मंच" एवं उन समाजों में उनके पूर्ण समावेश के रूप में काम करेगा, जहाँ वे रहते हैं।
- इसे जनादेश की एक श्रृंखला प्रदान की गई थी।
  - इनमें "अफ्रीकी मूल के लोगों का पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समावेश" सुनिश्चित करने में मदद करना तथा जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद, महासभा की मुख्य समितियों व संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को नस्लवाद से निपटने हेतु सिफारिशें प्रदान करना शामिल है।
- फोरम में 10 सदस्य होंगे:
  - सभी क्षेत्रों से महासभा द्वारा चुने गए पाँच सदस्य।
  - अफ्रीकी मूल के लोगों के क्षेत्रीय समूहों और संगठनों के साथ परामर्श के बाद मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त पाँच सदस्य।
- यह संकल्प वर्ष 2022 में होने वाले फोरम के पहले सत्र आयोजन का आह्वान करता है।

अफ्रीकी मूल के लोग:

- परिचय:
  - अमेरिका में रहने वाले लगभग 200 मिलियन लोग अफ्रीकी मूल के होने के नाते अपनी पहचान बना रहे हैं।
  - अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर भी दुनिया के अन्य हिस्सों में कई लाख और लोग रहते हैं।
- मुद्दे:
  - चाहे वे ट्रान्स अटलांटिक दास व्यापार से पीड़ितों के वंशज हों या हाल के प्रवासियों के रूप में, वे कुछ सबसे गरीब और सबसे हाशिये पर स्थित समूहों का गठन करते हैं।
  - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुँच अभी भी सीमित है।
  - वे सभी अक्सर न्याय तक पहुँच के मामले में भेदभाव का अनुभव करते हैं और नस्लीय प्रोफाइलिंग के साथ-साथ पुलिस हिंसा की खतरनाक रूप से उच्च दर का सामना करते हैं।
  - इसके अलावा मतदान और राजनीतिक पदों पर कब्ज़ा करने में उनकी राजनीतिक भागीदारी अक्सर कम होती है।
- संबंधित पहल:
  - डरबन घोषणा और कार्ययोजना (2001):
    - इसने स्वीकार किया कि अफ्रीकी मूल के लोग गुलामी, दास व्यापार और उपनिवेशवाद के शिकार थे तथा इसके परिणामों के शिकार बने रहे।
    - इसने उनकी दृश्यता को बढ़ाया और राज्यों, संयुक्त राष्ट्र, अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय निकायों तथा नागरिक समाज द्वारा की गई ठोस कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण की महत्त्वपूर्ण प्रगति में योगदान दिया।
  - वर्ष 2014 में महासभा ने आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी मूल के लोगों के लिये अंतर्राष्ट्रीय दशक (2015 - 2024) का शुभारंभ किया।

नोट :

नस्लवाद

परिचय:

- नस्लवाद का आशय ऐसी धारणा से है, जिसमें यह माना जाता है कि मनुष्यों को 'नस्ल' के रूप में अलग और विशिष्ट जैविक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है; इस धारणा के मुताबिक, विरासत में मिली भौतिक विशेषताओं और व्यक्तित्व, बुद्धि, नैतिकता तथा अन्य सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक विशेषताओं के लक्षणों के बीच संबंध होता है और कुछ विशिष्ट 'नस्लें' अन्य की तुलना में बेहतर होती हैं।
- यह शब्द राजनीतिक, आर्थिक या कानूनी संस्थानों और प्रणालियों पर भी लागू होता है, जो 'नस्ल' के आधार पर भेदभाव करते हैं अथवा धन एवं आय, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, नागरिक अधिकारों तथा अन्य क्षेत्रों में नस्लीय असमानताओं को बढ़ावा देते हैं।
  - प्राय: ज़ेनोफोबिया और नस्लवाद को एक जैसा माना जाता है, किंतु इनमें अंतर यह है कि नस्लवाद में शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जबकि ज़ेनोफोबिया में इस धारणा के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि कोई विदेशी है अथवा किसी अन्य समुदाय या राष्ट्र से संबद्ध है।
    - 'ज़ेनोफोबिया' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'ज़ेनो' से हुई है।
- भारतीय समाज में नस्लीय भेदभाव काफी गहरे तक मौजूद है।

नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध पहलें:

- डरबन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन (2001): इसे 'नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और संबंधित असहिष्णुता के खिलाफ विश्व सम्मेलन' द्वारा अपनाया गया था।
- प्रतिवर्ष 21 मार्च को 'अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस' का आयोजन किया जाता है।
- 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (यूनेस्को) द्वारा शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से नस्लवाद के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई इस संबंध में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करती है।
- ग्लोबल फोरम अगेंस्ट रेसिज़्म एंड डिस्क्रिमिनेशन: पेरिस स्थित यूनेस्को के मुख्यालय में कोरिया गणराज्य के साथ साझेदारी के माध्यम से इसकी मेजबानी की गई थी।
- जनवरी 2021 में विश्व आर्थिक मंच ने कार्यस्थल पर नस्लीय और जातीय न्याय में सुधार के लिये प्रतिबद्ध संगठनों का एक गठबंधन शुरू किया था।
- 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन ने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि संपूर्ण विश्व में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश को जन्म दिया है। वैश्विक स्तर पर तमाम तरह के लोग नस्लीय भेदभाव की व्यापकता के विरुद्ध एकजुट हुए हैं।

भारत में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध प्रावधान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 29 'नस्ल', 'धर्म' तथा 'जाति' के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाते हैं।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A भी 'नस्ल' को संदर्भित करती है।
- भारत ने वर्ष 1968 में 'नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन' (ICERD) की पुष्टि की थी।

आगे की राह

- अंतर-सांस्कृतिक संवाद का नवीनतम दृष्टिकोण युवाओं को किसी वर्ग विशिष्ट से संबंधित रूढ़ियों को समाप्त करने और उनमें सहिष्णुता बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
- नस्लवाद और जातिवाद से संबंधित भेदभाव की हालिया घटनाएँ संपूर्ण समाज को समानता के संबंध में विभिन्न पहलुओं को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती हैं। नस्लवाद की समस्या को केवल सद्भाव अथवा सद्भावना के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिये नस्लवाद-विरोधी कार्रवाई की भी आवश्यकता होगी।
  - सुरक्षा में नई तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग 'तकनीकी-नस्लवाद' के खतरे को बढ़ाता है, क्योंकि चेहरे की पहचान प्रोग्राम नस्लीय समुदायों के संबंध में गलत पहचान को लक्षित कर सकता है।
- इसके लिये सहिष्णुता, समानता के साथ ही भेदभाव विरोधी एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण किया जाना काफी महत्त्वपूर्ण है।

सर्पदंश विष

चर्चा में क्यों?

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के एक नए अध्ययन के अनुसार, विश्व में सर्पदंश के सबसे अधिक मामले भारत में पाए जाते हैं, जो वैश्विक सर्पदंश से होने वाली मौतों का लगभग 50% है।

- सर्पदंश विष (SE) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

सर्पदंश विष के बारे में:

- SE जीवन के लिये एक संभावित खतरनाक बीमारी है जो आमतौर पर एक विषैले साँप के काटने के बाद विभिन्न विषाक्त पदार्थों (जहर) के मिश्रण के परिणामस्वरूप होती है और साँपों की कुछ प्रजातियों द्वारा जहर छिड़कने के लक्षण के कारण आँखों में भी जहर फैलने की घटनाएँ देखी जाती हैं।
- यह अफ्रीका, मध्य-पूर्व, एशिया, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका में स्थित उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से एक महत्त्वपूर्ण पूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
  - इन क्षेत्रों में सर्पदंश का खतरा दैनिक चिंता का विषय है, विशेष रूप से ग्रामीण और उपनगरीय समुदायों के लिये जहाँ लाखों लोग जीवित रहने के लिये कृषि या निर्वाह हेतु शिकार पर निर्भर हैं।

प्रभाव:

- कई सर्पदंश से पीड़ित, ज़्यादातर लोग विकासशील देशों में विकृति, विच्छेदन, दृश्य हानि, गुर्दे की जटिलता और मनोवैज्ञानिक संकट जैसी दीर्घकालिक जटिलताओं से पीड़ित हैं।

सर्पदंश विष के कारण होने वाली मौतें:

- वैश्विक
  - दुनिया भर में साँपों के काटने की प्रतिवर्ष लगभग 5.4 मिलियन घटनाएँ दर्ज की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विष के 1.8 से 2.7 मिलियन मामले सामने आते हैं।
  - सर्पदंश के कारण प्रतिवर्ष 81,410 से 1,37,880 तक लोगों की मृत्यु होती है और लगभग तीन गुना अधिक लोग स्थायी अक्षमताओं से ग्रसित हो जाते हैं।
- भारत
  - भारत में वर्ष 2000 से वर्ष 2019 तक सर्पदंश के कारण अनुमानित 1.2 मिलियन मौतें हुई हैं, जो प्रतिवर्ष औसतन 58,000 है।

सर्पदंश विष के लिये WHO का रोडमैप

- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' ने वर्ष 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मृत्यु और विकलांगता के मामलों को आधा करने के उद्देश्य से अपना रोडमैप लॉन्च किया है।
  - एंटीवेनम के लिये एक स्थायी बाज़ार बनाने हेतु वर्ष 2030 तक सक्षम निर्माताओं की संख्या में 25% की वृद्धि की आवश्यकता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक एंटीवेनम स्टॉकपाइल बनाने के लिये एक पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनाई है।
  - स्वास्थ्यकर्मियों और शिक्षित समुदायों के बेहतर प्रशिक्षण सहित प्रभावित देशों में सर्पदंश उपचार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में प्रतिक्रिया को एकीकृत करना।

भारतीय पहलें

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोडमैप से पूर्व ही ICMR के शोधकर्त्ताओं ने सामुदायिक जागरूकता और स्वास्थ्य प्रणाली क्षमता निर्माण शुरू कर दिया था।
  - वह सर्पदंश पर राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा वित्तपोषित एक राष्ट्रीय अध्ययन के माध्यम से अपना काम जारी रखे हुए है।

चिंताएँ:

- समुदायों के बीच जागरूकता की कमी:
    - जागरूकता की कमी, सर्पदंश की रोकथाम के बारे में अपर्याप्त ज्ञान और समुदाय के साथ-साथ परिधीय स्वास्थ्यकर्मियों के बीच प्राथमिक उपचार दक्षता की कमी, जीवन रक्षक उपचार प्राप्त करने में देरी और सर्पदंश के प्रबंधन के लिये प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण अधिक संख्या में मौतें होती हैं।
    - नाग देवता में विश्वास करने वाले कुछ अंधविश्वासों का मानना है कि इमली के बीज या चुंबक में जहर के प्रभाव को कम करने की क्षमता होती है।
- विषैले और गैर-विषैले साँपों के बारे में कोई जानकारी नहीं:
    - सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में विषैले और गैर-विषैले साँपों की पहचान करने के लिये कोई 'IEC' (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री उपलब्ध नहीं है।

सिफारिशें:

- सर्पदंश प्रबंधन पर पाठ्यक्रम:
    - अध्ययन में भारत में राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में सर्पदंश प्रबंधन को शामिल करने, चिकित्सा स्नातकों को उनकी इंटर्नशिप के दौरान अनिवार्य अल्पकालिक प्रशिक्षण और भारत में राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में प्रेरण प्रशिक्षण को एक भाग के रूप में शामिल करने की सिफारिश की गई है।
- बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण:
    - सामुदायिक जागरूकता द्वारा बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से भारत में सर्पदंश के विष के कारण मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं का क्षमता निर्माण करना।

अल्पसंख्यक संस्थान और आरटीई: एनसीपीसीआर सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for the Protection of the Rights of the Child-NCPCR) ने अल्पसंख्यक स्कूलों का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन किया। रिपोर्ट का शीर्षक था "अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के संबंध में अनुच्छेद 15(5) के तहत छूट का प्रभाव"।

- इसका उद्देश्य यह आकलन करना था कि भारतीय संविधान में 93वाँ संशोधन, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार के अनिवार्य प्रावधानों से छूट देता है, अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को कैसे प्रभावित करता है।
- रिपोर्ट में अल्पसंख्यक संस्थानों की अनुपातहीन संख्या या अल्पसंख्यक संस्थानों में गैर- अल्पसंख्यक वर्ग के प्रभुत्व पर प्रकाश डाला गया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग:

- NCPCR का गठन मार्च 2007 में 'कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स' (Commissions for Protection of Child Rights- CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- आयोग का अधिदेश (Mandate) यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों।
- यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) के तहत एक बच्चे के लिये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है।
- यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 [Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012] के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

प्रमुख बिंदु:

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- गैर-अल्पसंख्यकों के लिये अल्पसंख्यक स्कूल केटरिंग (Minority Schools Catering to the Non-Minorities): कुल मिलाकर इन स्कूलों में 62.5% छात्र गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के थे।
  - अल्पसंख्यक स्कूलों में केवल 8.76 प्रतिशत छात्र सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के हैं।
- अनुपातहीन संख्या: पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी का 92.47 प्रतिशत मुस्लिम और 2.47% ईसाई हैं। इसके विपरीत 114 ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक दर्जे वाले केवल दो स्कूल हैं।
  - इसी तरह उत्तर प्रदेश में हालाँकि ईसाई आबादी 1% से कम है, राज्य में 197 ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल हैं।
  - यह असमानता अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के मूल उद्देश्य को छीन लेती है।
- मदरसों में गैर-एकरूपता: इसमें पाया गया कि स्कूल से बाहर जाने वाले बच्चों की सबसे बड़ी संख्या (1.1 करोड़) मुस्लिम समुदाय की थी।
  - रिपोर्ट के मुताबिक देश में तीन तरह के मदरसे हैं:
    - मान्यता प्राप्त मदरसे: ये पंजीकृत हैं और धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों प्रदान करते हैं;
    - गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे: गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या राज्य सरकारों द्वारा पंजीकरण के लिये कम पाया गया है क्योंकि इनमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है।
    - अनमैप्ड मदरसे: अनमैप्ड मदरसों ने कभी पंजीकरण के लिये आवेदन नहीं किया है।
  - NCPCR के अनुसार, सच्चर कमेटी की वर्ष 2005 की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि 4% मुस्लिम बच्चे (15.3 लाख) मदरसों में जाते हैं, ने केवल पंजीकृत मदरसों को ध्यान में रखा है।
  - इसके अलावा, मदरसों के पाठ्यक्रम, जिन्हें सदियों पहले विकसित किया गया है, एक समान नहीं हैं और यह अपने आसपास की दुनिया से अनभिज्ञ हैं।
    - कुछ छात्र हीन भावना विकसित कर लेते हैं और बाकी समाज से अलग हो जाते हैं तथा वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ होते हैं।
    - इसके अलावा मदरसों में शिक्षक प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम नहीं होता है।

अनुच्छेद 15 (5), 30, 21A का संयोजन

- अल्पसंख्यक संस्थान: अल्पसंख्यक संस्थानों को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद के अनुसार अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार है।
  - हालाँकि वे राज्य द्वारा अनुशंसित नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते।
  - इसके अलावा टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामले, 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 (1) न तो पूर्ण है और न ही कानून से ऊपर है।
  - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (c) के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- अनुच्छेद 15 (5) (भारतीय संविधान में 93वाँ संशोधन): यह राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी शिक्षण संस्थानों (चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त) सहित शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- शिक्षा का अधिकार (RTE): अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को लागू करने हेतु अधिनियम में समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण अनिवार्य है, वंचित समूहों में शामिल हैं:
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
  - सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Socially Backward Class)
  - डिफरेंटली एबल्ड (Differently abled)

नोट :

- RTE को दरकिनार (Bypassing) करने हेतु अनुच्छेद 30 का उपयोग करना: अल्पसंख्यक स्कूल RTE अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमति के फैसले (Pramati Judgment) में पूरे RTE अधिनियम को अल्पसंख्यक स्कूलों के लिये अनुपयुक्त बना दिया।
  - NCPCR के सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उन स्कूलों और संस्थानों ने इसलिये अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में पंजीकरण कराया है ताकि उन्हें RTE लागू न करना पड़े।

सुझाव:

- सरकार को मदरसों सहित ऐसे सभी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में लाना चाहिये।
- NCPCR ने ऐसे स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिये आरक्षण का भी समर्थन किया, क्योंकि इसके सर्वेक्षण में वहाँ पढ़ने वाले गैर-अल्पसंख्यक छात्रों का एक बड़ा हिस्सा पाया गया था।
  - संस्थान में प्रवेश के लिये अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के न्यूनतम प्रतिशत के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में RTE के तहत दी गई छूट की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक, भाषायी और धार्मिक संरक्षण के लिये अपने संस्थान खोलने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
  - हालाँकि RTE को अनुच्छेद 21 (A) का उल्लंघन नहीं करना चाहिये जो बच्चे की शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है।

ITBP में कॉम्बैट भूमिका में महिलाएँ

चर्चा में क्यों?

पहली बार 'भारत-तिब्बत सीमा पुलिस' (ITBP) में महिला अधिकारियों को कॉम्बैट भूमिका में कमीशन किया गया है। इसमें दो महिला अधिकारी 'सहायक कमांडेंट' (AC) के रूप में शामिल हुई हैं।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

- 'भारत-तिब्बत सीमा पुलिस' (ITBP) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।
  - अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: असम राइफल्स (AR), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB)।
- ITBP की स्थापना 24 अक्तूबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा रक्षक पुलिस बल है जिसके पास ऊँचाई वाले अभियानों की विशेषज्ञता है।
- वर्तमान में ITBP लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जचेप ला तक 3488 किलोमीटर भारत-चीन सीमा की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है।
- ITBP को नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य आंतरिक सुरक्षा मुद्दों के लिये भी तैनात किया जाता है।
- ITBP को प्रारंभ में 'केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल' (CRPF) अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित किया गया था। हालाँकि वर्ष 1992 में संसद ने ITBP अधिनियम लागू किया और वर्ष 1994 में इसके संबंध में नियम बनाए गए।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- ITBP में अधिकारियों के रूप में शामिल होने वाली महिला अधिकारी पहले भी कॉम्बैट भूमिकाओं में कार्य कर चुकी हैं।
- हालाँकि यह वर्ष 2016 में ही पहली बार हुआ था, जब 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) द्वारा आयोजित 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल' (CAPF) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कॉम्बैट अधिकारियों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति को मंज़ूरी दी गई थी।

भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थिति (रक्षा मंत्रालय के तहत):

- थलसेना, वायु सेना और नौसेना में वर्ष 1992 में महिलाओं को शॉर्ट-सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया था।
  - यह पहली बार था जब महिलाओं को मेडिकल स्ट्रीम से अलग सेना की अन्य ब्रांचों में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
- सेना में महिलाओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण समय वर्ष 2015 में तब आया जब भारतीय वायु सेना (IAF) ने उन्हें कॉम्बैट स्ट्रीम में शामिल करने का निर्णय लिया।
- वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने केंद्र सरकार को सेना की गैर-कॉम्बैट सहायता इकाइयों में महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर स्थायी कमीशन (PC) देने का आदेश दिया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमा को लेकर सरकार के तर्क को 'लैंगिक रूढ़िवादिता' और 'महिलाओं के विरुद्ध लिंग भेदभाव' पर आधारित होने के रूप में खारिज कर दिया था।
  - वर्तमान में महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में उन सभी दस स्ट्रीम्स में स्थायी कमीशन दिया गया है जहाँ महिलाओं को शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया था।
  - महिलाएँ अब पुरुष अधिकारियों के समान सभी कमांड नियुक्तियाँ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं, जो उनके लिये उच्च पदों पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है।
- वर्ष 2021 की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद चार महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया था।
  - भारत का विमानवाहक पोत 'आईएनएस विक्रमादित्य' और फ्लीट टैंकर 'आईएनएस शक्ति' ऐसे पहले युद्धपोत हैं, जिन पर 1990 के दशक के बाद से पहली बार किसी महिला चालक को नियुक्त किया गया है।
- मई 2021 में सेना ने सैन्य पुलिस कोर में महिलाओं के पहले बैच को शामिल किया था, यह पहली बार था जब महिलाएँ गैर-अधिकारी कैडर में सेना में शामिल हुई थीं।
  - हालाँकि महिलाओं को अभी भी इन्फेंट्री और आर्मर्ड कॉर्प्स जैसी लड़ाकू टुकड़ियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है।

कॉम्बैट भूमिका में महिलाओं से संबंधित मुद्दे

- शारीरिक संरचना संबंधी मुद्दे: महिला-पुरुष के बीच कद, ताकत और शारीरिक संरचना में प्राकृतिक विभिन्नता के कारण महिलाएँ चोटों और चिकित्सीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
  - पुरुषों की तुलना में अधिकांश महिलाओं में प्री-एंट्री फिज़िकल फिटनेस का स्तर कम होता है।
  - ऐसे में जब महिलाओं और पुरुषों के लिये प्रशिक्षण के समान मानक स्थापित किये जाते हैं तो महिलाओं में चोट लगने की संभावना अधिक होती है।
- शारीरिक क्रिया संबंधी मुद्दे: मासिक धर्म और गर्भावस्था की प्राकृतिक प्रक्रियाएँ महिलाओं को विशेष रूप से युद्ध स्थितियों में कमज़ोर बनाती हैं।
  - गोपनीयता और स्वच्छता की कमी के परिणामस्वरूप संक्रमण की घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है।
  - इसके अलावा कठिन युद्धों में लंबे समय तक तैनाती और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर शारीरिक गतिविधियों के गंभीर प्रभाव अभी भी अज्ञात हैं।
- सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे: महिलाएँ अपने परिवारों, विशेषकर अपने बच्चों से अधिक जुड़ी होती हैं।
  - वह परिवार से लंबे समय तक अलगाव के दौरान अधिक मानसिक तनाव में होती हैं जो कि सामाजिक समर्थन की आवश्यकता को इंगित करता है।
  - मिलिट्री सेक्सुअल ट्रामा (MST) और महिलाओं के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव काफी गंभीर होता है।
- सांस्कृतिक मुद्दे: भारतीय समाज में मौजूद सांस्कृतिक बाधाएँ युद्ध में महिलाओं को शामिल करने में सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है।

नोट :

कॉम्बैट भूमिका में महिलाएँ: पक्ष

- लिंग कोई बाधा नहीं है: जब तक कोई आवेदक किसी पद के लिये योग्य होता है, तब तक उसका लिंग कोई बाधा नहीं होता है। आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी, युद्ध क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता और निर्णयन कौशल साधारण शारीरिक शक्ति की तुलना में अधिक मूल्यवान होते जा रहे हैं।
- सैन्य तत्परता: लैंगिक मिश्रण की अनुमति देने से सेना और अधिक मज़बूत होती है। रिटेंशन तथा भर्ती दरों में गिरावट से सशस्त्र बल गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। एसे में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में अनुमति देकर इस चुनौती से निपटा जा सकता है।
- प्रभावशीलता: महिलाओं पर पूर्णत: और मनमाना प्रतिबंध लागू करना, सैन्य थिएटर में कमांडरों की नियुक्ति के लिये सबसे सक्षम व्यक्ति के चयन की प्रकिया को सीमित करता है।
- परंपरा: युद्ध इकाइयों में महिलाओं के एकीकरण की सुविधा के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। समय के साथ संस्कृतियाँ बदलती हैं और नवीन संस्कृतियाँ विकसित होती है।
- वैश्विक परिदृश्य: वर्ष 2013 में पहली बार महिलाओं को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सेना में लड़ाकू पदों के लिये अनुमति दी गई थी, इस निर्णय को लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया था। वर्ष 2018 में ब्रिटेन की सेना ने महिलाओं के लिये युद्धक भूमिकाओं में सेवा करने पर प्रतिबंध हटा दिया, जिससे उनके लिये विशिष्ट विशेष बलों में सेवा करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

आगे की राह

- महिलाओं को इस कारण से कमांड पोस्ट से बाहर रखा जा रहा था कि इस निर्णय के कारण व्यापक तौर पर सेना के संगठनात्मक ढाँचे में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती थीं। किंतु अब समय है, जब न केवल सेना के संगठनात्मक ढाँचे को महिलाओं के अनुकूल बनाया जाए बल्कि समग्र तौर पर समाज की संस्कृति, मानदंडों और मूल्यों में भी परिवर्तन किया जाए। इन परिवर्तनों को आगे बढ़ाने का दायित्व वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल, उत्तर कोरिया, फ्राँस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा उन वैश्विक सेनाओं में हैं, जो महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में युद्ध की स्थिति में नियुक्त करते हैं।
- प्रत्येक महिला को अपनी पसंद के कॅरियर का चयन करने और शीर्ष पर पहुँचने का अधिकार है, क्योंकि समानता संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है।

मारबर्ग वायरस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिम अफ्रीका के गिनी में अत्यंत संक्रामक और घातक 'मारबर्ग वायरस' के पहले मामले की पुष्टि हुई है।

- देश को इबोला मुक्त घोषित किये जाने के ठीक दो माह बाद पहली बार इसके पहले मामले की पहचान की गई थी।
- मारबर्ग वायरस के मामले और इस वर्ष के इबोला वायरस के मामले दोनों ही गिनी के 'गुएकेडौ ज़िले में पाए गए हैं।
- वर्ष 2014-2016 के दौरान इबोला महामारी के प्रारंभिक मामले भी दक्षिणपूर्वी गिनी के वन क्षेत्र में ही पाए गए थे।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- 'मारबर्ग वायरस' रोग एक अत्यधिक विषाणुजनित रोग है, जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, इसका प्रसार चमगादड़ द्वारा किया जाता है और इसमें मृत्यु दर 88% से अधिक है।
- यह वायरस भी इबोला वायरस परिवार से संबंधित है।
- वर्ष 1967 में मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) तथा बेलग्रेड (सर्बिया) में एक साथ वायरस के दो बड़े प्रकोप देखे गए थे।
  - ये प्रकोप युगांडा से आयातित अफ्रीकी हरे बंदरों (सर्कोपिथेकस एथियोप्स) के उपयोग संबंधी प्रयोगशाला के कार्य से जुड़े हुए थे।

- इसके बाद अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में प्रकोप देखे गए।
- वर्ष 1967 से अब तक मारबर्ग वायरस के कुल 12 प्रकोप हो चुके हैं, जिसमें से अधिकतर दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में हुए।

मानव- संक्रमण

- 'मारबर्ग वायरस' रोग के साथ मानव संक्रमण प्रारंभ में ऐसी खानों या गुफाओं के लंबे समय तक संपर्क का परिणाम था, जिनमें 'राउसेटस बैट कॉलोनियाँ' मौजूद थीं।
  - राउसेटस ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट या मेगाबैट्स की एक प्रजाति है। इन्हें डॉग-फेसड फ्रूट बैट या 'फ्लाइंग फॉक्स' के रूप में जाना जाता है।

संचरण:

- एक बार जब कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो मारबर्ग मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से सीधे संपर्क (त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली) द्वारा संक्रमित लोगों के रक्त, स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ और सतहों तथा सामग्रियों के साथ फैल सकता है (जैसे बिस्तर और कपड़े आदि)।

लक्षण:

- सिरदर्द, उल्टी में रक्त आना, मांसपेशियों में दर्द और विभिन्न छिद्रों से रक्तस्राव।
- इसके लक्षण तीव्र गति से गंभीर रूप ले सकते हैं और इससे पीलिया, अग्न्याशय की सूजन, तीव्र वज़न ह्रास, लीवर की विफलता, बड़े पैमाने पर रक्तस्राव तथा बहु-अंग रोग आदि हो सकते हैं।

निदान:

- चूँकि बीमारी के कई लक्षण मलेरिया और टाइफाइड बुखार के समान होते हैं, इसलिये निदान करना मुश्किल होता है।
- हालाँकि पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) और एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख (एलिसा) परीक्षण का उपयोग इस मामले की पुष्टि के लिये किया जा सकता है।

उपचार:

- मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के लिये कोई विशिष्ट उपचार या अनुमोदित टीका नहीं है। इसमें अस्पताल समर्थित चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिये।
- अस्पताल समर्थित चिकित्सा पद्धति में रोगी के तरल पदार्थ तथा इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करना, ऑक्सीजन की स्थिति और रक्तचाप को बनाए रखना, रक्त की कमी एवं रक्त के थक्के के कारकों को बदलना एवं किसी भी जटिल संक्रमण के लिये उपचार शामिल है।

बुज़ुर्गों के लिये जीवन का गुणवत्ता सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने बुज़ुर्गों के लिये जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया।

- देश में कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में बुज़ुर्गों की हिस्सेदारी वर्ष 2001 में लगभग 7.5 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वर्ष 2026 तक लगभग 12.5 प्रतिशत हो जाएगी तथा वर्ष 2050 तक 19.5 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है।
- प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) एक गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक, स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिये किया गया है।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- EAC-PM के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा यह सूचकांक तैयार किया गया है, जो ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है जिनका अक्सर बुज़ुर्गों के सामने आने वाली समस्याओं में उल्लेख नहीं किया जाता है।

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग, भारत में केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जो प्रतिस्पर्द्धा और रणनीति पर अनुसंधान व ज्ञान के निकाय के विस्तार एवं उद्देश्यपूर्ण प्रसार के लिये समर्पित है।
- यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों में आयु बढ़ने के क्षेत्रीय पैटर्न की पहचान करने के साथ-साथ देश में आयु बढ़ने की समग्र स्थिति का भी आकलन करती है।
  - आयु एक सतत्, अपरिवर्तनीय, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो गर्भाधान से शुरू होकर व्यक्ति की मृत्यु तक होती है।
  - हालाँकि जिस आयु में किसी के उत्पादक योगदान में गिरावट आती है तथा वह आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है, उसे सामान्यत: जीवन के वृद्ध चरण की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है।
  - राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति, 60+ आयु वर्ग के लोगों को बुजुर्ग के रूप में परिभाषित करती है।
- यह निष्पक्ष रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देगी तथा उन स्तंभों और संकेतकों पर प्रकाश डालेगी जिनमें वे सुधार कर सकते हैं।

सूचकांक के स्तंभ और उप-स्तंभ:

- चार स्तंभ:
  - वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा
- आठ उप-स्तंभ:
  - आर्थिक सशक्तीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति और रोजगार, सामाजिक स्थिति, शारीरिक सुरक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा पर्यावरण को सक्षम बनाना।

प्रमुख निष्कर्ष:

- राज्यवार रैंकिंग:
  - राजस्थान और हिमाचल प्रदेश क्रमश: वृद्ध और अपेक्षाकृत वृद्ध राज्यों में शीर्ष स्कोरर हैं।
    - वृद्ध राज्य 5 मिलियन से अधिक की वृद्ध आबादी वाले राज्यों को संदर्भित करता है, जबकि अपेक्षाकृत वृद्ध राज्य 5 मिलियन से कम की वृद्ध आबादी वाले राज्यों को संदर्भित करता है।
  - चंडीगढ़ और मिज़ोरम केंद्रशासित प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्कोरर हैं।
- स्तंभवार प्रदर्शन:
  - स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ का अखिल भारतीय स्तर पर उच्चतम राष्ट्रीय औसत 66.97 है, जिसके बाद सामाजिक कल्याण स्तंभ का स्कोर 62.34 है।
  - वित्तीय कल्याण का स्कोर 44.7 है, जो शिक्षा प्राप्ति और रोज़गार स्तंभ में 21 राज्यों के निम्न प्रदर्शन से कम है, यह सुधार की संभावना को प्रदर्शित करता है।
  - राज्यों ने आय सुरक्षा स्तंभ में विशेष रूप से खराब प्रदर्शन किया है क्योंकि आधे से अधिक राज्यों का आय सुरक्षा में राष्ट्रीय औसत से कम स्कोर है, जो सभी स्तंभों में सबसे कम है।

चुनौतियाँ:

- महिलाओं की अधिक आयु प्रत्याशा:
  - जनसंख्या में लोगों की सामान्य आयु के उभरते मुद्दों में से एक "महिलाओं की अधिक आयु प्रत्याशा" है, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धावस्था के कुल प्रतिशत में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में अधिक होता है।
- आय सुरक्षा:
  - भारत में विश्व स्तर पर सबसे कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा तंत्र है क्योंकि यह अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 1% पेंशन पर खर्च करता है।

- अर्थव्यवस्था में बुजुर्गों का एकीकरण:
  - वर्तमान वृद्ध व्यक्ति की विशिष्ट ज़रूरतों, प्रेरणाओं और वरीयताओं को पूरा करने तथा सक्रिय आयु को बढ़ावा देने के साथ उन्हें समाज में योगदान करने का मौका देने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएँ:
  - स्वस्थ आयु में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये अच्छा स्वास्थ्य समाज के मूल में है। जैसे-जैसे भारत में वृद्ध लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लोग अधिक आयु तक जीवित रहें, स्वस्थ जीवन जिएँ, जो वृद्ध व्यक्तियों, उनके परिवारों और समाज के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण है।

संबंधित प्रयास:

- सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE): सेज पोर्टल (SAGE Portal) विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदान करने वाला 'वन-स्टॉप एक्सेस' होगा।
- वृद्ध व्यक्तियों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (IPOP): योजना का मुख्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करके वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY): इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरण प्रदान करना है, जो कम दृष्टि, श्रवण दोष, दाँतों की हानि तथा चलने में अक्षमता जैसी आयु से संबंधित अक्षमताओं से पीड़ित हैं।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 60-79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200 रुपए प्रतिमाह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपए प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY): यह वरिष्ठ नागरिकों के लिये एक पेंशन योजना है, जिसके तहत मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर 10 वर्षों की अवधि के लिये गारंटीड रिटर्न की व्यवस्था की गई है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिये उपलब्ध है जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है।
- वयोश्रेष्ठ सम्मान: 1 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (International Day of Older Person) पर वरिष्ठ नागरिकों की सराहनीय सेवा करने वाले संस्थानों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उत्तम सेवाओं तथा उपलब्धियों के लिये यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007: इसका मुख्य उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों तथा उनके कल्याण के लिये आवश्यकता-आधारित रखरखाव या देखभाल सुनिश्चित करना है।

वैश्विक प्रयास (Global Initiatives):

- स्वस्थ आयु में वृद्धि का दशक (2020-2030): स्वस्थ आयु में वृद्धि के दशक को 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा (विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था) द्वारा 2020 में समर्थन दिया गया था।
- सतत् विकास के लिये एजेंडा 2030 किसी को पीछे नहीं छोड़ने और यह सुनिश्चित करने हेतु तत्पर है कि सतत् विकास लक्ष्य (SDG) समाज के सभी वर्गों के लिये हर आयु में वृद्ध व्यक्तियों सहित सबसे कमज़ोर लोगों का समावेश करेगा।

आगे की राह

- भारत को अक्सर एक युवा समाज के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त होता है। लेकिन हर देश जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है, की तरह भारत में भी आयु बढ़ने के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और देखभाल के लिये हमें पहले से मौजूद सामाजिक समर्थन प्रणालियों/पारंपरिक सामाजिक संस्थानों जैसे- परिवार तथा रिश्तेदारी, पड़ोसियों से बेहतर संबंध, सामुदायिक संबंध व सामुदायिक भागीदारी को पुनर्जीवित करने पर ध्यान देना चाहिये और परिवार के लोगों को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 2021

चर्चा में क्यों?

युवाओं की समस्याओं को पहचानने और उन पर ध्यान दिलाने के लिये प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।

- राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

इतिहास:

- वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।
- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में, लिस्बन में युवाओं के कल्याण के लिये ज़िम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा की गई एक सिफारिश पर आधारित था।
- प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, 2000 को मनाया गया था।

वर्ष 2021 के लिये थीम:

- ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स: यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ।

युवा क्षमता को साकार करने संबंधी चुनौतियाँ:

- शिक्षा और कौशल की कमी: भारत की अल्प वित्तपोषित शिक्षा प्रणाली रोज़गार के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिये युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है।
  - विश्व बैंक के अनुसार, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 3.4% था।
- महामारी का प्रभाव: विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि स्कूल बंद होने से बच्चों के सीखने, जीवन और मानसिक कल्याण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि विश्व में 65% किशोरों ने महामारी के दौरान कम सीखने की सूचना दी।
- युवा महिलाओं संबंधी मुद्दे: बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा, दुर्व्यवहार और तस्करी के प्रति उनकी संवेदनशीलता, ये सभी मुद्दे युवा महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकते हैं।
- रोज़गारविहीन विकास: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य योगदानकर्त्ता सेवा क्षेत्र है जो श्रम प्रधान नहीं है और इस प्रकार रोज़गारविहीन विकास को बढ़ाता है।
  - इसके अलावा भारत की लगभग 50% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है जो कि अल्प-रोज़गार और प्रच्छन्न बेरोज़गारी के लिये प्रसिद्ध है।
- निम्न सामाजिक पूंजी: इसके अलावा भुखमरी का उच्च स्तर, कुपोषण, बच्चों में बौनापन, किशोरियों में रक्ताल्पता का उच्च स्तर, खराब स्वच्छता आदि ने भारत के युवाओं की उत्पादकता की क्षमता को कम कर दिया है।

भारत की पहल:

- राष्ट्रीय युवा नीति-2014 भारत के युवाओं के लिये एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, इसका उद्देश्य देश के युवाओं की क्षमता का विकास करना तथा उनके माध्यम से भारत को अन्य राष्ट्रों के बीच अपना उपयुक्त स्थान स्थापित करने में सक्षम बनाना है।
- रोज़गार के लिये:
  - युवाह! जेनरेशन अनलिमिटेड इंडिया (YuWaah)
  - राष्ट्रीय कैरियर सेवा
  - प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
- प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA)

- कौशल विकास के लिये:
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
  - युवा: युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रधानमंत्री की योजना
- सामाजिक मुद्दों के लिये:
  - घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
  - विशेष विवाह अधिनियम, 1954
  - बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- स्वास्थ्य और पोषण के लिये:
  - एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

वैश्विक पहल:

- युवाओं के लिये वैश्विक कार्यक्रम
- वैश्विक युवा शिखर सम्मेलन
- वैश्विक युवा कौशल दिवस

आगे की राह

- 365 मिलियन (30 प्रतिशत) की युवा आबादी के साथ भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक बड़ी कामकाजी आयु की आबादी का आर्थिक लाभ है।
- भारत को सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य सुविधाओं, लाभकारी रोज़गार तथा पोषण तक पहुँच में सुधार के प्रयास कर एक स्वस्थ युवा आबादी सुनिश्चित करनी चाहिये।

आंतरिक सुरक्षा

आईएनएस विक्रांत का समुद्री परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आईएनएस विक्रांत नामक स्वदेशी विमान वाहक (IAC) 1 का समुद्री परीक्षण (परीक्षणों के अंतिम चरणों में से एक) शुरू किया गया।

- इसके वर्ष 2022 में शामिल होने की संभावना है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत है-रूसी मूल का आईएनएस विक्रमादित्य।
- इससे पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने प्रोजेक्ट-75 I के तहत भारतीय नौसेना के लिये छह उन्नत पनडुब्बियों के प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) जारी करने को मंज़ूरी दी थी।

प्रमुख बिंदु

- नौसेना के सेवामुक्त प्रथम वाहक के नाम पर पोत का नाम विक्रांत रखा जाएगा।
  - भारत ने वर्ष 1961 में यूनाइटेड किंगडम से विक्रांत का अधिग्रहण किया और इसने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1971 के युद्ध में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ।
- IAC-1 बोर्ड के 76% से अधिक सामग्री और उपकरण स्वदेशी हैं।
- इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक होगा, जिसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों के अलावा मिग-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 हवाई पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टर और जल्द ही शामिल होने वाले MH-60R बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर होंगे।
- इसकी 30 समुद्री मील (लगभग 55 किमी. प्रति घंटे) की शीर्ष गति होने की उम्मीद है और यह चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित है। इसकी सहनशक्ति 18 समुद्री मील (32 किमी. प्रति घंटे) की गति से 7,500 समुद्री मील है।
- शिपबोर्न हथियारों में बराक LR SAM और AK-630 शामिल हैं, जबकि इसमें सेंसर के रूप में MFSTAR और RAN-40L 3D रडार हैं। पोत में एक 'पावर ईडब्ल्यू (इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर) सूट' भी है।
- इसमें विमान संचालन को नियंत्रित करने के लिये रनवे की एक जोड़ी और 'शॉर्ट टेक ऑफ अरेस्ट रिकवरी' सिस्टम है।

महत्त्व:

- यह विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध और समुद्री नियंत्रण क्षमता को मज़बूत करता है।
- वायु सेना की क्षमता में वृद्धि: यह लंबी दूरी के साथ वायु सेना की शक्ति को प्रक्षेपित करनेके साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण के रुप में भी कार्य करेगा। जिसमें हवाई अवरोध, सतही युद्ध, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर-एयर, हवाई पनडुब्बी रोधी युद्ध तथा हवाई हमले के पूर्व चेतावनी शामिल हैं।
- आत्मनिर्भरता: वर्तमान में केवल पाँच या छह देशों के पास विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। भारत अब इस विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है।

भावी प्रयास:

- वर्ष 2015 से नौसेना देश के लिये एक तीसरे विमानवाहक पोत बनाने की मंज़ूरी मांग रही है जिसे अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक (IAC-2) बन जाएगा।
- आईएनएस विशाल (INS Vishal) नाम से प्रस्तावित यह वाहक 65,000 टन का विशाल पोत है, जो आईएसी-1 (IAC-1) और आईएनएस विक्रमादित्य (INS Vikramaditya) से काफी बड़ा है।

अवैध प्रवासियों का मुद्दा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर लोकसभा में जानकारी दी है कि कुछ रोहिंग्या प्रवासी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं।

- देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे गए सवालों पर यह प्रतिक्रिया आई।

रोहिंग्या

- रोहिंग्या लोग एक स्टेटलेस (Stateless), इंडो-आर्यन जातीय समूह हैं जो रखाइन राज्य, म्याँमार में रहते हैं।
- इन्हें संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा विश्व में सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यकों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।
- रोहिंग्या शरणार्थी संकट रोहिंग्या लोगों द्वारा म्याँमार में लंबे समय से हिंसा और भेदभाव का सामना करने का कारण है।
- म्याँमार में भेदभाव और हिंसा से बचने के लिये अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान दशकों से बौद्ध-बहुल देश से पड़ोसी बांग्लादेश और भारत सहित अन्य देशों में प्रवास कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

मुद्दे और चिंताएँ:

- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा:
    - भारत में रोहिंग्याओं के अवैध अप्रवास का जारी रहना और उनका भारत में लगातार रहना, राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालता है तथा सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा पैदा करता है।
- हितों का टकराव:
    - यह उन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के हितों को प्रभावित करता है जो बड़े पैमाने पर अप्रवासियों के अवैध रुप से प्रवेश का सामना करते हैं।
- राजनैतिक अस्थिरता:
    - यह राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ाता है जब नेता राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिये अभिजात वर्ग द्वारा प्रवासियों के खिलाफ देश के नागरिकों की धारणा को लामबंद करना शुरू करते हैं।
- उग्रवाद का उदय:
    - अवैध प्रवासियों के रूप में माने जाने वाले मुस्लिमों के खिलाफ लगातार होने वाले हमलों ने कट्टरपंथ का मार्ग प्रशस्त किया है।
- मानव तस्करी:
    - हाल के दशकों में सीमाओं पर महिलाओं और मानव तस्करी की घटनाओं में काफी वृद्धि देखी गई है।
- कानून व्यवस्था में गड़बड़ी:
    - अवैध और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त अवैध प्रवासियों द्वारा देश की कानून व्यवस्था और अखंडता को कमज़ोर किया जाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश जारी किये थे, जिसमें उन्हें अवैध प्रवासियों की त्वरित पहचान हेतु उचित कदम उठाने के लिये कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील बनाने की सलाह दी गई थी।
- विदेशी नागरिकों के अधिक समय तक रुकने और अवैध प्रवास की समस्या के निपटान हेतु समेकित निर्देश भी जारी किये गए हैं।

मौजूदा कानूनी ढाँचा:

- पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920:
    - इस अधिनियम ने सरकार को भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अपने पास पासपोर्ट रखने के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया।
    - इसने सरकार को बिना पासपोर्ट के प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत से हटाने की शक्ति भी प्रदान की।

- विदेशी अधिनियम, 1946:
  - इसने विदेशी अधिनियम, 1940 की जगह सभी विदेशियों से निपटने हेतु व्यापक अधिकार प्रदान किये।
  - इस अधिनियम ने सरकार को बल प्रयोग सहित अवैध प्रवासियों को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया।
  - 'बर्डन ऑफ प्रूफ' की अवधारणा व्यक्ति के पास है, न कि इस अधिनियम द्वारा दिये गए अधिकारियों के पास जो अभी भी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। इस अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा है।
  - इस अधिनियम ने सरकार को ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया, जिसमें सिविल कोर्ट के समान अधिकार होंगे।
  - फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल) ऑर्डर, 1964 में हालिया संशोधन (2019) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ज़िला मजिस्ट्रेटों को यह तय करने के लिये ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं।
- विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939:
  - FRRO के तहत पंजीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसके तहत सभी विदेशी नागरिकों (ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया को छोड़कर) को भारत आने के 14 दिनों के भीतर एक लंबी अवधि के वीज़ा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने हेतु पंजीकरण अधिकारी के समक्ष खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है।
  - भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को ठहरने की अवधि की परवाह किये बिना आगमन के 24 घंटों के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955:
  - यह भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण और निर्धारण संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करता है।
  - इसके अलावा संविधान ने भारत के प्रवासी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिये नागरिकता संबंधी अधिकार प्रदान किये हैं।

अवैध प्रवासी बनाम शरणार्थी

- वैध यात्रा दस्तावेज़ों के बिना देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध प्रवासी माना जाता है।

शरणार्थी

- वर्ष 1951 के 'यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज़' और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल के तहत शरणार्थी शब्द किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है, जो अपने मूल देश से बाहर है और नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के डर से लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है।
  - ज्ञात हो कि भारत 'यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज़' तथा वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है।
- 'स्टेटलेस' व्यक्ति भी इस अर्थ में शरणार्थी हो सकते हैं, जहाँ मूल देश (नागरिकता) को 'पूर्व निवास स्थान का देश' माना जाता है।

आगे की राह

- वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं होने के बावजूद भारत दुनिया में सबसे अधिक शरणार्थी वाले देशों में एक है।
- हालाँकि यदि भारत में शरणार्थियों के संबंध में घरेलू कानून होता, तो यह पड़ोस में किसी भी दमनकारी सरकार को उनकी आबादी को सताने और उन्हें भारत की ओर आने से रोक सकता था।
- इसके अलावा राष्ट्रीय शरणार्थी कानूनों की अनुपस्थिति ने शरणार्थियों और आर्थिक प्रवासियों के बीच अंतर को कम कर दिया है, जिसके कारण प्रायः वास्तविक शरण चाहने वालों को भी सहायता से इनकार कर दिया जाता है।
- अपने घरेलू शरणार्थी कानूनों को लागू करने के बाद भारत को वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिये भी विचार करना चाहिये।
- यदि भारत 'दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ' (सार्क) में अन्य देशों को शरणार्थियों को लेकर एक सार्क कन्वेंशन या घोषणा पर विचार के लिये प्रोत्साहित करने की पहल करे तो बेहतर होगा, जिसमें सदस्य राज्य वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल की पुष्टि करने के लिये सहमत हों।

चर्चा में

कोर सेक्टर आउटपुट

जून 2021 में 'बेस इफेक्ट' के कारण भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन में 8.9% की वृद्धि हुई, लेकिन इसकी गति कोविड-19 महामारी के साथ-साथ इसकी दूसरी लहर से पहले दर्ज किये गए उत्पादन स्तर से नीचे रही।

प्रमुख बिंदु

आठ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में:

- इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
- आठ प्रमुख उद्योग क्षेत्र उनके भार के घटते क्रम में: रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

बेस इफेक्ट:

- 'बेस इफेक्ट' उस प्रभाव को संदर्भित करता है जो विभिन्न आँकड़ों के बीच तुलना के परिणाम या संदर्भ के आधार पर हो सकता है।
- उदाहरण के लिये यदि तुलना हेतु चुने गए बिंदु का वर्तमान अवधि या समग्र डेटा के सापेक्ष असामान्य रूप से उच्च या निम्न मूल्य है तो 'बेस इफेक्ट' से मुद्रास्फीति दर या आर्थिक विकास दर जैसे आँकड़ों का स्पष्ट रूप से कम या अधिक विवरण हो सकता है।
- जून 2021 में कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील, सीमेंट और बिजली का उत्पादन क्रमश: 7.4%, 20.6%, 2.4%, 25%, 4.3% और 7.2% बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में इसकी दर (-) 15.5%, (-) 12%, (-) 8.9%, (-) 23.2%, (-) 6.8% और (-) 10% रही।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक:

- IIP एकमात्र संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
- यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- यह एक समग्र संकेतक है जो निम्न वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है:
  - व्यापक क्षेत्र अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली।
  - उपयोग-आधारित क्षेत्र अर्थात् मूल सामान, पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती सामान।
- IIP के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।
- IIP का महत्त्व:
  - इसका उपयोग नीति-निर्माण संबंधी उद्देश्यों के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
  - त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों की गणना के लिये IIP अत्यंत प्रासंगिक है।

पैंगोलिन

हाल ही में एक टीम द्वारा नोएडा से पैंगोलिन को रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया गया।

पैंगोलिन के संबंध में:

- पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में से इंडियन पैंगोलिन और चीनी पैंगोलिन भारत में पाए जाते हैं।

नोट :

- इंडियन पैंगोलिन एक बड़ा चींटीखोर (Anteater) है जिसकी पीठ पर शल्कनुमा संरचना की 11-13 तक पंक्तियाँ होती हैं।
- इंडियन पैंगोलिन की पूँछ के निचले हिस्से में एक टर्मिनल स्केल मौजूद होता है जो चीनी पैंगोलिन में नहीं मिलता है।
- आहार:
    - कीटभक्षी-पैंगोलिन निशाचर होते हैं, और इनका आहार मुख्य रूप से चीटियाँ और दीमक होते हैं, जिन्हें वे अपनी लंबी जीभ का उपयोग कर पकड़ लेते हैं।
- आवास:
    - इंडियन पैंगोलिन व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय एवं पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में पाया जाता है। यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है।
    - चीनी पैंगोलिन पूर्वी नेपाल में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिणी चीन में पाया जाता है।
- भारत में पैंगोलिन को खतरा:
    - पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, खासकर चीन एवं वियतनाम में इसके मांस का व्यापार तथा स्थानीय उपभोग (जैसे कि प्रोटीन स्रोत और पारंपरिक दवा के रूप में) हेतु अवैध शिकार इसके विलुप्त होने के प्रमुख कारण हैं।
    - ऐसा माना जाता है कि ये विश्व के ऐसे स्तनपायी हैं जिनका बड़ी मात्रा में अवैध व्यापार किया जाता है।
- संरक्षण की स्थिति:
    - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में इंडियन पैंगोलिन को संकटग्रस्त (Endangered), जबकि चीनी पैंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।
    - इन दोनों प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के भाग-I की अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
    - CITES: सभी पैंगोलिन प्रजातियों को 'लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (CITES) के परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध किया गया है।
    - अत: इसकी प्रजातियों के शिकार, व्यापार या उनके शरीर के अंगों और इनसे जुड़ी वस्तुओं के किसी अन्य रूप में उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
    - भारत में इसके अवैध शिकार पर 7 वर्ष तक की जेल की सज़ा हो सकती है क्योंकि इसे वन्यजीव अधिनियम की धारा के तहत अधिकतम सुरक्षा शामिल है।

दिल्ली-अलवर RRTS परियोजना

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने अरावली जैवविविधता पार्क और विस्तारित रिज क्षेत्र के तहत प्रस्तावित दिल्ली-अलवर RRTS (रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम) कॉरिडोर के एक खंड के निर्माण को अनुमति दी है।

प्रमुख बिंदु

समिति की रिपोर्ट:

- समिति ने यह स्वीकार किया है कि परियोजना जनहित में है और चूँकि प्रस्तावित रेल गलियारा ज़मीन से 20 मीटर नीचे होगा, इसलिये इसके निर्माण हेतु पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा।
- मॉर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्र में सतह पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
- There will be no construction on the surface in the Morphological Ridge area.
    - रिज या माउंटेन रिज एक भौगोलिक विशेषता है जिसमें पहाड़ों या पहाड़ियों की एक ऐसी श्रृंखला शामिल होती है जो कुछ दूरी तक निरंतर ऊँचे शिखर का निर्माण करती है।

नोट :

- अरावली रिज क्षेत्र, जो अनिवार्य रूप से अरावली पर्वतमाला के विस्तार हैं और दिल्ली में 7,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, को राजधानी (दिल्ली) का फेफड़ा माना जाता है।

दिल्ली-अलवर RRTS गलियारा:

- यह 164 किलोमीटर लंबा रैपिड रेल कॉरिडोर/गलियारा है, जो एलिवेटेड ट्रैक और सुरंगों का मिश्रण होगा। इसे तीन चरणों में लागू किया जाना है।
- माना जाता है कि गलियारे का 3.6 किमी. लंबा हिस्सा दक्षिणी दिल्ली में विस्तारित या मॉर्फोलॉजिकल रिज के नीचे से गुजरेगा।
  - 3.6 किलोमीटर लंबे मार्ग में से 1.7 किलोमीटर का मार्ग दिल्ली के वसंत कुंज के निकट स्थित अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क के नीचे से गुज़रेगा।

गलियारे का महत्त्व:

- यात्रा समय के संदर्भ में:
  - गलियारे के निर्माण से दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में 117 मिनट की कमी होगी।
- वायु गुणवत्ता के संदर्भ में:
  - सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी में वृद्धि होने की संभावना के चलते इस गलियारे के निर्माण से दिल्ली/NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद की जा रही है।
- सडकों पर ट्रैफिक में कमी:
  - परिवहन नेटवर्क के बेहतर होने के साथ ही सड़क यातायात की भीड़भाड़ कम होने की संभावना है और इस परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के मुद्दों को संबोधित करने तथा दिल्ली-एनसीआर को सड़क, रेल एवं हवाई यातायात से जोड़ने वाली एक कुशल मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली के विकसित होने की उम्मीद है।

अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क:

- इसे दक्षिणी दिल्ली में वसंत विहार के निकट स्थित 699 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है।
- पूर्व में हुई खनन गतिविधियों और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (एक आक्रामक झाड़ी) से यह क्षेत्र अत्यधिक निम्नीकृत हो गया है।
  - दिल्ली की जैवविविधता लगभग विलुप्त हो चुकी है।
- अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क का मुख्य उद्देश्य दिल्ली अरावली की खोई हुई जैवविविधता को वापस लाना है। इसका अन्य उद्देश्य छात्रों के बीच प्रकृति शिक्षा को बढ़ावा देना और जनता के बीच पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करना है।
- यह अरावली के संकटग्रस्त औषधीय पौधों के संरक्षण में भी मदद कर रहा है।

मेंढक की नई प्रजाति: मिनरवेरिया पेंटाली

हाल ही में पश्चिमी घाट में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई और इसका नाम डीयू के पूर्व कुलपति और पादप आनुवंशिकीविद् 'दीपक पेंटल' के नाम पर रखा गया।

प्रमुख बिंदु

- मिनरवेरिया पेंटाली (Minervarya Pentali) नाम की नई मेंढक प्रजाति 'डिक्रोग्लोसिडे' (Dicroglossidae) परिवार से संबंधित है।
  - 'डिक्रोग्लोसिडे' परिवार में अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तथा पापुआ न्यू गिनी द्वारा वितरित अर्द्धजलीय मेंढकों की 202 प्रजातियाँ शामिल हैं।
  - परिवार में बड़े आकार (जैसे-जीनस होपलोबैट्राचस) और बौनी प्रजातियाँ (जैसे-जीनस ननोफ्रीज़) शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 30 मिमी. है।

- यह पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट से खोजा गया था, जो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी तट तक फैला हुआ है।
- यह नई प्रजाति दक्षिणी-पश्चिमी घाट के लिये स्थानिक है।
- यह प्रजाति सबसे छोटे ज्ञात 'मिनरवेरिया' (जीनस) मेंढकों में से एक है।

पश्चिमी घाट:

- ये भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु में समाप्त होती हैं।
- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल छह भारतीय राज्य हैं जो पश्चिमी घाट से आच्छादित हैं।
- पर्वत श्रृंखला जैव विविधता का "हॉटेस्ट हॉटस्पॉट" भी है।
- पश्चिमी घाट को अक्सर 'भारत का ग्रेट एस्कार्पमेंट' कहा जाता है और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है।
- सदाबहार वनों की उपस्थिति के साथ-साथ उच्च जैव विविधता और स्थानिकता पश्चिमी घाट की विशेषताएँ हैं।

स्विन्होज़ सॉफ्टशेल टर्टल

- हाल के वर्षों में दुनिया के सबसे लुप्तप्राय कछुए 'स्विन्होज़ सॉफ्टशेल टर्टल' को विलुप्त होने से बचाने के लिये संरक्षणवादियों द्वारा बहुत प्रयास किये गए हैं।
- इस जानवर को 'होन कीम टर्टल' (Hoan Kiem Turtle) या 'यांग्त्ज़ी जिआंट सॉफ्टशेल टर्टल' (Yangtze Giant Softshell Turtle) के रूप में भी जाना जाता है।
- वियतनाम में इन जानवरों का बहुत अधिक सांस्कृतिक महत्त्व है क्योंकि हनोई में लोग इस प्राणी को एक जीवित देवता के रूप में मानते हैं।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिक नाम: रैफेटस स्विनहोई
  - ये कछुए हल्के भूरे या पीले धब्बों के साथ भूरे रंग के होते हैं।
- महत्त्व:
  - कुछ शोधकर्त्ताओं ने 'सीफ्लोर बायोसिस्टम' के संदर्भ में इनके महत्व पर प्रकाश डाला है, जहाँ ये मिट्टी के पोषक तत्त्वों को समृद्ध करके और बीज प्रकीर्णन को सुविधाजनक बनाकर योगदान करते हैं।
- परिवेश:
  - इन कछुओं का प्राकृतिक आवास आर्द्रभूमि और बड़ी झीलें हैं।
  - चीन और वियतनाम के मूल निवासी।
- संरक्षण की स्थिति:
  - IUCN रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  - CITES: परिशिष्ट II
- खतरा:
  - इसके मांस और अंडों के शिकार के साथ-साथ आवास के विनाश के कारण ये विलुप्ति की कगार पर पहुँच गए है।

उमलिंग-ला दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड

हाल ही में सीमा सड़क संगठन (BRO) ने 19,300 फीट की ऊँचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रा क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़क पर ब्लैक टॉपिंग (Black Topping) और निर्माण कार्य को पूरा किया है।

प्रमुख बिंदु

सड़क के बारे में:

- इस सड़क का निर्माण कर BRO ने ऊँचाई पर स्थित सड़कों के निर्माण में कीर्तिमान स्थापित किया है।
    - BRO ने बोलीविया में ज्वालामुखी उटुरुंकु से 18,953 फीट की ऊँचाई पर एक सड़क निर्माण के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है।
- 'प्रोजेक्ट हिमांक' के तहत बनी रणनीतिक सड़क उमलिंग ला टॉप से होकर गुज़रती है और चिसुमले व डेमचोक गाँवों को जोड़ती है।
- यह सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देगा।
- यह सड़क वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के करीब है और इससे सैनिकों तथा उपकरणों की त्वरित आवाजाही में सुविधा मिलेगी।

सड़क की तुलना:

- इस सड़क का निर्माण माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से अधिक ऊँचाई पर किया गया है क्योंकि नेपाल में साउथ बेस कैंप 17,598 फीट की ऊँचाई पर है, जबकि तिब्बत में नॉर्थ बेस कैंप की ऊँचाई 16,900 फीट है।
- सड़क का निर्माण सियाचिन ग्लेशियर से काफी ऊपर किया गया है जो कि 17,700 फीट है।
- लेह में खारदुंग ला दर्रा 17,582 फीट की ऊँचाई पर है।

प्रोजेक्ट 'हिमांक':

- प्रोजेक्ट 'हिमांक' जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही BRO की एक परियोजना है।
- यह प्रोजेक्ट वर्ष 1985 में शुरू हुआ था।
- इस परियोजना के तहत BRO दुनिया की सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़कों और इनसे संबंधित बुनियादी ढाँचे के निर्माण और रखरखाव के लिये ज़िम्मेदार है।

दर्रा	किससे-किसको जोड़ता है/विशेषताएँ
1. बनिहाल दर्रा	कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ।
2. बारा-लाचा-ला दर्रा	हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह ज़िले से।
3. फोटू-ला दर्रा	लेह को कारगिल से।
4. रोहतांग दर्रा	कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से।
5. शिपकी ला दर्रा	हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से।
6. जेलेप ला दर्रा	सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से।
7. नाथू ला दर्रा	सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से।
8. लिपूलेख दर्रा	भारत की चौड़न घाटी को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से। यह उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई-जंक्शन पर स्थित है।
9. खार्दुंग ला	लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से। यह विश्व का सबसे ऊँचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है।
10. बोम-डि-ला दर्रा	यह अरुणाचल प्रदेश में है।

प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने प्लास्टिक के प्रयोग से निजात पाने के लिये प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ हेतु पेटेंट पंजीकरण किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ (जो पुन: प्रयोज्य और पर्यावरण के अनुकूल है) को प्रोजेक्ट रिप्लान (प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना) के तहत विकसित किया गया था।
  - स्वच्छ भारत अभियान के लिये KVIC की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में इस परियोजना को सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था।
  - इसका उद्देश्य 20:80 के अनुपात में कपास फाइबर रैग के साथ संसाधित और उपचारित प्लास्टिक कचरे को मिलाकर कैरी बैग बनाना है।
  - यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है, जहाँ प्लास्टिक कचरे को डि-स्ट्रक्चर्ड, डिग्रेडेड, डाइलूटेड किया जाता है तथा इसे हस्तनिर्मित कागज़ बनाते समय पेपर पल्प के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार प्रकृति से प्लास्टिक कचरे को कम करने में सहायता मिलती है।
- यह उपलब्धि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खतरे से लड़ने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप है।
- अपशिष्ट-प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ के उत्पादन से दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होने की संभावना है:
  - पर्यावरण की रक्षा
  - स्थायी रोज़गार के अवसरों का सृजन
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित तकनीक उच्च एवं निम्न घनत्व वाले अपशिष्ट पॉलीथिन दोनों का उपयोग करती है, जो न केवल कागज़ को अतिरिक्त मज़बूती देती है बल्कि लागत को 34 प्रतिशत तक कम करती है।
- KVIC ने प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ का उपयोग करके कैरी बैग, लिफाफे, फाइल / फोल्डर आदि जैसे कई उत्पाद विकसित किये हैं।

पेटेंट

- पेटेंट, सरकार द्वारा पेटेंट कराने वाले को सीमित समय के लिये आविष्कार हेतु दिया गया एक वैधानिक अधिकार है, पेटेंट के तहत उत्पाद बनाने, उपयोग करने, बेचने, आयात करने तथा दूसरों को सहमति के बिना उन उद्देश्यों हेतु उत्पाद का उत्पादन करने की प्रक्रिया से बाहर कर आविष्कार का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करता है।
- भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधि पेटेंट हेतु आवेदन करने की तिथि से 20 वर्ष तक है।
- भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 और पेटेंट नियम, 2003 द्वारा संशोधित पेटेंट अधिनियम, 1970 के माध्यम से शासित है।
- बदलते परिवेश के अनुरूप पेटेंट नियमों में नियमित रूप से संशोधन किया जाता है, जैसे - हालिया संशोधन 2016 में।
- पेटेंट संरक्षण एक क्षेत्रीय अधिकार है, इसलिये यह केवल भारतीय क्षेत्र में ही प्रभावी है।
  - वैश्विक पेटेंट की कोई अवधारणा नहीं है।
  - पेटेंट प्रत्येक देश में प्राप्त किया जाना चाहिये जहाँ आवेदक को अपने आविष्कार की सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम,1956' के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये योजनाएँ बनाना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करना है।
- यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत कार्य करता है।
- KVIC से संबद्ध प्रमुख पहलें:
  - हनी मिशन पहल
  - प्रोजेक्ट बोल्ड

- लेदर मिशन
- ग्रामोद्योग विकास योजना
- कुम्हार सशक्तीकरण योजना (KSY)

ई-जेल परियोजना

गृह मंत्रालय (MHA) ने ई-जेल परियोजना (E-Prisons Project) के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

- साथ ही गृह मंत्रालय के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस' (निमहांस) ने कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

संदर्भ:

- इस परियोजना का उद्देश्य देश की जेलों के कामकाज का कम्प्यूटरीकरण करना है। इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है।
- इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत ई-जेल डेटा को पुलिस और कोर्ट सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है।
- ई-जेल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसके 3 घटक हैं:
  - ई-जेल प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS): इसका उपयोग जेलों में दिन-प्रतिदिन की नियमित गतिविधियों के लिये किया जाता है।
  - राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल: यह एक नागरिक केंद्रित पोर्टल है जो देश की विभिन्न जेलों के सांख्यिकीय आंकड़े प्रदर्शित करता है।
  - कारा बाज़ार: देश की विभिन्न जेलों में बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिये पोर्टल।

इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम:

- यह पुलिस, फोरेंसिक, अभियोजन, अदालतों, जेलों सहित आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों की सूचना के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिये एक सामान्य मंच है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य स्तंभों के बीच आवश्यक जानकारी साझा करने में होने वाली त्रुटियों और लगने वाले समय (जो प्राय: बड़ी चुनौतियों का कारण बनता है जैसे- परीक्षण की लंबी अवधि, खराब सजा, दस्तावेज़ों का पारगमन नुकसान आदि) को कम करना है।
- बार-बार और आदतन यौन अपराधियों की पहचान करने तथा उन्हें ट्रैक करने के लिये यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database on Sexual Offenders- NDSO) जैसी सुविधा ICJS पारितंत्र से प्राप्त होने वाले कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण लाभ हैं।

कारागार/'उसमें निरुद्ध व्यक्ति'

- यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य का विषय है।
- जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।
- हालाँकि गृह मंत्रालय जेलों और कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन और सलाह देता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में जेलों में भीड़भाड़, दोषियों को कानूनी सलाह की कमी से लेकर छूट और पैरोल के मुद्दों तक विभिन्न समस्याओं की जाँच के लिये जस्टिस रॉय कमेटी की नियुक्ति की थी।

अबनींद्रनाथ टैगोर

अबनींद्रनाथ टैगोर के जन्मदिवस के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर तक चलने चलने वाले समारोह की शुरुआत जल्दी ही हो जाएगी, जिसमें विभिन्न ऑनलाइन कार्यशालाओं और वार्ताओं के माध्यम से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अग्रणी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

अबनींद्रनाथ टैगोर के विषय में:

- जन्म: 07 अगस्त, 1871 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता के जोरासांको (Jorasanko) में ।
    - वह रवींद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे।
- विचार: अपनी युवावस्था में, अबनींद्रनाथ ने यूरोपीय कलाकारों से यूरोपीय और अकादमिक शैली में प्रशिक्षण प्राप्त किया।
    - हालाँकि, उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान, यूरोपीय प्रकृतिवाद (जो चीजों को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जैसे कि एक व्यक्ति द्वारा देखा गया है अर्थात् प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों से प्रेरित) के प्रति उनमें अरुचि विकसित हुई।
    - उनका झुकाव ऐतिहासिक या साहित्यिक संकेतों के साथ चित्रों को चित्रित करने की ओर हुआ और इसके लिये उन्हें मुगल लघुचित्रों से प्रेरणा मिली।
    - उनकी प्रेरणा का एक अन्य स्रोत जापानी दार्शनिक और एस्थेटिशियन ओकाकुरा काकुज़ो द्वारा वर्ष1902 में की गई कोलकाता की यात्रा थी।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:

- उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, कला के क्षेत्र में एक नए आन्दोलन का जन्म हुआ, जिसे शुरूआती प्रोत्साहन भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद से प्राप्त हुआ।
- बंगाल में, अबनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्त्व में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह अस्तित्त्व में आया।
- वह यकीनन एक कलात्मक भाषा के पहले प्रमुख प्रतिपादक थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत कला के पश्चिमी मॉडलों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिये मुगल और राजपूत शैलियों का आधुनिकीकरण करने की मांग की थी।
- यद्यपि इस नई प्रवृत्ति के कई चित्र मुख्य रूप से भारतीय पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक विरासत के विषयों पर केंद्रित हैं, वे भारत में आधुनिक कला संबंधी आंदोलन तथा कला इतिहासकारों के अध्ययन के लिये महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- स्वदेशी विषयों की उनकी अनूठी व्याख्या ने एक नई जागृति पैदा की और भारतीय कला के पुनरुद्धार की शुरुआत की।
- वह प्रतिष्ठित 'भारत माता' पेंटिंग के निर्माता थे।
- विक्टोरिया मेमोरियल हॉल रबीन्द्र भारती सोसाइटी संग्रह का संरक्षक है, जो कलाकारों के महत्त्वपूर्ण कृतियों का सबसे बड़ा संग्रह है।

बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग (Bengal School of Painting)

- इसे पुनर्जागरण विद्यालय या पुनरुद्धारवादी स्कूल (Renaissance School or the Revivalist School) भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीय कला के पहले आधुनिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता था।
- इसने भारतीय कला के महत्त्व को पुन: पहचानने और सचेत रूप से अतीत की रचनाओं से प्रेरित एक वास्तविक भारतीय कला के रूप में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
- इसके अग्रणी कलाकार अबनिंद्रनाथ टैगोर और प्रमुख सिद्धांतकार ई.बी. हैवेल, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य थे।

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' कर दिया।

- भारत पुरुष हॉकी टीम द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने और महिला टीम के चौथे स्थान पर रहने के एक दिन बाद यह निर्णय सामने आया।

प्रमुख बिंदु

पुरस्कार के विषय में:

- इस निर्णय के बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा।
  - परिवर्तित नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
- राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक चार वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार एवं सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है।
  - इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है।
- खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-1992 में स्थापित किया गया था और पहले प्राप्तकर्त्ता शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद थे। अन्य विजेताओं में लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लै, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम और रानी रामपाल थे।

मेजर ध्यानचंद:

- 'द विजार्ड' के नाम से मशहूर फील्ड हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने वर्ष 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली और अपने कॅरियर में 400 से अधिक गोल किये।
- इलाहाबाद में जन्में ध्यानचंद उस ओलंपिक टीम का हिस्सा थे, जिसने वर्ष 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण पदक जीते।
- खेल रत्न पुरस्कार के अलावा, खेल में आजीवन उपलब्धि के लिये देश का सर्वोच्च पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी।
- वर्ष 2002 में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था।
- 29 अगस्त, 1905 को जन्में मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिह्नित करने के लिये 29 अगस्त को हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
  - इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति विभिन्न खेलों के प्रतिष्ठित एथलीटों को खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित करते हैं।

मद्रास विधान परिषद के 100 वर्ष

हाल ही में राष्ट्रपति ने तमिलनाडु विधानसभा के 100वें वर्ष के स्मरणोत्सव को संबोधित किया, जिसे पूर्व में 'मद्रास विधान परिषद' (MLC) के रूप में जाना जाता था।

प्रमुख बिंदु

इतिहास

- मद्रास विधान परिषद की स्थापना वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत की गई थी।
- परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का था। इसमें 132 सदस्य थे, जिनमें से 34 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये गए थे और शेष निर्वाचित थे।
- इसकी बैठक पहली बार 09 जनवरी, 1921 को फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास में आयोजित की गई थी।
- परिषद का उद्घाटन 12 जनवरी, 1921 को वेलिंगटन के गवर्नर के अनुरोध पर इंग्लैंड के राजा के चाचा 'ड्यूक ऑफ कनॉट' द्वारा किया गया था।
- इस अधिनियम के तहत दूसरी और तीसरी परिषदों का गठन क्रमशः वर्ष 1923 और वर्ष 1926 में आम चुनावों के बाद किया गया था।
- आम चुनावों के बाद नवंबर 1930 में पहली बार चौथी विधान परिषद की बैठक हुई और इसका कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया गया तथा यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता के लागू होने तक चली।

महत्त्व

- यह विधायिका कई प्रगतिशील विधानों का स्रोत मानी जाती है, जिन्हें बाद में समाज के कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाने और लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिये देश भर में गठित किया गया।

नोट :

- देवदासी प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, स्कूलों में मध्याह्न भोजन और भूमिहीनों को कृषि भूमि का वितरण कुछ क्रांतिकारी विचार थे, जिन्होंने समाज को बदल दिया।
- कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की जड़ें विधायिका प्रणाली में ही मौजूद हैं।

राज्य विधायिका

परिचय

- केंद्रीय संसद की तरह ही राज्य विधानमंडल का प्राथमिक कार्य कानून बनाना है। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है।

विधायिका के प्रकार

- जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है।
- इसलिये राज्य के लिये कानूनों को लागू करने हेतु सदनों की संख्या के आधार पर दो प्रकार की विधायिकाएँ हो सकती हैं: एक सदनीय विधायिका या द्विसदनीय विधायिका।
    - एक सदनीय विधायिका: विधानसभा
    - द्विसदनीय विधायिका: विधानसभा और विधान परिषद
- वर्तमान में विधान परिषद वाले छह राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक।

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधायिका की संरचना, अवधि, अधिकारों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित हैं।
    - अनुच्छेद 168 के मुताबिक, प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल होगा।
    - संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन का अधिकार है, यदि राज्य की विधानसभा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करती है।

राणा पुंजा भील

हाल ही में राजस्थान में आदिवासी भील समुदाय के नायक माने जाने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति राणा पुंजा भील की प्रतिमा पर झंडा फहराने को लेकर विवाद छिड़ गया।

- अमागढ़ किला विवाद के बाद एक महीने के भीतर राजस्थान में यह दूसरा मामला है।

प्रमुख बिंदु:

राणा पुंजा भील के संदर्भ में:

- वह मेवाड़ के 16वीं शताब्दी के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे।
- उन्हें एक महत्त्वपूर्ण चरित्र माना जाता है जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के साथ लड़ाई के दौरान प्रताप की ताकत को बढ़ाया।
- जब महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब आदिवासी भील समुदाय स्वेच्छा से उनकी सहायता के लिये आया और उस समय भील सेना की कमान पुंजा के हाथ में थी।
- एक सेनापति के रूप अहम भूमिका निभाने के कारण उन्हें राणा की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

भील समुदाय:

- परिचय:
    - भील छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक हैं।

- यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है।
- इन्हें राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह नाम 'बिल्लू' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है धनुष।
- भील महिलाएँ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं, जबकि पुरुष लंबी फ्रॉक और पजामा पहनते हैं। औरतें चाँदी, पीतल के भारी-भरकम गहने, मोतियों की माला, चाँदी के सिक्के और बालियाँ पहनती हैं।

- समुदाय का महत्त्व:
  - भील अपने स्थानीय भूगोल के बारे में गहन ज्ञान के साथ उत्कृष्ट धनुर्धारियों के रूप में जाने जाते हैं।
  - इन्हें परंपरागत रूप से गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है, इनमें से अधिकांश आज किसान और खेतिहर मजदूर हैं। ये कुशल मूर्तिकार भी हैं।
  - मेवाड़ क्षेत्र में इनका महत्त्वपूर्ण प्रभाव है, यही कारण है कि अतीत में इस क्षेत्र के राजपूत शासकों ने आदिवासी समूह के साथ गठबंधन किया।

राजस्थान में अन्य जनजातियाँ

सहरिया:

- सहरिया सबसे पिछड़े राजस्थानी जनजातियों में से एक है।

मीणा:

- मीणा राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
- ये सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी माने जाते हैं।

गड़िया लोहार:

- गड़िया लोहार को राजस्थान की एक छोटी राजपूत जनजाति के रूप में जाना जाता है।

गरासिया:

- गरासिया राजस्थान की एक और छोटी राजपूत जनजाति है।

अन्य:

- राजस्थान की अन्य जनजातियाँ भी हैं, जिनमें काठोडी (मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली), सांसी और कंजर शामिल हैं।

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान: असम

काज़ीरंगा सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जो आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है।

- सैटेलाइट फोन वनकर्मियों द्वारा शिकारियों पर नियंत्रण करने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति के दौरान सहायक होंगे।
- जनता को भारत में सैटेलाइट फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। सैटेलाइट फोन किसी भी स्थान से जुड़ सकते हैं क्योंकि ये विश्व के उपग्रहों से सीधे जुड़े होते हैं तथा सेलफोन की तरह स्थलीय मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं होते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- अवस्थिति:
  - यह असम राज्य में स्थित है और 42,996 हेक्टेयर (हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है।

- वैधानिक स्थिति:
  - इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
  - इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है। इसका कुल बाघ आरक्षित क्षेत्र 1,030 वर्ग किमी. है, जिसमें मुख्य क्षेत्र 430 वर्ग किमी. है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्थिति:
  - इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था।
  - इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
- जैव विविधता:
  - विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं।
    - गैंडो की संख्या में असम के काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद पोबितोरा (Pobitora) वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा स्थान है, जबकि पोबितोरा अभयारण्य विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभयारण्य है।
  - काज़ीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान 'चार बड़ी ' प्रजातियों राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है।
    - वर्ष 2018 की जनगणना में 2,413 गैंडे और लगभग 1,100 हाथी थे।
    - वर्ष 2014 में आयोजित बाघ जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, काज़ीरंगा में अनुमानित 103 बाघ थे, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (215) और कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क (120) के बाद भारत में यह तीसरी सबसे बड़ी आबादी है।
  - काज़ीरंगा में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 का निवास भी है।
- नदियाँ और राजमार्ग:
  - इस उद्यान क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 गुज़रता है।
  - उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय (Water Bodies) हैं, इसके अलावा डिफ्होलू नदी (DiphＯlu River) इससे होकर गुज़रती है।
- असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यान:
  - मानस राष्ट्रीय उद्यान
  - डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान
  - नामेरी नेशनल पार्क
  - राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान

इंटरनेशनल बैचलरेट

हाल ही में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (DBSE) ने वर्ष 2021 में अपने 20 नए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज़्ड एक्सीलेंस (SOSE) सहित 30 सरकारी स्कूलों में IB कार्यक्रमों को लागू करने के लिये इंटरनेशनल बैचलरेट (International Baccalaureate- IB) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

- इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ सरकारी स्कूल के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त होगी।
- इन स्कूलों के छात्रों को स्कूली शिक्षा पूरी करने पर IB और दिल्ली बोर्ड द्वारा संयुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

संदर्भ:

- यह एक विश्वव्यापी, गैर-लाभकारी शिक्षा कार्यक्रम है जिसकी स्थापना 3 से 19 वर्ष की आयु के छात्रों को वैश्वीकरण के लिये उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देने हेतु की गई है। इसका फाउंडेशन कार्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।

- व्यक्तिगत छात्र विकास पर ज़ोर देना इसकी मुख्य उपलब्धियों में से एक है।
- चार IB शिक्षा कार्यक्रम हैं, जिनमें से सभी का उद्देश्य छात्रों के बौद्धिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल को विकसित करना है।
- वैश्विक स्तर पर इसके लगभग 5,000 स्कूल हैं। वर्तमान में भारत में 193 IB स्कूल हैं, जिनमें से सभी टॉप-एंड एलीट प्राइवेट स्कूल हैं।

IB कार्यक्रमों का उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य विविधता, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, जिज्ञासा और सीखने तथा उत्कृष्टता के लिये जिजीविषा को प्रोत्साहित करते हुए महत्त्वपूर्ण विचारों को बढ़ावा देना एवं समस्या-समाधान कौशल का निर्माण करना है।

लाभ:

- शिक्षा के उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम, जो जानकार और उत्सुक छात्रों के विकास का समर्थन करते हैं।
- व्यावसायिक विकास जो प्रभावी शिक्षकों और सहयोगी व्यावसायिक शिक्षण समुदायों का समर्थन करता है।
- छात्र तेज़ी से वैश्वीकृत, बदलते विश्व में लोगों के साथ जुड़ने में सक्षम होंगे।

ओलंपियन चमगादड़

हाल ही में एक चमगादड़ ने लंदन से उत्तर-पश्चिमी रूस के पस्कोव क्षेत्र में 2,000 किमी. से अधिक की दूरी तक उड़ान भरकर वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। इस चमगादड़ को "ओलंपियन चमगादड़" कहा जाता है और इसने जलवायु वैज्ञानिकों में गहरी रुचि पैदा की है।

प्रमुख बिंदु

- यह चमगादड़ नाथुसियस पिपिस्ट्रेल प्रजाति के चमगादड़ से संबंधित है।
- यह यात्रा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे यूरोप में ब्रिटेन के एक चमगादड़ द्वारा की गई सबसे लंबी यात्रा है।
- नाथुसियस की पिपिस्ट्रेल प्रजाति से संबंधित इस चमगादड़ का वज़न आमतौर पर 10 ग्राम से कम होता है।
  - वे उत्तर-पूर्वी यूरोप में गर्मियों के समय प्रजनन करने हेतु मैदानों से महाद्वीप के गर्म क्षेत्रों में प्रवास करने के लिये जाने जाते हैं जहाँ वे इमारतों में तथा पेड़ों में हाइबरनेट करते हैं।
- 'ओलंपियन' चमगादड़ का रिकॉर्ड उसी प्रजाति के एक अन्य चमगादड़ से ऊपर है, जिसने वर्ष 2019 में लातविया से स्पेन तक 2,224 किमी. की दूरी तय की थी।
- जलवायु वैज्ञानिकों के लिये यह यात्रा चमगादड़ के प्रवास और जलवायु परिवर्तन के साथ इसके संबंध का अध्ययन करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
- जलवायु की चरम सीमाओं में वृद्धि से चमगादड़ के हाइबरनेशन से जल्दी या अधिक आवृत्ति पर उभरने की संभावना बढ़ जाती है।
  - यह न केवल कम ऊर्जा भंडार से हाइबरनेटिंग चमगादड़ को खतरे में डाल देगा, बल्कि इसके बच्चों के जन्म और अस्तित्व को भी प्रभावित कर सकता है।
- इस प्रकार नाथुसियस पिपिस्ट्रेल प्रजाति का विस्तार जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है तथा भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन इस प्रजाति को और प्रभावित करेगा।
- वर्ष 2014 में चमगादड़ कंज़र्वेशन ट्रस्ट द्वारा 'नेशनल नाथुसियस पिपिस्ट्रेल' (National Nathusius' Pipistrelle) परियोजना शुरू की गई थी।
  - परियोजना का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन में नाथुसियस की पिपिस्ट्रेल प्रजाति हेतु पारिस्थितिकी, वर्तमान स्थिति और संरक्षण खतरों की समझ में सुधार करना है।
  - इस परियोजना के लक्ष्यों में से एक चमगादड़ की इस प्रजाति के प्रवासी मूल/उद्भव (migratory origins) का निर्धारण करना है क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन के साथ इसके संबंधों को समझने में मदद कर सकते हैं।

- ◆ पृथ्वी के गर्म होने के कारण पक्षियों के जल्दी पलायन के कुछ प्रमाण पहले ही देखे गए हैं।
- नाथुसियस की पिपिस्ट्रेल प्रजाति के चमगादड़ों की IUCN सूची स्थिति: कम चिंताजनक।

शीत निष्क्रियता/हाइबरनेशन

- यह गहरी नींद जैसी एक निष्क्रिय अवस्था है जिसमें ठंडी जलवायु में रहने वाले कुछ जानवर सर्दी में शीत निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं।
- शीत निष्क्रियता की स्थिति में शरीर का तापमान कम हो जाता है और श्वास व हृदयगति धीमी हो जाती है।
- यह जानवर को ठंड से बचाता है और भोजन की कमी होने पर मौसम के दौरान भोजन की आवश्यकता को कम करता है।
- आमतौर पर ध्रुवीय भालू, कृंतक और चमगादड़ कुछ ऐसे जानवर हैं जो शीत निष्क्रियता की स्थिति में रहते हैं।
- ज़ेब्राफिश के संबंध में एक नए शोध ने प्रदर्शित किया है कि 'प्रेरित हाइबरनेशन' (टॉरपोर) अंतरिक्ष उड़ान के दौरान इसके विभिन्न तत्त्वों विशेष रूप से विकिरण से मनुष्यों की किस प्रकार रक्षा कर सकता है।

विश्व हाथी दिवस

विश्व हाथी दिवस (12 अगस्त) के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने वर्ष 2022 में अखिल भारतीय हाथियों और बाघों की आबादी के आकलन में अपनाए जाने वाले जनसंख्या अनुमान प्रोटोकॉल को सार्वजनिक किया।

- एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा की ओर तत्काल ध्यान आकर्षित करने के लिये वर्ष 2012 में विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

भारत में हाथियों पर वर्तमान आँकड़े:

- वर्ष 2017 में अंतिम गणना के अनुसार, भारत में 29,964 हाथी थे जो वर्ष 2012 के 29,576 हाथियों के औसत में मामूली वृद्धि है।

एशियाई हाथी:

- संदर्भ:
  - ◆ उल्लेखनीय है कि एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं: भारतीय, सुमात्रन तथा श्रीलंकन।
  - ◆ वैश्विक जनसंख्या: अनुमानित 20,000 से 40,000।
- संरक्षण स्थिति:
  - ◆ IUCN की लाल सूची में स्थिति: संकटग्रस्त।
  - ◆ CITES: परिशिष्ट- I
  - ◆ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-1

अफ्रीकी हाथी:

- संदर्भ:
  - ◆ अफ्रीकी हाथियों की दो उप-प्रजातियाँ हैं, सवाना (या झाड़ी) हाथी और वन हाथी।
  - ◆ वैश्विक जनसंख्या: लगभग 4,00,000.
  - ◆ इससे पहले जुलाई 2020 में बोत्सवाना (अफ्रीका) में सैकड़ों हाथियों की मौत हुई थी।
- संरक्षण स्थिति:
  - ◆ IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Endangered)।
  - ◆ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची I
  - ◆ CITES: परिशिष्ट- II

मुद्दे:

- हाथियों के शिकार में वृद्धि।
- प्राकृतिक वास की क्षति।
- मानव-हाथी संघर्ष।
- संरक्षण हेतु कैद में रखे जाने के दौरान बुरा व्यवहार।
- हाथी पर्यटन के कारण दुर्व्यवहार।
- बड़े पैमाने पर खनन, कॉरिडोर का विनाश।

संरक्षण के लिये उठाए गए कदम:

- उनके शिकारियों और हत्यारों को गिरफ्तार करने की योजनाएँ और कार्यक्रम।
- राज्यों में विभिन्न हाथी अभ्यारण्यों की घोषणा और स्थापना। उदाहरण के लिये कर्नाटक में मैसूर और दांदेली हाथी रिज़र्व।
- लैंटाना और यूपेटोरियम (आक्रामक प्रजातियों) को नष्ट करना क्योंकि ये प्रजाति हाथियों के खाने योग्य घास के विकास में बाधक होते हैं।
- मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिये बैरिकेड्स लगाना।
- वनाग्नि की रोकथाम का अध्ययन करने के लिये एक प्रकोष्ठ की स्थापना करना।
- गज यात्रा जो हाथी गलियारों को सुरक्षित करने की आवश्यकता को उजागर करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है।
- हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (Monitoring of Illegal Killing of Elephants- MIKE) कार्यक्रम, 2003 में शुरू किया गया एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है जो पूरे अफ्रीका और एशिया से हाथियों की अवैध हत्या से संबंधित जानकारी के रुझानों को ट्रैक करता है, ताकि क्षेत्र संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता की निगरानी की जा सके।
- हाथी परियोजना: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियों, उनके आवास तथा गलियारों की सुरक्षा के लिये फरवरी 1992 में शुरू की गई थी।
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परियोजना के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- यहाँ तक कि महावत (जो लोग हाथी के साथ काम करते हैं, उसकी सवारी करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं) और उनके परिवार हाथियों के कल्याण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने नीलगिरि हाथी गलियारे पर मद्रास उच्च न्यायालय (HC) के 2011 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के आवागमन और क्षेत्र में रिसॉर्ट्स को बंद करने के अधिकार की पुष्टि की गई थी।

बैलिस्टिक मिसाइल 'गज़नवी': पाकिस्तान

हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल 'गज़नवी' का सफल परीक्षण किया है।

- यह 290 किलोमीटर की रेंज तक कई तरह के हथियार पहुँचाने में सक्षम है।
- इससे पूर्व पाकिस्तान ने शाहीन-3, बाबर क्रूज़ मिसाइल और फतह-1 को लॉन्च किया था।

प्रमुख बिंदु

बैलिस्टिक मिसाइल

- यह एक रॉकेट-चालित स्व-निर्देशित रणनीतिक-हथियार प्रणाली है, जो अपने प्रक्षेपण स्थल से एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुँचाने के लिये बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी का अनुसरण करती है।
- यह पारंपरिक उच्च विस्फोटकों के साथ-साथ रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है।
- 'बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता' (ICOC) जिसे अब 'बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता' के रूप में जाना जाता है, एक राजनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकना है।

नोट :

- भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- अप्रैल 1987 में स्थापित 'स्वैच्छिक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था' (MTCR) का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य मानव रहित वितरण प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना है जिनका उपयोग रासायनिक, जैविक तथा परमाणु हमलों के लिये किया जा सकता है।
  - भारत भी MTCR का हिस्सा है।

भारत की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें हैं:

- अग्नि पी मिसाइल
- शौर्य मिसाइल
- पृथ्वी मिसाइल
- धनुष मिसाइल

ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क (गरुड़)

हाल ही में बिहार ने स्थानीय तौर पर 'गरुड़' के रूप में जाना जाने वाले ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क (Greater Adjutant Storks) को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है ताकि उनके संरक्षण के प्रयासों के तहत उनकी निगरानी की जा सके।

प्रमुख बिंदु:

- वैज्ञानिक नाम: लेप्टोपिलोस डबियस (Leptoptilos dubius).

गण:

- ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, सिकोनिडे परिवार का सदस्य है।
  - परिवार में लगभग 20 प्रजातियाँ हैं।
  - ये लंबी गर्दन वाले बड़े पक्षी हैं।

आवास:

- दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला, ग्रेटर एडजुटेंट विश्व में सारस की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है।
- इसके केवल तीन ज्ञात प्रजनन स्थल हैं - एक कंबोडिया में और दो भारत (असम और बिहार) में।

खतरा:

- आर्द्रभूमियों के व्यापक विनाश और क्षति ने इस अपमार्जक पक्षी के भोजन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है और वृक्षों के कटाव के कारण इनके घोंसलों को भी नुकसान पहुँचा है।

संरक्षण स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट : संकटग्रस्त (Endangered)
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972: अनुसूची IV

महत्त्व:

- धार्मिक प्रतीक:
  - इन्हें हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक विष्णु का वाहन माना जाता है।
  - कुछ लोग इस पक्षी की पूजा करते हैं और इसे "गरुड़ महाराज" या "गुरु गरुड़" जैसे नामों से संबंधित करते हैं।
- किसानों के लिये सहायक:
  - ये चूहों और अन्य कृषि कीटों को मारकर किसानों की मदद करते हैं।

इंडिगऊ

हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी (National Institute of Animal Biotechnology- NIAB), हैदराबाद ने इंडिगऊ (IndiGau) नामक एक चिप लॉन्च की है।

- यह गिर, कांकरेज, साहीवाल, ओंगोल आदि देशी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिये भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है।
- NIAB, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक भारतीय स्वायत्त अनुसंधान प्रतिष्ठान है।

प्रमुख बिंदु

इंडिगऊ के संदर्भ में:

- इंडिगऊ पूरी तरह से स्वदेशी है और विश्व की सबसे बड़ी मवेशी चिप है।
- यह चिप बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने और वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में मदद करेगी।
- इस चिप का निर्माण राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अनुरूप है और आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है।
- इसके अलावा चिप समाज के सभी वर्गों के "ईज़ ऑफ लिविंग" के लिये वैज्ञानिक ज्ञान और नवाचारों के अनुप्रयोग का उदाहरण है।

देशी नस्लों का महत्त्व:

- देशी गायें मज़बूत और लचीली होती हैं और विशेष रूप से अपने संबंधित प्रजनन पथ की जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं तथा स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूलताओं से प्रभावित होने की संभावना कम होती है।
- देशी नस्लों के दूध में वसा और SNF की मात्रा अधिक होती है।
  - SNF सामग्री दूध में कैसिइन, लैक्टोज, विटामिन और खनिजों के रूप में मक्खन तथा पानी के अलावा पाए जाने वाले अन्य पदार्थ हैं जो दूध के पोषक गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

The Vision

विविध

ऊधम सिंह

उप-राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने क्रांतिकारी और महान देशभक्त शहीद ऊधम सिंह के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 1899 में पंजाब के संगरूर ज़िले के 'सुनाम' में पैदा हुए ऊधम सिंह एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे, जो अमेरिका में रहते हुए गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी साम्यवादी प्रवृत्ति का एक बहु-जातीय दल था और इसकी स्थापना वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी। कैलिफोर्निया स्थित यह दल अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिये प्रतिबद्ध था। 13 अप्रैल, 1919 को जलियाँवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगीनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हज़ारों निहत्थे पुरुष, महिलाएँ और बच्चे मारे गए थे। यद्यपि गोली चलाने का आदेश जनरल डायर द्वारा दिया गया था, किंतु ऊधम सिंह समेत अधिकांश लोगों ने माइकल ओ' ड्वायर को इस नरसंहार का ज़िम्मेदार माना, क्योंकि वह उस समय पंजाब के उप-राजपाल था और जनरल डायर उसी के आदेश पर काम कर रहा था। इसी के मद्देनज़र 13 मार्च, 1940 को ऊधम सिंह ने 'ईस्ट इंडिया एसोसिएशन' और 'रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी' की कैक्सटन हिल में एक बैठक में ओ'डायर को गोली मार दी। उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिक्सटन जेल भेज दिया गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के बयानों और अदालत की कार्यवाही में स्वयं को 'मोहम्मद सिंह आज़ाद' के रूप में संदर्भित किया, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था। हत्या के अपराध में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और 31 जुलाई, 1940 को पेंटनविले जेल में फाँसी दे दी गई।

मुस्लिम महिला अधिकार दिवस

देश भर में तीन तलाक के खिलाफ कानून के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये 01 अगस्त को 'मुस्लिम महिला अधिकार दिवस' का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने 01 अगस्त, 2019 को तीन तलाक की प्रथा को एक कानूनी अपराध घोषित करते हुए कानून अधिनियमित किया था। ध्यातव्य है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित इस कानून का उद्देश्य तीन तलाक जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून लाकर 'लैंगिक समानता' सुनिश्चित करना था तथा मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को और मज़बूत करना था। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देना है, ताकि उन्हें और अधिक सशक्त बनाया जा सके। संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के मुताबिक, तलाक की घोषणा को एक संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाएगा जिसके लिये जुर्माने के साथ 3 वर्ष की कैद हो सकती है। गौरतलब है कि इस कानून के माध्यम से तीन तलक के मामलों में 82 प्रतिशत की कमी आई है। 'मिस्र' पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने वर्ष 1929 में तीन तलाक नामक सामाजिक बुराई को समाप्त किया था, जिसके पश्चात् सूडान, पाकिस्तान (1956), मलेशिया (1969), बांग्लादेश (1972), इराक (1959), सीरिया (1953) द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया।

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रसिद्ध व्यवसायी और पुणे स्थित 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' के संस्थापक-अध्यक्ष साइरस पूनावाला को वर्ष 2021 के लिये प्रतिष्ठित 'लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार' हेतु चुना गया है। साइरस पूनावाला को कोरोनो वायरस महामारी के दौरान उनके कार्य और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिये सम्मानित किया जाएगा, जहाँ व्यापक स्तर पर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि साइरस पूनावाला और उनकी कंपनी ने सस्ती कीमतों पर अलग-अलग टीके उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार' को वर्ष 1983 में पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य (स्व-शासन) के सबसे प्रारंभिक एवं सबसे मुखर प्रस्तावकों में से एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्राप्तकर्त्ता के लिये एक स्मृति चिह्न शामिल है। इसके प्राप्तकर्त्ताओं में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति शामिल हैं। साइरस पूनावाला का जन्म वर्ष 1941 में हुआ और वर्ष 1966 में उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की।

तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग

ओडिशा के 'वन और पर्यावरण विभाग' के वन्यजीव संगठन ने राज्य में तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय किया है। तेंदुओं की यह डीएनए प्रोफाइलिंग ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (OUAT) के सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ हेल्थ (CWH) के सहयोग से की जाएगी। इस पहल के हिस्से के रूप में उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहाँ तेंदुए पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों से उनके नमूने एकत्र किये जाएंगे, जिन्हें डीएनए प्रोफाइलिंग के लिये सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ हेल्थ में भेजा जाएगा। यह पहल शिकारियों और व्यापारियों से ज़ब्त किये गए जानवरों की त्वचा और अन्य अंगों के अवशेषों के माध्यम से तेंदुओं के बारे में जानने में मदद करेगी। यह प्रणाली वन्यजीव अपराधों, विशेष रूप से तेंदुओं के अवैध शिकार के विरुद्ध लड़ाई में सहायक होगी। वर्ष 2018 तक ओडिशा में तेंदुओं की आबादी लगभग 760 थी। तेंदुओं को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-I में शामिल किया गया है।

भुवनेश्वर: कोविड-19 के खिलाफ शत-प्रतिशत टीकाकरण वाला देश का पहला शहर

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ शत-प्रतिशत टीकाकरण किया है। इसके अतिरिक्त लगभग एक लाख प्रवासी कामगारों को भी राजधानी शहर में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। भुवनेश्वर नगर निगम ने 31 जुलाई, 2021 तक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर टीकाकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिये विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिये मानक निर्धारित किये थे। टीका लगाने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने प्रतिदिन कुल 3.5 लाख लोगों का टीकाकरण करने के लिये ज़िलेवार लक्ष्य निर्धारित किये थे।

भारत बायोटेक की रोटावायरस वैक्सीन को WHO से 'प्रीक्वालिफिकेशन मंज़ूरी'

भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (Bharat Biotech International Ltd.) ने सोमवार को घोषणा की कि रोटावैक 5डी (Rotavac 5D- रोटावैक वैक्सीन का एक प्रकार) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से "प्रीक्वालिफिकेशन मंज़ूरी" प्राप्त हुई है। Rotavac 5D का प्रयोग रोटावायरस इन्फेक्शन की रोकथाम के लिये किया जाता है, जो शिशुओं और छोटे बच्चों में होने वाली एक सामान्य बीमारी है। Rotavac के नए वैरिएंट, Rotavac 5D एक अनूठा रोटावायरस वैक्सीन फॉर्मूलेशन है, जिसे बिना किसी बफर के दिया जा सकता है। वैक्सीन की कम खुराक की मात्रा (0.5 ML) इसके लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन मैनेजमेंट को आसान बनाती है और वैक्सीन लगाने के बाद इससे काफी कम मात्रा में बॉयो वेस्ट निकलता है।

बीमा अधिनियम में संशोधन के लिये लोकसभा में विधेयक पारित

केंद्र को देश की चार सरकारी साधारण बीमा कंपनियों में से किसी एक की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचने के लिये लोकसभा की हरी झंडी मिल गई। लोकसभा ने साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके अलावा अध्यादेश से जुड़ा एक बिल भी प्रस्तुत किया गया। वित्तमंत्री ने आम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंक और एक साधारण बीमा कंपनी में कम-से-कम 51 फीसदी हिस्सेदारी के प्रावधान को खत्म करने का बड़ा ऐलान किया था। लोकसभा से पास हुए बिल में इसके प्रावधान हैं। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा कंपनियों को भारतीय बाज़ार से संसाधन उपलब्ध कराना है। निजी भागीदारी बढ़ने से कंपनियाँ नई योजनाएँ लेकर आएंगी। वित्तमंत्री के अनुसार, पॉलिसीधारकों के हितों व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ये संशोधन ज़रूरी हैं।

भारत-चीन सेना ने सिक्किम में छठी हॉटलाइन स्थापित की

सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर किसी तरह की झड़प से बचने और विश्वास तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिये दोनों देशों की तरफ से अहम पहल हुई है। उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा दजोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई। एक अगस्त को PLA दिवस भी मनाया गया था। दोनों देशों के बीच यह छठी हॉटलाइन है। इसके साथ ही पूर्वी लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में दोनों सेनाओं के बीच दो-दो हॉटलाइन हो गई हैं। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के पास कमांडर स्तर पर संचार के लिये सुस्थापित तंत्र हैं। विभिन्न सेक्टरों में स्थापित ये हॉटलाइन संवाद को मज़बूत करने और सीमाओं पर शांति तथा सौहार्द बनाए रखने में अहम योगदान करती हैं। सेना के अनुसार, हॉटलाइन के उद्घाटन अवसर पर दोनों तरफ की सेनाओं के कमांडर उपस्थित थे एवं हॉटलाइन के माध्यम से मित्रता एवं सद्भाव के संदेश का अदान-प्रदान किया गया।

नोट :

नेल्लीयोड वासुदेवन नंबूदिरी

हाल ही में मशहूर कथकली कलाकार 'नेल्लीयोड वासुदेवन नंबूदिरी' का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक 'चुवन्ना थड़ी' (लाल दाढ़ी) पात्रों के लिये पहचाने जाने वाले नेल्लीयोड ने 'वट्टमुडी' और 'पेनकारी' की भूमिकाएँ भी निभाईं तथा उसके लिये काफी सराहना भी हासिल की। 'काली', 'दुशासन' और 'बकन' जैसे नकारात्मक पात्रों के अलावा वह 'कुचेलन' जैसी सकारात्मक व पवित्र भूमिकाएँ निभाने के लिये भी प्रसिद्ध थे। संस्कृत और हिंदू पुराणों के विद्वान वासुदेवन नंबूदिरी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल शांति नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल राज्य कथकली पुरस्कार और इसी प्रकार के अन्य सम्मानों के प्राप्तकर्त्ता थे। गौरतलब है कि केरल कई परंपरागत नृत्यों और नृत्य-नाटक शैलियों के लिये प्रसिद्ध है, जिसमें से एक 'कथकली' नृत्य भी है। कथकली नृत्य भारत के आठ शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कथकली, संगीत और अभिनय का विशिष्ट मिश्रण है। इसमें अधिकांशत: भारतीय महाकाव्यों से ली गई कथाओं का नाटकीकरण किया जाता है। केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य और नाटक जैसे- चकइरकोथू, कोडियाट्टम, मुडियाअट्टू, थियाट्टम, थेयाम, सस्त्राकली, कृष्णाअट्टम तथा रामाअट्टम आदि कथकली की ही देन हैं। 'कथकली के अलावा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियों में शामिल हैं- कथक (उत्तर प्रदेश, जयपुर), भरतनाट्यम (तमिलनाडु), मणिपुरी (मणिपुर), ओडिसी (ओडिशा), कुचीपुड़ी (आंध्र प्रदेश), सत्रीया (असम) एवं मोहिनीअट्टम (केरल)।

एग्रो-ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आम लोगों, विशेषकर किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिये 200 स्थानों पर 'एग्रो-ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन' (AWS) की स्थापना की है। 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (ICMR) नेटवर्क के तहत 'कृषि विज्ञान केंद्रों' (KVK) में स्थित ज़िला एग्रोमेट यूनिट्स (DAMUs) में 200 'एग्रो-ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन' इंस्टॉल किये गए हैं। इन केंद्रों की स्थापना 'ग्रामीण कृषि मौसम सेवा' (GKMS) योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय 'एग्रोमेट एडवाइज़री सर्विसेज़' (AAS) की सहायता हेतु की गई है। मौसम आधारित परिचालन 'एग्रोमेट एडवाइज़री सर्विसेज़' (AAS) को 'भारत मौसम विज्ञान विभाग' द्वारा ICMR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। यह देश में कृषक समुदाय के लाभ के लिये मौसम आधारित फसल एवं पशुधन प्रबंधन रणनीतियों एवं उनके संचालन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत ज़िला और ब्लॉक स्तर पर मध्यम-श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जाता है तथा पूर्वानुमान के आधार पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ एडवाइज़री जारी की जाती है। यह एडवाइज़री किसानों को दिन-प्रतिदिन के कृषि कार्यों पर निर्णय लेने में मदद करती है, जो कि कम वर्षा की स्थिति व चरम मौसम की घटनाओं के दौरान मौद्रिक नुकसान को कम करने और फसल की उपज को अधिकतम करने में महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

'हार्पून' ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट

अमेरिका ने 'हार्पून' ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट (JCTS) और संबंधित उपकरणों को भारत को 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर बेचने की मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करने व भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख रक्षात्मक भागीदार के रूप में भारत की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। 'हार्पून' मिसाइल प्रणाली को सर्वप्रथम वर्ष 1977 में तैनात किया गया था और यह एक ऑल-वेदर, ओवर-द-होराइज़न, एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम है। इसमें सक्रिय रडार गाइडेंस के साथ एक समुद्र-स्किमिंग क्रूज़ प्रक्षेपवक्र भी मौजूद है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का यह मिलियन डॉलर का सौदा दोनों देशों के बीच संबंधों में विकास का परिणाम है, जिसकी नींव वर्ष 2016 में तब पड़ी थी, जब अमेरिका ने भारत को एक 'प्रमुख रक्षा भागीदार' के रूप में मान्यता दी थी। 82 मिलियन डॉलर की खरीद के हिस्से के रूप में भारत को एक हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट, एक रखरखाव स्टेशन; स्पेयर और मरम्मत संबंधी हिस्से, समर्थन एवं परीक्षण उपकरण; प्रकाशन व तकनीकी दस्तावेज़; कर्मियों का प्रशिक्षण आदि की सुविधा प्राप्त होगी।

आईएनएस 'विक्रांत'

भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस 'विक्रांत' का समुद्री परीक्षण किया है। आईएनएस 'विक्रांत' भारत में डिज़ाइन और निर्मित पहला विमानवाहक पोत है। यह विमानवाहक पोत भारत के लिये सबसे शक्तिशाली समुद्री संपत्तियों में से एक है, जो घरेलू तटों से दूर यात्रा करने की नौसेना की क्षमता में बढ़ोतरी करता है। इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक शामिल है, जिसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों के अलावा मिग-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर तथा जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाले MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर होंगे। इसकी अधिकतम गति तकरीबन 30 समुद्री मील (लगभग 55 किमी. प्रति घंटा) है और इसे चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित

किया जाएगा। स्वदेशी विमान वाहक एक बार में 18 समुद्री मील (32 किमी. प्रति घंटे) की गति से 7,500 समुद्री मील की दूरी तय करने में सक्षम है। इस विमान वाहक पर हथियारों के रूप में बराक एलआर एसएएम और एके-630 शामिल हैं, साथ ही इसमें सेंसर के रूप में एमएफएसटीएआर एवं आरएएन-40 एल 3डी रडार शामिल हैं। इस पोत में 'शक्ति' नाम का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी मौजूद है।

पद्मा सचदेव

समकालीन डोगरी साहित्य की जननी कही जाने वाली पद्मा सचदेव का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 14 अप्रैल, 1940 को जम्मू-कश्मीर के सांबा ज़िले के पुरमंडल गाँव में जन्मीं पद्मा सचदेव के पहले कविता संग्रह- 'मेरी कविता मेरे गीत' (1969) को वर्ष 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री थीं। इसके अलावा उन्होंने हिंदी भाषा में भी रचनाएँ कीं। वर्ष 2015 में उन्हें अपनी आत्मकथा 'बूंद बावरी' के लिये पद्मश्री और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिये प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फैलोशिप भी मिली। लेखिका उमा वासुदेव ने पद्मा सचदेव की आत्मकथा का अंग्रेज़ी में 'ए ड्रॉप इन द ओशन' नाम से अनुवाद किया था। वर्ष 2007-08 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पद्मा सचदेव को उनकी कविताओं के लिये 'कबीर सम्मान' प्रदान किया गया था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो- जम्मू और ऑल इंडिया रेडियो- मुंबई में भी एनाउंसर काम किया। उनकी कई किताबें प्रकाशित हुईं, जिसमें 'तवी ते चानहन' (नदियाँ 'तवी' और 'चिनाब', 1976), नहेरियान गलियाँ (डार्क लेन, 1982) और उत्तर वाहिनी (1992) प्रमुख हैं।

लक्षद्वीप में वाटर विला परियोजना

लक्षद्वीप में जल्द ही तीन प्रीमियम मालदीव-शैली के वाटर विला विकसित किये जाएंगे। इन तीन प्रीमियम परियोजनाओं को कदमत, मिनिकॉय और सुहेली द्वीपों में विकसित किया जाएगा। इस 800 करोड़ रुपए की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिये वैश्विक निविदाएँ जारी की गई हैं। यह कदम लक्षद्वीप में पर्यटन विकास के साथ समुद्री आर्थिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस परियोजना के तहत प्रयोग किये जाने वाले वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित हो। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) द्वारा विकसित किये जाने वाले वाटर विला के लिये प्रमुख स्थानों की पहचान की जा रही है, जिसे समग्र विकास मास्टर प्लान द्वारा और मज़बूत किया जाता है। यह परियोजना भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना है, जहाँ सौर ऊर्जा से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल वाटर विला द्वारा विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान की जाएगी।

IIST और डफ्ट यूनिवर्सिटी के बीच समझौता

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान' (IIST) और 'डफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी' के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन के तहत इनमें से प्रत्येक संस्थान से जुड़े विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के अकादमिक कार्यक्रमों व अनुसंधान कार्यों को पूरा किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत संबंधित संस्थान स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर विद्यार्थियों का आदान-प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा संबंधित संस्थान स्नातक-पूर्व या स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिये विशेष पाठ्यक्रम विकसित कर सकते हैं, जो गृह संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक डिग्री के अतिरिक्त होगी। इस समझौता ज्ञापन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान में एक संयुक्त गतिविधि विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अत: इससे देश के सभी वर्ग और क्षेत्र लाभान्वित होंगे। इस हस्ताक्षरित समझौते से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) संबंधी संभावनाओं का पता लगाने में काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

'उत्तराखंड भूकंप अलर्ट' एप

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-रुड़की (IIT-R) ने हाल ही में "उत्तराखंड भूकंप अलर्ट' एप लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला भूकंप-पूर्व चेतावनी (EEW) मोबाइल एप है। यह परियोजना 'उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (USDMA) द्वारा प्रायोजित थी। यह भूकंप अलर्ट के बारे में लोगों को सूचित करने के लिये अपनी तरह का देश का पहला एप्लीकेशन है। यह भूकंप-पूर्व चेतावनी प्रणाली एक वास्तविक समय भूकंप सूचना प्रणाली है, जो भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकती है और चेतावनी जारी कर सकती है। भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली का भौतिक आधार भूकंपीय तरंगों की गति है, जो फॉल्ट से तनाव मुक्त होने के बाद प्रसारित होती हैं। पृथ्वी की सतह पर होने वाली कंपन सतही तरंगों के कारण होती है, जो प्राथमिक तरंगों की गति से लगभग आधी गति से यात्रा करती हैं और विद्युत चुंबकीय संकेतों की तुलना में बहुत धीमी होती हैं। भूकंप की चेतावनी जारी करने के साथ-साथ यह एप उन स्थानों को भी रिकॉर्ड करेगा, जहाँ भूकंप के दौरान लोग फँस गए हैं और इस जानकारी को आपदा प्रतिक्रिया बल को भेजेगा।

नोट :

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

07 अगस्त, 2021 को देश भर में 7वाँ 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' आयोजित किया गया। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता के बीच हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना और सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान को रेखांकित करना है। इसके अलावा यह दिवस भारत की हथकरघा विरासत की रक्षा करने व हथकरघा बुनकरों एवं श्रमिकों को अधिक अवसर प्रदान करने पर भी ज़ोर देता है। इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसलिये चुना गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा किये जा रहे बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिये वर्ष 1905 में इसी दिन कलकत्ता टाऊन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई थी। तकरीबन एक सदी तक इस दिवस के महत्त्व को देखते हुए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा पहले 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' का उद्घाटन किया गया। ज्ञात हो कि भारत का हथकरघा क्षेत्र देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत की सॉफ्ट पावर को लंबे समय से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा समर्थन दिया गया है। 'खादी डिप्लोमेसी' इसी का एक उदाहरण है। भारत में कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद लोगों के लिये रोज़गार व आजीविका का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। 'चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना' (2019-20) के अनुसार, 31.45 लाख परिवार हथकरघा, बुनाई और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

जीव वैज्ञानिक धृति बनर्जी, 105 वर्ष पुराने 'ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' (ZSI) की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। 51 वर्षीय वैज्ञानिक धृति बनर्जी का एक शानदार कॅरियर रहा है, जिन्होंने टैक्सोनॉमी, ज़ूजियोग्राफी, मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध किया है। इसके अलावा वह वर्ष 2012 से 'ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की को-ऑर्डिनेटर भी रही हैं। 'ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' (ZSI), पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने और अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' की स्थापना तत्कालीन 'ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य' द्वारा 01 जुलाई, 1916 को की गई थी। इसका उद्भव वर्ष 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग की स्थापना के साथ ही हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है तथा वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में मौजूद हैं। यद्यपि 'ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' की स्थपाना वर्ष 1916 में हुई, किंतु प्रारंभ में यह काफी हद तक पुरुष-प्रभुत्व वाला संगठन था और इसमें महिलाओं की भर्ती वर्ष 1949 में शुरू हुई।

'EOS-03' पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-F10 (GSLV-F10) के माध्यम से जल्द ही पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 'EOS-03' को लॉन्च किया जाएगा। 'EOS-03' एक अत्याधुनिक सैटेलाइट है, जिसे GSLV-F10 द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद यह सैटेलाइट अपनी ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग कर अंतिम भूस्थिर कक्षा में पहुँच जाएगा। यह सैटेलाइट रोज़ाना चार से पाँच बार पूरे देश की इमेजिंग करने में सक्षम होगा। साथ ही 'EOS-03' बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम होगा। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा 'EOS-03' जल निकायों, फसलों, वनस्पति की स्थिति, वन आवरण परिवर्तन की निगरानी में भी सक्षम होगा। यह 'जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल' की 14वीं उड़ान होगी। 'जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल' (GSLV) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा डिज़ाइन, विकसित और संचालित एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, जो सैटेलाइट और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं को अंतिम भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करता है। GSLV, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) की तुलना में भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है।

विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर

हाल ही में बिहार के बक्सर में एक 'विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर' का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर को जून 2020 में 'वेस्ट-टू-वेल्थ' मिशन द्वारा शुरू किये गए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विकसित किया गया है। बक्सर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्थापित यह इंसिनरेटर एक पोर्टेबल मशीन है जो कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री के 50 किलो जैव अपशिष्ट को वेस्ट हीट रिकवरी के माध्यम से प्रबंधित करने में सक्षम है। 'वेस्ट-टू-वेल्थ' मिशन 'प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद' के नौ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। इस मिशन का उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने और सामग्रियों को रिसायकल करने तथा कचरे के उपचार के लिये प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना है।

सरला ठुकराल

हाल ही में दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल ने विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला 'सरला ठुकराल' को उनकी 107वीं जयंती के अवसर पर एक डूडल समर्पित किया। सरला ठुकराल का जन्म 8 अगस्त, 1914 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में हुआ था और बाद में वे वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर चली गईं। वह एक भारतीय पायलट, डिज़ाइनर और उद्यमी थीं। 21 वर्ष की उम्र में एक पारंपरिक साड़ी पहने हुए उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी और अपनी पहली उड़ान के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया था। सरला ठुकराल ने अपना प्रशिक्षण 'लाहौर फ्लाइंग क्लब' से प्राप्त किया था तथा इस प्रशिक्षण के दौरान सरला ठुकराल ने उड़ान के 1,000 घंटे पूरे करने का गौरव भी हासिल किया था, जिससे उन्हें 'A' श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। इस तरह वह 'A' श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला थीं। हालाँकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने की योजनाओं में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न हुई, किंतु उन्होंने अपना शिक्षण जारी रखा और लाहौर के 'मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स' (अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स) में ललित कला एवं चित्रकला का अध्ययन किया। इसके पश्चात् वह दिल्ली लौट आईं, जहाँ उन्होंने पेंटिंग जारी रखी और एक डिज़ाइनर के तौर पर सफल कॅरियर का निर्माण किया।

लद्दाख में 'इनर लाइन परमिट' की व्यवस्था

प्रशासन ने हाल ही में केंद्रशासित प्रदेश के अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिये घरेलू पर्यटकों सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिये 'इनर लाइन परमिट' (ILP) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इससे पूर्व घरेलू पर्यटकों के लिये भी लद्दाख के भीतरी इलाकों में जाने से पहले अधिकारियों से 'इनर लाइन परमिट' (ILP) प्राप्त करना अनिवार्य था। इससे पूर्व भारतीय घरेलू पर्यटकों को केवल लेह की नुब्रा घाटी में यारमा गोंबो मठ तक ही जाने की अनुमति थी। इसी के साथ लद्दाख के 'संरक्षित क्षेत्र के निवासी' अन्य संरक्षित क्षेत्रों में 'बिना किसी परमिट' के जा सकते हैं। गौरतलब है कि अधिकांश संरक्षित क्षेत्र पाकिस्तान के साथ 'नियंत्रण रेखा' (LoC) और चीन के साथ 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (LAC) के पास स्थित हैं, जिसके कारण ये रणनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। 'इनर लाइन परमिट' प्रणाली की समाप्ति के साथ ही अधिक पर्यटकों को लद्दाख जाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जो कि नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है।

रेखा शर्मा

राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष रेखा शर्मा को हाल ही में तीन वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। 57 वर्षीय रेखा शर्मा ने 07 अगस्त, 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। वह अगस्त 2015 में एक सदस्य के रूप तौर पर आयोग से जुड़ी थीं और पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होने से पूर्व उन्हें सितंबर, 2017 में अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया था। आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। आयोग का उद्देश्य महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके लिये विधायी सुझावों की सिफारिश करना, शिकायतों का निवारण करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना है। इस आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, पाँच सदस्य और एक सदस्य-सचिव होता है।

माउंट मेरापी

इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी 'माउंट मेरापी' में हाल ही विस्फोट हो गया। 2,968 मीटर (9,737 फुट) ऊँचा यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया की घनी आबादी वाले द्वीप जावा और वहाँ के प्राचीन शहर याग्याकार्टा के पास है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित दर्जनों ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और बीते कुछ वर्षों से इसमें लगातार विस्फोट हो रहा है। जावा की पुरानी भाषा के तहत 'मेरापी' नाम का अर्थ है 'आग बनाने वाला', जो कि ज्वालामुखियों का एक लोकप्रिय नाम है। वर्ष 2010 में माउंट मेरापी में हुए बड़े विस्फोट में 347 लोगों की मौत हुई थी। इंडोनेशिया 270 मिलियन लोगों की आबादी वाला एक द्वीप समूह है, जिसके 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) या 'सर्कम-पेसिफिक बेल्ट' (Circum-Pacific Belt) में अवस्थित होने के कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 'रिंग ऑफ फायर' प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं।

विश्व जैव ईंधन दिवस

ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अगस्त को 'विश्व जैव ईंधन दिवस' का आयोजन किया जाता है। यह दिवस पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधनों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है तथा जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में चिह्नित किया जाता है क्योंकि

इसी दिन वर्ष 1893 को डीज़ल इंजन के आविष्कारक 'सर रूडोल्फ डीज़ल' ने पहली बार मूँगफली के तेल से यांत्रिक इंजन को कुशलतापूर्वक चलाया था। उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से भविष्यवाणी की थी कि वनस्पति तेल आने वाले समय में यांत्रिक इंजनों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो जाएगा। यह दिवस उनके प्रयोग के महत्त्व को मान्यता देता है। भारत में इस दिवस को पहली बार वर्ष 2015 में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। भारत में 'जैव ईंधन विकास कार्यक्रम' सरकार के अन्य कार्यक्रमों जैसे- स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान आदि के साथ समन्वय से आगे बढ़ रहा है। चूँकि दुनिया भर में संसाधन सीमित हैं, ऐसे में ऊर्जा की बढ़ी हुई मांग, आपूर्ति सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करेगी। ऐसी स्थिति में जैव ईंधन जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।

दिल्ली की पहली 'पशु डीएनए प्रयोगशाला'

हाल ही में रोहिणी में राजधानी दिल्ली की पहली 'पशु डीएनए प्रयोगशाला' स्थापित की गई है। इससे पहले नमूनों को परीक्षण के लिये अन्य राज्यों में भेजा जाता था, जिसके कारण प्राय: कई बार जाँच प्रकिया में काफी देरी होती थी। इस प्रकार यह सुविधा दिल्ली पुलिस के लिये गोहत्या, जानवरों के अवैध व्यापार और अन्य पशु-संबंधी मामलों के समय पर निपटान में मददगार होगी। इस अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब में जानवरों के सभी हिस्सों जैसे- रक्त और ऊतक के नमूने, बाल, दाँत, हड्डियों आदि की जाँच की सुविधा उपलब्ध होगी। जानवरों से संबंधित किसी भी मामले की जाँच में सबसे बड़ी चुनौती अपराध स्थल के साक्ष्य से जानवर की एक विशिष्ट प्रजाति की पहचान करना है। वैज्ञानिकों के लिये यह अंतर कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है कि अपराध स्थल पर एकत्रित मांस का कोई टुकड़ा, हाथी या बाघ आदि जैसे संरक्षित जानवर का है अथवा किसी गैर-संरक्षित जानवर का है। ऐसे में रोहिणी (दिल्ली) में स्थपित यह नई प्रयोगशाला इस चुनौती से निपटने में काफी मददगार साबित होगी।

दिल्ली के लिये 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान'

'दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (DDMA) ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिये 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) को लागू करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली के इस 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' में मुख्यत: तीन मापदंड शामिल हैं- पॉज़िटिविटी दर, संचयी नए संक्रमण मामले और राजधानी में लॉकडाउन/अनलॉक के लिये औसत ऑक्सीजन युक्त बेडों की ऑक्यूपेंसी। इसके तहत रंग-कोडित अलर्ट के चार स्तर प्रस्तुत किये गए हैं। लेवल 1 या येलो अलर्ट तब लागू होगा जब पॉज़िटिविटी दर लगातार दो दिनों की 0.5% से अधिक हो या सात दिनों के नए संक्रमण मामले 1,500 से अधिक हों या सात दिनों के लिये ऑक्सीजन युक्त बेड की औसत ऑक्यूपेंसी 500 बेड हो। इस स्तर पर सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, सैलून, जिम, मनोरंजन पार्क, स्कूल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू भी लागू किया जाएगा। स्तर 2 या अम्बर अलर्ट तब लागू होगा जब पॉज़िटिविटी दर दो दिनों की 1% से अधिक हो या सात दिनों के नए संक्रमण मामले 3,500 से अधिक हों या सात दिनों के लिये ऑक्सीजन युक्त बेड की औसत ऑक्यूपेंसी 700 बेड हो। इसमें रेस्तराँ और सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे तथा सप्ताहांत में कर्फ्यू लागू होगा। वहीं स्तर 3 या ऑरेंज अलर्ट में दुकानें और मॉल के साथ सभी निर्माण गतिविधियाँ बंद रहेंगी और दिल्ली मेट्रो को भी बंद कर दिया जाएगा। स्तर 3 या रेड अलर्ट में पूर्णत: लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा।

लद्दाख में सबसे ऊँची सड़क

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत 'सीमा सड़क संगठन' (BRO) ने बोलीविया के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत में सबसे ऊँची मोटर सड़क का निर्माण किया है। 19,300 फीट की ऊँचाई वाली यह सड़क पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे से होकर गुज़रती है। तकरीबन 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क पूर्वी लद्दाख के 'चुमुर सेक्टर' के कई महत्त्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, इस सड़क की ऊँचाई 'माउंट एवरेस्ट' के बेस कैंप से भी ज़्यादा है, ज्ञात है कि 'माउंट एवरेस्ट' का साउथ बेस कैंप (नेपाल) 17,598 फीट की ऊँचाई पर स्थित है, जबकि इसका नॉर्थ बेस कैंप (तिब्बत) 16,900 फीट की ऊँचाई पर मौजूद है। यह सड़क सियाचिन ग्लेशियर (17,700 फीट) की ऊँचाई से भी काफी अधिक है। यह सड़क लेह से चिसुमले और डेमचोक को जोड़ते हुए एक वैकल्पिक सीधा मार्ग प्रदान करती है और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। विदित हो कि ऐसे कठोर और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना का विकास बेहद कठिन होता है। सर्दियों के दौरान यहाँ तापमान -40 डिग्री तक पहुँच जाता है और इस ऊँचाई पर ऑक्सीजन का सामान्य स्तर अन्य क्षेत्र की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत कम होता है।

वी.वी. गिरी

10 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति 'वी.वी. गिरी' की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के चौथे राष्ट्रपति 'वराहगिरी वैंकट गिरी' या 'वी.वी. गिरी' का जन्म 10 अगस्त, 1894 को ओडिशा के गंजाम ज़िले के बेरहामपुर में हुआ था। अपनी

प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे कानून का अध्ययन करने के लिये आयरलैंड चले गए, जहाँ वे भारत और आयरलैंड दोनों देशों की राजनीति में काफी सक्रिय रहे, जिसके चलते 1 जून, 1916 को उन्हें आयरलैंड छोड़ना पड़ा। वर्ष 1916 में वे भारत लौटे और मद्रास उच्च न्यायालय में कार्य करने लगे। साथ ही वे कॉन्ग्रेस में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय हो गए। वर्ष 1934 में वे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के तौर पर चुने गए और वर्ष 1937 तक इस पद पर रहे। 13 मई, 1967 को वी.वी. गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए और वे लगभग 2 वर्ष तक इस पद पर रहे, ज्ञात हो कि वे ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। वर्ष 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुए और वी.वी. गिरी को भारत के चौथे राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया। वी.वी. गिरी वर्ष 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, वर्ष 1975 में उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया और 24 जून, 1980 को उनकी मृत्यु हो गई।

'काकोरी ट्रेन षड्यंत्र' का नाम परिवर्तन

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'काकोरी ट्रेन षड्यंत्र' का नाम बदलकर 'काकोरी ट्रेन कार्यवाही' कर दिया है क्योंकि 'षड्यंत्र" शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। इस निर्णय के पश्चात् किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ में इस घटना को संदर्भित करने के लिये 'काकोरी ट्रेन षड्यंत्र' के बजाय 'काकोरी ट्रेन कार्यवाही' शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिये अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था। उसी के अनुरूप वर्ष 1925 में 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' द्वारा काकोरी (लखनऊ) के पास काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी। इस योजना को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथनाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। वे अपने प्रयास में सफल रहे लेकिन हमले के एक महीने के भीतर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक दर्जन से अधिक सदस्यों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काकोरी षड्यंत्र मामले के तहत मुकदमा चलाया गया। कानूनी प्रक्रिया 18 महीने तक चली। इसमें राम प्रसाद 'बिस्मिल', अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को मौत की सज़ा सुनाई गई और अन्य क्रांतिकारियों को उम्रकैद की सज़ा हुई।

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम

भारत के 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं का वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 'इंटरनेट गवर्नेंस फोरम' के 'लोकल चैप्टर' को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो इंटरनेट से संबंधित नीतियों पर चर्चा करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करेगा। 'इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम' (IIGF) का गठन सरकार, नागरिक समाज, उद्योग और संघों के लगभग 12 सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा और इसका नेतृत्त्व 'नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया' के 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' अनिल कुमार जैन करेंगे। फोरम के अन्य सदस्यों में 'ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम' के अध्यक्ष टी.वी. रामचंद्रन, 'सेंटर फॉर डिजिटल इकॉनमी पॉलिसी रिसर्च' के अध्यक्ष जयजीत भट्टाचार्य और 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग' के पूर्व महानिदेशक रजत मूना शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन वाला देश है और यहाँ प्रति उपयोगकर्त्ता प्रतिमाह सबसे ज़्यादा डेटा खपत होती है। ऐसे में यह फोरम अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण और हितधारक वार्ता में भारतीय आकांक्षाओं को परिलक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल-2021

भारतीय सेना का 101 सदस्यीय दल रूस में 'अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल-2021' में हिस्सा ले रहा है। भारतीय दल आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता, एल्ब्रस रिंग, पोलर स्टार, स्नाइपर फ्रंटियर और सेफ रूट गेम्स में हिस्सा लेगा, जिसमें ऊँचाई वाले इलाकों में विभिन्न अभ्यास, युद्धक इंजीनियरिंग कौशल, बर्फ में संचालन, बाधाग्रस्त इलाके में स्नाइपर कार्रवाई का प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि 'अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल' रूस के रक्षा मंत्रालय (MoD) द्वारा आयोजित एक वार्षिक सैन्य आयोजन है। वर्ष 2015 में शुरू हुए इस सैन्य आयोजन में पहली बार लगभग 30 देशों ने दो सप्ताह में दर्जनों प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। इन खेलों को 'वॉर ओलिंपिक' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

चोल सम्राट 'राजेंद्र चोल प्रथम'

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में 'चोल वंश' के महानतम सम्राटों में से एक 'राजेंद्र चोल प्रथम' की जयंती को अगले वर्ष से एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। 11वीं शताब्दी के चोल सम्राट ने अपनी राजधानी को गंगईकोंडा चोलपुरम (वर्तमान अरियालुर ज़िले) में स्थानांतरित कर दिया था, जहाँ उन्होंने 'पेरुवुदैयार मंदिर' का निर्माण किया था। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। महान राजा 'राजेंद्र चोल प्रथम' को भारतीय उपमहाद्वीप में कई मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम, दक्षिण भारत के महान चोल राजा 'राजराजा चोल प्रथम' के पुत्र थे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने पहले से ही विशाल चोल साम्राज्य के प्रभाव को उत्तर में गंगा नदी के किनारे और समुद्र तक विस्तृत किया। राजेंद्र चोल प्रथम का राज्य क्षेत्र तटीय बर्मा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह,

लक्षद्वीप, मालदीव तक फैला हुआ था और उन्होंने अपने जहाज़ी बेड़े के साथ आस-पास के कई द्वीपों को जीत लिया था। उन्होंने बंगाल और बिहार के पाल राजा महिपाल को भी हराया। राजेंद्र चोल प्रथम अपनी सेना को समुद्र पार कर विदेश तक ले जाने वाले पहले भारतीय राजा थे। उन्होंने 'परकेसरी' और 'युद्धमल्ला' की उपाधि धारण की थी।

'फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस' प्रोग्राम

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रदेश के परिवहन विभाग के 'फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस' प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस पहल के तहत प्रदेश के आम लोग, मोटर लाइसेंसिंग कार्यालय (MOL) में आए बिना अपने घरों से ही पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ-साथ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जैसे विभिन्न परिवहन से संबंधित दस्तावेज़ों के लिये आवेदन और उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस प्रोग्राम के तहत लोगों को केवल ड्राइविंग टेस्ट और कार फिटनेस टेस्ट के लिये परिवहन कार्यालय जाना होगा। इसी के साथ दिल्ली परिवहन संबंधी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से चार ज़ोनल कार्यालयों- आईपी एस्टेट, सराय काले खाँ, जनकपुरी और वसंत विहार को बंद किया जा रहा है। कोई भी आवेदक आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर अपने घर पर ऑनलाइन परीक्षण के माध्यम से ई-लर्निंग लाइसेंस (eLL) प्राप्त कर सकता है। आधार का उपयोग नहीं करने वाले आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और लर्निंग टेस्ट के लिये अपॉइंटमेंट लेना होगा।

'अल-मोहद अल-हिंदी 2021' अभ्यास

भारत और सऊदी अरब अपने बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग को प्रतिबिंबित करते हुए अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना का 'गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर' आईएनएस कोच्चि 'अल-मोहद अल-हिंदी 2021' अभ्यास में हिस्सा लेने के लिये संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के साथ नौसैनिक अभ्यास करने के बाद सऊदी अरब पहुँच गया है। ओमान के एक मर्चेंट टैंकर पर ड्रोन हमले में एक ब्रिटिश नागरिक और एक रोमानियाई नागरिक की मौत के बाद खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यह युद्ध अभ्यास काफी महत्त्वपूर्ण है। पिछले वर्ष दिसंबर माह में सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने दो महत्त्वपूर्ण खाड़ी देशों- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का पहली बार दौरा किया था।

खुदीराम बोस

11 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। खुदीराम बोस का जन्म वर्ष 1889 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के एक छोटे से गाँव में हुआ था। श्री अरबिंदो और भगिनी निवेदिता के व्याख्यानों से प्रेरित होकर खुदीराम बोस अपनी किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। वर्ष 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश हुकूमत के इस कदम का विरोध किया। वे 15 वर्ष की आयु में बोस अनुशीलन समिति में शामिल हो गए, यह 20वीं शताब्दी की उन प्रारंभिक संस्थाओं में से थी, जिसने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था। बोस के जीवन में निर्णायक क्षण वर्ष 1908 में तब आया, जब उन्हें उनके क्रांतिकारी साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मुज़फ्फरपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का काम सौंपा गया। ज्ञात हो कि मुज़फ्फरपुर को हस्तांतरित किये जाने से पूर्व किंग्सफोर्ड बंगाल के ज़िला मजिस्ट्रेट था और क्रांतिकारियों तथा आम नागरिकों पर किये गए अत्याचार के कारण कई युवा क्रांतिकारियों के मन में उसके प्रति क्रोध था। दोनों ने किंग्सफोर्ड की हत्या के कई प्रयास किये और 30 अप्रैल, 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया, यद्यपि इस हमले में वह बच निकला, किंतु इसमें एक अन्य अंग्रेज़ अफसर के परिजनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उन्हें फाँसी की सज़ा सुनाई। 11 अगस्त, 1908 को उन्हें फाँसी दे दी गई।

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 'सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार' की घोषणा की है। यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थानों और कंपनियों को दिया जाएगा। राज्य सरकार के सार्वजनिक उद्यम- महाराष्ट्र आईटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MAHA-IT) को पुरस्कार के लिये नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजीव गांधी के अग्रणी योगदान को रेखांकित करना है। उन्होंने देश में 'सूचना प्रौद्योगिकी' युग की शुरुआत की, जिसने भारत के सेवा क्षेत्र को बदलने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि राजीव गांधी को 'भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी

नोट :

एवं दूरसंचार क्रांति का जनक' और डिजिटल इंडिया के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। राजीव गांधी ने वर्ष 1984 से वर्ष 1989 के बीच देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यह समय देश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण दौर था। इसी दौरान देश में अत्याधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करने और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये अगस्त 1984 में 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स' (C-DOT) की स्थपना की गई, वर्ष 1986 में 'महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड' की स्थापना हुई और इसी समय रेलवे का कंप्यूटरीकरण भी किया गया।

'वाटर प्लस' सिटी: इंदौर

भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2021' के तहत देश का पहला 'वाटर प्लस' शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 'स्वच्छ भारत मिशन' के हिस्से के रूप में देश भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, आरोग्यता व साफ-सफाई का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। गौरतलब है कि सर्वेक्षण के मुताबिक, शहर के 30 प्रतिशत सीवेज जल का पुनर्चक्रण एवं पुन: उपयोग किया जा रहा है। शहर में 'पुनर्चक्रित' जल का उपयोग आम लोगों द्वारा अपने बगीचों और निर्माण स्थलों में किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में कुल सात सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गए हैं तथा उनमें प्रतिदिन लगभग 110 मिलियन लीटर जल का उपचार किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के 'वाटर प्लस' प्रोटोकॉल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंदौर नगर निगम द्वारा 1,746 सार्वजनिक और 5,624 घरेलू सीवरों को 25 छोटे व बड़े नालों से जोड़ा गया है, इससे शहर की कान्ह और सरस्वती नदियों को सीवर लाइनों से मुक्त कर दिया गया है। ज्ञात हो कि देश में सर्वप्रथम 'वाटर प्लस' का टैग पाने के अलावा इंदौर को लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है।

मौसम एवं मानसून पूर्वानुमान हेतु भारत-अमेरिका समझौता

हाल ही में भारत और अमेरिका ने क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिये मानसून डेटा विश्लेषण एवं सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते में भारत की ओर से 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी' और अमेरिका की ओर से 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन' शामिल हैं। इस समझौते के तहत दोनों निकाय 'रिसर्च मूरड ऐरे फॉर अफ्रीकन-एशियन-ऑस्ट्रेलियन मानसून एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन' (RAMA) प्रणाली और 'ओसियन मूरड बॉय नेटवर्क इन नॉर्दन इंडियन ओसियन' (OMNI) प्रणाली के विकास में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देंगे, जो कि इस क्षेत्र में मानसून के पूर्वानुमान में सुधार करने में काफी मददगार होगा। यह समझौता भारत के 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय' और अमेरिका के 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन' के बीच पृथ्वी अवलोकन तथा पृथ्वी विज्ञान में तकनीकी सहयोग के लिये हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का अगला चरण है।

स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग

स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग-2021 में कतर स्थित 'दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' को विश्व के सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। वहीं दिल्ली का 'इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा' इस रैंकिंग में लगातार तीसरी बार दुनिया के शीर्ष-50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल हुआ है। इसके अतिरिक्त मुंबई, हैदराबाद और बंगलूरू ने दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान हासिल किया है। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग के अनुसार, दिल्ली ने 45वीं रैंक हासिल की, जबकि हैदराबाद ने 64वीं, मुंबई ने 65वीं और बंगलूरू ने 71वीं रैंक हासिल की है। विश्व स्तर पर दुनिया के शीर्ष-5 हवाई अड्डे हैं- 'दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा', 'टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा', 'चांगी हवाई अड्डा (सिंगापुर), 'सियोल इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' और 'टोक्यो नारिता' हवाई अड्डा। 'स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग' ग्राहकों की समीक्षाओं के आधार पर जारी की जाती है। इस रैंकिंग को विश्व हवाई अड्डा उद्योग के लिये गुणवत्ता बेंचमार्क के रूप में जाना जाता है।

चंद्रमा पर पानी के अणुओं और हाइड्रॉक्सिल की उपस्थिति

एक हालिया शोधपत्र के मुताबिक, 'चंद्रयान-2' ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं (H_2O) और हाइड्रॉक्सिल (OH) की उपस्थिति की पुष्टि की है। ऑर्बिटर के 'इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर' (IIRS) से प्राप्त प्रारंभिक डेटा के विश्लेषण से चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पानी के अणुओं (H_2O) और हाइड्रॉक्सिल (OH) की उपस्थिति की पहचान की गई है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार, हाइड्रॉक्सिल या पानी के अणुओं का निर्माण 'अंतरिक्ष अपक्षय' (Space Weathering) नामक एक प्रक्रिया के कारण होता है, जो तब होता है जब चंद्र सतह पर सौर हवाएँ चलती हैं। विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ कि चंद्रमा के उच्च अक्षांशों पर तीव्र धूप वाले उच्च भूमि क्षेत्रों में उच्च हाइड्रॉक्सिल या संभवत: पानी के अणु अधिक पाए गए। गौरतलब है कि यह खोज भविष्य के मिशनों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में चंद्रमा के लिये कई अंतर्राष्ट्रीय मिशनों को लॉन्च किया जाना है। यह भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन है। चंद्रयान-2

भारत द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरने का पहला प्रयास था। इसरो द्वारा इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना बनाई गई थी। हालाँकि लैंडर विक्रम ने सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह पर 'हार्ड लैंडिंग' की। किंतु इसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है और इस मिशन की अवधि सात वर्ष है। ज्ञात हो कि 'चंद्रयान-1' मिशन ने पहले ही चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि कर दी थी, लेकिन सीमित कवरेज के कारण जलयोजन की सटीक प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सका था।

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार

भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2018 के लिये 'प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों' (PMSA) की घोषणा की है। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा 500 या उससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाली निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत 69 श्रमिकों को प्रदान किये जाने हैं। वर्ष 1985 में स्थापित ये पुरस्कार 'श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं। ये पुरस्कार श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवीन क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण साहस व बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने हेतु प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2018 के लिये प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये गए हैं। ये श्रेणियाँ हैं- 'श्रम भूषण पुरस्कार' (जिसमें 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है), 'श्रम वीर/श्रम वीरांगना पुरस्कार' (जिसमें 60,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है) और 'श्रम श्री/श्रम देवी पुरस्कार' (जिसमें 40,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है)। कुल पुरस्कार विजेताओं में से 49 कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र से हैं, जबकि 20 कर्मचारी निजी क्षेत्र से हैं। पुरस्कार पाने वालों में 8 महिला कार्यकर्त्ता भी शामिल हैं।

नीरज चोपड़ा

भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा नवीनतम विश्व एथलेटिक्स पुरुषों की रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुँच गए हैं। ओलंपिक की शुरुआत से पूर्व नीरज चोपड़ा 16वें स्थान पर थे, लेकिन 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने के बाद रैंकिंग में कई प्रसिद्ध खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। 1315 अंकों के साथ नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में केवल जर्मनी के 'जोहान्स वेटर' से पीछे हैं। गौरतलब है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के जेवलिन थ्रो गेम में स्वर्ण पदक जीता था, जिससे वे स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। 24 दिसंबर, 1997 को हरियाणा के पानीपत में जन्मे नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्त्वपूर्ण पुरस्कार जीते हैं, जिनमें राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप (2021) में स्वर्ण पदक तथा एशियन जूनियर चैंपियनशिप (2017) में सिल्वर पदक शामिल हैं।